# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या : 21

बुधवार;

19 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री उपाध्यक्ष**: राम, राम सा।

**अनेक माननीय सदस्य**: राम, राम।

**श्री उपाध्यक्ष**: डा. चन्द्रशेखर बैद।

### जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों का बकाया भुगतान

319. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कितने निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कितने बजटीय प्रावधान के विरुद्ध कितनी राशि के कार्य सम्पादित कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना के विस्तार उपरान्त भी उपलब्ध राशि व्यय नहीं की गई? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन दोषी है तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) उक्त योजना के समापन उपरान्त कितने गैर सरकारी संगठनों का कितना भुगतान किन कारणों से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** (श्री कालूलाल गुर्जर): (1) परियोजना समाप्ति पर कुल 19388 उप परियोजना की स्वीकृति के लक्ष्य के विरुद्ध 20389 उप परियोजनाएं स्वीकृत कर 19350 समूहों को राशि हस्तान्तरित की गई।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

प्रारम्भ से अब तक निर्धारित लक्ष्यों (उप परियोजनाएं स्वीकृत) एवं लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि का विवरण वर्षवार व जिलेवार परिशिष्ट-'अ' पर उपलबध है।

(2) जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कार्यो हेतु 502.63 करोड़ की राशि स्वीकृत कर 456.37 करोड़ की राशि हस्तान्तरित की गई, जिसके विरुद्व 448.84 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये गये। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। कम राशि व्यय के मुख्य कारण निम्न रहे :-

(i) परियोजना के प्रारम्भिक तीन वर्षो (जुलाई, 2000 से नवम्बर, 2003) में 230.47 करोड़ के व्यय अनुमानों के विरुद्ध मात्र 58 करोड़ (कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत) व्यय होना।

(ii) परियोजना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में मात्र 16 एन.जी.ओ. के साथ अनुबन्ध होने के कारण परियोजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी।

(iii) परियोजना में लाभार्थियों के द्वारा स्वयं का अंशदान जमा कराने का भी प्रावधान था, जो उनके द्वारा समय पर जमा नहीं कराया गया। इस कारण से 920 स्वीकृत उप परियोजनाओं में राशि हस्तान्तरण नहीं करने के कारण खर्चा कम हुआ। इसके उपरान्त इन 920 उप परियोजनाओं को निरस्त किया गया।

उपरोक्त कारणों से योजना की आंकलित लागत का 93.88 प्रतिशत व्यय हुआ एवं मात्र 6.12 प्रतिशत कम व्यय के कारण किसी को भी व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराया जाना उचित नहीं होगा।

(4) कुल 34 गैर सरकारी संस्थानों का उनके द्वारा प्रस्तुत बिल अनुसार 120.37 लाख का भुगतान शेष है जिसका कारण यह है कि इनके द्वारा गठित समान रुचि समूहों (सीआईजी) पर 510 लाख की वसूली अभी तक बकाया है। एन.जी.ओ. के द्वारा वसूली में सहयोग देने पर उक्त भुगतान कर दिया जायेगा।

जिलेवार गैर सरकारी संगठनों के बकाया भुगतान एवं कारणों का विवरण परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है।

**(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये डी पी आई पी की योजना जो कि टोटल योजना 590 करोड़ रुपये की और जो गरीबों

(डा. चन्द्रशेखर बैद)
के उत्थान के लिए राज्य के सात जिलों में क्रियान्वित की गयी। इन सात जिलों का भी माननीय मंत्रीजी ने परिशिष्ट-अ पर जो यह सूची प्रस्तुत की है उसके अन्दर बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द, टोंक, अब इसके बारां में आप यदि देखें लक्ष्य और जारी राशि इसका परसेंट है 103 परसेंट, चूरू के अन्दर इसका परसेंट है 64 परसेंट ओर बाकी सारे जिलों के अन्दर झालावाड़ में आपने जो लक्ष्य रखा उसके अनुपात में 152 परसेंट पैसे का भुगतान कर दिया।

पहली बात तो यह जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जिलेवार यदि आप स्थिति का अवलोकन करें तो बाकी सारे जिलों में सौ से एक सौ पचास परसेंट आपने भुगतान कर दिया। यह चूरू को ही 64.71 परसेंट क्यों रखा? आपके माननीय संसदीय मंत्रीजी से कोई राजनैतिक मतभेद हों तो उसका खामियाजा पूरे चूरू जिले को क्यों भुगतना पड़े? 152 परसेंट झालावाड़ के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जो सी ए जी की रिपोर्ट आयी है उसकी यह चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मार्च 2006 से देय रुपये 261.5 करोड़ रुपये के विरूद्ध केवल 67.58 करोड़ रुपये के पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समायोजन किया गया है। आपने जितनी राशि आपको उपलब्ध थी उसका पचास परसेंट तो खर्च किया सात साल के अन्दर और एक महीने कम में छह साल और ग्यारह महीने में खर्च किया पचास परसेंट और बाकी पचास परसेंट राशि का भुगतान सिर्फ एक महीने के अन्दर कर दिया।

जिन एन जी ओ का कोई प्रोपर रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई अवैध एन जी ओ जो लोगों ने बना रखे थे उनको आनन फानन में करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया और इन भुगतान के अन्दर सबसे आगे जो जिले रहे उसमें बारां, धौलपुर, झालावाड़, ऐसा क्यों? मतलब जो योजना गरीबों को पोषित करने के लिए, उनको रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए बनाई गयी थी उस योजना का इस प्रकार से दुरूपयोग किया गया। आपके माध्यम से मैं यही जानना चाहता हूं ....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। यह जो सी ए जी की रिपोर्ट में अंकित किया गया है वही तो पूछ रहा हूं मैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं कर सकते।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रश्नकाल में नहीं पढ़ सकते।

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मेरा प्रश्न यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ...(व्यवधान) मेरे को पूछने तो दो आप। मेरा प्रश्न यह है कि जो राशि का भुगतान, पहला प्रश्न ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): यह भाषण कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैं पाइन्टेड पूछ लेता हूं । पहला प्रश्न यह है कि जो राशि का भुगतान किया गया उसमें सात जिलों में चूरू जिले को चौंसठ परसेंट पैसा क्यों दिया बाकी जिलों को एक सौ पचास परसेंट पैसा क्यों दे दिया?

दूसरा जो भुगतान आपने किया छह साल और ग्यारह महीने में तो पचास परसेंट पैसा खर्च किया और लास्ट में एक महीने में बचा हुआ पचास परसेंट पैसा खर्च किया।

तीसरा प्रश्न जो कामन इन्ट्रेस्ट ग्रुप आपने बनाये, जिसके अन्दर पैसा बच गया, करोड़ों रुपया बच गया, उसका उपयोग आप किस प्रकार करेंगे? (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले मूल प्रश्नकर्ता का है1

**श्री उपाध्यक्ष**: बाद में आपका है।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डी पी आई पी के कार्यो में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि राशि का भुगतान चूरू जिले में कम क्यों हुआ 64 परसेंट, बाकी में ज्यादा हुआ है। मैं चूरू जिले का सारा बता देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले के समस्त सात विकास खण्डों में यह परियोजना संचालित की गयी। डूंगरगढ़ विकास खण्ड परियोजना कार्यकाल में बीकानेर जिले में सम्मिलित कर लिया किन्तु अन्य विकास खण्डों की भांति डूंगरगढ़ में भी कार्य किया गया।

चूरू जिले में 3476 समान रुचि समूहों का गठन किया गया। जिले में स्वीकृत उप परियोजना का कुल स्वीकृत उप परियोजना 3435, गैर सरकारी

(श्री कालूलाल गुर्जर)

संस्था द्वारा 2633 और ग्राम पंचायत द्वारा 802, इसमें स्वीकृत उप परियोजना की कुल राशि 102.59 करोड़ स्वीकृत उप परियोजना में डी पी आई पी का अंशदान 89 करोड़ और जारी की गयी राशि 63 और 11 करोड़, जिले में डी पी आई पी में लाभान्वित सदस्यों की संख्या भी इसमें बतायी गयी है कि लाभान्वित सदस्य कुल 38,421, बी पी एल के सदस्य 37269, एस सी के सदस्य 17696 एस टी के सदस्य 355 और ओ बी सी के 11446, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें महिलाओं की संख्या भी 1188 है। कुल महिला सदस्य 17831 और कुल महिला अध्यक्ष बनीं 1446, जिले में डी पी आई पी परियोजना कार्यकाल में 2728 स्वीकृत उप परियोजना में राशि जारी की गयी तथा अन्त में 2699 उप परियोजना का समायोजन किया जा चुका है। शेष उप परियोजना की राशि वापस प्राप्त कर ली गयी है।

इस प्रकार सभी उप परियोजनाओं का समाधान किया जा चुका है। चूरू जिले में कुल 909 गांव सरकारी संस्थाओं को आबंटित किये गये। इसके अलावा आर सी डी एफ को चूरू में तीन सौ डेयरी समान रुचित समूह बनाने का लक्ष्य आबंटित किया । परियोजना के प्रथम तीन वर्ष में चार गैर सरकारी संस्थाओं के साथ पांच अनुबंध कर ...(व्यवधान) बता रहा हूं 365 गांव पांच ब्लाक चूरू, रतनगढ़ और तारानगर आबंटित किये गये ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरा डिटेल लो।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में जो कार्य हुआ है उसमें एक तो अधिक 89.42 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप जो पूछ रहे हैं पिछली सरकार के समय कितनी राशि खर्च हुई है यह भी बता दो इनको।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जिनके विरुद्ध मात्र 6251 करोड़ रुपये ही हस्तांतरित किया गया था क्योंकि समूह द्वारा अंशदान नहीं दिया गया। सबसे मोटा कारण यह है कि जो वहां समान रुचि समूह बनाये गये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें परियोजना में यह नियम था कि 10 प्रतिशत हिस्सा उन...(व्यवधान) आप बैठो पहले। यह गलत है। आप बिराजिये ... (व्यवधान) आप बिराजो पहले। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: जवाब सुनिये पहले। बातचीत नहीं आपस में।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धौलपुर वालों ने पैसा जमा कराया तो उनकी ज्यादा स्वीकृतियां हो गयीं। आपके यहां जो सहायता समूह बने हैं उन सहायता समूहों ने अपना दस प्रतिशत हिस्सा जमा नहीं कराया अंशदान। इस कारण से आपके यहां पर स्वयं सहायता समूह कम बने और इसी कारण से राशि भी कम आबंटन हुई और राशि कम आबंटन हुई तो उसका भुगतान भी कम किया गया।

इसके अलावा हमने वहां पर चूंकि सहायता समूह कम बने तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि हमने स्पेशल कैम्प लगाये। कोशिश की और गांव-गांव में कैम्प लगाकर उन बी पी एल परिवार के या जो चयनित किये गये थे स्वयं सहायता समूह उनको प्रोत्साहित किया। उनको कहा गया। उनसे निवेदन किया गया कि आप दस प्रतिशत हिस्सा राशि जमा करायें लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं कराया। नहीं कराने के कारण से वहां कम ग्रुप बने और इसीलिये कम राशि वहां आबंटन की गयी ... (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मैंने जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन सप्लीमेंटरी पूछे थे ... (व्यवधान)

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (सवाईमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह डी पी आई पी के कार्यों में जितने एन जी ओ लगे थे ... (व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): मेरा एक सवाल है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: इनका सप्लीमेंटरी है माननीय सदस्य। अब आप इनका सप्लीमेंटरी आने दीजिये ... (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): डी पी आई पी के सम्बन्ध में जितने भी एन जी ओ लगे थे इन एन जी ओ की क्या-क्या शिकायतें मिलीं और उन एन जी ओ के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की? बारां जिले और राजस्थान में कितने एन जी ओ की शिकायतें मिली? उन एन जी ओ के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? एक सवाल ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं माननीय सदस्य ... (व्यवधान) प्रश्नकर्ता और पूछ रहे हैं ... (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा और है कि जिन एन जी ओ के साथ सरकार ने अनुबंध किया था ऐसे एन जी ओ कितने हैं सरकार से अनुबंध करने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने मक्कारी की। उनके खिलाफ भी सरकार ने क्या कार्यवाही की?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने प्रश्न पूछे थे तीन सप्लीमेंटरी, जवाब एक का ही आया है। मंत्री महोदय ने फरमाया कि 64 प्रतिशत और 152 प्रतिशत के अंतर का कारण यह रहा कि 10 प्रतिशत राशि सी आई जी ने जमा नहीं करायी जो कि गलत है क्योंकि एक तरफ 152 परसेण्ट सी आई जी की रिपोर्ट बोलती है कि आपने कुछ जिलों के अन्दर जो भेदभाव किया वह बिना किसी उपयोगिता प्रमाण पत्र के, बिना किसी प्लान के 152 परसेण्ट भुगतान कर दिया जिनको मनमर्जी चाही। माननीय सदस्य भी यह पूछ रहे हैं कि जिनको मनमर्जी चाही उन एन जी ओ को वहां करोड़ों रुपयों का भुगतान कर दिया। काम हुआ नहीं, राशि कहां गयी, इसका पता नहीं।

दूसरा, मेरा प्रश्न था ... (व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): प्रश्न पूछें ... (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): मेरा जो प्रश्न था जो कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप आपने बनाये और जिनको राशि का भुगतान कर दिया उस राशि के भुगतान के बाद में काम पूरा हो गया। पूरा होने के बाद जो राशि बच गयी करोड़ों रुपयों की उसका उपयोग कैसे करेंगे?

एक जो सॉफ्ट लोन वर्ल्ड बैंक आपको दे रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 1500 करोड़ रुपये देने को तैयार हैं। यह पत्र लिखा है अपने सचिव एम के खन्ना साहब ने सितम्बर, 2004 को, तो उसके बाद में सरकार ने उस लोन का प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, एक मिनट ... (व्यवधान) मंत्री महोदय, एक सवाल पूछ लें। फिर जवाब दे देना इसमें।

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है।

**डा. किरोड़ी लाल मीणा** (सवाईमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह प्रश्न के जवाब में दिया है कि 16 एन जी ओ ऐसे हैं जिन्होंने

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

अपेक्षित लक्ष्य पूरे नहीं किये या प्रगति नहीं की। वह ऐसे 16 एन जी ओ कौन-कौनसे हैं? और प्रगति नहीं हो पाने के क्या कारण हैं?

दूसरा, सी आई जी समूह ऐसे कौन-कौन से हैं जिन पर बकाया है? बकाया होने का क्या कारण है? और क्या उनके खिलाफ कार्यवाही सम्भव है?

तीसरा, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में ऐसे कितने एन जी ओज हैं जिन पर बकाया अभी तक है और उनकी अनियमितता की गम्भीर शिकायतें हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है?

चौथा, क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऐसे ढेर सारे अवैध एन जी ओज हैं जिनको भी राशि स्वीकृत कर दी गयी और उसके गबन की शिकायतें मिली तो उसके क्या परिणाम सामने आये?

पांचवां, क्या बाद ही बाद में लास्ट की स्टेज पर आनन-फानन में बहुत ढेर सारा भुगतान किया गया? इसकी जांच करवाने की मंशा मंत्रीजी, आप रखते हैं?

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): एक मेरा इसी से संबंधित है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पहले आने दें जवाब। उनके बाद बुलवा देंगे ... (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात पूछी थी कि इतनी राशि आबंटित क्यों की गयी जिसका जैसा कि मैंने जवाब दिया दस प्रतिशत जिन्होंने हिस्सा जमा नहीं कराया उनके कारण से राशि कम आबंटन हुई। अन्य जिलों में पैसा ज्यादा जमा कराया इस कारण से उनको राशि आबंटन पूरी की गयी और जहां तक आप कहते हैं कि कितने एन जी ओ हैं? और आपके यहां चूरू में जो काम धीमा हुआ उसका कारण यह रहा कि हमारे यहां पर एन जी ओ ने अपना अनुबंध किया था। एक साल बाद और आगे बढ़ाना था तो चूरू जिले में कुछ एन जी ओ ऐसे आये जिन्होंने अपना अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया। जैसे खादी मंदिर, लोक विकास, रिहायशी, तो इनके अनुबंध आगे नहीं बढ़े इस कारण से फिर नये एन जी ओ को लाना पड़ा और बाद में काम हुआ। इस वजह से इसमें देरी हुई।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि शिकायतें मिली हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिकायतें हमारे यहां पर आयी हैं और परियोजना में कुल 707 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन प्राप्त शिकायतों में से 652 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। 65 शिकायतें विभिन्न स्तर पर विचाराधीन हैं। समान रुचि समूह द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं बैंक खातों में राशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण 240 प्रकरण आये। एक तो यह शिकायतें हैं जिसमें हमने एफ आई आर प्रस्तुत कर दी है ऐसे 240 मामलों में एफ आई आर हमने थानों में दर्ज करा दी। थाने में दे दी। 69 प्रकरणों में एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। 171 प्रकरण विभिन्न थानों में विचाराधीन है। 5 प्रकरणों में एफ आर लगी है। 12 प्रकरणों में उप समिति का गठन किया गया। इसी तरह से अलग-अलग जिलों में अलग-अलग शिकायतें हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब अगर मुझे इजाजत दें तो मैं सारे जिलों की जिसमें धौलपुर भी है, राजसमंद भी है, बारां की भी है और सारे जिलों की शिकायतें हैं ... (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): कौन-कौन से एन जी ओ के खिलाफ शिकायतें मिली? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समान रुचि समूह की शिकायतें मिली ... (व्यवधान) कौन-कौन से एन जी ओ के खिलाफ शिकायतें मिली? एन जी ओ का तो बताया ही नहीं ... (व्यवधान) असली घोटाला तो एन जी ओ ने किया है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप ... (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): 250 एन जी ओ ... (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र मीणा** (लालसोट): इसमें कौन-कौन से एन जी ओ के खिलाफ शिकायतें मिली हैं उनका नाम बतायें। दो सौ, तीन सौ एन जी ओ हैं जिनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं उनका नाम बतायें।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): समान रुचि समूह से ज्यादा घोटाला तो एन जी ओ ने किया है तो कौन-कौन से एन जी ओ ऐसे हैं जिनकी शिकायतें मिली और ऐसे एन जी ओ कितने हैं जिनका सरकार के साथ अनुबंध होने के बाद भी उन एन जी ओ ने काम नहीं किया, मक्कारी की है, उसका क्या होगा? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले में कितने एन जी ओ काम कर रहे हैं? कितनों के हिसाब से चालान पेश किया...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, पहले ... (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट। पूरा जवाब तो करने दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 120 करोड़ रुपया चुकाना है लेकिन ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, इनको जवाब देने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): एन जी ओ पूरे राजस्थान में हैं ... (व्यवधान) एन जी ओ ने कहां-कहां ... (व्यवधान) एन जी ओ जो घोटाला कर रहे हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार का ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: जवाब तो देने दीजिये माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): एन जी ओ के तार कहां से जुडे हुए हैं ... (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 120 करोड़ रुपया कुछ एन जी ओ को और चुकाना है और राज्य सरकार का 5 करोड़ रुपया इन्हीं एन जी ओ ने जिनको सी आई जी बनाया है उनसे वापस वसूल करना है इसलिये 120 करोड़ रुपया हमको देना है उनको और 5 करोड़ रुपया उनकी सहायता से हमको वसूल करना है। थानों में जो एफ आई आर दर्ज हुई है उनके अन्दर उनसे वसूली की जा रही है। जो वसूली हो रही है उनमें एफ आर लग रही है। जिसमें वसूली नहीं दे रहे हैं पैसे उन सब के खिलाफ कठोर कार्यवाही हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें सरकार की किसी को बचाने की कोई मंशा नहीं है। एन जी ओ कौन-कौन से उसमें दोषी हैं इसके लिये सूची मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा जो भी इसमें चाहेंगे। बाकी जितने भी प्रकरण दर्ज हुए हैं उन सब में कार्यवाही हुई और जिन एन जी ओ ने गड़बड़ियां की हैं, आगे दर्ज नहीं कराये 11, उनके नाम जैसा कि मैंने बताया है। खादी मंदिर, चूरू, लोक विकास, चूरू, रिहायशी, चूरू, शिव शिक्षा समिति, टौंक, हिण्डौली, शिक्षा संयम, बारां, डी ए एफ, टौंक, कटस, दौसा, उत्थान, झालावाड़, सुगम

(श्री कालूलाल गुर्जर)

इंटरनेशनल, धौलपुर और वैलकम सेवा समिति, राजसमंद और कुमारप्पा, टौंक, इस तरह के यह एन जी ओ हैं जिनके खिलाफ शिकायतें मिली थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी प्रभावी कार्यवाही हमने की है ... (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 250 करोड़ रुपये दो महीने में फर्जी एन जी ओ को वितरित कर दिये। 250 करोड़ रुपये ... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जवाब तो देने दो। मुझे जवाब तो देने दो। आपने पूछा है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): धौलपुर, बारां, झालावाड़, दौसा, सवाई माधोपुर में यह 250 करोड़ और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है ... (व्यवधान) वह जो पैसा 250 करोड़ गरीबों का है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई शिकायत ... (व्यवधान) आपका तो जवाब देंगे। यह जवाब देंगे ... (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरा जवाब तो सुन लो ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को थोड़ा तो प्रोटेक्ट करो, मुझे जवाब तो देने दो।

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): मंत्री महोदय, मेरा भी प्रश्न है ... (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं कह रहा हूं, आपने कहा है कि 41 करोड़ रुपया बचा है ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): कॉमन इंट्रेस्ट ग्रुप से क्या वसूल करेंगे, सारा पैसा तो एनजीओ उठाकर के खा गये उस पैसे को ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): घोटाला तो एनजीओ ने किया है, कॉमन इंट्रेस्ट ग्रुप ने थोड़े ही घोटाला किया है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: उनका जवाब तो सुन लें ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): कार्यवाही समूहों के खिलाफ हो रही है ...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): मंत्री महोदय, एक मिनट मेरा प्रश्न भी सुन लीजिये ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): लिस्टेड एनजीओ हैं, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप जवाब सुनिये ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जहां तक तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य का मूल प्रश्न था ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पैसा ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुनें तो सही ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): इसी से जुड़ा हुआ सवाल है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बैठ जायें, बीच में नहीं ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): इसी से जुड़ा हुआ सवाल है ...(व्यवधान) एक साथ ही जवाब दे देंगे उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय के बीच में नहीं ...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): हम भी बात बता दें अपनी ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कुल 41 करोड़ रुपये की बात है, उसमें से 21 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से अभी हमने उठाये ही नहीं सरकार की ओर से इसलिए उसको लेंगे ही नहीं और जहां तक 20 करोड़ रुपये का सवाल है, सारा हिसाब होगा और किसी को देना है और किसी से क्या लेना है, उसके बाद उस रकम का सरकार की ओर से इन्हीं योजनाओं के जो कार्य अधूरे हैं उनको भी पूरा करायेंगे और इस पर पूरा खर्च किया जायेगा और एक रुपया भी उसमें बचेगा नहीं।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आप अभी कह रहे थे कि एनजीओ ने पैसा उठा लिया और सीआईजी को पैसा नहीं दिया, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, पैसा जितना भी हम ट्रांसफर करते हैं स्वरूचि सहायता समूह के खाते में जाता है, खाते में जाने के बाद वह स्वरूचि सहायता समूह बनाने वाले जो 11-12 आदमी हैं, वह पैसा किसी एनजीओ को देवें उसमें साफ है कि राज्य सरकार की तो कमी नहीं है, फिर शिकायतें आयी तो उनकी जांच करा ली गयी, जांच कराकर के उनसे वसूलियां कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बीच में नहीं ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सीधा सीआईजी के खाते में पैसा जाता है, एनजीओ को एक रुपया भी नहीं देते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: बीच में नहीं माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हम एक रुपया भी एनजीओ को डायरेक्ट नहीं देते हैं।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): बारां जिले में ऐसे एनजीओ हैं जिनके ...(व्यवधान) लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है अभी तक ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसलिए एनजीओ को पैसा देना और भ्रष्टाचार होना और एनजीओ को सारा पैसा देना ...(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): करोड़ों रुपये खा गये और सीआईजी को कोई सामान नहीं दिया है, पैसा वहां पहुंचा ही नहीं ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह बिलकुल असत्य बात है, हमने उसकी जांच करायी है और सीआईजी ने खुद ने पैसा उठाया है उसके बाद में ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसके बाद में सीआईजी के जो मेम्बर हैं, उन्होंने अपने खाते से पैसे उठाये हैं और फिर उन पैसों से एसेट्स नहीं खरीदी, जैसे कोई चीज नहीं खरीदी और पैसा उठा लिया, ऐसी शिकायतें मिलीं, उनकी जांच हमने करा ली है और उनसे वसूलियां हो रही हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये, वह सदस्य पहले खड़े हैं, माननीय सदस्य वह पहले खड़े हैं आपसे ...(व्यवधान) माननीय सदस्य मैंने उनको बोलने का मौका दे दिया है पहले, थोड़ा बैठिये ...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बीनादेसर गांव में बाबा रामदेव कॉमन इंट्रेस्ट ग्रुप की योजना थी, उसके 13 लाख रुपये थे, 1 लाख 30 हजार रुपये उन्होंने अपने जमा करा दिये, कलक्टर ने, उद्योग विभाग से सबसे रिकमंड थी। माननीय मंत्रीजी के पास मैं खुद आया था। छः महीने तक उन्होंने चेष्टा की है और तीन रुपये इंट्रेस्ट पर उन्होंने साहूकारों से पैसा लिया। कम से कम 20-30 हजार रुपये उनके जयपुर आने में खर्च हुए होंगे। मंत्रीजी से पर्सनल दो बार मिला, रिकमंड कराकर ले गया। उसके बावजूद वह काम लैप्स हुआ लास्ट के अंदर। वर्ल्ड बैंक का मिला, उसका एक नोटिस आया, इतना बड़ा अन्याय उन ग्रुपों के साथ हुआ कि जिसका कोई मायने नहीं है। मंत्रीजी के आदेश के बावजूद काम नहीं हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिये कि कौन अधिकारी ऐसे हैं जिसने उस काम को नहीं होने दिया। छः महीने तक हमने जी-जान से चेष्टा करी, यह अन्याय है इसकी जांच करायी जाये...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह सहायता समूह ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान) आप जवाब देने दें उन्हें, बीच में नहीं, आप बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य बीच में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। पहले बैठिये आप, माननीय सदस्य, यह भाषण नहीं देने दूंगा मैं आपको, बैठिये आप, कोई अंकित नहीं होगा इनका ...(व्यवधान) बैठिये आप, उनका जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): × × ×

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्रीजी ने कह दिया, बीच में नहीं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): × × ×

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठ जायें आप, बीच में नहीं बोलें ...(व्यवधान) पहले उनका जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): × × ×

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, बैठ जायें, बीच में नहीं।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: इस तरह से चलते रास्ते सवाल नहीं पूछते, बैठिये आप थोड़ा ...(व्यवधान) आपका भी नम्बर आयेगा माननीय सदस्य बैठिये आप ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये आप, बीच में नहीं, आपके जैसलमेर का मामला नहीं है इसमें ...(व्यवधान) जवाब दे रहे हैं, बैठ जायें, आगे है आपका प्रश्न, वह जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मुझे मिले, इन्होंने जो बात कही उसमें बिलकुल सत्यता है, इन्होंने कहा था कि हमारे यह सीआईजी बने हैं, जिन्होंने पैसा जमा करा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने यह पैसा जमा कराया तब तक वर्ल्ड बैंक की इस योजना की अवधि समाप्त होने से आगे का कार्य रोक दिया है। हमने प्रयास किया कि कैसे भी करके चूंकि इनका पैसा जमा हुआ है, इनको मिल जाये और हमने अधिकारियों को भी कहा, अधिकारियों ने वर्ल्ड बैंक से भी बात की पर उन्होंने मना कर दिया कि अब आपकी कार्यावधि समाप्त हो गयी है इसलिए अवधि पूरी होने के बाद अब इसकी स्वीकृति आप नहीं कर सकते हैं। इस कारण से नहीं कर पाये। इसका मुझे भी दु:ख है कि मैं नहीं कर पाया।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन नियम की बात यही थी कि वर्ल्ड बैंक की यह स्कीम है और वर्ल्ड बैंक की स्कीम की अवधि पूरी हो गयी है। वर्ल्ड बैंक ने आगे देने से मना कर दिया इस कारण से नहीं मिल पायी ...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): छः महीने पहले जमा करा दिया, छः महीने पहले की बात है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, जवाब आ गया ...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): दुबारा ले लिया था, उसके बाद में लैप्स हुआ है यह पैसा ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बिराजें ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आप किस संबंध में पूछना चाहते हैं ...(व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर): नवम्बर में 250 करोड़ रुपये एनजीओ को ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी यह फरमा दें कि माननीय सदस्य आपके पास किस तारीख को कब मिले और वर्ल्ड बैंक की वह अवधि कब समाप्त हुई ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: यह कोई आवश्यक नहीं है कि तारीख बताना ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आवश्यक क्यों नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, वह तारीख क्या बतायेंगे ...(व्यवधान) वह पूछ लेंगे ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हां बतायें अवधि ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिये ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह लीपापोती कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: इससे आपका कोई मतलब नहीं है माननीय सदस्य, तारीख बता दें, तारीख बता दें ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह कर रहे हैं यह।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब इनको तारीख जबानी याद थोड़े ही है ...(व्यवधान) वह पूछ लेंगे अपने आप ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: कर्मपत्री बनानी पड़ेगी सब की ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, अब कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछने दूंगा मैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं आपकी इजाजत से पूछ रहा हूं, आपकी आज्ञा से पूछ रहा हूं मैं ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आगे क्वेश्चन लगे हुए हैं इम्पोर्टेंट ...(व्यवधान) आगे पुकारें, आगे पुकारें ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): सारे ही कांग्रेसी एनजीओ हैं और सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 26 मिनट खर्च हो गये हैं...(व्यवधान) आधा घंटा हो गया उपाध्यक्ष महोदय, आगे पुकारें...(व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन में यदि आधा घंटा लग जायेगा ...(व्यवधान) एक क्वेश्चन में आधा घंटा।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब क्या रह गया ...(व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित** (मकराना): अभी बीस क्वेश्चन हैं, कई क्वेश्चन कब आयेंगे ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपके जिले से संबंधित नहीं है, बीच में नहीं ...(व्यवधान) आप काहे का पूछ रहे हैं ...(व्यवधान) पूछें, पूछें ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मंत्री महोदय ने यह कहा कि जिन एनजीओ ने गड़बड़ की और सरकारी पैसे का दुरूपयोग किया। उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करा दी लेकिन जिन एनजीओ ने एफआई आर दर्ज कराने के बाद हमारा पैसा दे दिया तो हमें उसमें एफ.आर. लगा दी। यह आपने बात कही है, एक दफा जुर्म होने के बाद चाहे पैसा जमा हो जाये, एफ.आर. लगाने का प्रयास सरकार ने किया है तो गलत किया है, यह माननीय मंत्रीजी बतायें भले ही ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): अब उसका क्या करेंगे, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठें तो सही, बैठिये ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि एनजीओ ने गड़बड़ी की ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: वह जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैंने कहा कि पैसा सारा सीआईजी के खाते में जाता है ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): इसलिए एफ.आर. लगा दी ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सीआईजी के खाते में जाने के बाद उसका दुरूपयोग सीआईजी ने किया, जिन्होंने सामान नहीं खरीदा और पैसे उठा लिये ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपने कहा कि पैसे हमने वापस लिये हैं इसलिए एफ.आर. लगा दी है। आपने कहा है कि पैसा वापस आ गया इसलिए हमने एफ.आर. लगा दी ...(व्यवधान) आप ऐसे लगा ही नहीं सकते एफ.आर. ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जिन्होंने सामान नहीं खरीदा और पैसा उठा लिया उनके खिलाफ एफआईआर लॉज हुई और उनसे वसूली हो गयी। उसमें एनजीओ ने कोई पैसा डायरेक्ट उठाया नहीं, एनजीओ के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बीच में नहीं ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): केवल एनजीओ के एफ.आर. लगायी है।

**श्री उपाध्यक्ष**: बीच में नहीं, आप बीच में बहस नहीं कर सकते हैं ...(व्यवधान) बैठ जायें, सप्लीमेंट्री पूछिये, कोई बहस हो रही है यहां पर ...(व्यवधान) यह कोई बात हुई ...(व्यवधान) पर्टिकूलर जिले से संबंधित कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह 2000 की योजना है ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में यह योजना चल रही है ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): जिस समय आप मंत्री थे उस समय यह योजना शुरू हुई और उसमें कांग्रेस के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के लिए करते रहे ...(व्यवधान) इन्होंने कोई काम नहीं किया, यह स्वयं वित्त मंत्री थे। 2000 से यह योजना लागू हुई और 2003 तक इन्होंने कोई काम नहीं किया।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप सुनें तो सही ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): हमारी सरकार के आने के बाद यह सारा 2001 के बाद में ...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, उनकी क्या व्यवस्था होगी, उनका इतना नुकसान हुआ है, उसकी क्या व्यवस्था होगी ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): कितनी गम्भीर है, 200 एफआईआर गरीब की गरीबी मिटाने के नाम पर 500 करोड़ का चूना लगाया है आपने ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): उसके बाद हमारी सरकार के आने के बाद यह सारी योजनाएं शुरू हुई हैं ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप गलत कह रहे हैं, आपका पता ही नहीं है ...(व्यवधान) यह योजना फेजेज में लागू हुई है ...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़) : उन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (**सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना सात जिलों में सन 2000 में लागू हुई और एनजीओ का जितना चयन हुआ, कांग्रेस पार्टी के राज में चयन हुआ। कॉमन इंट्रेस्ट ग्रुप उन्हीं के राज में ही बनें और इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा) : यह असत्य कह रहे हैं, यह असत्य कह रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : मंत्री जी ने खुद कहा है कि एनजीओ का चयन बाद में हुआ है, मंत्री ने खुद ने कहा है ...(व्यवधान)

हमारे टाइम पर हुआ है, संसदीय कार्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। मंत्रीजी ने कहा है कि एन जी ओ का चयन हमने किया है। ...(व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2000 से 2002 तक सिर्फ 10.2 फीसदी राशि खर्च कर गरीबों के साथ अन्याय किया है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मंत्री तो क्या जवाब दे रहा है और दूसरा मंत्री उसका कंट्राडिक्ट्री जवाब दे रहा है। ...(व्यवधान)... एक मंत्री कह रहे हैं कि चयन कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, दूसरा मंत्री कह रहा है कि कांग्रेस के राज में हुआ। ...(व्यवधान)...

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा खराब हो गया। ...(व्यवधान)...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेडा) : अभी बताओ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : संसदीय कार्य मंत्रीजी क्षमा मांगें गलती के लिए। ...(व्यवधान)...

**श्री उपाध्यक्ष** : बैठिए, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : कण्ट्राडिक्ट्री जवाब दे रहे हैं तो आप नियमों के मुताबिक आइए। ...(व्यवधान) ... माननीय सदस्य, आपके जिले का नाम है, आप बैठिए।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं और ये खड़े हो जाते हैं बार-बार, आप इनको बैठाते ही नहीं हो।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): एक प्रश्न में 35 मिनट हो गए माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): सरकारी लॉबी में बैठे रहने वाले सरकारी अधिकारी सरकारी रिकार्ड मुख्य सचेतक को नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मुख्य सचेतक बीच में खड़े हो जाते हैं, यह बिलकुल गलत तरीका है, आप नई परम्परा मत डलवाइए। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): सरकारी अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों को अपने जवाब मंत्री के पास भेजने चाहिए थे, इन्होंने मुख्य सचेतक को दिए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बैठिए माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) आपका आ गया सवाल, अब आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) अब कोई अंकित नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री):××× ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: सबको रोक रहे हैं, आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है कि यह स्वयं सहायता समूह कांग्रेस के समय में बने। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर):×××

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक):×××

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर):×××

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री अमराराम** (धोद):×××

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप ने कहा है कि योजना कांग्रेस के समय में स्वीकृत हुई। योजना कांग्रेस के समय में स्वीकृत हुई चाहे इनके शासन में स्वीकृत हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वयं सहायता समूह कांग्रेस के समय में बने चाहे इनके समय में बने, किसी के समय में बने हों लेकिन स्वयं सहायता समूह यदि यह पैसा हड़प कर जाए, हजम कर जाए और जिनके खिलाफ 240 एफ आई आर दर्ज हो और 240 एफ आई आर दर्ज होने के बाद मंत्रीजी यह कहे कि जो पैसा हमको वापस जमा करा दे, जो खा गए हैं, उनके एफ आर लगा देंगे तो कानून में अगर कोई खा जाता है और फिर पकड़ा जाता है तो उसको कह देते हैं कि पैसा वापस दे दो और आपको हम छूट दे देते हैं, चोरी करके चला जाए फिर पकड़ा जाए तो माल वापस दे दो और आपका मुकदमा रफा-दफा कर देते हैं। ऐसा कानून में कभी हुआ है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दवे साहब यह कह रहे थे कि आपके समय में पैसा खर्च कम हुआ, हमने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, पैसा आपने ज्यादा खर्च कर दिया लेकिन खर्च किया कहां, वह पैसा गया कहां, वह पैसा तो स्वयं सहायता समूह खा गए।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलेंगे।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): 6 साल 11 महीने में तो आधा पैसा खर्च हुआ 500 करोड़ और 1 महीने में आधा पैसा खर्च हुआ, अब यह पैसा खाया नहीं तो क्या किया? एक महीने में कितना पैसा खर्च कर लिया, वह 6 साल और 11 महीने में लगा आधा पैसा तो जो खा गए उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और यह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पैसा खर्च नहीं किया, हमने खर्च कर दिया, खर्च कहां किया, पैसा खा गए, यह उपलब्धि है क्या? इससे अच्छा तो अगर सरकार के खजाने में पड़ा रहता तो उन गरीबों को तो दिया होता आपने। स्वयं सहायता समूहों के सम्बन्ध में 240 एफ आई आर दर्ज थी, ताज्जुब की बात है और पैसा वापस जमा कराओ और एफ आर लगाओ, यह इन्होंने फार्मूला बताया।

**श्री उपाध्यक्ष**: ...(व्यवधान)... आ गई बात।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन प्रश्न अभी सारे माननीय सदस्यों ने पूछे थे उनका जवाब दे देता हूं। एक तो मैं बता देता हूं कि 4 जुलाई, 2007

(श्री कालूलाल गुर्जर)

को नई योजना स्वीकृत करने से विश्व बैंक ने मना कर दिया इसलिए रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, वह बाद में आए थे इस कारण से उनकी स्वीकृति नहीं हो सकी थी।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हरियाणा से भैंसे खरीदवाई जाती हैं इसमें गड़बड़ घपला हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, अच्छी नस्ल की भैंस वहां मिलती है। यहां पर लोकल भैंस खरीदते हैं, अच्छी भैंस नहीं मिलती, यहां के जो ग्रुप हैं वह भैंस खरीदे या नहीं तो अपने पड़ोसी की या किसी और की भैस भी वह खरीदी हुइ बता कर फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, इन दोनों बातों को रोकने के लिए हमने इसमें यह क्लाज डाला कि भैंस हरियाणा से ही खरीदेंगे तो अच्छी नस्ल की भी होगी और हमने डेयरी का एक एक्सपर्ट आदमी रखा हुआ था जो गाय भैंस के बारे में ज्यादा अच्छा समझता था। उनको साथ भेजा गया, उनकी देखरेख में भैंसें खरीदी गई और सही भैंसे खरीदी उसमें कोई शिकायत नहीं है, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। कई माननीय सदस्य जिनके यहां योजना चल ही नहीं रही है उनको जानकारी नहीं है और इस पर इस तरह की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक धौलपुर का सवाल है मैं बता रहा हूं ..(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप कह रहे हैं योजना ही नहीं है .. (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपके तो है, लेकिन अमरारामजी के कहां है? अमरारामजी, आपके है? ये क्या पूछ रहे हैं?

**श्री अमराराम** (धोद): मैं चूरू गया हूं, और कई जगह गया हूं .. (व्यवधान)..

**श्री उपाध्यक्ष**: आप सुनिए पहले।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नेता, प्रतिपक्ष का प्रश्न है ..(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): भैंस की नस्ल तो ठीक है, लेकिन भैंस ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: जवाब आने दो।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान में क्या खरीदने लायक भैंसे हैं ही नहीं? हरियाणा में ही भैंसें हैं, राजस्थान में है ही नहीं? (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप विराजो तो सही। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि पैसा राज्य सरकार की इस योजना का जो स्वरूचि सहायता समूह बने हुए हैं उनके खाते में ट्रांसफर किया गया और खाते में ट्रांसफर के बाद जिन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने हिसाब नहीं दिया क्लोजिंग के टाइम पर इसलिए उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करायी, लेकिन जो हिसाब दे रहे हैं या जिन्होंने दे दिया उनके खिलाफ एफआर लगी है। कोई गबन कर गया उसके खिलाफ नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सूचित करता हूं एफआईआर दो-तीन तरह की थी, गबन की थी उनके ऊपर तो चालान हो रहा है, कार्यवाही हो रही है, लेकिन जो हिसाब नहीं दे रहे थे उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर उन्होंने हिसाब दे दिया तो एफआर लगायी गई। आपने यह कह दिया ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: जवाब आने दीजिए।

**श्री अमराराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, हिसाब नहीं दिया .. (व्यवधान) सदन को गुमराह कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिए।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, आप जानते ही नहीं। डीपीआईपी को जानते ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने केवल चिल्लाने का ठेका ले रखा है और चिल्लाने के अलावा इनके पास कोई मामला ही नहीं है।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 41 मिनट हो चुके हैं। 41 मिनट एक प्रश्न के लिए। एक प्रश्न लगा हुआ है इंपोर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के हित में, अतः सदन में विचार किया जाए। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अभी एक महीने में जारी हो गया यह बिलकुल गलत बात है। यह सारा पैसा समय-समय पर जैसे-जैसे सीआईजी ग्रुप बनते गये, पैसा देते गये। यह कतई नहीं है एक महीने में आधा पैसा जारी हो गया। पता नहीं कहां से ये आंकड़े उठाकर बात कर दी।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना का क्रियान्वयन हमारी सरकार आने के बाद बहुत अच्छा हुआ और हजारों गरीबों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया। आज भी उनकी सारी प्रोपर्टी तैयार है।

**एक माननीय सदस्य**: नैक्स्ट क्वेश्चन लें, बहुत टाइम हो गया, एक घण्टा हो गया। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने सारा वेरिफिकेशन कराया और जो शिकायतें मिलीं उनकी हमने जांच की है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री अशोक कुमार नवलखा। (व्यवधान)..

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। अब मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

## निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर कर संग्रहण केन्द्र के कारण अवरुद्ध यातायात

320. **श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर परिवहन विभाग का चैकपोस्ट कर संग्रहण केन्द्र स्थित है? यदि हां, तो यहां प्रतिदिन औसतन कितने वाहनों का आवागमन होता है?

(2) क्या यह भी सही है कि चैक पोस्ट के कारण यातायात की अवरुद्धता को देखते हुए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने व आगाममन को सुचारू करने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): (1) जी हां। यह सही है कि निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर राजस्थान राज्य की सीमा पर परिवहन विभाग का कर संग्रह केन्द्र स्थित है। कर संग्रह केन्द्र पर केवल कर जमा कराने वाले वाहन तथा जिस वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की गई हो, का ही लेखा-जोखा रखा जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त

(श्री युनूस खान)

अन्य वाहनों के आवागमन की संख्या का कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। निम्बाहेड़ा कर संग्रह केन्द्र पर वर्ष 2007-08 जनवरी माह तक 22408 वाहनों से कर प्राप्त किया गया है तथा 21283 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के अंतर्गत चालान बनाये गये हैं।

(2) जी हां। उक्त स्थल पर यातायात की अवरुद्धता संबंधी समस्या के निराकरण हेतु उक्त मार्ग राष्ट्रीय उच्च मार्ग होने के कारण ले-बाई के निर्माण के कार्य की स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अनुरोध किया गया है। भारत सरकार से वांछित स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग नेशनल हाइवे नम्बर 79 पर स्थित परिवहन विभाग के इस कर संग्रह केन्द्र पर यातायात हमेशा अवरुद्ध रहता है और इसकी समस्या बनी रहती है। पिछले कई वर्षों से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय ने अपने रिप्लाई में खण्ड दो में बताया कि ''उक्त स्थल पर यातायात की अवरुद्धता संबंधी समस्या के निराकरण हेतु उक्त मार्ग राष्ट्रीय उच्च मार्ग होने के कारण ले बाई के निर्माण के कार्य की स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अनुरोध किया गया है।'' मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो ले-बाई का आप निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए भारत सरकार के इस मंत्रालय को कितनी बार लिखा, कब-कब लिखा और भारत सरकार ने इसका क्या रिप्लाई दिया, नम्बर एक।

दूसरा, क्या इस ले-बाई निर्माण में सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर आपका विभाग या सार्वजनिक निर्माण विभाग यदि इस रोड की चौड़ाई बढ़ाकर जो हल्के प्रकार के वाहन हैं जिनको निकालने में सुगमता होती है तो क्या कार्यवाही करेंगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि इस मार्ग पर किसानों का जो माल आता है, आवागमन होता है, एम्बुलेंस के माध्यम से मरीज उदयपुर और नीमच के हास्पिटल में जाते हैं। कई बार वहां पर दम तोड़ देते हैं। मैंने माननीय परिवहन मंत्रीजी और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को अलग-अलग बार में वहां जाकर मौका भी बताया है और माननीय मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वहां पर मार्ग हमेशा अवरुद्ध रहता है और करीबन 24 घण्टे में से 18 घण्टे अवरुद्ध रहता है।

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): मैं माननीय मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सड़क की दोनों साइड में चौड़ाई बढ़ाकर यदि हल्के प्रकार के वाहन का आवागमन सुलभ करेंगे तो क्या इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे? मैंने प्रश्न पूछा कि भारत सरकार को आपने कब-कब पत्र लिखा और भारत सरकार ने क्या-क्या जवाब दिया, कृपया आप अवगत कराने का कष्ट करें।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्षः** थोड़ा ठहरिए। इसी से संबंधित है?

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): हां।

**श्री उपाध्यक्षः** इसी राजमार्ग से?

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): इसी राजमार्ग पर।

**श्री उपाध्यक्षः** पूछिए।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि परिवहन विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ में कितनी चैक पोस्ट लगायी गई हैं और उनका ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** यह जनरल है, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): इसी से संबंधित है। क्या जो माकूल व्यवस्था है, कर संग्रहण करने के लिए यातायात विभाग की व्यवस्थाएं मूलभूत होनी चाहिए, चाहे छाया है, चाहे पानी है, चाहे मेडिकल है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। काश्तकार वहां जाते हैं पूरा दिन बैठे रहते हैं और उनकी आजीविका का मूल साधन है, चाहे ट्रैक्टर का किराया लेने का काम हो, वाहन किराये का लेकर जाते हैं वो जाने से कतराते हैं, वहां से आवागमन का रास्ता सही नहीं होगा ..(व्यवधान)..

**श्री उपाध्यक्षः** आ गई बात।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): तो हम एक दिन के लिए जाएं तो भाड़ा कौन देगा?

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर आवागमन अधिक हो रहा है और सड़क संकड़ी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 स्थित है, सड़क को चौड़ा करने या

(श्री युनूस खान)

उसको फोर लेन, सिक्स लेन में बदलने का काम भारत सरकार करती है और हमने समय-समय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार को पत्र लिखे हैं और वहां मौंके पर जाकर मैंने देखा है कि वहां पर एक पुलिया और है जिसकी वजह से बहुत असुविधा हो रही है और वहां परिवहन विभाग के अलावा भी दूसरे विभागों के कार्यालय हैं और औसतन 5 हजार वाहन वहां से आवागमन करते हैं और पुलिया होने की वजह से संकड़े हैं। वहां पर अन्य कर संग्रहण केन्द्रों में, बिक्री केन्द्र की भी चैक पोस्ट है और उसके अलावा आबकारी विभाग का उड़नदस्ता भी है, नारकोटिक्स का भी है, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमने जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को लिखा उस समय उन्होंने हमें 1 करोड़ 50 लाख रुपये की कुल लागत फोर लेन करने की, ले-बाई बनाने की आएगी तो वो सारा एस्टीमेट हमने भारत सरकार को भेजा है और अभी चूंकि भारत सरकार ने हमारे इस पत्र पर ध्यान देते हुए वहां सर्वे कराया है और उस सर्वे के अंदर लगभग 18 हजार पर यूनिट आया है। तो उनके जो नोर्म्स हैं उनके मुताबिक वहां फोर लेन बन सकती है उस पर भारत सरकार विचार कर रही है और भारत सरकार जब भी बनाएगी, मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से भी निवेदन किया और उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये भारत सरकार को लिखें जिससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सके। दूसरा कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): दो मंत्री इसको चौड़ी करेंगे तो कौन-कौन से मंत्री चौड़ी करेंगे यह तो बता दो।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। बीच में नहीं। (व्यवधान) आ गया जवाब।

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): उसमें हम हमारे माननीय सदस्य का भी सहयोग चाहेंगे। माननीय कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पूछा है कि इस इलाके में कितनी चैक पोस्ट हैं ..(व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): ऐसी क्या बात अच्छी लगी है जो आप इतने हंस रहे हो ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। (व्यवधान) बातचीत नहीं।

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): चित्तौड़ में हमारा बावन मोड़, निम्बाहेड़ा में ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं। माननीय सदस्य, सारा आ गया।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): हल्के वाहनों के निकलने की क्या व्यवस्था करेंगे, इतना सा बताएं। जो काश्तकारों से संबंधित है जो किराये में ले जाते हैं ..(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बृजकिशोर शर्मा। माननीय सदस्य।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): प्रश्न संख्या 321

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिए। इसका डिटेल में जवाब आ गया। (व्यवधान) बैठिए। बाकी पूछ लेना आपसे।

**श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आश्वासन चाहता हूं जब तक भारत सरकार उस रोड को चौड़ा न करे तब तक दोनों साइड की रोड को चौड़ा अपने स्तर पर करके वाहनों का आवागमन सुलभ कराएंगे, यह मंत्रीजी सदन को बताने का कष्ट करें।

**श्री उपाध्यक्ष**: पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर करवाएंगे वो। बैठिए। नैक्स्ट क्वेश्चन।

## माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण पर व्यवस्था राशि

321. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह यही है कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण की जावेगी? यदि हां, तो इसकी पालना हेतु कितना बजट निर्धारित व कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मद में से किन-किन विद्यालयों में कितनी बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध करवाई गई ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि साइकिल खरीद के लिए कोई निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हां, तो सफल व असफल निविदादाताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

**शिक्षा मंत्री** (कालीचरण सर्राफ) : (1) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 10 में अध्ययनरत ऐसी प्रत्येक छात्रा जिसका घर सबसे नजदीक विद्यालय से 2 किलोमीटर से अधिक एवं 5 किलोमीटर तक की दूरी पर है, को एक नई साइकिल 300 रुपये की छात्रा अंश राशि उपलब्ध करवाने के उपरांत देने का प्रावधान रखा गया है। इस हेतु वर्ष 2007-08 में कुल 437.50 लाख रुपये का बजट प्रावधित किया गया है। आहरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त मद में से कुल 3,017 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 29,004 बालिकाओं को साइकिलें उपलब्ध कराने का प्रावधान है जिसमें से अब तक 16,485 बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध करा दी गई हैं। विद्यालयवार साइकिल वितरण की सूचना उपलब्ध कराना, समय, श्रम एवं व्यय साध्य होने के कारण जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(3) जी हां। 'मैसर्स एस के बाइक्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना (पंजाब, सफल निविदादाता हैं और 'मैसर्स एटलस साइकिल (हरियाणा) लिमिटेड, सोनीपत (हरियाणा)' एवं मैसर्स सफारी बाइक्स लिमिटेड, लुधियाना, (पंजाब)' असफल निविदादाता हैं।

**(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रार्थी छात्राओं से करीब 90 लाख रुपये प्राप्त होने के बाद भी आपने 16 जिलों में एक भी साइकिल नहीं देने के क्या कारण रहे, नम्बर वन। क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप छात्राओं को 2007 के मई माह के आसपास स्कूल में जाने के लिए साइकिल देनी थी लेकिन सत्र का अधिकांश भाग निकल जाने के बाद जनवरी और फरवरी, 2008 में साइकिल देने के क्या कारण रहे? नम्बर तीन, क्या सरकार इस योजना को आगे भी चालू रखेगी ?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पहला साल होने के कारण साइकिल वितरण के कार्यक्रम में डिले हुआ और उसका कारण यह रहा है कि साइकिलों के क्रय के लिए एक अधिकारियों की कमेटी बनाई गई। उन्होंने टेंडर आमंत्रित किये और किसी ने भी टेंडर में भाग नहीं लिया इसलिए दुबारा टेंडर आमंत्रित किये, दुबारा टेंडर आमंत्रित किये तो रेट्स ज्यादा आई, उसको भी क्रय समिति ने स्वीकार नहीं किया, फिर तीसरी बार जब हमने टेंडर किये और उसमें जब रेट रिजनेबल

(श्री कालीचरण सर्राफ)

आई उसके बाद हमने आर्डर दिया इसलिए यह डिले हुआ। यह बात सही है पर 31 मार्च, 2008 तक सभी को साइकिलें वितरित कर दी जाएंगी। (व्यवधान) और अगले वर्ष से यह योजना निश्चित रूप से लागू है और अभी से हमने सारी व्यवस्था कर ली हैं, 1 जुलाई, 2008 तक अगले साल की साइकिलें वितरित कर दी जाएंगी।

**श्री उपाध्यक्ष**: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री मदन राठौड़। (व्यवधान) आपकी बात आ गई सारी ...(व्यवधान) आ गया जवाब ...(व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंदर 11 दिन के अंदर 16 हजार साइकिलें ...(व्यवधान) इन साइकिलों में घोटाला हुआ है। (व्यवधान) यह चला कर टेंडर लेट किये गये हैं। ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा ...(व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): इसमें घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: क्या पूछ रहे हैं, वह स्पेसिफिक पूछिए आप। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): बैठिए, आपका जवाब दे रहा हूं ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही अफसोस है ... (व्यवधान) मेरा जवाब तो सुन लो ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप स्पेसिफिक पूछिए ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मुझे बहुत अफसोस है कि सही काम में भी इनको घोटाला नजर आता है। जैसा मैंने पहले कहा 18.4.07 को, 18 अप्रैल, 2007 को निविदाएं जारी की गई, नहीं, जारी की गई 4.6.07 को और अंतिम तिथि थी 4.7.2007, निर्धारित तिथि तक कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई इसलिए दुबारा निविदाएं आमंत्रित की। दुबारा निविदाएं हमने आमंत्रित की 16.10.2007 को उसके बाद रेट्स ज्यादा आई, हमने उसको कैंसिल किया, तीसरी बार निविदाएं आमंत्रित की तो सौ रुपये प्रति साइकिल का फायदा हुआ। अब इसमें इनको घोटाला नजर आ रहा है यानी पहले जो रेट आई, वह आई मिनिमम ...(व्यवधान) सुनिए, मेरी बात। पहले रेट आई।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ये मंत्रीजी, ये आपसे कम रेट आई है।

**श्री अमराराम** (धोद): पहले टेंडर ही नहीं आया तो फायदा कहां से हो गया? (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आप पूरा जवाब सुनो, श्रीमान बैठिए आप। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिए, ...(व्यवधान) आप माननीय सदस्य।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मैंने जैसा कहा।

**श्री अमराराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, यही कह रहे हैं कि पहले किसी ने टेंडर नहीं डाला तो दूसरे में फायदा कहां से हुआ ? (व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सुनते हो नहीं आप, दुबारा में कम आई तो तिबारा में सौ रुपये कम आई, सुनते तो हो नहीं ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मैं तो यह समझता था धोद से आने वाले माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं, मैंने यह कहा पहली बार निविदाएं आमंत्रित की तो कोई टेंडर नहीं आया।

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं आया।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): नम्बर एक, ध्यान से सुनिए, फिर दुबारा निविदाएं आमंत्रित की तो रेट ज्यादा आई, रेट आई 1936, हमको यह रेट ज्यादा लगी इसलिए हमने कहा कि रेट ज्यादा है इसलिए इस पर नहीं देंगे, तिबारा निविदाएं आमंत्रित की और अब इसका जो आर्डर दिया है वह मैं बताना चाहूंगा कि पहले 1936 रेट आई, फिर उसी कम्पनी ने 1821.04 रुपये यानी 117 रुपये का फायदा ...(व्यवधान) एक साइकिल पर हुआ इसलिए कोई घोटाले का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप नेगोशिएशन उससे कर सकते थे ...(व्यवधान) अगर उसी कम्पनी की रेट ज्यादा थी तो आप नेगोशिएशन कर सकते थे उसी समय ...(व्यवधान) आपको नेगोशिएशन करनी चाहिए थी। (व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): छात्राओं से 90 लाख रुपये जमा कराये ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप एक आदमी पूछिए, पहले माननीय सदस्य, आप बैठिए, आप उनको पूछने दीजिए प्रश्नकर्ता को, बैठिए आप ...(व्यवधान) पूछिए।

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): कि इन छात्राओं ने 90 लाख रुपये उसी मई माह में जमा करा दिया था, उनके साथ यह खिलवाड़ क्यों किया गया ? नम्बर एक। नम्बर दो, जब 2007 के मई माह में जैसा मंत्रीजी ने बताया कि टेंडर कॉल किये उसके बाद तीन महीने बाद केवल डिले करके यह टेंडर कॉल किये गये, इसका कारण बताइए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: यह क्या है फिर ?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार यह कह रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपकी बात का जवाब आ गया पहले ...(व्यवधान) पहले कह दिया ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्यों की साइकिलों की दुकान हैं क्या ? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: सुनिए ...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह साइकिलें देने वाले की पैरवी कर रहे हैं, इस सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं जब यह कह रहा हूं कि हमने दूसरी बार जब निविदाएं आमंत्रित की और रेट ज्यादा थी और तीसरी बार हमने रेट आमंत्रित की तो उसी कम्पनी ने 115 रुपये ...(व्यवधान)

**श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): आपने 90 लाख रुपये कैसे लिए बच्चियों से? (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): और यह बार-बार घोटालों का रूप देना चाह्ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, यह चाह्ते क्या हैं? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बीच में नहीं, माननीय सदस्य, बीच में नहीं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): घोटाले वालों को सिर्फ घोटाले ही नजर आते हैं। (व्यवधान) कहां से पूछ रहे हो आप ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): बालिकाओं से 300 रुपये प्रति बालिका कितनी तारीख को आपने लिया और सीकर में एक भी बालिका को साइकिल नहीं देने में आपके दोहरे व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है? (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला साल था, योजना लागू करने का ...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): नहीं, आपने 29 हजार बच्चियों के तीन सौ रुपये किस महीने से जमा कराये और आज तक वह ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, इनका आ चुका डिटेल में जवाब, आ गया डिटेल में ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: इसके लिए धन्यवाद दो माननीय मंत्रीजी को ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)... बैठिए आप ...(व्यवधान) तो बैठिए और जवाब सुनिए।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह योजना लागू करने का पहला साल था। और पहला साल होने के कारण निश्चित रूप से इसमें डिले हुआ।

**श्री उपाध्यक्ष**: बात मत करिये आपस में।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): सुनिये, डिले भी केवल इसलिए हुआ है कि पहली बार निविदाएं आमंत्रित कीं तो किसी ने टेंडर नहीं भरा, दूसरी बार की तो रेट ज्यादा आई और तीसरी बार जैसे ही रेट बढ़िया आई, न्यूनतम आई तो हमने आर्डर दे दिया। अब मैं यह कह रहा हूं कि 31 मार्च तक सभी को साइकिलें उपलब्ध करा दी जाएंगी और अगले साल के लिए भी मैं यहां घोषणा करता हूं कि एक जुलाई, 2008 तक जितनी भी बच्चियों को हमने चिह्नित किया है उनको अगले साल साइकिलें मिल जाएंगी और कोई डिले नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। बैठ जाइये।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नदी में प्रदूषण का सवाल है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिये। आपका कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य बातचीत बन्द कीजिये। (व्यवधान)

**(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ-318 आगे देखें)**

(श्री उपाध्यक्ष)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) डा. श्रीगोपाल बाहेती एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्री रणवीर सिंह गुढा एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से शेखावाटी अंचल के नवलगढ़ कस्बे में होली के जुलूस के अवसर पर कानून एवं व्यवस्था सामान्य बनाये रखने के सम्बन्ध में।

(3) श्री खुशवीर सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के आरम्भ में ही जोब कार्ड बनाने में आ रही समस्या से लोगों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव हाल ही में घटित घटना से सम्बन्धित नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राज्य में खड़ी फसल होने के बावजूद कृषकों मे बकाया के नाम पर विद्युत कनेक्शन काटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी हाल ही में घटित घटना से सम्बन्धित नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमराराम धोद को अपने प्रस्ताव के विषय पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(1) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर में पाक सीमा से सटे प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि के बेचान की सी.बी.आई. से जांच कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भरत सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से वन विभाग में कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने से वन जीवों पर पड़ रहे प्रभाव के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी का मैंने अवलोकन किया। जानकारी में तथ्य ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा एवं श्री भरत सिंह को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): मंत्रीजी वक्तव्य दे देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: बोलने के बाद जवाब दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

## प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर स्थित शाकम्बरी इलाके की पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बन्द ट्यूबवैल को चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से कृषि भूमि विनिमय प्रकरणों में आबंटन के छह माह के भीतर आवेदन करने के राज्य सरकार के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामचन्द्र सराधना, सदस्य की ओर से चौमूं तहसील के ग्राम सामोद में 'सार्वजनिक प्याऊ बन्दौल' के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंकों में नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की प्राथमिकता वाले जिले में पद रिक्त होते हुए भी सुदूर जिलों में नियुक्ति देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री लालचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत लांगड़ीवास, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जिला जयपुर द्वारा अवैध तरीके से अपने रिश्तेदारों को पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से अफीम की खेती करने वाले कृषकों को डोडा पोस्त का कम दर से भुगतान करने, वहीं डोडा पोस्त का उपभोक्ता को अत्यधिक मूल्य पर बेचान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्राम पंचायत खेरू बड़ी के ग्राम बालाण के प्राथमिक विद्यालय का नाम शहीद सत्यवान के नाम पर करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(8) श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य की ओर से धौलपुर में पत्रकारों को रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कैलाश त्रिवेदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के पाँच गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु उंचकीया बाँध पर कुओं का निर्माण कर अलग से विद्युत की लाइन डालने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अशोक बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार के रणथम्भौर सैंक्चुरी से जुड़े गांवों में बिजली-पानी एवं रोजगार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में आर.पी.एस.सी. के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), राजसमन्द द्वारा अनियमितता करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से माही बजाज सागर परियोजना के विस्तारीकरण सिंचित क्षेत्र में धोरों के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने वर्तमान पदों को यथावत रखने के सम्बन्ध में।

(13) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर की एक हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने के चिकित्सा विभाग के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री अमराराम।

## शून्यकाल

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया था वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि नवलगढ़ में..... (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): राजस्थान सरकार के ऊपर..... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। माननीय सदस्य, बैठिये। आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): ......इसको लेकर के यह सरकार इस बात को इतनी गम्भीरता से नहीं ले रही है। (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): .....मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नवलगढ़ में जिस प्रकार से..... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन की व्यवस्था हो चुकी। आप बैठिये। आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सदस्य, बीच में नहीं। आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा। बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): ×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय सदस्य कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। (व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय सदस्य, बैठ जाइये आप। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप समय जाया मत कीजिये। माननीय सदस्य, बैठ जाइये। (व्यवधान) कुछ भी आपका अंकित नहीं होगा, कुछ भी नहीं सुनेंगे। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सदस्य, आप अनुभवी सदस्य हैं, आप बार-बार इस बात को मत उठाइये। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठ जाइये। कुछ भी अंकित नहीं होगा। व्यवस्था दे दी फिर किस बात पर कह रहे हैं? कोई परम्परा नहीं है। कुछ नहीं है। यह क्या बात हुई? माननीय सदस्य, ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: यहां कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़े ही हो जायेगा कोई। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर):×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिये।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह आप सरकार से जानकारी प्राप्त करके फिर व्यवस्था दे दें। सरकार आज ही जानकारी प्राप्त करके जानकारी आपको दे सकती है, आज आप व्यवस्था दिला दें। आप टाइम फिक्स कर दें कि आज पांच बजे, छह बजे तक सरकार जानकारी प्राप्त कर ले और व्यवस्था दे दें, नहीं तो यह सरकार भागना चाहती है, यह जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहती है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री): ×××

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। बैठिये, बैठिये पहले। माननीय सदस्य, बैठिये पहले। आप उनको कहने दीजिये, कहने दीजिये। बीच में नहीं।

**श्री सांवर लाल** (जल संसाधन मंत्री):×××

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने दीजिये।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): यह सरकार को सुओमोटो हमको, सदन को जानकारी देनी चाहिए लेकिन सरकार संवेदनहीन है। हमने यह मुद्दा उठाया तो सरकार आज ही इसके ऊपर जानकारी दे दे और आसन व्यवस्था दे दे, इस पर फैसला हो जायेगा। इसको लम्बा करने का मतलब ही यही है कि सरकार इसमें जवाब देना नहीं चाहती, जानकारी देना नहीं चाहती और यह भागना चाहती है, यह नहीं होना चाहिए। सरकार आज शाम तक दे दे, अभी की अभी कोई जानकारी दे, कोई अभी नहीं है, पूरा दिन पड़ा है, पूरे दिन में सरकार इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती क्या? सरकार के पास इतने साधन नहीं है क्या? सरकार को कितना समय लगेगा? कब तक जानकारी दे देगी? आज नहीं तो कल दे देगी? बोलो आप, कब दे देगी?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों को मेरा निवेदन करना है कि आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है, सरकार से जवाब मांगा है, 48 घंटे का समय दिया है, 24 घंटे में जवाब आ जाएगा, जवाब आने के बाद में आप लोगों को कहने का मौका मिलेगा। व्यवस्था देने के बाद में इस तरह से कोई परमिशन नहीं दी जाती है। इसमें कौनसी नई बात है। हमेशा होता है यह।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): 24 घंटे में जवाब आ जाएगा, आप जवाब दिला दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: 24 घंटे में जवाब आ जाएगा। 48 घंटे का टाइम हमने दिया है, 24 घंटे में जवाब आ जाएगा। (व्यवधान) मैं अभी की अभी कोई सरकार को मजबूर नहीं कर सकता हूं।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आज नहीं तो कल, दो दिन में ही जवाब नहीं आये सरकार की तरफ से।

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, कोई व्यवस्था नई नहीं है, यह तो सदन में परम्परा रही है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): हम थोड़े ही कह रहे हैं कि अभी की अभी, आज अभी एक घंटे के अन्दर जवाब दे दें? कल इसमें व्यवस्था दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: यह ऐसा विषय नहीं है कि किसी आदमी को यहां पर बिना जवाब दिये... एक-दो दिन में आ जायेगा जवाब। (व्यवधान) नहीं नहीं, यह कुछ नहीं है। बैठिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: हमेशा होता है, यह कोई नई बात है? बैठिये, बैठ जाइये माननीय सदस्य, कह दिया आपको। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: हमेशा होती रहेगी।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: दे देंगे जवाब अपने आप। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। बैठिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है। आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये आप, बीच में व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## किसानों के बकाया के नाम पर बिजली कनेक्शन काटे जाने बाबत

**श्री अमराराम** (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। एक तरफ राजस्थान में एक-सवा महीने तक भयंकर पाला और शीतलहर से किसानों की फसल नष्ट हुई, कहीं 50 प्रतिशत से अधिक हुई है, कहीं कम हुई है। हमेशा यह व्यवस्था रही है कि फसल पकने पर जनवरी, फरवरी और मार्च में किसान जो नवम्बर में फसल बोता है, फसल के पकने पर कभी-कभी राजस्थान में चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन फसल पकने के वक्त बकाया के नाम पर कभी भी कनेक्शन नहीं काटे गये और इस साल तो हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने फरवरी में, जब यह शीतलहर से फसल नष्ट हुई तो घोषणा की कि किसी भी किसान का कनेक्शन बकाया के नाम पर नहीं काटा जायेगा। आज मुझे अफसोस के साथ सदन को और सरकार को सूचित करना पड़ रहा है कि

(श्री अमराराम)

मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद भी राजस्थान की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के द्वारा, जयपुर-अजमेर-जोधपुर के द्वारा किसानों के न केवल कनेक्शन काटे जा रहे हैं बल्कि किसानों की लाइन भी उखाड़ी जा रही है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता कि छह महीने में किसान की फसल जो पककर खड़ी है, अभी एक महीने बाद, मैं समझता हूं कि 20 अप्रैल तक फसल कटने की स्थिति में आ जाएगी और मात्र 10-10 हजार रुपये की बकाया के नाम पर भी अगर कनेक्शन काटते हैं तथा उस फसल को नष्ट किया जाता है और इस मजबूरी में कनेक्शन कटने पर किसान उस पैसे का जुगाड़ करने के लिए पांच रुपया प्रति सैकड़ा प्रति महीने के हिसाब से, कहीं से पैसा लाता है तो मैं समझता हूं कि उस किसान के परिवार को तबाह करने का काम जिन भी अधिकारियों ने मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद किया है, उनके कनेक्शन काटे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये और उनके कनेक्शन वापस जोड़ा जाये और फसल के कटने तक किसी का भी कनेक्शन नहीं काटा जाये। उसके बाद में निश्चित रूप से कम्पनियां अपनी वसूली की कार्यवाही करें।

अभी मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिजली वितरण कम्पनियों के अधिकारी परश्यु करते हैं तो जो दे सकता है निश्चित रूप से उससे लें, मैं मनाही नहीं करता और अप्रैल के बाद में फसल कटने के बाद में निश्चित रूप से कनेक्शन काटने की कार्यवाही भी कर सकते हैं लेकिन खड़ी फसल के समय, एक महीने में फसल कटकर आ जाएगी, उस समय किसान को उस बात के लिए प्रताड़ित किया जाये, उसका कनेक्शन काटा जाये और मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद काटा जाये, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक कार्य न राजस्थान के लिए हो सकता है, न किसान के लिए हो सकता है और न सरकार के लिए हो सकता है इसलिए जितने भी कनेक्शन काटे गये हैं, उनको वापस जोड़ा जाये और जिन अधिकारियों ने भी आपराधिक कार्य किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और फसल कटने तक किसी के भी बकाया पर कनेक्शन नहीं काटा जाये।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य को जितनी चिंता है, उससे ज्यादा हमारी पार्टी को चिंता है। सीकर जिले के अन्दर कुल 51,414 कृषि कनेक्शन हैं और टोटल जो बकाया राशि है 23.2.2008 को, चार करोड़ 16

(श्री गजेन्द्र सिंह)

लाख रुपये है। पिछले चार महीनों में केवल 77 कनेक्शन काटे गये हैं पूरे सीकर जिले के अन्दर और यह भी वह कनेक्शन हैं जो 2007-2008 का जो वित्तीय वर्ष है, यानी कि एक अप्रैल, 2007 से जो वर्ष शुरू हुआ है, हमने उस वर्ष में कोई भी बकाया का कनेक्शन कभी भी नहीं काटा है। हमने माननीय सदस्य,...

**श्री अमराराम** (धोद): चौमूं में काटे गये, चौमूं में लाइन उखाड़ दी। भोपालगढ़ में काट दिये।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरी बात सुन लीजिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने यह फरर्माया कि पाला पड़ गया है और पाला पड़ने पर पूरी फसल नष्ट हो गई है तो पूरी फसल नष्ट हो गई है तो फिर पानी देने की क्या जरूरत है उसके बाद में? आप कह रहे हैं ना कि पूरी फसल नष्ट हो गई तो फिर पानी देने की क्या जरूरत है?

दूसरी बात कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, 13 फरवरी को घोषणा की थी कि कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जायेगा अप्रैल तक और 13 फरवरी को यह जो हमारे विभाग ने नोटिस निकाला है, क्रमांक प.12/ऊर्जा/2007 दिनांक 13.2.2008 का है, जिस दिन मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, उसी दिन यह निकला है और उसमें यह जो नोटिस निकला है, वह तीनों सी.एम.डीज. को भेजा गया है। उस नोटिस में यह है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पाला प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त भी ऐसे स्थानों पर कृषि उपभोक्ताओं को बकाया चुकाने में वर्तमान में कठिनाई आ रही है एवं कनेक्शन कट जाने से रबी की फसल को नुकसान होगा, इसलिए यह भी निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 की बकाया वसूली के लिए कनेक्शन काटने की प्रक्रिया को दिनांक 31.3.2008 तक स्थगित रखा जाये ताकि फसल को नुकसान नहीं हो। किसानों से यह अपेक्षा है कि वह बिजली का बिल बकाया सहित अप्रैल माह में जमा करायेंगे। अगर कोई माननीय सदस्य के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में, सदन में इतने माननीय सदस्य हैं, आपके अगर क्षेत्र के अन्दर कोई ऐसा मामला आता है जिसके अन्दर बिजली का कनेक्शन पहले ही काटा है, कोई एक-आध केस हो सकता है, आप मुझे बताइये और हम कोई भी कनेक्शन नहीं काटेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री संयम लोढ़ा।

**श्री अमराराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि कटे नहीं, जब कि मैं कह रहा हूं कि चौमूं के अन्दर सैकड़ों कटे हैं। जोधपुर के

(श्री अमराराम)

भोपालगढ़ में, पूरी भोपालगढ़ तहसील के सैकड़ों कटे हैं। आप तो इतना बता दें कि 13 फरवरी के बाद....

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): या तो आप डिटेल्स अभी दीजिये, आपके पास डिटेल्स हैं अभी।

**श्री अमराराम** (धोद): मैं डिटेल दे रहा हूं न।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप अभी दीजिये न। अभी दीजिये डिटेल।

**श्री अमराराम** (धोद): आप तो कह दो तेरह फरवरी के बाद...

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): नहीं, अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है आप मेरे को लाकर सूची देंगे।

**श्री अमराराम** (धोद): मैं डिटेल दे रहा हूं न।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं यह इन्कार थोड़े ही न कर रहा हूं। (व्यवधान) हम अन्याय करेंगे क्या किसानों के साथ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, व्यक्तिगत सूची दे देना, हां।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): या तो आपके पास सूची है, आपके पास सूची है तो अभी दीजिये मेरे को और अभी नहीं है तो बाद में दे दीजिये।

**श्री अमराराम** (धोद): सूची तो आपने ले रखी है, मैं बता रहा हूं न... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: जब आश्वासन दे दिया कि...

**श्री अमराराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, आश्वासन नहीं, आप तो इतना बता दें कि तेरह फरवरी के बाद में...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री जीवराम चौधरी** (सांचौर): इन्होंने कह दिया।

**श्री अमराराम** (धोद): तेरह फरवरी के बाद जितने कनेक्शन कटे हैं, जिन्होंने कनेक्शन काटे हैं क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, अब आप दे दीजिये। माननीय सदस्य, यह हवा में नहीं, देखो आ गयी बात, आ गयी है बात। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आधार टेबल कराओ। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): मैं यह कह रहा हूं...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): टेबल कराओ सूची।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सूची टेबल कराओ। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): मैं कर रहा हूं न।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अमरारामजी, सूची टेबल करें आप, आपने कहा है सूची दे दूंगा, टेबल करिये।

**श्री अमराराम** (धोद): मैं दे रहा हूं, एईएन आफिस चौमूं...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आप तो सूची दे दो।

**श्री अमराराम** (धोद): एईएन आफिस भोपालगढ़, एईएन आफिस...

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव) आप भोपालगढ़ की सूची दे दो, सीकर की सूची दे दो, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, मंत्रीजी ने कह दिया, इसके बाद चाहते क्या हो।

**श्री अमराराम** (धोद): सरकार लेकर आप बैठे हो...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय धोद से आने वाले सदस्य, आप कोई सूची दे देवें, कनेक्शन उन लोगों के...

**श्री अमराराम** (धोद): मैं नाम बता रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष**: तेरह फरवरी के बाद में कोई कटे हैं तो उनको देख लेंगे वह। कह दिया तो..(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): नहीं, देख नहीं लेंगे, मंत्रीजी कह रहे हैं कि कोई नहीं कटा, वह मंत्रीजी कह दें, मैं आपको बाई नेम दे दूंगा..

**श्री उपाध्यक्ष**: इसके अलावा, तो दे दें सूची, उनके ध्यान में नहीं है, उनके ध्यान में नहीं है, आप दे देना सूची माननीय सदस्य, वह क्या बात है।

**श्री अमराराम** (धोद): क्या उन अधिकारियों के लिए सस्पैण्ड करने के लिए घोषणा करेंगे मंत्रीजी। (व्यवधान) तेरह फरवरी के बाद में मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद जो भी कनेक्शन तीनों कम्पनियों ने काटे हैं उन अधिकारियों को, एईएन को सस्पैण्ड करने की घोषणा कर दें, मैं लिस्ट दे दूंगा। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): कृपया आप लिस्ट दे दो, अभी टेलीफोन करके अभी बात करते हैं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: इन्होंने कह दिया साफ, एक अप्रैल...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) तो माननीय सदस्य, स्थान, अब यह विवाद का विषय नहीं है..(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): मंत्री ने माना है 74 सीकर में काटे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब इसको फालतू, अब फालतू का विवाद क्यों।

**श्री अमराराम** (धोद): मैं कह रहा हूं कि चौमूं एईएन आफिस में न केवल कनेक्शन काटे हैं बल्कि लाइन भी उतारी गई है।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): सूची रखो, सूची। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बता देना, बता देना आप।

**श्री अमराराम** (धोद): मैं कह रहा हूं न।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री) : आप तो कटवाने में ही हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठिये। माननीय सदस्य, पहले सुनें आप। माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है कि किसी के कनेक्शन कटे हैं तेरह फरवरी के बाद में तो आप सूची दे देना, वह रेस्टोर करने की कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): नहीं, मैं कह रहा हूं उनके, मुख्य मंत्री के बाद कटे हैं उन एईएन आफिस, एक-एक सहायक अभियंता को...

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, तो लिखित में सूचना में देरी भी हो सकती है किसी जगह, ऐसा कोई क्या...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): नहीं-नहीं, मुख्य मंत्री के बाद में भी कनेक्शन कटते हैं तो जितने भी...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: सुनो, बात तो सुनो।

**श्री अमराराम** (धोद): तेरह फरवरी के बाद कटे हैं उन सहायक अभियंताओं को क्या आप सस्पैण्ड करेंगे।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, या तो आप बतायें, सूची है तो दें मेरे को।

**श्री अमराराम** (धोद): बता रहा हूं मैं।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): नहीं-नहीं, यह कह रहे हैं कि उसको सस्पैण्ड करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे...

**श्री उपाध्यक्ष**: यह कोई बात नहीं है, तो माननीय सदस्य...

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): पहले तो मुर्गी की बात करें, फिर अंडे की बात करो न।

**श्री अमराराम** (धोद): एईएन भोपालगढ़, एईएन चौमूं, एईएन, सीकर, कह रहा हूं न।

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, माननीय सदस्य।

**श्री गजेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप बतायें, सूची दीजिये, हवा में क्या बकवास कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): कहने से कैसे नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, अब बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) बैठिये माननीय सदस्य। अब आप स्पेसिफिक कोई सूची दे देवें, एक्शन आज ही कोई सस्पेंशन का आर्डर अभी थोड़े जारी कर देंगे, माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम** (धोद): राजस्थान की मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद भी कटे हैं, मंत्री ने खुद ने कहा है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, लिखित में सूचना जाने में समय लग जाता है कई बार, कोई सीधा वह हवा में थोड़े ही उड़ती है बात, लिखित में गई है, क्या बात है, क्या नहीं है...

**श्री अमराराम** (धोद): तेरह तारीख को मुख्य मंत्री ने घोषणा की...

**श्री उपाध्यक्ष**: घोषणा करने के बाद वह लिखित में सूचनाएं भेजी हैं, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड में राजस्थान में इन्फोर्मेशन टेक्नालाजी है, पांच मिनट के बाद राजस्थान के हर कोने में सूचना जाती है और मंत्रीजी खुद कह रहे हैं सीकर में 74 कनेक्शन काटे हैं।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने महाराजा सूरजमल की तीनसौवीं जयंती की पुण्य तिथि पर किसान सम्मेलन में लाखों काश्तकारों के बीच में शीतलहर के लिए

(श्री बदीलाल जाट)
126 करोड़ रुपये और काश्तकारों के बिल जमा नहीं हो रहे हैं उनके कनेक्शन नहीं काटने की कह दी...

**श्री अमराराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सीएमओ जाऊं नहीं, जहां-जहां कनेक्शन कटे हैं, मैं ओथांटिकली कह रहा हूं, भोपालगढ़ के दसों गांवों में कनेक्शन काटे हैं, न केवल कनेक्शन काटे हैं बल्कि ट्रांसफार्मर उठाकर ले गये हैं, चौमूं में लाइनें उखाड़ी गई हैं।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय सदस्य काश्तकारों पर घड़ियाली आंसू बहा करके सदन का दुरूपयोग कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये। श्री संयम लोढ़ा।

## सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनों की खरीद-फरोख्त में नियमों का उल्लंघन

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह स्थगन प्रस्ताव मैंने आपके माध्यम से दस दिन पहले राज्य सरकार को भिजवाया था और आज अचानक आपने व्यवस्था दे दी लेकिन उससे संबंधित सभी कागज पहले आपने व्यवस्था दी होती तो मैं जरूर लेकर आता लेकिन फिर भी आपने आदेश दिया है तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपके तो ऐसे मामले टिप्स पर हैं जी।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जी।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपके तो टिप्स पर हैं यह बातें, हां।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): असल में तो, उपाध्यक्ष महोदय, सीधा वक्तव्य होना चाहिए पर आप मेहरबान हैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य पर।

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): आज अख़बार में भी छपा है कि कांग्रेस में एक ऐसा प्रभावशाली युवा विद्वान नेता है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए, आज अख़बार में भी छपा है।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब यह कागज आवश्यकता है तो इधर-उधर मिल जायेंगे इनके पास में, ले लें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राष्ट्र सभ्यता, संस्कृति और सीमाओं से अनुप्राणित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल में राजस्थान की

(श्री संयम लोढ़ा)

सीमाओं पर हमारी सरकार के प्रतिनिधियों की जानकारी में होते हुए भी जिस तरह के कृत्य हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जिस तरह की लापरवाही और उदासीनता दिखाई गई है और यह सब सरकार की जानकारी में आने के बाद भी जिस तरह का रवैया राजस्थान की सरकार का रहा है, वह अनेक संदेह उत्पन्न करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का आचरण अक्षम्य रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख पिच्यानवे हजार बीघा जमीन जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर के उन इलाकों में बिक गई जिसमें बहुत सा वह क्षेत्र भी आता है जिसको प्रवेश के लिए भी प्रतिबंधित घोषित किया हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न केवल उस प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर जमीन बिक गई बल्कि बहुत सी ऐसी जमीनें भी बिक गईं जो सेना के नाम पर थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से जमीन के उन दस्तावेजों का पंजीयन हुआ, पंजीयन अधिनियम की पालना नहीं की गई, न तो उन दस्तावेजों के अंदर खरीददारों के फोटो लगे हुए हैं, न विक्रेताओं के फोटो लगे हुए हैं, न संबंधित पक्षकारों के उन दस्तावेजों पर दस्तखत हैं और न ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से मामलों में जमीनों के कब्जे संबंधित पक्षकारों को सुपुर्द किये गये हैं। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तहसील की जमीन है उसकी दूसरी तहसील के अंदर रजिस्ट्री हुई है, सरकार ने उसको अलाउ कर रखा है और यह सब अपराध जो भी हुए हैं, चाहे वह पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके हुए हों, चाहे हमारे आपराधिक कानून के अंदर जो प्रावधान हैं उनका उल्लंघन करके हुए हों, जिन इलाकों के अंदर व्यक्ति को जाने के लिए पहले इजाजत लेनी चाहिए, वहां एक बिना पहचान का व्यक्ति खरीददारी कर लेता है। मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि 2006 के अंदर ही जिला सतर्कता समिति की बैठकों के अंदर बाड़मेर में यह मामला ध्यान में लाया जा चुका था। बार-बार यह मामला सतर्कता समिति में उठा और तत्कालीन कलक्टर बार-बार यह कहते रहे कि हमने सब जांच कर ली है और सब नियमों के मुताबिक हो रहा है, सब सही-सही हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर सरकार का प्रतिनिधि होता है और जानकारी में लाने के बाद भी उनका जिला सतर्कता समिति में इस तरह का वक्तव्य देना, और जिस कम्पनी के नाम पर बड़ी खरीददारी की गई है, पीएसीएल, मैं आपकी जानकारी में, माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)
उपाध्यक्ष महोदय, लाना चाहूंगा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री के नाम पर एक संस्था बनी थी, वसु मित्र मण्डल, उस वसु मित्र मण्डल के अध्यक्ष थे....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कोई भाषण देने की आपने अनुमति दी है या ध्यान आकर्षित करने की दी है, यह पहली बार हो रहा है वरना स्थगन प्रस्ताव के बारे में व्यवस्था में सीधा मंत्री का वक्तव्य होता है और तय भी यही हुआ था। अब यह इस बहाने से बात को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप व्यवस्था को चैलेंज क्यों कर रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं, मैं व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): तय हुआ था यह।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा। अब इस पूरे मामले में जमीन की खरीद-फरोख्त में वसु मित्र मण्डल का क्या लेना-देना आ गया।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): वसु मित्र मण्डल का क्या लेना-देना है? वह आप सुन लीजिए। आपको तो मैं नाम लेता हूं दर्द हो जाता है। मुख्य मंत्री जी का नाम भी नहीं लेवे ...(व्यवधान) क्यों बनाया फिर ...(व्यवधान).... आप जवाब दे देना?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह हर मामले के अंदर उनको फीस्ट करके ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय आपने आसन ने अनुमति दी है, आसन ने व्यवस्था दी सिर माथे हैं उपाध्यक्ष महोदय पर यह थोड़े ही है कि आपने भाषण देने की अनुमति दे दी तो वह फरमा दे, हम बैठकर के सुन लेते हैं। इनका भाषण अभी सुन लेते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं गलत जानकारी देकर के, तथ्यात्मक रिकार्ड आज दिन तक पेश नहीं किया।

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिए माननीय सदस्य।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ...(व्यवधान) सुनने में क्या दिक्कत है, अपन सब का एक ही विचार है कि इस प्रकार की कार्यवाहियां नहीं होनी चाहिए। न इधर मतभेद है, न उधर मतभेद है तो बात सुनने में एतराज क्यों है?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही विचार रखते हैं ...(व्यवधान) हमने आपके ऊपर ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बार्डर की जमीने थी, वह राजस्थान सरकार ने जांच कराकर के सरकार ने सैनिकों के हवाले करने के निर्देश दे दिये इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): लेकिन उसका आप मतलब राजनीतिक इश्यू बनाना चाहते हैं ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): नहीं, यह राजनीति तो आप पैदा कर रहे हैं?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): कहां पैदा कर रहे हैं हम?

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): अगर सरकार गलती कर रही है तो ...(व्यवधान) और सरकार के अधिकारियों ने गलत काम किया है तो ...(व्यवधान) अधिकारियों से क्या लेना-देना है आपका? सवाल तो अधिकारियों का है जिन्होंने यह काम किया है ...(व्यवधान)

**श्री महीपाल सिंह यादव** (बानसूर): यह इस सरकार का नमूना है जो प्रदेश की सीमाओं की ...(व्यवधान) इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिए आप।

**एक माननीय सदस्य**: सरकार ने सचेत किया है ...(व्यवधान) काम किया है जिसका नजारा यह है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) वह अपराधी हो, चाहे कोई भी हो, उनको बचाने का कोई सवाल नहीं है ...(व्यवधान) यह राजनीति आप करना चाहते हैं?

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): राजनीति तो आप इसलिए करना चाहते हैं कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लड़के का नाम आ रहा है। इसलिए आप राजनीति करना चाहते हो?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप बैठिए।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): क्या बात कर रहे हो?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का है कि नहीं है, यह आसन पर छोड़ दीजिए आप।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): भारतीय जनता पार्टी में मेरा ...(व्यवधान) यह साबित कर दूंगा ...(व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): आपने उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी है यह उसमें व्यवधान डाल रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य कोई नाम से ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): मेरा लड़का भी है ...(व्यवधान).... क्या बात करते हो?

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): गृह मंत्रीजी ठीक वक्तव्य देंगे, आप चिंता मत करो, बैठ जाओ आप।

**श्री उपाध्यक्ष**: बोलने दीजिए, वह सब जवाब दे देंगे।

**श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने निर्णय ले लिया कि वह जो रजिस्ट्रियां हुई हैं...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप बैठिए। आप बीच में रहने दीजिए। माननीय सदस्य आप सरकार की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। आप बैठिए।

**श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना): उनको जो है वापस सेना के नाम कर दिया जाए, वह सारी रजिस्ट्रियां रद्द हो गई हैं। अब उसके अंदर अगर वसु मित्र का कहीं-न-कहीं हाथ होता तो साहब इस तरह से निर्णय नहीं लिए जाते और इसी कारण से अब जो बात समाप्त हो चुकी है उस बात को वापस उठाकर के राजनीति हरिमोहनजी कह रहे हैं या हमारे...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): केवल राजनीतिकरण करने के लिए यह सदन मंच नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अवसर भी नहीं आता कि हमें आपके माध्यम से राजस्थान की जनता तक बात पहुंचानी पड़ती है। बहुत अच्छा होता सरकार की जानकारी में था, पहले ही दिन सरकार सुओमोटो इस पर स्टेटमेंट दे देती तो किसी को कोई बात कहने की कोई बात

(श्री संयम लोढ़ा)

ही नहीं होती। लेकिन इतने संवेदनशील मामले में जब राजस्थान की सरकार ने इस बात की कोई जरूरत नहीं समझी कि राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे तब हमें आपके माध्यम से नियमों में आकर के बात कहने का अवसर लेना पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वसु मित्र मण्डल के अध्यक्ष शंभुसिंह खेतासर के बेटे राजेन्द्रसिंह, शंभुसिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता है और उनके बेटे राजेन्द्रसिंह इस एपीसीएल मामले में ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य नेता है या नहीं है, आप इसमें ऑथेंटेटीवली कैसे कह सकते हैं?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मेरी जानकारी में है, इसलिए कह रहा हूं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपको ही मालूम होगा ...(व्यवधान) मालूम नहीं है कि कौन नेता है, कौन नहीं है?

**श्री उपाध्यक्ष**: आपके बताने से थोड़े ही हो जाएगा?

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): सरकार का क्या नाता है बताइए जानकारी है तो ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: नेता किस का है ...(व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो आपको ही पता है, आपके पड़ोसी हैं (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिए आप।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): भारतीय संविधान में जो भी नागरिक यहां जन्मा ...(व्यवधान) राजनीति से जनता की सेवा नहीं कर सकते। यह कोई राजकीय प्रमाण पत्र नहीं है, राजकीय प्रमाण-पत्र या उसके ऑथेंटिक अधिकारियों से सूची जारी नहीं हुई ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह सबको पता है राजनीति कहां से लाएंगे ...(व्यवधान) यह कपोल कल्पित बता रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ...(व्यवधान) किसी भी विचारधारा से होगी तो ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): जनता की बात कर रहे हैं, कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है वसु मित्र मण्डल से ...(व्यवधान) अपने मन से बना लिया आपने ...(व्यवधान)

**श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना): ...(व्यवधान) उसमें उसका कोई लेना-देना भी नहीं है और वह अस्तित्व में नहीं है, वसु मित्र मण्डल न कोई वह सक्रिय है, न उसका किसी से मतलब ...(व्यवधान) अगर सोनियाजी मित्र मण्डल खड़ा कर दे हम ...(व्यवधान)....

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आप ज्यादा जानते हैं, यहां हम सब वसु मित्र हैं, हम सब वसु मित्र हैं, कैसी बात कर रहे हैं यह और ...(व्यवधान) राजस्थान वसु मित्र है ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): हम कब मना कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिए आप।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): पूरा राजस्थान वसु मित्र है, यह किसकी बात कर रहे हैं? कहां से लाए वसु मित्र मण्डल? यह कपोल कल्पित बातें करने से क्या होता है? केवल कपोल कल्पित बातों से ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो शाश्वत सत्य है कि ...(व्यवधान) इसलिए पार्टी में किसी भी स्थिति में ...(व्यवधान) अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: थोड़ा बैठिए आप। अपने आप में, मैं आसन की तरफ से अपने आप कह दूंगा, व्यवस्था दे दूंगा, आप बैठिए। आप बैठ जाइए पहले। माननीय सदस्य यह आसन पर छोड़ दीजिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने आरोप लगाने के यहां कुछ नियम बने हुए हैं और अपने यहां प्रक्रिया और नियमों से कार्यवाही चलती है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य इन्होंने कहा है कि अब पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं हैं उसमें कोई बात नहीं है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): आप किसी को भी बदनाम नहीं कर सकते हैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ...(व्यवधान) मैं कब मना कर रहा हूं, पूरे लाखों में होंगे, मैं कहां मना कर रहा हूं ...(व्यवधान) जवाब दे देना ...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सेन्सेटिव इश्यु है और इधर बैठे हैं या उधर बैठे हो, बार्डर का मामला है, सेन्सेटिव इश्यु है, देश की सुरक्षा का मामला है। मैं तारीफ करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने भी ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अगर आपको चिंता होती तो आप जवाब देते सरकार की तरफ से, आज एक महीना विधान सभा शुरू हुए हो गया, अब आप जवाब देने की बात कर रहे हो...(व्यवधान) आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हो?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य पहले सुनो तो सही।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): हमारी सरकार ने ...(व्यवधान)....

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): कभी कौन खड़ा हो रहा है कभी कोई खड़ा हो रहा है ...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के ध्यान में यह मामला आया तो तुरन्त सरकार ने जांच के आदेश दिये। अच्छी बात है, जांच के ही आदेश नहीं दिये यह कहा कि जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनको कैंसिल करो, कैंसिल करके सेना के नाम करो।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप संबंधित ...(व्यवधान) माननीय सदस्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे, माननीय मंत्रीजी आप बैठ जाइए। माननीय सदस्य कोई विरोधाभास ...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): इतना ही नहीं ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको कुछ पार्टी पोलिटिक्स में, मेरा इतना ही है बाकी जवाब मंत्रीजी देंगे, पार्टी पोलिटिक्स में नहीं डाले इसको, पार्टी पोलिटिक्स में नहीं डाले इस इश्यु को ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को रखते ही क्या हो? क्यों रखते हो ऐसे लोगों को?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य है ही नहीं, सदस्य ही नहीं है ...(व्यवधान).... कोई बात होगी ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जोधपुर रैंज के पुलिस महानिरीक्षक ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिए आप।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं आफिशियली स्टेटमेंट दे रहा हूं, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): काजी खां कौनसी पार्टी का है? काजी खां जो बॉर्डर पर स्मगलिंग करता है वह किस पार्टी का है?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप बैठिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): स्मगलिंग करता है मेहरबान तो आप बंद करो न, जनता ने राज दिया है आपको, आप बंद करो उसको ...(व्यवधान) कहां मना कर रहे हैं हम?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक): हमने तो उसके नकेल डाल दी।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): तांबी साहब तो ऑन रिकार्ड में थे न, भूमि घोटाले में जिन्होंने अनेक कब्जे किए, हज़ारों जगह अवैध कब्जे किए हैं ...(व्यवधान) आप ज़मीनों के घोटाले तो काँग्रेसी ही कराते हो? भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपकी सरकार है, आपकी सुनती नहीं है क्या? कार्यवाही कराइए ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप बैठिए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के अगर किसी ने कहीं पर गुनाह किया है तो सरकार सक्षम है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य गुनाहगार चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, गुनाहगार के खिलाफ में एक्शन क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे, सरकार का काम है, इसमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौनसी पार्टी का था और क्या पद पर था? यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का जवाब आ चुका है, वह जवाब देगा। आपने कह दिया कि यह चीज़ें आई, इस तरीके से हुआ है और इस पर आप एक मिनट में कहना हो तो कह दीजिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बीस मिनट से भाषण हो रहा है, बीस मिनट से बोल रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: इसमें कौन-कौन आदमी था ...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): बीस मिनट में 18 मिनट तो आप खा गये, जैसी आपकी आदत है। आपको तो वसुंधराजी का राइट हैंड वैसे ही मान रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बैठिए आप ...(व्यवधान) आ रहे हैं, इनको एक मिनट में कन्क्लूड करने दें।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): सोनिया गांधी का नाम लेते तब कैसा होता?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उस वक्त जो थे एन आर के रेड्डी साहब, उन्होंने मुख्य मंत्रीजी के प्रधान सचिव महोदय सुनील अरोड़ा साहब को रिपोर्ट भेजी। उन्होंने भेजा पीएसएल कंपनी और भाजपा नेता के पुत्र के बीच में जो कान्ट्रेक्ट हुआ है इस मामले में, उसकी कॉपी भी दी है। उन्होंने ...(व्यवधान) उसके अंदर कौनसा मिल था?

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर): आपके पास है क्या वह कापी? अगर है तो रखो टेबिल पर, फालतू की बात कर रहे हो?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे मित्र जो 1974 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के दृढ़ संकल्प की बदौलत पोकरण में पहला परमाणु विस्फोट हुआ था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सरकार ने फायरिंग रेंज की भूमि भी बिकवा दी ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह कहां बोल रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, कहां बोल रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है कि यह कहां बोल रहे हैं कौन से फायरिंग रेंज का मामला आ गया? ये अपनी बात कहें ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: जो गैर कानूनी काम ...(व्यवधान)

**डा. एन.एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): क्या बोल रहे हैं सरकार ने बिकवा दी, इनके पास तथ्य हैं तो...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपके अधिकारी हैं रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी हैं आपके।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): क्या-क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ...(व्यवधान) आपके कलक्टर की जानकारी में 2006 में आ चुका था।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आदरणीय मंत्री महोदय, रजिस्ट्री किसने करवायी है?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, जिसने गलती की है ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी सरकार का था ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक एक बिन्दु का जवाब मंत्रीजी देंगे।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): रजिस्ट्री करा रहे हैं मंत्रीजी परवाह नहीं कर रहे हैं ...(व्यवधान) सरकार की जानकारी में हो रहा है यह ।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) बैठाओ इनको।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) सरकार के ऊपर लगा रहे हो।

**श्री उपाध्यक्ष**: सरकार के आदेश से थोड़े है ...(व्यवधान)

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): सरकार की डेफीनेशन मालूम नहीं है इनको सरकार क्या होती है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) मंत्रीजी इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: सरकार का आदेश नहीं था कि इनकी आप रजिस्ट्री कर दो।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): पहले मंत्रीजी का जवाब होना चाहिए था ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: सरकार का आदेश था क्या कि इन-इन नाम की रजिस्ट्री कर दो? ऐसा कोई है तो आप बताइये। कोई सरकार ने स्पेसिफिक किसी अधिकारी को आदेश दिया हो कि इनकी रजिस्ट्री कर दो आप रुकी हुई, तो माननीय सदस्य, आपकी आ गयी बात। अब सरकार का जवाब सुनिये फिर पूछ लेना कोई। जवाब सुनिये पहले।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ...(व्यवधान) क्या जवाब सुनिये। नहीं, जवाब क्या सुनिये। बात तो रखने दो। जवाब क्या सुनिये। सरकार पर आरोप इसलिए लग रहे हैं कि जिला सतर्कता समिति की बैठक में जब 2006 में जिला कलक्टर की जानकारी में आ गया उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। लाखों बीघा जमीन बिकती रही। इस पर सरकार की जिम्मेदारी इसलिए आती है कि जो यह होने के बाद भी किसी जिला कलक्टर को सस्पेंड करने का काम सरकार ने नहीं किया इसलिए सरकार पर इसकी जिम्मेदारी आती है।

**श्री उपाध्यक्ष**: इसका जवाब देंगे। जवाब देंगे।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी बात सुनिये मेरी।

**श्री उपाध्यक्ष**: देंगे जवाब इसका ...(व्यवधान) जवाब देंगे सुनिये आप। आप जवाब सुनिये फिर प्रश्न पूछना कोई। फिर आपको शंका हो तो पूछ लेना । बैठिये आप।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं बात कहता हूं फिर कर लेना। सारी बात में कुछ रह जाए तो कर लेना।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लंबी-चौड़ी भूमिका बनाकर भाषण दे रहे हैं ...(व्यवधान) प्रश्न पूछ लेना माननीय मंत्रीजी जवाब दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का जवाब कराइये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ...(व्यवधान) बाड़मेर के ...(व्यवधान) सांसद ...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता जसवंत सिंहजी उन्होंने भी आवाज उठा दी लेकिन ...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अपने राजनीतिक अन्तर विरोधों के कारण उनकी भी नहीं सुनी ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): और अनवरत यह देश ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये आपकी सहृदयता का फायदा उठा रहे हैं। ये विषयान्तर हो रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, आप जवाब कराइये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ...(व्यवधान) आपने बीकानेर की जमीन बिकवा दी किसानों को मालूम ही नहीं कि उनकी बिकी की नहीं बिकी ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)... बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये आप। माननीय सदस्य आपका कोई, माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): ×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, किसी का कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आपने सरकार का ध्यान आकर्षण कर दिया और आपने जो बात रखी थी वो सरकार का जवाब सुन लीजिये।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं होगा इनका आप काहे के लिए, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप कोई पाइंटेड प्रश्न पूछना हो तो पूछ लेना अब जवाब आने दीजिये।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं पहले सारी स्थिति सदन के सामने स्पष्ट कर देता हूं ...(व्यवधान) विराजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनमें न हम पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं न कोई व्यक्ति है, न किसी का बेटा है। जब कुछ मामले ऐसे सामने आते हैं उस समय हमको इन बातों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की बात सोचनी चाहिए और राजस्थान वो प्रदेश है जो केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता है हमारे लोग, हमारे जवान चाहे कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, चाहे नागालैंड हो,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहे कारगिल हो सब जगह राजस्थान के लोगों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है और भारत और राजस्थान की सीमा में कोई ऐसी गतिविधि हो जाए और हम उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त कर लें यह सम्भव नहीं है। इसलिए मैं ये तथ्य जो हैं बहुत से तथ्य इनमें ऐसे हैं जिनको पढ़ने और सुनने से सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं सदन के सामने आज इस सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सारी बात बार-बार उठ रही है मैं चाहता था कि इसका स्टेटमेंट देता तो सारी बात क्लियर हो जाती लेकिन आपकी व्यवस्था शिरोधार्य करते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जो जमीनों की खरीद-फरोख्त की स्थिति है उसमें बीकानेर, जैसलमेर व जालौर जिले के अधिसूचित क्षेत्रों में सरसरी तौर पर प्रकरण नहीं हैं। ये 22, 12.3.1996 को भारत सरकार ने दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा-3(1) के अन्तर्गत 22 जिलों को जिनमें जैसलमेर के 8, बाड़मेर के 7, जालौर के 3, बीकानेर के 4 कुल 22 जिलों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित, 22 थाना क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया और 4 जिलों के और उसमें यह किया कि इनमें बाहरी व्यक्ति जो प्रवेश करेगा वो कलक्टर की या जो सक्षम मजिस्ट्रेट है उसकी अनुमति से प्रवेश करेगा। इन क्षेत्रों में जो जमीनों के मामले में अभी जो उठाने की बात हुई है मैं आपको एक बात बता दूं ताकि क्लियर हो कि बहुत लाखों बीघा जमीन नहीं है, इतने मामले नहीं हैं, सारे मामलों की जांच करने के बाद में यह मामला केवल स्टांप और रजिस्ट्री, वित्त विभाग से संबंधित नहीं है यह राजस्व से भी संबंधित है, गृह विभाग से संबंधित है और स्टांप रजिस्ट्री विभाग से संबंधित है इसलिए इन तीनों विभागों ने मिलकर जो इसकी सारी समीक्षा की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2002-03 में 20717 बीघा जमीन के कुल 895 दस्तावेज पंजीकृत हुए थे, 2003-04 में 18661 बीघा जमीन के कुल 795 दस्तावेज पंजीकृत हुए, 2004-05 में 27046 बीघा भूमि के कुल 1204 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए थे, 2005-06 में सिर्फ 17928 बीघा जमीन के 1024 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए, 2006-07 में ये संख्या अचानक बढ़ी और इसमें 62774 बीघा जमीन के 1519 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए।

इस प्रकार से एक तो पहली बात तो यह कहना कि लाखों बीघा जमीन बार्डर की, बार्डर बिक गया ऐसी कोई बात नहीं है। जो यथार्थ स्थिति है वो यह है कुल मिलाकर इन 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों में 2002 से लेकर अब तक 1,47,126 बीघा जमीन की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और 5437 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं। एक बात तो यह साफ है। एक बात। 2003 से हर साल सामान्य रूप से भी हम और राज्यों के हिस्से को भी देखें तो 20-25-30 हजार बीघा जमीन का बेचान और खरीद आम तौर पर स्थानीय नागरिक भी करते रहते हैं इसलिए उसको सामान्य परिस्थिति माना जाता है । यह 2006-07 में जो 62774 बीघा जमीन का हुआ पंजीकरण इसके आधार पर हमने इस जांच को प्रारम्भ किया। जिला बाड़मेर में मुख्य रूप से उपरोक्त प्रकरण ज्यादा हैं और वो अधिकांश गडरा रोड और मुनाबाब क्षेत्रों के हैं । प्रारम्भिक जानकारी में यह भूमि खरीदने का कोई विशेष पैटर्न स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन एक कंपनी पीएसीएल की भूमिका इन सारे प्रकरणों में दर्ज की गयी है। इस कंपनी ने ये भी गलतियां की हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें कहीं अंगूठा निशानी नहीं है कहीं पर क्रेता की फोटो नहीं है और कई सारे काम हुए हैं और इसलिए उन सबको रोक कर ये सारे इस कंपनी के उसमें हुए हैं इसलिए इस मामले में पूरी जांच करके 25 सब रजिस्ट्रार को नोटिस दिया गया और 4 को निलंबित कर दिया गया। प्रारम्भिक जानकारी के संदर्भ में तत्काल महानिदेशक, पुलिस राजस्थान को जांच के आदेश दिये गये और जनवरी, 2007 में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। उस हिसाब से इसमें किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम देने के लिए भूमि खरीद का मामला प्रकाश में नहीं आया केवल पीएसीएल की भूमिका स्पष्ट करने की बात थी इसलिए आप कह रहे हो न राष्ट्र रक्षा का मामला था इसलिए हमारी सरकार ने हमारे गृह सचिव ने भारत सरकार से बात कर कर हमने उनको दस्तावेज दे दिये कि जितने भी मामले इन स्थानीय लोगों के लेन-देन के बाहर के हैं उन सारे के सारे मामलों के दस्तावेज उनके जो एड्रेस दिये थे वो भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिये गये कि जांच करे और जांच करके हमको कार्यवाही करनी है तो हमको बतायें वरना इनके बारे में सारी तथ्यात्मक जानकारी करके जो भी कार्यवाही करनी हो करें और जांच के लिए उनको कहा। इसके बाद में राज्य विशेष शाखा ने उस क्षेत्र के भूमि के भाव बढ़ने आदि कारणों से कुछ बात आयी इसके बाद जो गलतियां पायी गयी हैं वो भी साफ बताना चाहता हूं क्या-क्या गलती इन कामों में हुई हैं नंबर-1 अधिसूचित क्षेत्र में क्रेता का कब्जा लेना दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 का उल्लंघन है इन 22 क्षेत्रों में वो भी मैं सदन के सामने पूरी बात तो स्पष्ट नहीं करूंगा लेकिन इशारे के तौर पर आपको बता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देता हूं ... जो 22 क्षेत्र हैं इसमें 19 सौ क्षेत्र में अधिसूचित तो कर दिया और उनमें यह कह दिया कि इनके अलावा कोई नागरिक उसमें जायेगा तो वह मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर जायेगा । मानों यह थाना अधिसूचित है और इसके पास वाला थाना उसी जिले का अधिसूचित नहीं है तो वह आदमी अगर जायेगा उसी जिले का रहने वाला उनके संबंध वहां भी है और यहां भी है, सगा भाई भी हो सकता है, सांचौर और आहोर का भी मामला हो सकता है । इसलिए बाहर के लोगों को हमने किस प्रकार रोका, बाहर के लोगों ने जो यहां रजिस्ट्री करवाई, इस कानून के अंतर्गत हमने उनको रोक लिया। पीएसीएल द्वारा व्यक्ति विशेष के नाम से भूमि खरीदना बेनामी प्रकरण रोकथाम अधिनियम के खिलाफ भी उन्होंने काम किया । अधिनियम 1958 का उल्लंघन किया है। स्टांप ड्यूटी कम लगी हो इसके प्रकरण भी हमने दर्ज किये। पीएसीएल द्वारा व्यक्ति विशेष के नाम से भूमि खरीदने से राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1973 का उल्लंघन भी हुआ है । रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई । जैसे किसी की फोटो नहीं थी, किसी का अंगूठा नहीं था, किसी की निशानी नहीं थी इन सब कारणों को इकट्ठा करके हमने उनको देखा ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण में निम्न प्रकार की कार्यवाही की गई है। महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल जांच के निर्देश दे दिये, जांच पूरी की । राज्य विशेष शाखा राजस्थान ने भी नवम्बर, 07 में इसका जांच का काम पूरा किया । केन्द्र सरकार को समय-समय पर सम्पूर्ण प्रगति से अवगत कराया है और कहा है कि किसी भी ऐसी एजेंसी के पास संदिग्ध क्रेताओं की जानकारी है तो प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में लाये तो राज्य सरकार कार्यवाही करेगी और भारत सरकार को करना है तो भारत सरकार करेगी । उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर इस प्रकार की सारी सूचनाएं केन्द्रीय एजेंसियां राज्य सरकार को देती रहती है क्योंकि भारत सरकार की और भारत की केन्द्रीय एजेंसिंयों के हाथ आजानुभुज है । आजानुभुज का मतलब है कि उनके हाथ बहुत लंबे है । केवल भगवान राम के ही हाथ थे जो आजानुभुज थे । तो उसी प्रकार से जो हमारी एजेंसियां है उनके हाथ भी बहुत लंबे हैं और उनको जांच करने के लिये हमने बार-बार कहा है । दिसम्बर, 2007 एवं जनवरी, 2008 में मुख्य सचिव द्वारा दो बार इन सारे मामलों की समीक्षा की गई है । फरवरी, 08 में सचिव भारत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
सरकार के स्तर पर निर्णय हुआ कि राज्य के बाहर के निवासियों एवं पीएसीएल कंपनी द्वारा की गई जमीन खरीद फरोख्त के बारे में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय एजेंसियों के द्वारा जांच की जायेगी । हमने सिफारिश कर दी, पत्र भी लिख दिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया फरवरी, 08 में ही । हमने मीटिंग कर ली, पत्र लिख दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पीएसीएल कंपनी किस के माध्यम से आई, कैसे आई, किस के द्वारा कार्यवाही हुई, क्यों इसकी कार्यवाही हुई, इतना ही नहीं है इस पीएसीएल ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के सीमा क्षेत्रों में भी जमीनें खरीदी हैं । इसलिए वहां पर भी इसी जांच का काम केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है । राज्य के निवासी क्रेताओं की जांच राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कराई जा रही है । जो राज्य के मूल निवासी हैं, जिनका पूरा एड्रेस है, सारा है उन्होंने किस उद्देश्य से, किस परपज से जमीन खरीदी है उसकी जांच वह कराये और प्रभावी नियंत्रण हेतु कहीं भी पंजीयन स्कीम के प्रावधान अब अधिसूचित क्षेत्र में हमने बंद कर दिये हैं । राज्य में और जगह लागू है वह केवल वहीं पर उसी रजिस्ट्रार के या सब रजिस्ट्रार के जाकर उनको रजिस्ट्री करानी पडेगी, प्रजेंट रहना पडेगा, अपना सारा आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। अधिसूचित क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की उपयुक्तता का परीक्षण गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा सम्पूर्ण राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में । हमने कहा था कि इन क्षेत्रों में हम प्रतिबंध भी लगा सकते हैं । इसके बाद यह तय किया गया कि तीनों एक्ट जो अपराध विधि संशोधन 1961 का एक्ट है वह भी और रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यह सारे एक्ट केन्द्रीय एक्ट हैं और डीआईआर के अंतर्गत भी भारत सरकार यह कार्यवाही कर सकती है । इसलिए हमने भारत सरकार को यह पत्र लिख कर गृह सचिव के माध्यम से कहा है कि 20 किलोमीटर की परिधि जिस उप क्षेत्र की है उसकी भारत सरकार जमीनों के खरीद फरोख्त के बारे में और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये और विशेष कर राजस्थान के लिये इस प्रकार का कानून बनाये क्योंकि वह कानून जो अपराध विधि धारा 3 (1) है उसके अंतर्गत केवल भारत सरकार ही बना सकती है राज्य सरकार नहीं बना सकती । दूसरा रजिस्ट्रेशन स्टांप का एक्ट भी केन्द्रीय एक्ट है, तीनों केन्द्रीय एक्ट हैं। इसलिए हमने भारत सरकार को इसके बारे में लिख दिया है ।

अधिसूचित क्षेत्र में एक और विसंगति है । अधिसूचित क्षेत्र में भारत के नागरिकों पर तो प्रतिबंध है, उनको परमिशन लेने जाना पड़ेगा लेकिन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विदेशी नागरिकों पर नहीं है। इसलिए हमने भारत सरकार को यह भी पत्र लिखा है कि इस अधिसूचित क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के प्रवेश भी बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के नहीं हो इस प्रकार का आदेश जारी किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, क्रेता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है और भारत सरकार यह कह रही है कि उस क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन के लिये ऐसी विधि बनाई जाये जो क्रय करने वाला हो उसकी सारी जानकारी हो । राजस्व विभाग द्वारा 5-6 के उपरांत अधिसूचित क्षेत्रों में नामांतरण के प्रकरणों की जांच प्रारम्भ की गई है और इन्हीं आधार पर हम उनको नोटिस देंगे, नोटिस जारी कर दिये हैं और जिन नोटिस का कोई जवाब नहीं आ रहा है तो उन क्षेत्रों में नामांतरण और कब्जे की कार्यवाही राजस्व विभाग ने रोक दी है। क्रेता और विक्रेता की पहचान सुनिश्चित करने के आदेश संबंधित पंजीयकों को जारी किये जा चुके हैं । वैधानिक प्रक्रिया के पालन के अभाव में हुए पंजीयनों की निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु आदेश भी जारी किये जा चुके हैं । स्टांप ड्यूटी के उल्लंघन के प्रकरणों हेतु विशेष आडिट कराने के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं। जैसलमेर, शिव, पोकरण एवं गाढरारोड के उप पंजीयकों को निलंबित किया जा चुका है। कुल 25 उप पंजीयकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । भारत सरकार के ट्रांसफर प्रोपर्टी एक्ट 1882, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एवं अब तीन वर्षों के सभी विक्रय दस्तावेजों की जांच की जायेगी और इसके सारे दस्तावेज हमने केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिये हैं । दिनांक 6.10.07 को सुरक्षा संबंधी बैठक में सीमा के 20 किलोमीटर के भीतर भूमि विक्रय के पंजीयन कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों की अनुमति अनिवार्य की गई है । इस 20 किलोमीटर की सीमा में हमने कहा कि इस प्रकार अपराध दंड विधि 1961 का कानून है उसमें संशोधन कर सैक्शन 3 (1) के अंतर्गत जिसमें अधिसूचित क्षेत्र में दूसरे लोगों का प्रवेश वर्जित है उन सारे क्षेत्रों में यह भी संशोधन भारत सरकार कर दे कि रजिस्ट्रेशन अगर कराना हो तो उच्च अधिकारियों की परमिशन के आधार पर इसमें रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हमने कह दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह सारा मामला जब आपके सामने रखा है इसमें किसी भी दिन, एक भी दिन यह मैं मानता हूं जिला मीटिंग में यह बात उठी, यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद ने बात उठाई, उन्होंने पत्र भी लिखा है । हमने उसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आधार पर इन्क्वायरी भी प्रारंभ की लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, किसी चीज को किसी प्रकार घुमा कर हम जोड़ें, हम राजनीति करें लेकिन ऐसे मामलों में...

**श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन यह बात मैंने भी उठाई थी, जालम सिंहजी ने भी उठाई थी ।

**श्री घनश्याम तिवाडी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने भी उठाई थी, उन्होंने भी उठाई थी, मैं यह कहना चाहता हूं ऐसे मामले जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से जुडे हुए हैं उन मामलों में कोई भी सरकार कोताही नहीं कर सकती । यह भी नहीं कर सकते और हम भी नहीं कर सकते । ऐसे मामले से जुडा हुआ कोई व्यक्ति किसी का भी बेटा होगा उसको कौनसा राष्ट्र माफ कर देगा और कौन सी सरकार माफ कर देगी । हम जिसकी शपथ लेकर इस देश में रह रहे हैं वहां पर इस प्रकार के आरोप लगा देना, मैं ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहता । वह होगा शम्भुसिंह भारतीय जनता पार्टी के होंगे या नहीं होंगे और मैं नहीं कहना चाहता कि राजेन्द्र सिंहजी किस पार्टी के मैम्बर हैं। रोज पार्टियां बदलते हैं लोग । अभी थोड़े दिनों पहले माफ कीजिए मैं नहीं कहना चाहता था गहलोत साहब की गाड़ी भी पीछे-पीछे चल रही थी तो मैं उनका ना ले दूंगा क्या । अगर राजेन्द्र सिंह अपराधी हैं, शम्भु सिंह अपराधी है, कोई भी अपराधी है, किसी भी एजेंसी के माध्यम से, भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से, राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से इस सारे खरीद फरोख्त के मामले में एक भी व्यक्ति का आया तो सभी प्रकार की कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार तैयार है, किसी को भी नहीं बख्शा जायेगा यह मैं आपको कहना चाहता हूं । सारे प्रकरण की जांच चल रही है । राजस्व विभाग द्वारा जांच चल रही है हमने नामांतरण की सारी प्रक्रिया से लेकर लोगों को कह दिया है । स्टांप और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत हो रही है उसको रोकने का हम कार्य कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आप तो समझदार हैं और वह भी समझदार हैं, इन्होंने कहा कि सीबीआई से जांच कराई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं मेरी गलती होगी तो गृह मंत्री जी ठीक कर देंगे, सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इन्क्वायरी एजेंसी नहीं है । अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो सीबीआई को भेज सकते हैं । भारत सरकार कहे कि केस रजिस्टर्ड करो, या हम भी कोई गलती होगी तो केस रजिस्टर्ड करेंगे।

लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं भारत सरकार और राजस्थान सरकार और राज्य का हर नागरिक भारत की सीमा की सुरक्षा के मामले में जांच करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं कर सकता इसलिए मैं आपके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माध्यम से सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा आदमी निकला जिसके बारे में किसी प्रकार की शंका हो तो घुसने की बात तो अलग, अधिसूचित क्षेत्र में जाने की बात तो अलग है, उसको राजस्थान की सीमा में ही प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कैसे जाकर कोई कब्जा कर लेगा। राष्ट्रीय विधि कार्यवाही करेगा। सारी कार्यवाही लगातार चीफ सैक्रेटरी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, तीन बार मीटिंग हो गई है। सारे विभाग उसमें लगे हुए हैं। एक-एक रजिस्ट्री को हम खंगाल रहे हैं, किसी को बक्शने वाले नहीं है, इसलिए पुनः एक बार सदन से आग्रह करता हूं कि इस मामले को राजनीतिक मामला नहीं बनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। भारत सरकार की एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां सब लगी हुई हैं। इस मामले में सदन को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी उचित कार्यवाही होगी वह हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से तीन बातें जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हो गई ना बात।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): पहले तो कहा मंत्रीजी को...(व्यवधान) उसके बाद में पूछ लेना और अब पूछ रहे हैं तो कह रहे हो कि खतम करो, यह क्या बात हुई । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, तीन बातें स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कोई भाषण तो दे नहीं रहा, भाषण तो उन्होंने दे दिया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: क्या स्पेसिफिक ?

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि एक तो राजेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने का क्या कारण है।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब यह तो कोई बात....(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): नम्बर टू, आपने कहा कि आपने इतने सब रजिस्ट्रार को नोटिस इश्यू किया, अभी तक राजस्व मंत्रीजी के आदेश होने के बाद भी 24 में से सिर्फ 4 रजिस्ट्रार सस्पैंड हुए हैं। राजस्व मण्डल 20 सब

(श्री संयम लोढ़ा)

रजिस्ट्रार के खिलाफ इसलिए अभी तक कार्यवाही नहीं कर पाया कि उसको रिकार्ड नहीं मिला। नम्बर तीन, आपने हाउस में यह एडमिट किया कि जिला सतर्कता समिति की बैठक में 2006 में यह बात रिकार्ड पर आ गई थी, आपने यह भी एडमिट किया कि माननीय सदस्य जो सिवाना से और शिव से आते हैं उन्होंने यह बात रखी थी, तो जिस जिला कलक्टर ने यह उदासीनता दिखाई और लापरवाही दिखाई उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: जांच में....(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, तीन बात कह दी। मैंने कह दिया कि इस विषय में जिन अधिकारियों की भी गलती है उसके खिलाफ चीफ सैक्रेटरी के यहां पर पूरी जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी आएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। चार पर कर दी बाकी कोई बड़े से बड़ा आयेगा तो उस पर भी की जाएगी। (व्यवधान) सुन लीजिए आप। दूसरी बात राजेन्द्र सिंह की, राजेन्द्र सिंह के नाम से कोई रजिस्ट्री नहीं है, उसकी किसी दलाली में अख़बार में नाम छपा है, मैं नहीं जानता, है कि नहीं है लेकिन भारत सरकार की एजेंसी को, भारत सरकार को दिया गया है कि पीएससीएल की जांच भारत सरकार की एजेंसियां कर रही हैं। हमने यह भी कहा है कि आपकी जांच में यदि किसी का नाम आये तो राज्य सरकार को कहें, हम उन पर कार्यवाही करेंगे। किसी का भी नाम आ जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जाएगी। बिना इंक्वायरी के या बिना नाम आये हम किसी पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकते। रहा सवाल इस बात का, मैंने बहुत साफ कर दिया कि एक-एक, 5437 लोकल रेजीडेंस हैं उनकी भी जांच कर रहे हैं सारी जांच करने के बाद, मैं निश्चित रूप से सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इस मामले में और किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि भारत के बोर्डर को खरीद ले, राजस्थान के बोर्डर को खरीद ले। आज हम बहुत बड़े और शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं, किसी की ताकत नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह देश परमाणु शक्ति सम्पन्न, इंदिराजी के बारे में आपने कहा ठीक है उन्होंने वह किया, इतने वर्ष रूकने के बाद अटलबिहारी वाजपेयी ने भी दुबारा परीक्षण कराकर भारत की शक्ति को, परमाणु शक्ति को मजबूत किया। वह जगह है इसलिए इस बारे में इस पर कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समझता हूं कि सदन इस बात से आश्वस्त रहे कि इसमें किसी भी प्रकार की राज्य सरकार कोई कोताही नहीं होने देगी। धन्यवाद। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री भरत सिंह। (व्यवधान) बैठिये आप माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 2006 के अंदर रिकार्ड पर बात आ गई...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): और कलक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सरकार जिम्मेदारी से क्यों बच रही है? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: केन्द्र सरकार से...(व्यवधान) केन्द्र सरकार में इसकी जांच हो रही है बीच में इसकी...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): कौनसी जांच हो रही है ? जब यह रिकार्ड में (व्यवधान) सतर्कता समिति में बात आ गई...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। (व्यवधान) इससे ज्यादा स्पष्ट और कोई जवाब नहीं हो सकता। इस पर कोई जवाब नहीं आयेगा। (व्यवधान) इसमें यह कब होगा, वह कब होगा, it is not allowed यह कोई बात है क्या (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: कुछ भी अंकित नहीं होगा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा (व्यवधान) माननीय सदस्य बैठ जाइये आप। श्री भरत सिंह।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बोलते-बोलते जो आरोप लगाए हैं ...(व्यवधान) एक्सपंज कराइये इसको।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरी प्रार्थना है कि एक्सपंज कराइये इसको।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सारी बात का जवाब दे दिया..(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरी प्रार्थना है एक्सपंज कराइये, उपाध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या बात हुई उपाध्यक्षमहोदय, यह जवाब दे रहे हैं..(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): ×××

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक्सपंज कराइये (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देश भक्ति के बारे में जानकारी नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बिराजे।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कोई भी, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): देश भक्ति के साथ (व्यवधान) इजाजत नहीं दी जाएगी सदन में।

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई अंकित नहीं...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर):×××

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा, किस बात का आरोप लगा रहे हैं आप, बैठिये। इतना डिटेल के अंदर जवाब आ चुका है, केन्द्र सरकार में जांच हो रही है (व्यवधान) राज्य सरकार में जांच हो रही है और आप इस बात को हवा में उछाल रहे हैं। (व्यवधान) श्री भरत सिंह।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राष्ट्र भक्ति के साथ बात करते हो।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आप माननीय सदस्य (व्यवधान) बैठिये।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं नहीं, बैठिये आप, हो गया। (व्यवधान) बात हो गई। अब कुछ अंकित नहीं होगा आपका। माननीय सदस्य...

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: यह पशुपालकों की बात बीच में क्या ले आये आप। बैठिये ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य, इससे संबंधित नहीं है, इस इश्यु से संबंधित नहीं है आप बैठिये, यह मामला दूसरा है। यह पशुपालन की बात नहीं है, आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये आप बैठिये।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य बात दूसरी है। (व्यवधान)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने विषय उठाये एक गलतफहमी एक आदेश के आधार पर जरूर हो गई थी वह यह था कि जो 22 निषेध क्षेत्र जो थाने के थे उसमें वहां के कलक्टर ने इस आदेश को इस रूप में समझा कि एक थाने से दूसरे थाने में जाने वाले को भी परमीशन लेनी पड़ेगी उसको हमने क्लियर करके भेज दिया कि कोई परमीशन की आवश्यकता नहीं है। आदेश को पढ़ने में उन्होंने थोडी चूक की उसको हमने अपने विभाग की तरफ से क्लियर करके दे दिया।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री भरत सिंह।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आप अलग-अलग मुद्दे इस पर नहीं... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: फिर आप बीच में ...(व्यवधान) कुछ अंकित नहीं हो रहा। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

## वन विभाग में कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने से वन्य जीवों पर पड़ रहे प्रभाव

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष जी, 2004 में नेशनल प्रेस ने एक खबर प्रकाशित की थी कि सरिस्का अभ्यारण्य में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें टाइगर समाप्त हो चुके हैं । इसकी वन विभाग ने जांच की और इस खबर को सही पाया कि जो हमारे टाइगर रिजर्व है सरिस्का उसमें टाइगर नहीं है और यह तथ्य सामने आये कि उस टाइगर प्रोजेक्ट में सरिस्का अभ्यारण्य में 13 टाइगर और 24 बघेरों का शिकार हुआ है । बाद में जांच में यह भी पुष्टि हुई कि रणथम्भौर के अंदर भी शिकार हुआ है उसके बाद सरकार ने गम्भीरता दिखाते हुए एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जिसका मैं भी कुछ समय तक सदस्य था। उस कमेटी ने एक डिटेल के अंदर सितम्बर 2005 में रिपोर्ट सरकार को दी जिसमें विभिन्न सुझाव सरकार के सामने रखे। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि पहले भी जब भैरोसिंहजी मुख्य मंत्री थे उस कार्यकाल के अंदर भी रणथम्भौर में शिकार हुआ था और 1992 में कुम्भट साहब ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी शेरों के शिकार के सम्बन्ध में। दोनों की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लगभग वही रिकमंडेशन करी थी मगर जो रिपोर्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उस रिपोर्ट में प्रमुख इम्प्लीमेंट से संबंधित प्रमुख बातें थी।

इसमें प्रमुख बात यह थी कि जो वन विभाग है, उसमें 1985 के बाद नई भर्ती नहीं हुई है उसमें वनकर्मियों की भर्ती होनी चाहिए। अगर हमें हमारे वन्य जीवों को और फोरेस्ट को बचाना है तो नई भर्ती होना अनिवार्य था। अब यह उस रिपोर्ट का प्रमुख भाग था। मगर दुर्भाग्य से हमारे ढाई साल गुजर जाने के बाद वन विभाग में एक भी नई भर्ती नहीं हुई और जो हमारे वन क्षेत्र हैं, हमारे प्रदेश के अन्दर 25 अभयारण्य हैं और दो नेशनल पार्क हैं जिनका कुल एरिया 9161.21 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र

(श्री भरत सिंह)

का 3 प्रतिशत से कम है, प्रदेश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 3 प्रतिशत से कम एरिया है और इसी में हमारे नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। इन्हीं के संरक्षण के सम्बन्ध में मैं यह बात उठा रहा हूं। जो रिपोर्ट आई है, जो अभी सरकार ने उत्तर दिया है उसका भी मैं अवलोकन, उसके कुछ अंश पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार द्वारा श्री वी.पी. सिंह, सांसद की अध्यक्षता में गठित वन एवं वन्य जीव प्रबन्ध समिति द्वारा माह सितम्बर, 2005 में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, समिति ने प्रस्तुत रिपोर्ट में राजकीय वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य के फ्रण्ट लाइन स्टाफ के स्वीकृत पदों के अलावा निम्नानुसार अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता बताई थी, वन रक्षक 926, वनपाल 231, क्षेत्रीय वन अधिकारी 77, कुल 1234 पद। समिति ने संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के गांवों के स्थानीय युवकों को प्राथमिकता देते हुए वन रक्षक की सीधी भर्ती करने की सिफारिश की थी। उपाध्यक्षजी, इसके अलावा इन्होंने अनेक रिकमण्डेशंस की थीं। दुर्भाग्य से सरकार ने ढाई साल गुजर जाने के बाद और उसके बीच में हुआ क्या, आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रणथम्भौर में से एक शेर बाहर निकला, जिसको कि वन विभाग वाले युवराज कहते हैं, वह शेर मारा गया। कोई जानवर रणथम्भौर के बाहर निकलता है, वह मारा जाता है। आपके यह जो नेशनल पार्क्स हैं, यह एक बिलकुल एक सीमा के अन्दर, बाहर बिलकुल वन बचे नहीं हैं, कोरिडोर्स की इसके अन्दर बात की गई है। यह तय है कि जो जानवर बाहर निकला, वह मरेगा। इस प्रकार से अगर हालत हमारे प्रदेश के अन्दर है कि हम हमारे फोरेस्ट की जो रिकमण्डेशंस हैं कमेटी की, उनकी भर्ती नहीं करेंगे तो हमारे वन्य जीव बचेंगे कैसे। यह कुछ बिंदु जो इस कमेटी ने रिकमण्ड किये हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्रीजी उनके ऊपर उल्लेख करें कि क्या उन पर कार्यवाही की है या नहीं। और नहीं की है तो क्यों नहीं की। इसकी जो प्रमुख मांग थी कि पुलिस मुख्यालय पर एक स्टेट वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो स्थापित किया जाए। यह स्थापित नहीं किया गया है। सुरक्षित क्षेत्र के लिये वन रक्षकों की नई भर्ती की जाए। यह भी भर्ती नहीं की गई है। वन अधिकारियों को हथियार का उपयोग करने का अधिकार दिया जाए। यह अधिकार भी उनको नहीं दिया गया है। पारम्परिक रूप से शिकारी जातियों व स्थानीय लोगों को वन एवं वन्य जीवों की रक्षा हेतु उपयोग के लिये लिया जाए तथा इनको वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाएं। यह व्यवस्था भी इन्होंने नहीं की है। पर्यटकों से इको सरचार्ज के रूप में

(श्री भरत सिंह)

जो राशि ली जाती है उसको वहां लगाया जाए। 10 करोड़ रुपये इको सरचार्ज के रूप में सरकार ने कलेक्ट किये हैं, मगर उसको इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो लगाया जाना था, वह नहीं लगाये गये हैं। सरिस्का टाइगर रिसोर्ट में बाघों को पुनः छोड़ने की बात की थी। ढाई साल के अन्दर उस दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। तो उपाध्यक्षजी, जब वह भर्ती होगी नहीं, इन्होंने एक हजार एक्स-सोल्जर्स को लगाने की बात की और एक्स-सोल्जर्स को भी कहां लगाया है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स की, उसमें लगाने की बात कर रहा हूं और जब माननीय उपाध्यक्षजी, समस्या पुरानी है, वन मंत्रीजी जरुर नये हैं लेकिन इनके जिले में, बारां जिले से ये आते हैं, उस जिले के अन्दर और आज प्रदेश के अन्दर आज वन भूमि पर व्यापक अतिक्रमण हो रहे हैं। फोरेस्ट एरिया को जगह-जगह उसके ऊपर, आज मैं एक फोरेस्ट आफिसर से मिला। उन्होंने कहा कि जंगल की क्या बात है, जंगल की रक्षा तो दूर की बात है, हम तो जंगल की जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लोग-बाग़ जमीन खोद कर ले जा रहे हैं। इस हालत के अन्दर वन्य जीव बचेंगे कैसे। सबसे ज्यादा अतिक्रमण लगभग छह हजार हैक्टेयर का अतिक्रमण उदयपुर के बाद, जहां 13 हजार हैक्टेयर है, बारां जिले में है, जहां के ये मंत्री आते हैं और 25 प्रतिशत फोरेस्ट एरिया बारां जिले में है। आज बारां, कोटा सम्भाग के जो अभयारण्य हैं, जो सैंक्चुअरीज हैं उनका मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। 1991 में जो रामगढ़ अभयारण्य है, बूंदी में, उसमें 15 बघेरे थे, आज वहां पर एक भी बघेरा नहीं बचा। एक भी पैंथर नहीं बचा। यह कोरिडोर है, अगर रणथम्भौर से जानवर निकलेगा, युवराज आयेगा तो इसके अन्दर सम्भावना यह थी कि वह रामगढ़ में आयेगा। मगर रामगढ़ में एक भी बघेरा नहीं बचा है, वहां टाइगर कहां से आयेगा। कोरिडोर की आप बात कर रहे हैं, जाने के जंगल तो बचे ही नहीं हैं। शेरगढ़ अभयारण्य है इनके बारां जिले में, जिस जिले से मंत्रीजी आते हैं, 1999 में 5 पैंथर थे वहां पर, आज एक भी पैंथर नहीं बचा है उसके अन्दर। जवाहर सागर, जो कोटा जिले का ही एक हिस्सा है, उसमें 8 पैंथर थे 1999 में। आज भी उसके ऊपर, एक भी पैंथर नहीं बचा है। दर्रा के अन्दर 16 पैंथर थे 1999 में। आज एक भी नहीं बचा है। टाइगर खतम हो गये, वह तो गये, पहले 60 के दशक में कोटा में टाइगर्स थे, आज पूरे कोटा सम्भाग के अन्दर, वन विभाग बता रहा है तो उसी प्रकार बता रहा है, जिस प्रकार सरिस्का में टाइगर बताता था यह। ये अगर बघेरे बता रहे हैं तो उनकी गिनती, अगर आज भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी

(श्री भरत सिंह)

गिनती कराई जाए तो आप पायेंगे कि मुश्किल से एक या दो बघेरे कोटा सम्भाग के अन्दर किसी जंगल में बचे हैं। इसी प्रकार की गम्भीर स्थिति, नई भर्ती तो दूर, इनके कैटल गार्ड हैं, वह पंचायत समिति में लगा देंगे 260, नई भर्ती करने की बात ही गई।

**श्री सभापति**: अब जवाब देने दीजिये। (व्यवधान) आप जवाब देने दीजिये।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): नहीं, दो मिनट और लूंगा। पंचायत समिति में 260 कर्मचारी लगा रखे हैं, जंगल में कर्मचारी ही नहीं। नई भर्ती की बात करते हैं तो जो जगह कम है, उसमें राज्य सरकार में कहीं भी कोई मृतक हो जाए, उसकी नौकरी, फोरेस्ट के जो कैटल गार्ड खाली पड़े हैं, उसमें भर्ती कर रहे हैं। तो किस प्रकार से सरकार की एक इम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट और कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट का, उसको दिखाने के लिये, दुनिया को दिखाने के लिये कि हम इसको संरक्षण के लिये, राजस्थान सरकार यह कर रही है और फील्ड स्टाफ भर्ती नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: जवाब दे रहे हैं।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): अभी शिक्षा विभाग में 60 हजार भर्ती की है। (व्यवधान) ट्यूरिज्म में 11 हजार भर्ती है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: अब छोड़ो शिक्षा की, माननीय सदस्य, कहने दीजिये।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): वन विभाग में आप भर्ती नहीं करेंगे तो वन बचाएंगे कैसे, इस बारे में आप जवाब दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपकी भावना आ गई। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की। वास्तव में सही है कि फोरेस्ट विभाग में काफी समय से भर्ती नहीं हुई है। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को इनको यहां पर उठाने का तो कोई हक ही नहीं था क्योंकि इन्होंने पिछले राज में, इनके 5 साल के शासन में नई भर्ती तो दूर, और सरकारी सेवाएं समाप्त कीं।

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): यह जवाब है क्या?

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): मैंने कुम्भट कमेटी की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है, 1992 की कुम्भट रिपोर्ट भी धूल खा रही है और यह भी धूल खायेगी।

**श्री उपाध्यक्ष**: जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) दे रहे हैं जवाब।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सुन लें अब बात को।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो चौपाया जानवर को एक ही मानते हैं, चाहे शेर हो, चाहे साम्भर हो, चाहे कुछ भी हो।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप जवाब देने दीजिये। (व्यवधान) आने दीजिये जवाब, माननीय सदस्य का। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठिये आप, आप जवाब सुन लीजिये।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची):×××

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको इस बात को यहां उठाने का हक ही नहीं था।

**श्री उपाध्यक्ष**: पिछली बार आप नहीं थे।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): पर फिर भी इन्होंने चिन्ता जाहिर की उसके लिये मैं इनको धन्यवाद देता हूं। माननीय, यह बात सही है कि सितम्बर, 2005 में वी.पी. सिंह, सांसद की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है, उसने रिपोर्ट दी थी और उसमें जिस प्रकार से आपने बताया है कि कुल 1234 पद, वनरक्षक के 926, वनपाल के 231 और इसके रेंजर्स के 77 पद रिक्त बताये थे। यह बात बिलकुल सही है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्य को कि वर्तमान की जो स्थिति है, वह इस प्रकार की स्थिति है, शायद वह भी आपके ध्यान में होगी परन्तु आपने यहां बताना, मेरी समझ में पता नहीं क्यों मुनासिब नहीं समझा। यहां जो रेंजर्स ग्रेड-1 हैं, उनके 269 स्वीकृत पद हैं, 269 ही भरे हुए हैं। जहां तक सैकिण्ड ग्रेड रेंजर्स का सवाल है, वह 159 स्वीकृत पद हैं उनके अगेंस्ट में 131 हैं और 28 पद रिक्त हैं। वनपाल के 1041 पद स्वीकृत हैं, उसके अगेंस्ट में 999 पद भरे हुए हैं, 42 पद रिक्त हैं। सहायक वन पाल के 963 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 663 पद भरे हैं और 60 खाली हैं। वन रक्षकों में थोड़ा ज्यादा गैप है इसको मैं स्वीकार करता हूं, जो

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

फोरेस्ट गार्ड कहलाता है उसमें 3802 पद हैं और 3459 भरे हुए हैं, करीब 343 पद रिक्त हैं।

पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि पद काफी लम्बे समय से रिक्त हैं और हमने उनको भरने की चेष्टा भी की है और यह भी हमारे सामने सवाल था कि जिस प्रकार से इन्होंने चिंता की कि जो हमारे सैंक्युअरीज हैं इनमें जो वाइल्ड लाइफ है, इसको किस प्रकार से बचाया जाए। जिस प्रकार से सरिस्का का आपने उठाया कि वहां पर हमारे जो टाइगर थे वह खतम हो गये। रणथम्भौर में युवराज वहां से निकल कर जो एक टाइगर का बच्चा था, उसका नाम था वह आज तक नहीं मिला है, शायद लगता है कि वह मारा गया। इन सबको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले समय में हमको एक हजार भूतपूर्व सैनिकों को फोरेस्ट विभाग में भर्ती करने के लिए, रखने के लिए परमिशन दी थी। उनके अगेंस्ट में हमने करीब 680 भूतपूर्व सैनिकों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रखा है। उसमें से 421 भूतपूर्व सैनिकों को हमने सैंक्युअरीज में लगाया है बाकी जो 403 पद थे जो हमको एक हजार पद भरने थे उसमें निश्चित रूप से हम पूरे एक हजार नहीं भर पाये। मात्र 680 ही भूतपूर्व सैनिक लगा पाये। उसका एक कारण था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमको चार हजार जो उनकी रेट रखी थी पर मंथ, उस पर वे हमको मिल नहीं पा रहे थे और जिन जिलों में आस-पास जहां सैनिक ज्यादा मिलते हैं या भूतपूर्व सैनिक ज्यादा हैं या फौज में ज्यादा भर्ती होते हैं, उसके आस-पास तो हम लोगों को भर्ती के लिए सैनिक मिल रहे थे। उनमें हमने निश्चित रूप से भरने का प्रयास किया है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी से जब हमने इस विभाग की और सैंक्युअरीज के मामले में चिंता जाहिर की तो उन्होंने हमको पर मंथ इसमें जो हम चार हजार जो उनको सैलेरी दे रहे थे उसको बढ़ाया, इसमें उन्होंने राशि को बढ़ाया है और अपने बजट भाषण में उन्होंने घोषणा की है, बिन्दु संख्या 100 पर, जिसकी राशि बढ़ाकर 5500 रुपये कर दी है। मैं समझता हूं कि 1500 रुपये का इजाफा जब उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए किया है तो निश्चित रूप से इनका सैनिकों का रुझान फोरेस्ट विभाग की तरफ बढ़ेगा ओर हम जितना जल्दी हो सकेगा इन भर्तियों को करने की पूरी कोशिश करेंगे।

यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काफी लम्बे अरसे से वाइल्ड लाइफ की जो सैंक्चुअ हैं, उनमें काफी पद रिक्त चल रहे थे। हमने और माध्यमों से भी इधर-उधर से कहीं से भी जो हमारे रेंजेज थी उनमें से

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

कुछ आदमी निकाल कर करीब 82 या 87, सब्जेक्ट टू करेक्शन हमने उनको भरने की कोशिश की है। निश्चित रूप से अब मैं भी इस बात का पक्षधर हूं और माननीय सदस्य सभी इस बात के पक्षधर होंगे कि राजस्थान में जिस प्रकार का वाइल्ड लाइफ है और वाइल्ड लाइफ के कारण यहां का ट्यूरिज्म बढ़ रहा है। यहां के आदमी की इकानोमिक ग्रोथ बढ़ रही है। यहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है इसलिए इन सैंक्चुअरीज की रक्षा निश्चित रूप से की जानी चाहिए और मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमने और बढ़कर जो मृतक राज्य कर्मचारी हैं, उनके आश्रितों को भी नौकरी दी है। करीब 109 आश्रितों को हमने चार वर्ष में नौकरी दी है। करीब 20-25 के करीब हमारे पास और आवेदन हैं पर हमारे पास मुसीबत इस बात की है कि फोरेस्ट गार्ड के लिए ज्यादातर हमको जरूरत है, वह फोरेस्ट गार्ड बनने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादातर नौकरी लेकर दूसरे विभागों में या तो लिपिक के पद पर जाना चाहते हैं या किसी और पद पर जाना चाहते हैं। पर फिर भी हमारी कोशिश है कि किसी न किसी प्रकार से मृतक राज्य कर्मचारियों की जगह जो हमको भर्ती करनी है, उनको भी जल्दी से जल्दी करें ताकि 20-25 या जितने भी लोग हमको मिल सकें उनका ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: थोड़ा ठहरो, जवाब देने दो न ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। यह मृतक कर्मचारी का यह जनरली मैटर है ... (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं बता रहा हूं न, आपने आधा घंटे का भाषण दे दिया तो मेरी भी बात सुन लो ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: वह आपने चर्चा की थी, मृतक कर्मचारियों की चर्चा हुई थी ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): मैं पाइंटेड बात कर रहा हूं। मेरा लम्बा-चौड़ा भाषण न मैं दे रहा हूं और न इनसे चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं-नहीं, आपने कहा था अभी ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एम्पावर्ड कमेटी में ... (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप सुनो तो सही, मैं आ रहा हूं। मैं मेरी बात बता रहा हूं ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): एम्पावर्ड कमेटी ने कभी एक्स आर्मी को भर्ती करने की बात नहीं करी। उन्होंने स्पेसिफिक रिकमंडेशन करी। उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं? यह आपसे चाह रहा हूं ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: वही बात कह रहे हैं ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): मैं नहीं चाहता इनसे जो डिबेट आप यह चाहते हैं फोरेस्ट पर तो मांग रख लेते फोरेस्ट की। मैं यह पाइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एम्पावर्ड कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के सम्बन्ध में वन मंत्रीजी क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: वही बात बता रहे हैं।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): यह मरे हुए कर्मचारी की, नौकरी की भर्ती कर रहे हैं, मैं जंगल के मरने की बात कर रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, वह कह रहे हैं। वह कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप पूछ लेना खुशवीर सिंहजी, बाद में। जवाब आ जाए। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बात तो वह की वही है कि कितने रोजगार नये लोगों को दे रहे हो? कैसे दे रहे हो। (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): एम्पावर्ड कमेटी का पूछा है मैंने ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: वह बता रहे हैं, तो फिर आप जवाब तो सुन लीजिए।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अधिकांश पद भर दिये हैं।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): यह जवाब इन्होंने दे रखा है, लिखित में दे रखा है, वह तो पढ़ लिया मैंने ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): यह एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कर रही है सरकार? 1992 से एक रिपोर्ट पहले धूल खा रही है और यह अब दूसरी रिपोर्ट धूल की ताक में पड़ी हुई है इसलिए रिपोर्ट ... (व्यवधान) जंगल खतम हो जाएंगे ... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इम्प्लीमेंट ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, अब आप ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): भरतपुर में सूखा पड़ा है। ... (व्यवधान) चम्बल अभयारण्य में एक घड़ियाल नहीं है। ... (व्यवधान) थे जो साहब, मर गये। चम्बल का अभयारण्य ... (व्यवधान) चम्बल खाली हो गया।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा है ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो वी.पी. सिंह ने रिपोर्ट दी है, उसको आप ताक में रखकर, धूल खायेगी या उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे?

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा सुनिये। (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये, सुनिये क्या कह रहे हैं यह। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अधिकांश पद भर दिये हैं। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बारां जिले के मामले में कुछ सवाल यहां पर उठाये हैं। निश्चित रूप से वह जो बात उठा रहे हैं, बिलकुल ठीक है कि कुछ जमीन पर काफी लोगों ने कब्जा किया हुआ है फोरेस्ट की जमीन पर और ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): आप एम्पावर्ड कमेटी की बतायें, साहब।

**श्री उपाध्यक्ष**: बता रहे हैं। बता रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): कई प्रभावशील लोगों ने कब्जा कर रखा है और आप जानते हैं किसका है। अभी मैं नाम बताऊंगा तो फिर वह प्राब्लम खड़ी हो जाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष**: वह छोड़ो उसमें, वह तो आपने पढ़ दिया है, भर्ती के बारे में बताइये। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इन्हीं के रिश्तेदार सार्थल ठिकाने के तेजराज सिंहजी जो अभी स्वर्ग सिधार चुके, उन्होंने, भाइयों ने करीब 1750 बीघा फोरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर रखा है और मैं माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): मंत्रीजी, इस बात पर आप मत पड़ो कि कौन-कौनसी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आपके आपकी पार्टी के लोगों ने ... (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपकी पार्टी के लोगों ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फोरेस्ट के अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं कि इस मामले में अविलम्ब कार्यवाही करके इस प्रभावशील व्यक्ति जिसने 1750 बीघा फोरेस्ट जमीन पर कब्जा कर रखा है उसको 15 दिन के अन्दर-अन्दर निश्चित रूप से उसको छुड़वाये, इस प्रकार का मैं निवेदन करना चाहता हूं और चूंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पहले जवाब सुन लीजिए पूरा।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि बढ़ोरा के कुछ लोगों ने भी वहां पर सैंक्चुअरी की जमीन पर, शेरगढ़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह माननीय सदस्य ने बिलकुल सही बात उठायी है। मैं बढ़ोरा के लोगों के लिए भी मेरे फोरेस्ट के अधिकारियों को यह निवेदन कर रहा हूं और निर्देश दे रहा हूं कि उनको भी 15 दिन के अन्दर-अन्दर कार्यवाही करके उस जमीन को मुक्त करायें ओर जो दोबड़ा-बावड़ी खेडा की सार्थल के ठिकानेदारों ने 1750 बीघा जमीन पर, फोरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर रखा है उसको भी 15 दिन में मुक्त करायें, इस प्रकार के निर्देश दे रहा हूं मैं। (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): दूसरा, भैंसगढ़वालों की है न वह ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपने व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था ... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, इसी से संबंधित है ... (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): चित्तौड़ ... (व्यवधान) भैंसरोडगढ़ में भी कर रखा है उसको भी खाली करवा दो साहब। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): आप तो मंत्रीजी, भैंसरोडगढ़ में आपकी पार्टी के लोगों ने एक हजार बीघा में कब्जा कर रखा है ... (व्यवधान) भैंसरोडगढ़ में आपकी पार्टी के लोगो ने।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप क्या बात कर रहे हैं यह? पार्टी के लोग, पार्टी के लोग हैं। यह छाप लगी हुई नहीं है, अतिकर्मी तो ... (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हमारे लिए तो यह कह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही यह ... (व्यवधान) वहां अतिकर्मी ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: दोषी जो है, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उससे कोई मतलब नहीं है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): इससे लगता है कि सरकार ... (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको नहीं हटाना चाहते हैं ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये आप। बैठिये।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है, इसी से संबंधित है। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं कोई कहना नहीं चाहता ... (व्यवधान)

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई बहस के लिए प्रश्न नहीं उठाया था। मैं तो सिर्फ एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात कर रहा था। यह विषय से भटक गये, उस बात को डाइल्यूट कर रहे हैं।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस एम्पावर्ड कमेटी की यह बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): मंत्री महोदय, आपने तो इस प्रश्न को स्थगित करवा दिया था ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: सुनो भाई, सुनो।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ब्लेम लगाकर पूरे राजस्थान की जंगल ... (व्यवधान) 1750 बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, आप अब बताओ कि 1750 बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: अंकित नहीं हो इनका।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): ×××

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन वन मंत्री महोदय, आपने तो मेरे प्रश्न को राजस्व विभाग को सुपुर्द कर दिया था। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य नहीं, अंकित नहीं होगा इनका।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर):×××

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने ... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया था। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी थी कि मुझे पूछने कि यह ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, आप ... (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तो ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये, जवाब दे रहे हैं।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी, यह एक साथ में जवाब दे देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है आपसे कि स्टेट एम्पावर्ड कमेटी ने जो सुझाव दिया कि चालीस वर्ष से ऊपर का ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: वही बात कह रहे हैं यह।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने पर्टीकूलर यह सुझाव दिया कि 40 वर्ष से ऊपर के जितना भी स्टाफ है, नीचे के जो वन रक्षक हैं, मैं भक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े पद पर बैठे हैं। वन रक्षक, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, वह उम्रदराज माने गये और उनकी कमी की वजह से वह सुरक्षा नहीं हो पायी, इसलिए सरिस्का में टाइगर्स समाप्त हुए और यह पुनः एक्स आर्मीमैन को भरने की बात कर रहे थे, यह तो बिलकुल ही स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की आप खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो। फिर एक्स आर्मीमैन भरने की कहां बात है? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये, बैठिये माननीय सदस्य।

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची): और तत्कालीन मंत्री महोदय, आपने तो मेरा प्रश्न राजस्व को सौंप दिया था पिछले वर्ष। (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम्पावर्ड कमेटी ने कुल 131 अनुशंसाएं की हैं, उनमें से 129 अनुशंसाओं पर सिद्धान्ततः सहमति हो चुकी है, जिसकी डिटेल मैं माननीय सदस्य श्री भरत सिंहजी को भिजवा दूंगा, खुशबीर सिंहजी को भी भिजवा दूंगा।

## प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

### सीकर में स्थित शाकम्बरी में बन्द ट्यूबवैल को चालू करवाने बाबत

**श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर): धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर में स्थित शाकम्बरी में बन्द ट्यूबवैल को चालू करवाने की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी।

शाकम्बरी में राज्य सरकार की लाखों रुपयों की लागत से बना ट्यूबवैल वहां पर राजनीति के चलते बन्द हो गया है जिससे वहां के निवासियों में काफी रोष है। यह ट्यूबवैल माननीय मुख्य मंत्रीजी के शाकम्बरी दौरे के पश्चात् बना था। जहां तक मेरी जानकारी में आया है कि उक्त ट्यूबवैल को

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

मंदिर कमेटी द्वारा बन्द करवाया गया है जब कि आये दिन ग्रामीणों का प्रतिनिधि मण्डल मुझसे बन्द ट्यूबवैल को चालू करवाने के सम्बन्ध में मिलता रहता है तथा मेरे द्वारा उनको लगातार उक्त ट्यूबवैल को चालू करने का आश्वासन दिया जा रहा है। इस ट्यूबवैल पर सरकार का खर्च किया गया रुपया बन्द होने के कारण बेकार ही जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस ट्यूबवैल को प्रथमतः अच्छे तकनीकी अभियन्ता द्वारा दिखवाया जावे, उसके पश्चात् वहां पर अवस्थित तीन कुण्डों के पानी से जमीन के अंदर कनेक्शन हो जावे तो इस ट्यूबवैल में पानी आ जावेगा, जब कि उस ग्राम में लगे और ट्यूबवैलों में पानी आ रहा है।

दिनांक 26 जनवरी, 2008 को माननीया पर्यटन राज्य मंत्री, श्रीमती ऊषा पूनिया को भी इस स्थिति से अवगत करवाया गया था, अतः कृपया ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त ट्यूबवैल को चालू करवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि विधान सभा क्षेत्र सीकर में अवस्थित शाकम्बरी में पानी की समस्या को दृष्टिगत रखने हुए बन्द ट्यूबवैल को चालू करवाने हेतु संबंधित को आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र सराधना।

## चौमूं तहसील के ग्राम सामोद में ''सार्वजनिक प्याऊ बन्दौल'' के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने बाबत

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत आपका ध्यान चौमूं तहसील के ग्राम सामोद में 'सार्वजनिक प्याऊ बन्दौल' के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने बाबत् ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चौमूं तहसील में ग्राम सामोद में स्थित खसरा नम्बर 1609, 1610, 1611, 1615, 1619, 1620 किता 6 रकबा 2.81 हैक्टेयर तथा 1626 रकबा 1.64 हैक्टेयर की खातेदारी अब तक राजस्व रिकार्ड में ''सार्वजनिक प्याऊ बन्दौल'' जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र नारायण दास ब्राह्मण व्यवस्थापक के नाम दर्ज रही है। यह नाम राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से जगदीश चन्द्र के

(श्री रामचन्द्र सराधना)

नाम दर्ज किया गया जब कि जगदीश चन्द्र तत्समय ग्राम सामोद के सरपंच थे और उनके उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस भूमि की देखरेख करने के कारण राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से बतौर व्यवस्थापक अपना नाम दर्ज करवा लिया। सार्वजनिक उपयोग की इस बन्दौल (सामोद तहसील चौमूं) की 18 बीघा बेशकीमती भूमि के शुरूआती खरीददारों में समुद्र सिंह, श्रीमती निशा कमठान पत्नी श्री धर्मेन्द्र कमठान, अतुल कुमार गर्ग, आईएएस, के परिजन हनुमान प्रसाद गर्ग वगैरह शामिल रहे। संघर्ष समिति ने इन लोगों के अलावा महादेव माली और बाबूलाल माली आदि भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस थाना चौमूं में 1 जनवरी, 2007 को मुकदमा दर्ज कराया।

पूर्व में कई दिनों कोर्ट केस चले, परन्तु मौके पर धर्मशाला, पेयजल कुई, मंदिर, विश्राम चबूतरे और यात्रियों के लिए तिबारी जो मौके पर आज भी मौजूद है, सार्वजनिक उपयोग में काम आ रही है, इस कारण इस भूमि पर किसी का कब्जा नहीं हो सका और आज तक सार्वजनिक उपयोग में आती रही है।

पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण 25 जनवरी, 2007 को सामोद क्षेत्र के लोगों ने आम बंद रखकर विरोध प्रकट किया और 5 फरवरी, 2007 को चौमूं के तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी डा. एस.पी. सिंह के राजस्व न्यायालय ने बन्दौल जमीन को विवादित माना व सामोद थाना प्रभारी को जमीन का रिसीवर नियुक्त किया। 19 मई, 2007 को सामोद के निवासियों व बन्दौल बचाओ समिति की ओर से मुख्य मंत्री निवास तक पदयात्रा की गई व मुख्य मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया। 19 सितम्बर, 2007 को ग्राम सामोद के निवासियों व बन्दौल बचाओ समिति की ओर से विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया गया। 25 सितम्बर, 2007 को सामोद बंद व चौमूं-अजीतगढ़ मार्ग बंद कराया गया। वर्तमान में भी इस ग्राम की जनता व बन्दौल बचाओ समिति आंदोलनरत है। आम जनता का आक्रोश कभी भी विस्फोटक स्थिति धारण कर सकता है। सरकार राजनैतिक दबाव में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में इस मामले में मौन धारण किए हुए बैठी है।

वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार चौमूं के खिलाफ उक्त भूमि बाबत ऐसा कोई स्थगन आदेश नहीं है कि वे इस भूमि को जन प्रयोजनार्थ दर्ज न कर सकें। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से अनुरोध है कि वे उक्त भूमि की खातेदारी में

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जगदीशचन्द्र शर्मा पुत्र नारायणदास शर्मा व्यवस्थापक का नाम हटाकर उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में ''सार्वजनिक प्याऊ बन्दौल'' के नाम दर्ज करायी जाए ताकि इस भूमि का उपयोग सार्वजनिक हित में हो सके और आम जनता में व्याप्त असंतोष दूर हो सके। साथ ही इस भूमि का राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से दर्ज करने के मामले की जांच का आदेश भी प्रदान करें।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री जुबेर खान।

## सहकारी बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में नियुक्ति बाबत

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2005 में बैंकिंग सहायक, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कम्प्यूटर आपरेटर आदि पदों हेतु आवेदन मांगे गये थे। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदकों ने अपनी प्राथमिकता के जिलों का उल्लेख अपने आवेदन पत्र में किया था। किन्तु चयनित होने के पश्चात् उनका पदस्थापन ऐसे जिलों में कर दिया गया जिसके लिये अभ्यर्थी ने आवेदन ही नहीं किया था। इसके साथ ही विज्ञप्ति में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि चयनित अभ्यर्थी को पद के अनुरूप वेतनमान ही दिया जावेगा, जब कि चयन के पश्चात् उन्हें मूल वेतन के स्थान पर समेकित वेतन ही दिया जा रहा है।

इस प्रकार शीर्ष सहकारी बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का उल्लंघन कर अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की प्राथमिकता वाले जिले/गृह जिले में रिक्त होते हुए भी सुदूर जिलों में नियुक्ति दी गई। इस प्रकार से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के मूल जिले, मांगे गये जिला तथा पदस्थापन के स्थापन में काफी असमानता है। साथ ही इन नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दर्शाये गये मूल वेतन एवं अन्य सुविधाओं के स्थान पर बिना अख़बार में निकाले ही दो वर्ष के परिवीक्षाकाल में एक समेकित वेतन दिया जा रहा है। नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को अपने परिवार व समाज से दूर रहकर सरकारी सेवा हेतु दूरस्थ जिलों में जाना पड़ा, जिससे इनकी पारिवारिक परिस्थितियों में काफी विषमता उत्पन्न हो गई है, जिससे इन नियुक्ति पाये अभ्यर्थियों में काफी तीव्र आक्रोश है एवं मानसिक रूप से ये

(श्री जुबेर खान)

बहुत ही परेशान है। क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने का विचार रखती है जिसके द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले जिलों में से किसी में पदस्थापित किया जा सके?

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान इस लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

## विनिमय प्रकरणों पर आबंटन तिथि से छह माह में आवेदन करने का आदेश

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के तहत विनिमय प्रकरणों पर आबंटन तिथि से छह माह के भीतर आवेदन करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

**(समय : 13.40 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)**

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि किसान को कृषि भूमि के किये गये आबंटन का अन्य किसान को भी आबंटन किये जाने या नहर, सड़क अथवा वन विभाग में भी आ जाने के प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है तथा इस हेतु आवेदन करने की समय सीमा की भी कोई बंदिश पूर्व में नहीं थी लेकिन अभी हाल ही में (जनवरी, 2008) राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसके कारण ऐसे विनिमय प्रकरणों के निस्तारण हेतु आबंटन तिथि से छह माह के भीतर आवेदन किये जाने का आदेश जारी किया गया है जब कि उक्त आदेश के जारी होने से उन किसानों के प्रकरण भी उक्त समिति के समक्ष नहीं रखे जा रहे हैं जिनके आबंटन को उक्त आदेश जारी होने की तिथि से पहले ही छह माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि किसान द्वारा सूचना के अभाव अथवा अन्य कारणों से विनिमय हेतु आवेदन करने में विलम्ब हो जाने के कारणों के दृष्टिगत उक्त आदेश में संशोधन करवा कर समय सीमा की बंदिश हटवाने की कृपा करें जिससे समयावधि व्यतीत हो जाने के कारण विनिमय हेतु आवेदन करने से वंचित सैकड़ों काश्तकारों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री लालचन्द कटारिया। (अनुपस्थित) श्री भरत सिंह।

## डोडा पोस्त के किसानों व उपभोक्ताओं का शोषण करने बाबत

**श्री भरत सिंह** (दीगोद): सभापति महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत राज्य सरकार द्वारा अफीम की खेती करने वाले कृषकों को डोडा पोस्त का कम दर से भुगतान करने वहीं डोडा पोस्त के उपभोक्ता को अत्यधिक मूल्य पर बेचान कर किसानों व उपभोक्ताओं, दोनों का ही शोषण करने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 'अफीम' एक ऐसी फसल है जिसके मूल्य को भारत सरकार का नारकोटिक्स विभाग तथा डोडा पोस्त के खरीद मूल्य को राज्य सरकार का आबकारी विभाग निर्धारित करता है।

डोडा पोस्त की खरीद राज्य सरकार के आबकारी विभाग के माध्यम से की जाती है। अफीम तथा डोडा पोस्त दोनों का ही नशे के लिए उपयोग प्रदेश में किया जाता है। बाजार में इनकी मांग अत्यधिक होने व सरकार द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य बाजार मूल्य से कम होने के कारण प्रदेश में नारकोटिक्स से सम्बन्धित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हाड़ोती संभाग में स्मैक व उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में गरीब लोग डोडा पोस्त के नशे के आदि हो गये हैं। राजस्थान में वर्ष 2007-08 में डोडा पोस्त के 29,433 व्यसनियों को 50 रुपये वार्षिक शुल्क वसूल करके आबकारी विभाग द्वारा परमिट जारी किये गये हैं। बड़ी संख्या में बिना परमिट के भी उपभोक्ता डोडा पोस्त को ब्लैक में खरीद कर नशा करते हैं। राज्य सरकार अफीम की खेती करने वाले किसानों को डोडा पोस्त 50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद करती है। इसी डोडा पोस्त पर राज्य सरकार के द्वारा आबकारी शुल्क, परमिट फीस, लाइसेन्स फीस व वैट लगा कर उपभोक्ता को रुपये 621 प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। विक्रय हेतु निर्धारित दर किसानों से खरीद दर से 12.5 गुना अधिक है। राज्य सरकार मुनाफाखोरी करके किसान व उपभोक्ता दोनों का ही शोषण कर रही है। आवश्यकता है कि किसानों को डोडा पोस्त की खरीद दर 250 रुपये प्रति किलो तय की जावे तथा उपभोक्ता को डोडा पोस्त रुपये 300 प्रति किलोग्राम पर बेचा जावे। इस व्यवस्था से किसान व उपभोक्ता दोनों को ही लाभ होगा।

जहां तक राज्य सरकार को राजस्व हानि का सवाल है, तो यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खरीद की गई कुल अफीम की कीमत का 50 प्रतिशत मूल्य परचेज टैक्स के रूप मे वसूल करती है। यह राशि लगभग 9 करोड़ रुपये है।

(श्री भरत सिंह)

राज्य सरकार का सोच यदि गरीब उपभोक्ताओं को नशे की लत से बचाने का है तो फिर राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से अफीम की खेती पर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। वर्तमान में राज्य सरकार अफीम व डोडा पोस्त पर अत्यधिक राजस्व प्राप्त करके नारकोटिक्स अपराध को बढ़ावा दे रही है। सरकार किसान व उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रख कर डोडा पोस्त की खरीद दर को बढ़ावे तथा बेचान दर को कम करे। धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री नन्दलाल पूनिया।

## ग्राम बालाण तहसील राजगढ़ की पाठशाला का नाम कारगिल शहीद सत्यवान के नाम रखे जाने की मांग

**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर): सभापति महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत ग्राम बालाण की शाला का नाम शहीद के नाम से करने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, ग्राम बालाण ग्राम पंचायत खेरू बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू का सत्यवान पुत्र श्री गोपाल मेघवाल 31 दिसम्बर, 1999 को युद्ध के दौरान कारगिल में वीर गति को प्राप्त कर शहीद हो गया था। युद्ध के दौरान सत्यवान बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर शहीद हुआ था।

उस दौरान बालाण ग्राम के प्राथमिक शाला का नाम शहीद सत्यवान के नाम से घोषणा की गयी थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है। उक्त शाला का नाम शहीद के नाम से न हो, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं क्योंकि उक्त शहीद एक मेघवाल परिवार का है इसलिए दूसरे समाज के प्रभावशाली लोगों के कारण शाला के नाम का नामकरण नहीं हो सका। शहीद के पिता ने काफी प्रयास भी किये, उच्च अधिकारियों से भी मिला लेकिन अभी तक नामकरण सत्यवान के नाम से नहीं हो सका है।

सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि जब राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि यदि कारगिल युद्ध के दौरान कोई शहीद होगा तो उस गांव की शाला का नाम उस शहीद के नाम से किया जायेगा, उक्त शहीद सत्यवान एक दलित मेघवाल समाज से है इसलिए शाला का नाम उसके नाम से नहीं किया गया। यह सारे मेघवाल समाज के साथ सरकार ने

(श्री नन्दलाल पूनिया)

अन्याय किया है। शहीद के नाम से नामांकित शाला नहीं करना शहीद के साथ अन्याय है। उक्त शहीद के नाम से अन्य दूसरी संस्था का नामकरण भी नहीं हुआ है।

अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि अतिशीघ्र शहीद सत्यवान के नाम शाला का नाम करने की कृपा करें। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री बनवारी लाल शर्मा।

## धौलपुर जिले में पत्रकारों को भूखण्डों का आबंटन

**श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) : सभापति महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत राजस्थान भू-खण्ड अधिनियम, 2001 से 2 अक्टूबर, 2001 से लागू किया गया था, के अन्तर्गत पत्रकारों को राजधानी में व जिला मुख्यालयों पर भू-खण्ड देने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कांग्रेस शासन काल के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रेस अधिनियमों में संशोधन करते हुए पत्रकारों को राजधानी जयपुर सहित जिला मुख्यालयों पर रियायती दरों पर भू-खण्ड उपलब्ध कराने का नियम पारित किया गया था। उसी के साथ विज्ञापन अधिनियम 2001 बनाते हुए उल्लेख किया था कि स्थानीय समाचार पत्रों को अधिक से अधिक विज्ञापन दिये जायेंगे परन्तु सम्पूर्ण जिले में धौलपुर जिले को छोड़ कर अन्य जिलों के पत्रकारों को भू-खण्ड उपलब्ध करा दिये हैं।

सभापति महोदय, धौलपुर जिले के पत्रकारों का अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा बीमा नहीं किया गया है ना ही अधिस्वीकरण कार्ड जारी किये जा रहे हैं। आज जिले के सभी पत्रकार परेशान हैं। कई बार जिला प्रशासन से लेकर सरकार के मंत्रियों से कह चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही राजस्थान सरकार व प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। अभी धौलपुर के पत्रकारों को इस सुविधा के लिए कितना इन्तजार करना पड़ेगा? सरकार यह जवाब दे कि धौलपुर के पत्रकारों के साथ यह अन्याय कब बन्द कर उन्हें भू-खण्ड दिये जायेंगे? धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री कैलाश त्रिवेदी।

## पेयजल स्कीम ठंचकीया बांध हेतु अलग से विद्युत लाइन डाले जाने बाबत

**श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा): सभापति महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सोनियाणा, जबरीकीयां, कारोई, मेंगरास व लसाडिया कलां में पेयजल आपूर्ति हेतु ठंचकीया बांध पर कुओं का निर्माण किया गया है तथा इन सभी कुओं पर विद्युत मोटरें 10-15 हार्स पावर की लगी हुई हैं जिनसे इन गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इन कुओं पर विद्युत आपूर्ति चित्तौड़गढ़ जिले के पहुंना ग्रिड से की जाती है और यह विद्युत लाइन पहुंना से लसाडियां कलां होती हुई ठंचकीया बांध पर पहुंचती है किन्तु इस विद्युत लाइन से जिन-जिन गांवों में से यह लाइन गुजरती है वहां के काश्तकारों को कृषि कनेक्शन दिये हुए हैं एवं करीब चार-पांच किलोमीटर लम्बी यह विद्युत लाईन है जिसके कारण से पहुँना से ठंचकीया बांध तक आते-आते इस विद्युत लाइन में 200-250 वोल्टेज रह जाता है जिसके कारण ठंचकीया बांध की पेयजल स्कीम के सभी कुओं की मोटरें ठठ ही नहीं सकती हैं और यदि ठठ भी जाएं तो बार-बार ट्रिप होकर बंद हो जाती हैं और सोनियाणा, जबरीकीयां, कारोई, मेंगरास व लसाडिया कलां में पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। यहां तक कि सोनियाणा ग्राम में तो 2 मार्च, 2008 से आज तक पेयजल की आपूर्ति ही नहीं हो पायी है जिसके कारण वहां पर पेयजल की भीषण किल्लत हो रही है और ग्रामवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से पेयजल मंत्रीजी से अनुरोध है कि इन पांचों ग्रामों की जो पेयजल स्कीम ठंचकीया बाँध पर है उसके लिए अलग से विद्युत की लाइन डाली जाय और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि यह लाइन केवल मात्र पांचों ग्राम की पेयजल स्कीम के लिए ही उपयोग में ही जाय तथा इस पर किसी भी प्रकार का अन्य विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाय जिससे कि इन पांचों ग्राम को पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध हो सके और वर्तमान में इन ग्रामों में पेयजल की समस्या के कारण ग्रामवासियों को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसका भी निराकरण हो सके। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री हरिसिंह रावत।

## भीम में नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार

**श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : सभापति महोदय, मैं नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में आर.पी.एस.सी. के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) राजसमंद एवं सीआरसीएफ भगवान सिंह के द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में गत वर्ष आर.पी.एस.सी. के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति में भारी भ्रष्टाचार किया गया, जिसके कुछ उदाहरण नीचे प्रेषित कर रहा हूं।

सभापति महोदय, जब आर.पी.एस.सी. से नियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) के पास नवनियुक्त शिक्षक पहुंचा और प्रथम नियुक्ति आदेश दिये गये तो पता चला कि यह विद्यालय तो सड़क साधन से दुरस्त क्षेत्र में है। तो उक्त शिक्षक वापस जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचता है एवं अपनी व्यथा सुनाता है तो अपने बेरोजगार पुत्र से मिलने की बात कहता है कि, जाओ, मेरे पुत्र से मिल लो, तुम्हारा काम हो जायेगा। जैसे ही उनका सौदा तय हो जाता था, और एक या दो सप्ताह में पुनः संशोधन आदेश जारी हो जाता था।

सभापति महोदय, जब यह शिकायत जिलाधीश कार्यालय में पहुंची तो जांच की गयी, जांच में दोषी पाया जाने पर राज्य सरकार के शासन उप सचिव शि.(ग्रुप-2(वि.क्र.1(152)शि-2/2007 दिनांक 02.11.2007 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतिक्षा तक मुख्यालय उप निदेशक कार्यालय, उदयपुर किया गया। लेकिन जैसे ही पता चला उक्त अधिकारी ने छुट्टी ले एवं जयपुर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से स्टे ले लिया और वापस पदस्थापित हो गया और वापस भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, पैसे दे जाओ और अपना मन पसन्द स्थानान्तरण ले जाओ, क्योंकि मैं तो अगस्त में वैसे ही सेवानिवृत्त हो रहा हूं।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार में खुद तो लिप्त है, साथ ही अपने सगे भांजे को भी भ्रष्टाचार के लिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक होते हुए तृतीय श्रेणी के पद पर सर्व शिक्षा अभियान कार्य योजना कार्यक्रम में सी.आर.सी.एफ., भरतवा के पद पर लगा दिया जो कि पहले से ही अजीतगढ़ पंचायत के खीमातो का भाड़िया स्कूल में दोषी पाया गया एवं जांच के दौरान 60240 रुपये के झूठे

(श्री हरीसिंह रावत)

बिल देकर राशि हड़प ली, फर्श पर कोटा स्टोन लगाना था वहां पर सीमेंट का फर्श बना दिया। शौचालय एवं अन्य कार्यों में अनियमितता करना पाया गया, उसके उपरान्त भी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) मोहन सिंह ने सी.आर.सी.एफ. भरतवा लगा दिया एवं पुनः विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से सम्पर्क कर विद्यालय में भवन निर्माण कराना है तो 15 प्रतिशत दे जाओ और निर्माण आदेश ले जाओ। जब यह शिकायत की गयी तो तत्काल सी.आर.सी.एफ. पद से हटाया गया। जैसे ही स्थानान्तरण का आदेश मिला तो जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल फोन पर सूचना दी कि तुम मेडिकल अवकाश पर चले जाओ, जब तक तुम्हारा स्टे नहीं करवा देता ड्यूटी पर मत आना।

सभापति महोदय, तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी ने जयपुर में अपने वकील से सम्पर्क कर स्टे आदेश दिला दिया और वापस जैसे ही स्टे मिला ड्यूटी जोइन कर ली। क्या सरकार में ऐसा भी कोई नियम है कि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार करे और दोष सिद्ध हो जाए तो दोषी कर्मचारी किश्तों में वो राशि जमा करवा देता है एवं उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है?

अतः मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि तत्काल दोनों भ्रष्ट मामा एवं भांजे के स्टे को निरस्त करा कर उनके साथ सख्त कानूनी कार्यवाही करा कर दोषियों को सज़ा दिलावें ताकि भविष्य में अन्य कर्मचारी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सके। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री जीतमल खांट।

## माही बजाज सागर परियोजना का विस्तारीकरण

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत माही बजाज सागर परियोजना के विस्तारीकरण सिंचित क्षेत्र में धोरों के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं वर्तमान पदों को यथावत रखने बाबत निवेदन है कि बागड़ क्षेत्र की जीवन प्राण माही बजाज सागर परियोजना के विस्तारीकरण एवं माही की बूंद-बूंद पानी का सदुपयोग करने को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा समय-समय की गई घोषणाओं के अनुरूप वर्ष 2008-09 के बजट घोषणा में निम्नलिखित परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं :-

(श्री जीतमल खांट)

1. भूंगड़ा नहर का विस्तार कर खगेरा नहर का निर्माण।
2. माही बांध के दांये छोर से निकलने वाली पीपलखूंट हाई लेवल केनाल का निर्माण।
3. माही बांध के सेडम डेम नम्बर 1 से अपन हाई लेवल केनाल का निर्माण।
4. 4 माही बेसिन के अधिशेष जल का उपयोग करने हेतु माही बेसिन का एकीकृत मास्टर प्लान तैयार कराया जाए।
5. माही सिंचित क्षेत्र में 4000 किमी. धोरे निर्माण के लक्ष्य के विपरीत शेष 3292 किमी. धोरों का निर्माण बकाया है।

उपरोक्त कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व ही माही परियोजना के वर्तमान स्वरूप में 118 पद वर्ष 2008-09 से समाप्त किये गये हैं (पृष्ठ संख्या 118 आय-व्ययक अनुमान 2008-09 अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग की वेतन श्रृंखलाएं एवं भत्ते आदि, अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग का मदवार विवरण खण्ड 4 माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008) । जो निम्नानुसार है :-

| 27- | **माही परियोजना (वाणिज्यिक) जनजाति उपयोजना** | **स्वीकृत पद** | |
|---|---|---|---|
| | | **2007-08** | **2008-09** |
| 1. | 01 इकाई संख्या 1 बांध नियमित कर्मचारी | 36 | 36 |
| | वर्कचार्ज कर्मचारी | 53 | 53 |
| 2. | 05 इकाई संख्या 2 नहरें, नियमित कर्मचारी | 304 | 186 |
| | वर्कचार्ज कर्मचारी | 736 | 1011 |
| | | 1129 | 1011-18 |

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अभी हाल ही हुई घोटिया अम्बा एवं मानगढ़ धाम यात्राओं के दौरान भी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए माही परियोजना के वर्तमान स्वरूप को यथावत रखते हुए माही विस्तारीकरण की कार्य योजनाओं की क्रियान्विति का आश्वासन दिया गया है। ऐसी स्थिति में माही के 118 पदों की कटौती इस क्षेत्र के विकास कार्यो को अवरूद्ध करने के साथ ही जन असन्तोष को बढ़ावा देगी।

(श्री जीतमल खांट)

अतः माही बेसिन के जल उपयोग के लिए मुख्य अभियन्ता, माही को अधिकृत करने, सिंचित क्षेत्र में बकाया धोरों के निर्माण (3292 किमी.) कार्य को प्रारम्भ करने तथा माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए माही के वर्तमान पदों को यथावत रखा जाना आवश्यक है।

**श्री सभापति**: श्री मोहन मेघवाल।

## जोधपुर अस्पताल की जमीन वन विभाग को देने का प्रस्ताव

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य किया है वह वास्तव में सराहनीय है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण राज्य में नए-नए चिकित्सालय खोलने की दिशा में भी ठोस कार्य किये जा रहे हैं। कई चिकित्सालयों में पलंगों की संख्या व चिकित्सकों के पदों को बढ़ाकर प्रदेश की जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में राहत पहुंचाई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मथुरादास माथुर राजकीय चिकित्सालय की स्थापना जोधपुर शहर एवं जोधपुर संभाग की बढ़ती चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पृष्ठभूमि में रखकर की गई थी। जिस हेतु नगर विकास न्यास जोधपुर व राजस्थान सरकार ने ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 720 की 249 बीघा भूमि में से कुछ भूमि आबंटित की गई थी। इस खसरे की शेष भूमि पर जोधपुर की वर्तमान की सबसे मंहगी शास्त्रीनगर आवासीय योजना न्यास द्वारा दशकों पूर्व बसाई गई थी। एम डी एम हेतु आबंटित इस भूमि पर चिकित्सा विभाग द्वारा उक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य करवाया गया एवं वर्तमान में इस चिकित्सालय में मेडिकल, आर्थोपेडिक्स, सर्जिकल, फिजियो थैरेपी की एक-एक यूनिट तथा न्यूरोसर्जिकल, मनोचिकित्सा, नाक-कान-गला, चर्म रोग एवं कैंसर जैसे गम्भीर रोग के सम्पूर्ण विभाग की सेवाएं पूरे संभाग को दी जा रही हैं। इस चिकित्सालय में वर्तमान में कार्डियो थोरोसिक सर्जरी यूनिट का निर्माण भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय जनता व पूर्व में चल रहे महात्मा गांधी चिकित्सालय व उम्मेद महिला चिकित्सालय में जगह की कमी को देखते हुए जिले के विधायकों अन्य जन प्रतिनिधियों व प्रबुद्धजनों ने समय-समय पर स्त्री

(श्री मोहन मेघवाल)

व शिशु रोग की इकाई, मेडिसन की इकाई, गायनिक एवं पेडिकेटिक यूनिट आदि खोलने की मांग कर रहे हैं।

जहां तक मेरा विश्वास है कि ये वांछित सुविधाएं भी सरकार शीघ्र प्रदान करेगी तथा भविष्य में और भी जो सुविधाएं संभाग के रोगियों के लिए विकसित की जानी हैं वह इस अस्पताल परिसर में ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अस्पताल में यह सम्भव नहीं है। यानि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में उपलब्ध भूमि भी कम पड़ेगी ऐसी मेरी आशंका है।

मान्यवर, मैं यह सब इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस अस्पताल परिसर में से एक हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने का फरमान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया है। जो किसी भी लिहाज से जोधपुर ही नहीं अपितु पूरे सम्भाग के लिए उचित नहीं है। वन विभाग इस एक हैक्टर भूमि पर अपना कार्यालय आदि निर्मित करना चाह रहा है। मान्यवर यह एक गम्भीर समस्या उत्पन्न करने वाला विषय है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के उक्त फरमान की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों से जिस दिन आम जनता को मिली है उस दिन से आम जन में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो निश्चित ही एक विस्तृत आंदोलन का रूप तो लेगा ही परन्तु जोधपुर में चिकित्सा का विस्तार भी रुक जाएगा। इस संबंध में मैंने स्थानीय अधिकारियों से भी फौरन जानकारी प्राप्त की तो यह बताया गया कि यह भूमि तो आज भी वन विभाग के नाम ही दर्ज है।

माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं भली भांति परिचित हैं कि शास्त्री नगर एवं एम डी एम अस्पताल आज तो विकसित हुए नहीं हैं। यदि मात्र राजस्व अभिलेख के आधार पर ही एक हैक्टर भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है तो भविष्य में इस सम्पूर्ण खसरे की भूमि भी वन विभाग को हस्तांतरित की जा सकती है। जो मेरी नजर में तो सम्भव लगता नहीं है। क्योंकि शास्त्री नगर में तो हजारों बंगले व कोठियां निर्मित हैं तो यह वन विभाग के नाम पर तलवार मात्र चिकित्सालय पर ही क्यों गिरी?

मेरा निवेदन माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं चिकित्सा मंत्रीजी से इतना ही है कि मात्र राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती का भुगतान यह चिकित्सालय ही क्यूं भुगते? मेरा निवेदन यह भी है कि जोधपुर शहर में और भी कई ऐसी बस्तियां एवं कच्ची बस्तियां हैं जो राजस्व

(श्री मोहन मेघवाल)
अभिलेख के अनुसार आज भी वन विभाग के नाम दर्ज हैं। इन बस्तियों को बसे दशकों वर्ष हो चुके हैं। यदि इसी प्रकार हस्तांतरण का कार्य चलता गया तो एक दिन आधा जोधपुर शहर उजाड़ना पड़ेगा।

अतः आशा करता हूं कि सरकार जोधपुर शहर की इस गम्भीर समस्या का समाधान उसी प्रकार निकालेगी जिस प्रकार से जयपुर के आमेर की तलहटी में बसी बस्तियों को वन भूमि से मुक्त करा कर नियमित कर आमजन को राहत पहुंचायी है। इसके पूर्व अविलम्ब चिकित्सा विभाग के फरमान पर रोक लगायी जावेगी। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री अशोक नागपाल विधायक कोष से अभिशंसित कार्यों की स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यों के निर्माण में देरी होने के सम्बन्ध में।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुददे

## विधायक कोष से अभिशंसित कार्यो की स्वीकृति में देरी

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि विधायक कोष की राशि हमारे द्वारा अभिशंसित कर दी जाती है। अभिशंसा करने के छह-छह माह तक उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकाली जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में वित्तीय स्वीकृति निकालने में टी एस पैंडिंग या अन्य के नाम पर फिर एक-एक साल निकाल दिया जाता है और वित्तीय स्वीकृति निकलने के बाद भी आज एक-एक साल हो चुका है उन कार्यों को अभी तक वह पूरे नहीं हुए हैं। मैंने अभी जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से इस सम्बन्ध में जब मेरा 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 का लेखा जोखा लिया तो उसमें आज लाखों रुपये के ऐसे कार्य हैं जो कि दो-दो वर्ष के बाकी पड़े हैं।

पूर्व में इस तरह की बात यहां कई बार उठी भी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि अभिशंसा करने के बाद कितने समय में उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निकलनी चाहिये। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वित्तीय स्वीकृति के बीच में कितना समय होना चाहिये और

(श्री अशोक नागपाल)

वित्तीय स्वीकृति निकलने के बाद उसकी कार्यकारी एजेन्सी द्वारा वह कार्य कितने समय में पूर्ण होना चाहिये? उसमें कोई भी दिशा-निर्देश जो हैं लेकिन उन पर कभी भी गौर नहीं किया जाता। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा और इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि आप जिला परिषद्, श्रीगंगानगर का पूर्णतः एक बार रिकार्ड जांच करायेंगे तो आपको इसमें घोर अनियमितताएं मिलेंगी मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा।

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी): आदरणीय सभापति महोदय, एक इसमें मेरा सुझाव और है। जो पी एच ई डी को पैसे दिये जाते हैं एम एल ए लैड से उनमें तो और भी ज्यादा भयंकर अव्यवस्था है। 12-12 महीने, डेढ़-डेढ़ साल तक पाइप नहीं पहुंचते क्योंकि व्यवस्था यह है कि वह जयपुर से स्वीकृति मिलकर वापस वहां जाए उसके बाद पाइप लेकर, मतलब दो साल तक लग जाते हैं तो इसमें भी पी एच ई डी को पैसे देते हैं एम एल ए कोटे से। तो जहां पानी की समस्या रहती है, बाढ़ रहती है और वह पैसे दो साल तक नहीं लगे तो अच्छी बात नहीं। उसमें भी कुछ सुधार किया जाए।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने विधायक कोष के समय पर खर्च नहीं होने और कार्यों के समय पर सम्पादन नहीं होने के बारे में चिन्ता प्रकट की। इस बारे में पहले यहां कई बार चर्चा हुई है। कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये और उसमें यह निश्चित तथ्य सामने आये कि माननीय सदस्य की अनुशंसा के बाद काम पूरा होने में भी देरी होती है और अनुशंसा होने के बाद स्वीकृति में भी देरी लगती है। तो हमारे यहां से निर्देश जारी किया और इस विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों की स्वीकृति के लिये योजना में दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 3(3) में प्रावधान किया कि अभिशंसा के 45 दिन में प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी। प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिन में, तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद 25 दिन में और वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद 10 दिन में। यह हमने निर्देश जारी कर रखा है। कर दिये।

लेकिन उसके बाद भी कई बार शिकायतें आती रही हैं और कई शिकायतें आने के कारण इस सदन में काफी चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद

(श्री कालूलाल गुर्जर)

माननीय सभापति महोदय, इस पर मार्च महीने में जब विधान सभा का बजट सत्र था तब राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि इस मामले में मुख्य मंत्रीजी को कोई सिस्टम डवलप करना चाहिये ताकि समय पर कार्य हो। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक आश्वासन दिया और उस आश्वासन के आधार पर राज्य स्तरीय एक कमेटी बनायी गयी। वह कमेटी मेरी अध्यक्षता में बनी। उस कमेटी में माननीय सदस्यों को सदस्य बनाया गया। माननीय सभापति महोदय, 1.3.2007 को इस कमेटी का गठन किया गया और इसमें माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, रामकिशोरजी मीणा, जीतरामजी चौधरी, डा. ओ पी महेन्द्रा, श्री जोगारामजी, श्री नरेन्द्रजी नागर और डा. सी.पी. जोशी साहब इसके मैम्बर हैं। हर तीन महीने में हम मीटिंग करते हैं, इसकी मानीटरिंग करते हैं। इसके साथ ही हमने चूंकि यहां से तो हो गयी मानीटरिंग लेकिन दिक्कत तो वहां जिला स्तर पर काम पूरे नहीं होते उसमें थी इसलिये हमने जिले की भी एक कमेटी बनायी जिला स्तर की। कलक्टर की अध्यक्षता में यह बनायी। उसमें भी यह प्रावधान रखा कि मीन महीने में मीटिंग होगी और माननीय विधायकों की जो अनुशंषाएं हैं उन पर त्वरित गति से कार्यवाही हो तो इसके लिये माननीय सदस्यों को भी उस पर सारे विधायकों को कमेटी में भी मैम्बर बना रखा है।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला स्तर की कमेटी में जब तक आप स्वयं उस मीटिंग में पधार कर प्रभावी नहीं करेंगे तब तक यह दिक्कत हमारे सामने आयेगी। माननीय सभापति महोदय, इसमें दिक्कत यह आती है कि माननीय सदस्य देते हैं अनुशंसा। अनुशंसा के बाद यदि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जारी करने में देरी होती है तब तो हमारे अधिकारी पकड़ में आते हैं। हम उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हैं लेकिन ए एस जारी करने के बाद टी एस जारी होने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि अन्य विभाग को जिस विभाग से आप काम कराते हैं उसमें भेजते हैं टी एस के लिये तो वह टी एस बनाने में उनको देरी लगती है। कभी-कभी वह विभाग लापरवाही करते हैं इस कारण से भी देरी होती है।

दूसरा यह कि बीच में जैसे आपने 50,000 रुपये किसी काम के लिये स्वीकृत किये और वहां जाने के बाद यह लगता है कि यह 50,000 का काम नहीं है, यह तो 70,000 का होगा तो पुनः वह पत्र लिखते हैं। फिर माननीय

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सदस्य को सूचित करते हैं। फिर यह यहां पर 70,000 की अनुशंसा करते हैं तब टी एस वहां से फिर बनकर आती है, फिर जारी होती है इसलिये भी देरी होती है।

एक कारण यह भी है कि माननीय विधायक कई बार अनुशंसा कर देते हैं और ए एस जारी हुई, टी एस जारी नहीं हुई उसके पहले वापस अनुशंषा बदलकर स्थान को चेंज कर देते हैं या अनुशंसा बदल देते हैं उससे भी देरी होती है।

एक इसलिये भी देरी होती है कि आपने कोई सामुदायिक भवन बनाने के लिये दे दिया। अब उस पंचायत के पास जमीन नहीं है या जमीन ऐसी सूटेबल नहीं जहां वह बने या कोई विवाद हो जाए, कई बार कोर्ट में भी चले जाते हैं तो इस कारण से देरी होती है।

लेकिन मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे विभाग के अधिकारियों की ओर से कहीं भी अगर लापरवाही रहती है तो उस पर हम कार्यवाही करते हैं।

माननीय सदस्य ने जो अभी कहा कि इनके यहां पर कई काम बकाया हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं माननीय सदस्य को सूचित कर रहा हूं सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह अनुशंसाएं देरी से देने के कारण भी काम देरी से होते थे तो हमने यह कर दिया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा करके कि 31 दिसम्बर तक जो माननीय सदस्य अनुशंसा नहीं देंगे उनके पैसे लैप्स हो जायेंगे और मैं सदन को सूचित करता हूं कि इस बार जिन माननीय सदस्यों ने समय पर नहीं दिया ऐसे 14.25 लाख रुपये की राशि सरकार में जब्त हो गयी।

अब आपका जो सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया इसके बारे में मैं बता देता हूं ... (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): नाम बताओ।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नाम बताऊं क्या? नाम बता देता हूं। एक तो बारां अटरू में 25,000 रुपये हमारे माननीय मंत्री महोदय के लैप्स हुए। बांसवाड़ा कुशलगढ़ के 3,000 रुपये, बूंदी, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य 27,000, नैनवां से आने वाले के

(श्री कालूलाल गुर्जर)

16,000, डूंगरपुर के 10,000 रुपये, प्रोपर डूंगरपुर के विधायक महोदय के ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके यहां ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरे नहीं हुआ एक भी। जयपुर के बनीपार्क में 1.21 लाख रुपये, बस्सी के 3,000, दूदू के 26,000 रुपये, जमवा रामगढ़ के 1,000 रुपये, इस तरह 1.51 लाख रुपये इनके हैं। जालौर में 5.89 लाख रुपये, भीनमाल के 69 हजार रानीवाड़ा के 5.20 लाख रुपये और दूदू से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ज्यादा विधान सभा में बोलते हैं कि हम यह कर दें, वह कर दें, इनके खुद के ही 6 लाख और 4 हजार रुपये लैप्स हुए हैं। इस तरह से कुल 14 लाख 25 हजार रुपये लैप्स हुए हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक सैकण्ड ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, प्लीज बैठिये, आप बात सुन लो पहले। नहीं, प्लीज बैठिये, लैट मी कम्प्लीट प्लीज ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मैं मेरी बात तो कह दूं ना ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरे को आप मेरी बात कह लेने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मैं मेरी बात तो कह दूं ना, मेरा नाम आया है इसमें ...(व्यवधान) 27 हजार में मेरा नाम आया है ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरे का आप पहले पूरा करने दीजिये, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): हमारे परबतसर का भी बता दें माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़): मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, पहले आप सुनिये, पहले आप सुनिये, यह कोई प्रश्नोत्तरी का समय नहीं है।

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): माननीय मंत्री महोदय, परबतसर का भी बता दें ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, इनको बैठायें, इनका कोई अंकित नहीं करें ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मेरे पास डीआरडीए से फोन आया था कि आपने पहले ही ज्यादा अनुशंसा कर दी हैं, अब आप कोई अनुशंसा नहीं करें ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, इनको आप बैठायें ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे कम्प्लीट करने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी): सभापति महोदय, इसी से संबंधित एक समस्या मेरी है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप लोग सब बिराज जायें, मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य तो पूरा करने दीजिये ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप पूरा सुन लें, उसके बाद यदि कोई बात हो तो बता दें।

**श्री सभापति**: जब वह पूरा कर लें ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, जहां तक सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इनकी जो अनुशंसा हुई 2004-05 में 56 कार्य थे और 56 ही पूरे हो गये। 2005-06 में 89 कार्य थे वह भी पूरे हो गये, 2006-07 में 90 कार्य थे और उनमें से 55 कार्यों की स्वीकृति हुई थी, 51 कार्य पूरे हुए और दो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं और दो कार्य प्रगति पर हैं यानि दो कार्य पूरे हाने वाले हैं और दो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं और प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं, चूंकि अभी यह मामला उठा है, उसकी जानकारी मुझे नहीं मिली परन्तु कोई न कोई ऐसा काना होगा या तो कोर्ट का स्टे होगा या स्थान नहीं मिला होगा या जो भी है, मैं माननीय सदस्य को कि यह दो कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ हुए इसके बारे में जानकारी अभी करके थोड़ी देर बाद दे दूंगा।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सभापति महोदय, 2007-08 में इनके 78 कार्य थे जिसमें से 67 की स्वीकृति थी और 15 कार्य अभी चल रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): सभापति महोदय, सवाल यह नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: इस विषय पर किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नहीं होगा, आप लोग बिराज जायें, पहले मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिये ...(व्यवधान) आप लोग कृपया करके बिराज जायें ...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं, अभी गंगानगर में यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हो रहा है ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): सत्ता पक्ष के सदस्य भी परेशान हैं ...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): सभापति महोदय, निकलने में देरी हो रही है गंगानगर में विशेषकर के ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप लोग बिराज जायें ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मेरी बात को पूरा तो करने दीजिये, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप बैठें तो सही ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: You all kindly take your seats. Please.

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): सभापति महोदय, कोई सुनने वाला नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप भी बिराज जायें Let the Minister conclude.

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): इस मंत्रालय का हाल-बेहाल है ...(व्यवधान) सत्ता पक्ष के लोगों की हालत यह है तो विपक्ष वालों की हालत क्या होती होगी ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बिराजिये, आप बिराजिये ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): कोई कंट्रोल नहीं है, मंत्री महोदय को दूसरे कामों से ही फुर्सत नहीं है। दूसरे कामों से ही फुर्सत नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपका कंट्रोल है कि नहीं खुद पर ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह क्या मामला है ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): सत्ता पक्ष के सदस्यों की स्थिति यह है तो हमारी क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, अंकित नहीं होगा यह ...(व्यवधान) सभापति महोदय मेरी समझ में नहीं आया, मैं जवाब दे रहा हूं और मेरा जवाब पूरा नहीं होता उसके पहले ही +++ लग जाते हैं, जैसे मेरे हाथों में कोई हलुवा पड़ा हुआ है जो मैं खिला दूं। सभापति महोदय, यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): सभापति महोदय, सदस्य बोल रहे हैं और उनके लिये कह रहे हैं कि +++ रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और क्या +++ ही रहे हैं और क्या कर रहे हो ...(व्यवधान) और क्या कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप भी +++ रहे हो, फिर आप भी +++ रहे हो ...(व्यवधान) सोच-समझकर के तो बोलो, कैबीनेट मंत्री हो आप, कैबीनेट मंत्री हो ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): सभापति महोदय, इस तरह से नहीं होगा यह चिल्लाने की बात ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, इस तरह से डेरोगेट्री रिमार्क्स नहीं करेंगे ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: Let him conclude whatever he wants to say.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, माननीय सदस्य के लिए डेरोगेट्री रिमार्क्स नहीं करोगे मंत्रीजी ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: अगर ऐसा कोई रिमार्क्स किया है तो आप उसको एक्सपंज कर दें, अगर कोई ऐसा किया है तो ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): एक्सपंज करायें उसको, इनका नोट करवा लो ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैंने तो यह कहा कि +++ से कार्यवाही नहीं होगी, कार्यवाही हम कर रहे हैं, मैं तो यह कह रहा हूं ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह नहीं कहा, यह कहा कि +++ रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): आपको और कामों से ही फुर्सत नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप उठाकर के देख लें ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): आपको गिनने से ही फुर्सत नहीं मिलती, अंटे, गोले गिनने से ही फुर्सत नहीं है आपको ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह दूसरा असत्य बोल रहे हैं, एक असत्य को छिपाने के लिए दूसरा बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं, यह जवाब सुनें नहीं ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): यह क्या तरीका हुआ ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहली बात तो इनका प्रश्न नहीं है वह तो माननीय सदस्य ने पूछा उनको जवाब नहीं देता तो ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): आप तो सब को गटककर बिराज रहे हो ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप जिस विषय पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, मंत्रीजी जवाब तो देवें, पर यह कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है, जानकारी ही नहीं है तो जवाब क्यों दे रहे हैं, बिराजें ना फिर ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको नहीं है जानकारी ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप ही कह रहे हैं अपने वक्तव्य में कि मुझे जानकारी नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): हम तो संतुष्ट हो गये बिना उसके ही ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मेरा आप सबसे निवेदन है कि apart from keeping parliamentary language in mind you should also keep the parliamentary character in mind.

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): सभापति महोदय, गंगानगर जिले में विशेष रूप से षड्यंत्र के आधार पर किसी सदस्य का यहां नाम नहीं उल्लेख करना चाहता, यह लड़ाई है, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेन क्या चीज है ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरी बात तो पूरी सुनें आप ...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): वहां की जिला परिषद के माध्यम से माननीय विधायकों को टार्चर किया जा रहा है। आप इसके बारे में देखें ...(व्यवधान) जिला परिषद के लोग ...(व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): कमीशन मांगकर के पैसे पास करते हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पर्ची के माध्यम से उठाये हुए किसी विषय पर इस तरीके से वाद-विवाद की मैं परमिशन नहीं दूंगा it will be limited to what the Hon'ble Member has said and in case if he has named somebody in particular that man can give his explanation. That I will allow. In case if he has named somebody in particular. आप बिराजिये otherwise I will not allow any debate on this. हां, तो आप बिराजें If your name has been mentioned I will give you the permission. आप बिराजें।

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, क्या यह कहा गया कि ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट मुझे कम्प्लीट करने दो ...(व्यवधान) मेरी बात तो सुन लें ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: Why are you so excited? Let him conclude. I will give a chance again.

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कोई सुनेगा ही नहीं मेरी बात को ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलें, बोलें ...(व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि इसमें 15 काम की स्वीकृति हुई है या कितने पूरे नहीं हुए उसमें अगर किसी की गलती है तो मैं जांच करवा लूंगा।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि गंगानगर जिला परिषद में इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं मैं उसकी पूरी जांच करा लूंगा, सब विधायकों की अनुशंसा की जांच करवा लूंगा। जो भी दोषी होगा सबको सज़ा दी जायेगी। हमें क्या तकलीफ है इसमें।

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि मेरे द्वारा अनुशंसा देरी से दी जाती है, जब से आपका पत्र आया है उसके बाद अनुशंसा अक्टूबर में दे दी थी। 80 लाख रुपये जो विधायक कोष से हमें मिलते थे उसके बदले में मैंने 1 करोड़ 16 लाख की अनुशंसा दी। जो कि 10.12.2007 को यह जिला परिषद के द्वारा मुझे स्टेटमेंट दिया गया। उसके बावजूद भी काम आज तक पूरे नहीं हो रहे हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): लो।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): डेढ़ वर्ष पहले के मेरे कार्य अब शुरू हुए हैं। 80-90 लाख के डेढ़ वर्ष के अब शुरू हुए हैं।

**श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़): सभापति महोदय, 13.12.2006 स्वीकृत कार्यों के पैसे उस संस्था को मिल चुके हैं, वह काम भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, स्टार्ट भी नहीं हुए हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: हरिमोहनजी शर्मा His name in particular was mentioned. आप बिराज जायें ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): सभापति महोदय, सूचना माननीय मंत्री महोदय ने यह दी है कि मेरे हिण्डौली क्षेत्र में मैंने विधायक कोष से 27 हजार रुपये की कम अनुशंसा की। वह सूचना माननीय मंत्री महोदय के पास बिलकुल गलत आधार पर, असत्य आधार पर है। मैंने जितना मुझे मिलता था उससे भी लाख, दो लाख रुपये ज्यादा की अनुशंसा की है और मुझे खुद डीआरडीए से कहा है टेलीफोन करके कि अब आप मत करना अनुशंसा, आपका एक्सेस जा रहा है और फिर यह सूचना आ गयी।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): ज्यादा कैसे कर सकते हैं आप, ज्यादा कैसे कर सकते हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): हालांकि मामला 27 हजार का ही है, कोई विशेष बात नहीं है लेकिन सूचना गलत है।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आपने ज्यादा क्यों की, ज्यादा क्यों की ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): ज्यादा कैसे कर सकते हो आप, ज्यादा नहीं कर सकते हैं ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपने यह प्रश्न उनसे तो नहीं पूछा, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 1 करोड़ 26 लाख की कर दी।

**श्री सभापति**: श्री रामलाल शर्मा।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, आप यह कहते हैं कि यह सूचना गलत है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

**श्री सभापति**: ऐसे जो-जो माननीय सदस्य हैं जिनके नाम आपने लिये हैं अगर उनके पास सूचना इसके विपरीत है तो आप अपने स्तर पर दिखवा लें और सम्मानीय सदस्य का जिनका नाम लिया गया है, अगर उनकी सूचना आपके पास में भिन्न है तो आप To debate for 20 minutes on one slip it can not be allowed. How can you use the Floor of the House which is not permitted according to the Rules? According to the rules it is not permitted.

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट, प्लीज ...(व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): परबतसर और नागौर जिले का भी बता दें ...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): पूरे सदन का यह टाइम बाउण्ड बता दें, विधायक की अनुशंसा जारी होने के कितने दिन बाद स्वीकृति जारी हो जायेगी, इतना सा ही करना है और क्या करना है ...(व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): कितने दिनों में काम शुरू हो जायेगा ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सूचना आपके पास में है और जो सूचना माननीय सदस्यों के पास में है उसमें कोई अंतर है तो आप अपने स्तर पर लेकर के प्रत्येक सदस्य को आप सेटिसफाई कर दें। (व्यवधान)

**श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): मंत्री महोदय करवाते हैं क्या? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: I will not allow that. Don't force the Chair to take the strict action. I will not allow that.

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा गया है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं बहुत आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं, I can not allow something which is not within the purview. No. I will not allow that in case if you have to say something say it in one minute and pin point it. Say it in one minute pin pointed, but I would not take it as a precedence. It should not be taken as a precedence.

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): 61वां सैकण्ड भी नहीं लूंगा। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, राज्य सभा के मैम्बर्स को कोटा मिलता है, लोक सभा मैम्बर्स को कोटा मिलता है लेकिन लैप्स नहीं होता है तो एम एल एज का कोटा लैप्स क्यों हो रहा है, नम्बर वन। नम्बर टू..

**श्री सभापति**: How can you pick this issue? No. This is relevant. I can not allow a subject matter which is not within the purview. No. I will not allow that. In this case I can not allow. That is a very difficulty for the Chair.

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): मुझे बोलने दीजिए। (व्यवधान) यह सारे एम एल एज केसेज की बात है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब आप विराज जाएं। I will not allow it on the Floor of the House.

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): प्रश्नकर्ता ने नहीं मंत्री ने कहा है। (व्यवधान) वह लैप्स हो गया है। (व्यवधान) यह वक्तव्य हाउस की प्रोपर्टी है माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: You have made your point. So I think it is well taken. Thank you very much. Thank you very much. मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं Sir I can not allow. Please don't force me. I will not allow Sir please. I can not allow this thing to be happened. I will not. Let the Floor of the House be use for the purpose where there is no such precedence. Thank you very much. कृपा करके आप विराज जाएं।

माननीय रामलालजी शर्मा, चौमूं बाइपास के सम्बन्ध में।

## नेशनल हाइवे नम्बर 11 पर चौमूं बाइपास का जल्द निर्माण

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान चौमूं बाइपास की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का नेशनल हाईवे पर स्थित चौमूं कस्बा जिसकी आबादी आज लगभग

(श्री रामलाल शर्मा)

80-90 हजार हो चुकी है। चौमूं के अलावा छोटे-छोटे कस्बे जिनमें रींगस है, श्रीमाधोपुर है, खण्डेला है, इन कस्बों के अंदर बाइपास निकले काफी वर्ष हो चुके हैं लेकिन लगभग 20-25 साल से चौमूं कस्बे में रहने वाले सभी लोग और यहां के जनप्रतिनिधि इस बात की मांग करते रहे हैं कि चौमूं में राधास्वामी बाग़ से लेकर हाड़ौता तक जो प्रस्तावित बाइपास है वह बाइपास निकलने से इस कस्बे की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस चौमूं कस्बे में लगभग 4 महाविद्यालय हैं, 8 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, एक अनाज मण्डी है, एक फल-सब्जी मण्डी है जहां चौमूं तहसील ही नहीं आसपास की तहसीलों के किसान भी सब्जी विक्रय करने के लिए आते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चारा मण्डी है। इन सब भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जो वर्षों से लम्बित है, जहां किसानों को मुआवजा मिल चुका है, नेशनल हाईवे अथोरिटी भूमि अवाप्त कर चुकी है और अवाप्ति के बाद, किसानों को मुआवजा मिलने के बाद, पूरा पजेशन लेने के बाद, 20-25 साल की समस्या का आज भी निदान नहीं हो सका।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज सदन में माननीय मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि एक निश्चित अवधि के तहत इस चौमूं बाइपास का निर्माण कार्य शुरू होगा और इतना आश्वासन मिलने के बाद माननीय मंत्रीजी, यह बहुत बड़ी समस्या है और माननीय मंत्रीजी खुद इस बात से पीड़ित हैं। इस नेशनल हाइवे पर जो दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें जो व्यक्ति घायल होते हैं, लगभग आधा घण्टे उस चौमूं के अंदर जाम लगने, प्राथमिक उपचार न होने की वजह से कई लोग काल के ग्रास में जा चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा कि निश्चित अवधि के अंदर इस हाइवे का बाइपास निर्माण शुरू होगा। धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने चौमूं बाइपास की बात की है। माननीय सभापति महोदय, एन एच डी पी, तृतीय, ए में जयपुर से रींगस सेक्शन जो 54 किलोमीटर का बनना प्रस्तावित है, जिसमें 343 करोड़ की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लागत आएगी, इसमें चौमूं बाइपास, चौमूं कस्बा नेशनल हाईवे 11 के किलोमीटर 262, राधास्वामी बाग़ से लेकर हाड़ौता गांव तक प्रस्तावित है और इस पर 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी, निश्चित तौर पर माननीय सदस्य का कहना ठीक है क्योंकि चौमूं के अंदर राष्ट्रीय राज मार्ग निकलता है उससे कई बार यातायात बाधित भी होता है, कई बार जाम भी लगता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसकी निविदाएं हमने प्रारम्भ कर ली हैं, निविदाएं निमंत्रित कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी महीने, अप्रैल, 2008 के अंदर निविदाएं ले रहे हैं और सितम्बर माह के अंदर 70 करोड़ की लागत से चौमूं बाइपास निर्माण का कार्य हम प्रारम्भ करेंगे और इसके लिए हमने 3 करोड़ रुपए भूमि अवाप्ति के लिए मुआवजा वितरित करने का काम प्रारम्भ कर दिया है, 3 करोड़ में 2 करोड़ 92 लाख का अवार्ड जारी हो चुका है और सिर्फ कुछ ही अवार्ड बाकी है, वह अवार्ड देने के बाद इसका निर्माण कार्य विधिवत रूप से निविदाएं आमंत्रित करके शीघ्र ही करेंगे।

## जोधपुर शहर में सीवरेज पाइप लाइन बदलना, सड़कों व नालियों को दुरुस्त करना

**श्री सभापति**: श्रीमती सूर्यकांता व्यास, जोधपुर शहर में बदहाल सीवरेज पाइप लाइनों को बदलना, नालियों एवं नगर परिषद क्षेत्राधिकार में सड़कें दुरुस्त करने बाबत।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर शहर की ओर दिलाना चाहती हूं। जोधपुर शहर एक पुराना बसा हुआ शहर है। जोधपुर शहर में इतनी तंग गलियां होते हुए भी वहां पर जिस तरीके से सीवर लाइन डाली जा रही है, न तो इसका कोई मास्टर प्लान है, न इसको व्यवस्थित ढंग से काम कराने का जोधपुर नगर निगम, नगर परिषद का कोई चार्म है। वह जहां मर्जी आए वहां डालते रहते हैं। मैं यह चाहती हूं कि जोधपुर नगर निगम एक सिस्टेमेटिक ढंग से या तो कोई मास्टर प्लान बनाए कि जोधपुर शहर के अंदर किस तरीके से सीवर लाइन की व्यवस्था हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अंदर गोल बिल्डिंग, एक बहुत ही चौड़ा रास्ता है फिर भी वहां पर आए दिन गटर का पानी बहता रहता है और पहले हर समय क्या होता था कि यह कह देते कि पाइप का पानी चल रहा है लेकिन पाइप लाइन की व्यवस्था सारी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सिस्टेमेटिक ढंग से हुई है, हम एम एल एज को ले जाकर सारा वहां के अधिकारियों को दिखा कर पाइप लाइन की व्यवस्था ऐसी की गई है कि पाइप लाइन के बारे में तो कोई भी शिकायत नहीं कर सकता है। मगर वहां सीवरेज लाइन की समस्या आ रही है, जैसे कि जालौरी गेट, जहां बहुत बड़े-चौड़े चार रास्ते हैं, फिर भी वहां पर आए दिन पानी भरता रहता है या तो कोई सफाई नहीं करता या सीवर लाइन छोटी है। इसी तरह कंदोई बाजार है, कपड़ा बाजार है, सोजती गेट है, खाण्डा फलसा है, सिवांची गेट है, गोल बिल्डिंग है, शास्त्री नगर है, जो इतनी जबर्दस्त हाई क्लास की कालोनी है और वहां इतने बड़े-बड़े बंगले बने हुए हैं फिर भी वहां सीवर लाइन की बहुत भारी तकलीफ है। इसी तरह मोती चौक है, हर जगह आप जहां कहीं भी जाएं, एक-एक नाम लूं तो अभी काफी हो जाएगा ।

माननीय सभापति महोदय, वहां ट्यूरिस्ट का इतना आना जाना होता है, आजकल हर घर में और विशेष तौर पर शहर के अंदर इतनी अच्छी-अच्छी हवेलियां हैं जो आजकल ट्यूरिस्टों के खोली जा रही है, वहां जैसे तूरजी के झालरे के पास, ट्यूरिस्ट इतने आते हैं लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि वह मुझे घर से लेकर गए, वह दिखाने के लिए, यह स्थिति हो गई है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर की आप क्या व्यवस्था करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से जोधपुर शहर की सड़कों की स्थिति के बारे में मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने कुछ सड़कें ऐसी दी हैं जिसमें पी डब्ल्यू डी उन सड़कों को ठीक कर रही है मगर मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि नगर निगम के पास कोई इतने बड़े कांट्रेक्टर भी नहीं हैं जो कि ऐसी व्यवस्था को ठीक कर सकें। मैं चाहूंगी कि आप किसी अच्छे कांट्रेक्टर से यह काम कराएं। जैसे अभी खरबूजा बावड़ी का काम है वह पानी की निकासी का काम है, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, छह महीने से यह फाइल चल रही है, कह रहे हैं कि हो जाएगा, कब हो जाएगा यह पता नहीं। इस तरह वातावरण गंदा होता है।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर पर्यावरण मंत्रीजी नहीं हैं। मैं एक सवाल उनसे भी करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अंदर तीन अस्पताल हैं। मथुरादास माथुर अस्पताल के पास जो जमीन है, 1965 के अंदर जो कि उस

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)
हॉस्पिटल के लिए दी गई है, अब 40 साल के बाद इन पर्यावरण वालों को याद आ रहा है कि हमारी वह जमीन है जब कि हमको वहां पर हास्पिटल में काफी डवलपमेंट करना है। अभी जो सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी हैं वह खुद हैल्थ मिनिस्टर रहे हुए हैं, वहां की स्थिति जानते हैं कि वहां की क्या स्थिति है और कितना वहां करना है क्योंकि शहर का तो विकास होना चाहिए और जोधपुर शहर के इस अस्पताल में पश्चिमी राजस्थान के पूरे लोग वहां आते हैं, मगर वहां भी सीवर लाइन की यह स्थिति है। अब पर्यावरण वालों ने इस जमीन को ले लिया है। माननीय मंत्रीजी, मैं यह चाहूंगी कि अभी आप इस बात के लिए मुझे विश्वास दिलाएं कि एक तो सीवर लाइन ठीक हो, सड़कें ठीक हों, नालियां ठीक हों, पर्यावरण मंत्रीजी हैं नहीं तो मैं यह चाहूंगी वह अपनी कोई बात कहें कि जो जमीन सरकार पर्यावरण के लिए ले रही है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट ले रहा है उसके ऊपर रोक लगायी जाए। मैं दोनों मंत्रियों से जवाब चाहूंगी, अगर पर्यावरण मंत्रीजी नहीं हैं तो सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इसका उत्तर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी मंत्रीजी अपनी कुछ बात कहें।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने जोधपुर नगर निगम के चारदीवारी क्षेत्र में सीवरेज, नाली और सड़क के बारे में सदन में जिक्र किया। इनका कहना वाजिब है वहां सीवर लाइन 1970 में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाली गई थी और 1989 में वो नगर निगम को हैंड ओवर हुई और 1989 के बाद में माननीय सभापति महोदय, जहां-जहां खराब थी 9 इंच की डाली गई थी वहां पर डेढ़ फीट की, मैं आपको बता दूं कि एक तो स्टेडियम से हाथीराम का होडा तक 9 इंच की सीवर लाइन को बदलकर 1.5 फीट कर दी और नरसिंहदड़ा से सोजती गेट वाया कबूतरों का चौक तक सीवर लाइन एक फुट की थी वो 15 लाख की लागत से नई डाल दी, डेढ़ फुट की कर दी। सोजती गेट से माणक चौक तक 27 लाख का वित्त कमेटी को भेजा हुआ है और वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। राज क्लिनिक से हाथीराम का होडा तक 9 इंच की थी उसको डेढ़ फीट की करने के लिए 27 लाख की स्वीकृति के लिए वित्त कमेटी को भेजा हुआ है वो भी हो जाएगी।

इसके अलावा घण्टाघर से साइकिल बाजार तक पहले 9 इंच की डाली थी उसको डेढ़ फीट करने के लिए 32 लाख रुपये का वित्त कमेटी को भेजा हुआ है वो भी हो जाएगी।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मैं माननीय सदस्या को निवेदन करता हूं कि आप इस बात पर एश्योर रहें जोधपुर शहर किस तरह सुंदर रहे और सीवरेज लाइन की व्यवस्था किस प्रकार सुचारू रूप से चले इसके लिए जो 800 किलोमीटर की सीवरेज लाइन डाली हुई है और 150 एमएम से 1100 एमएम तक की है उसके रखरखाव के लिए 6.7 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है और यह तीन साल तक सीवर लाइन किस प्रकार से सुरक्षित रहे, किस प्रकार उसका रखरखाव रहे वह नहीं फूटे, उसमें किसी प्रकार की कोई दूसरी गड़बड़ न हो इस बात के लिए 6.7 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की हुई है।

मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूं कि आप निश्चित रहें। इसके अलावा भी जैसे उम्मेद चौक से साइकिल मार्केट, उम्मेद चौक से कंदोई बाजार, कंदोई बाजार से हाथीराम का ओडा, हाथीराम का ओडा से मेड़ती गेट, सिवानी गेट से खांडा फलसा, सोजती गेट से त्रिपोलिया बाजार, गुलाब सागर राजमहल स्कूल तक, सिवानी गेट से सोजती गेट, कबूतरों का चौक से पोकरण हवेली चांदीहाल तक, राज क्लिनिक से हाथीराम का ओडा, पुंगल नाडा से जालोरी बारी वाया कबूतरों का चौक, तीजा माता मंदिर से सोजती गेट बाटा शाप तक यह सीवर लाइन बदलने और मरम्मत का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाएगा।

इसके अलावा जोधपुर शहर में सिवांची गेट से खांडा फलसा, सोजती गेट से त्रिपोलिया बाजार, महावीर प्याऊ से राजमहल, सिवांची गेट से सोजती गेट, कबूतरों का चौक से पोकरण हवेली चांदी हॉल तक यह जो नालियां हैं उनकी भी मरम्मत जल्दी से जल्दी करा दी जाएगी। इसलिए मैं माननीय सदस्या को एश्योर करता हूं जो मैंने कहा है कि आपके जोधपुर में पर्यावरण की दृष्टि से और किसी प्रकार का खतरा न हो ऐसी व्यवस्था करने के हमने नगर निगम को निर्देश जारी कर दिये हैं और चेष्टा करेंगे कि वहां का वातावरण शुद्ध रहे और अच्छे से अच्छा नागरिक अपना जीवन जीये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मुझे जवाब दिलवाओ कि होस्पिटल की जमीन का क्या होगा? आप खुद हैल्थ मिनिस्टर रहे हो और आपका देखा हुआ है यह सारी जमीन होस्पिटल के नाम से दी हुई है, फिर भी फोरेस्ट वाले उसके ऊपर अपना कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं? जोधपुर बहुत बड़ा है कहीं भी फोरेस्ट वाले आफिस खोल देंगे। माननीय सभापति महोदय, मुझे ..(व्यवधान)

**श्री सभापति**: क्योंकि यह विषय पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): पर्यावरण मंत्रीजी नहीं हैं तो .. (व्यवधान)

**श्री सभापति**: यह विषय आप पर्यावरण मंत्रीजी तक पहुंचा दें, वे इसको देखेंगे।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर): मैंने पर्यावरण मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी, सब को ज्ञापन दिया है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या की भावनाओं से पर्यावरण मंत्रीजी को अवगत करा दूंगा। यह समस्या इस तरह की पेचीदगी लिये हुए है, इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है।

**श्री सभापति**: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मदन राठौड़।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर भी वहां का चिकित्सालय पुराना बना हुआ है, उसकी जमीन यदि वन विभाग के नाम से दर्ज है तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है कानून के दायरे में निश्चित तौर पर करेंगे।

**श्री सभापति**: श्री मदन राठौड़, लगातार बढ़ रही महंगाई को रोकने के कारगर उपाय के संबंध में।

## लगातार बढ़ रही महंगाई को रोकने के कारगर उपाय के सम्बन्ध में

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। आज देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसे रोकने में केन्द्र सरकार पूर्णतया विफल रही है। मुद्रास्फीति पर भी केन्द्र सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया है। जब देश में एनडीए का शासन था तब मुद्रास्फीति की दर 2.53 थी जो आज बढ़कर 5.3 हो गई है। ये हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बहुत खुश हो रहे हैं कि केन्द्र के बजट में किसानों को कुछ राहत दी गई, लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब केन्द्र का बजट प्रस्तुत किया गया तो मुद्रास्फीति की दर 4.1 परसेंट थी जो मात्र 30 दिन में अभी 5.3 परसेंट हो गई है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसकी दर बढ़ रही है।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): सभापति महोदय, इस बजट से देश बर्बाद हो जाएगा, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, ये प्रतिपक्ष वाले समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसा घटिया बजट आज तक केन्द्र में कभी पेश नहीं हुआ। अब की बार इस तरह का बजट पेश हुआ। इतनी महंगाई बढ़ती तो देश बर्बाद हो जाएगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपका कहना यह है कि 60 हजार करोड़ का ऋण माफ करने से मुद्रास्फीति बढ़ गई। आप यह कहना चाहते हो क्या?

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): यह नहीं कह रहा हूं, आप गलत समझ रहे हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): और क्या कह रहे हैं आप? बजट के बाद यही तो आपका कहना है।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): मैं क्या कहना चाहता हूं वह सुनिए।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): बजट पेश हुए इतने दिन हुए इतनी महंगाई बढ़ गई पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, उस पर ध्यान नहीं है।

**श्री सभापति**: आदरणीय, आप जो माननीय सदस्य कहना चाह रहे हैं उनके वक्तव्य में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह कतई नहीं कह रहा हूं जो हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने उद्धृत किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश में एनडीए का शासन था तो मूंग दाल का भाव 16 रुपये था जो आज बढ़कर 42 रुपये हो गया है और जनवरी, 2005 में 30 रुपये था बजट के बाद 42 रुपये हुआ। यही नहीं, अरहर बजट के समय 35 रुपये था जो आज 46 रुपये हो गया। चने की दाल एनडीए के शासन के समय जनवरी, 2004 में 16 रुपये थी जो जनवरी, 2008 में 29 हुई जो आज 40 रुपये हुई। मसूर दाल का भाव जनवरी, 2004 में 25 रुपये था जनवरी, 2008 में 39 रुपये हुआ, आज 52 रुपये हो गया।

इसी प्रकार से सोयाबीन के तेल का भाव 630 रुपये प्रति टिन था जो जनवरी, 2008 में 1100 हुआ, आज 1230 रुपये हो गया। आम उपभोक्ता के बजट पर इन्होंने हमला करने का प्रयास किया है। केन्द्र का कोई अंकुश नहीं रह गया है।

सभापति महोदय, जो चीनी जनवरी, 2004 में 11 रुपये थी आज 20 रुपये हो गई। साबुन का जो 14 रुपये था 27 रुपये हो गया। नमक 5 रुपये

(श्री मदन राठौड़)

था आज 10 रुपये हो गया। यानी किस प्रकार से भाव बढ़ रहे हैं, आम उपभोक्ता परेशान है उसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको रोकने के कारगर प्रयास करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पैट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं इस पर भी केन्द्र सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। 16 दिसम्बर, 2003 को जो डीजल का 21 रुपये 85 पैसे का भाव था इन्होंने 9 बार भाव बढ़ाये जो आज बढ़कर 34 रुपये 13 पैसे हो गया है। इन्होंने 16 जून को बढ़ाया 2004 में और 5.11 को बढ़ाया, 21.6 को बढ़ाया, 7.9 को बढ़ाया। इस प्रकार से लगातार ये भाव बढ़ाते रहे। पैट्रोल के भाव 16 दिसम्बर, 2003 को 34 रुपये 60 पैसे था जो 48 रुपये 59 पैसे हो गये हैं। इतना पेट्रोल का भाव बढ़ गया।

इसी प्रकार से सभी पर भाव बढ़ते गये। केन्द्र सरकार का किसी भी प्रकार से इस बढ़ती महंगाई पर कोई अंकुश नहीं रहा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य हैं इनका कोई प्रभाव है तो वहां पर थोड़ा दबाव डालें, नहीं तो मैं यह चाहूंगा कि एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।

यह आप देखिए, ऑल कमोडिटीज के होलसेल भाव 2001 में 3.6 प्रतिशत थे जो अभी 5 प्रतिशत हो गये। यानी 155.7 था वो आंकड़ा अभी 205 पर पहुंच गया है। यही नहीं, प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं उसका 2.8 परसेंट था जो अभी बढ़कर 6.7 परसेंट हो गया है। मैं 2001 की तुलना कर रहा हूं 2006-07 से।

सभापति महोदय, यही नहीं जो कंज्युमर प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में थोड़ी चिन्ता करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर जो पहले 3.8 था 2001 में जो अभी 6.8 हो गया है। थोड़ा इस पर विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से बढ़ती जा रही है महंगाई, यही नहीं, यह आपकी इन्फ्लेशन रेट जो है, जो शहरी क्षेत्रों के नागरिक हैं, उन पर 5.5 था जो अभी 6.2 हो गया है, 371 से बढ़ कर के आंकड़ा 482 तक पहुंच गया है। यही नहीं, ग्रामीण मज़दूरों पर कृषि मज़दूरों पर भी इसी प्रकार का प्रहार लगातार हो रहा है। सभापति महोदय, दवाइयों के भाव आज आम मरीज के खरीद क्षमता से बाहर हो गये हैं, यह स्थिति बन गई है। किसी भी प्रकार से केन्द्र सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, मैं आपके माध्यम से और मैं सदन से भी निवेदन करुंगा

(श्री मदन राठौड़)

कि एक इस प्रकार का प्रस्ताव भी पारित किया जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार पर दबाव बने और वह मुद्रास्फीति को रोके। यह महंगाई की जो लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है, आम गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर इन्होंने हाथ साफ करने का जो षड्यंत्र किया है। इस प्रकार का जो प्रयास इनका चल रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से भी केन्द्र सरकार की निंदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने किसी भी प्रकार के अंकुश की कभी कोशिश नहीं की। आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो भी है, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने, अब मैं राज्य सरकार से शुरू कर रहा हूं इसलिए आपको साजिश, राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक सैल गठित कर रखा है जो लगातार बाजार के भावों की मानीटरिंग के बारे में और उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है उसके बारे में विचार करता रहता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी 27 फरवरी, 2007 को आदरणीय प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा जिसमें इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और यह भी कहा है कि ए.पी.एल. परिवारों के लिए और उनके लिए जो राशन मिलता है उसमें वृद्धि की जाए। माननीय सदस्यों से मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो खाद्य मंत्रालय है उसकी जो प्राइस मानीटरिंग कमेटी है उसने यह कहा है, माननीय सभापति महोदय, कि मई, 2004 के मुकाबले मूंग 118 परसेंट, उड़द में 82 परसेंट ...(व्यवधान) आटे में 44 परसेंट, सीमेंट में 39 एवं स्टील में 39 परसेंट की वृद्धि हुई है। गेहूं में जून, 2005 के मुकाबले 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो यह लगातार जो भाव बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है और राज्य सरकार के पास में भावों को नियंत्रित करने का ज्यादा कारगर उपाय नहीं है, उदाहरण के लिए खाद्य जो तेल है उनके भाव बढ़े हैं और भारत सरकार ने अभी तीन दिन पहले उनके बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर यह प्रतिबंध पहले होता तो भाव रुक सकते थे तो आम तौर पर, मूल रूप से महंगाई को नियंत्रित करने का उदाहरण के लिए आज देश भर में खाद्यान्नों से संबंधित एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं, वह एक तरह से स्टेंड स्टील हो गये हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और काम बढ़ रहे हैं और लगातार 4 साल से, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट में कहा है कि खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही है और इसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गिरावट हो रही है, यह बहुत चिंता की बात है। देश के सामने इस समय गेहूं का संकट है, बाहर सारा का सारा गेहूं जो खरीद रही है भारत सरकार, उसकी कीमत बढ़ गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भारत सरकार से भी एक पत्र खाद्यान्न विभाग को, राजस्थान को मिला कि हम आपको जितना गेहूं देते हैं, बी.पी.एल. परिवारों का, मुझे चिंता हो रही है इसलिए सदन को निवेदन कर रहा हूं, उसका 50 परसेंट ही हम आपको देंगे और 50 परसेंट वह और ए.पी.एल. को आप गेहूं देते हो वह आप विदेश से आयात कर लो और जो पैसा लगेगा वह भारत सरकार दे देगी तो हमने उनको कहा, किस भाव पर करें तो भारत सरकार ने कहा 1400 के भावों पर आप इसको आयात कर लो, हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि राज्य के पास आयात करने का कोई ढांचा नहीं है, हम आयात नहीं कर सकते, अगर यह 1400 रुपये के मूल्य में ही हम राजस्थान के किसानों से यह गेहूं खरीद कर हमारे बी.पी.एल. और ए.पी.एल. परिवारों को दे सकते हैं और उसमें ज्यादा पैसा लगेगा तो राज्य सरकार वहन कर लेगी।

इसका भी जवाब, माननीय सभापति महोदय, हमारे पास यह आया कि नहीं, आप राज्य में नहीं खरीद सकते हैं, आपको बाहर से ही खरीदना पड़ेगा, राज्य में नहीं खरीद सकते हैं और इस कारण से हमने फिर मना कर दिया तो फिर भारत सरकार ने एक आदेश निकाला कि हम सभी जनरल मेनेजर जो फूड कारपोरेशन हैं, उनको आदेश दे रहे हैं कि वह केवल 50 परसेंट जो बी.पी.एल. का मिलता है, वह उसका 50 परसेंट ही राज्य सरकारों को सप्लाई करेगा और इसलिए अगले महीने से राजस्थान में बी.पी.एल. परिवारों को जो गेहूं मिल रहा है, वह भी हमारे सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। यह स्थिति इस समय है तो राशन में केवल हम चीनी, गेहूं और केरोसिन जो भारत सरकार से हमको उपलब्ध होता है, बी.पी.एल. परिवारों को देते हैं, ए.पी.एल. परिवारों को मिलने वाला गेहूं का कोटा सिर्फ 10 परसेंट हो गया है इसलिए माननीय सदस्य से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस संबंध में राज्य सरकार महंगाई को रोकने के लिए यथोचित कदम उठाने के लिए तैयार है लेकिन जब तक भारत सरकार की नीतियों में संशोधन नहीं होगा, भारत सरकार आवश्यक कारगर कदम नहीं उठाएगी तब तक मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करना बहुत मुश्किल है। यह सम्पूर्ण मध्यम वर्ग के लिए और अल्प वर्ग के लिए बहुत चिंता की बात है, चार साल से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसमें एक नारा लगा दिया है, देखो यू.पी.ए. का खेल, खा गई गेहूं, पी गई तेल ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): एक मिनट, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उससे हम सहमत नहीं हैं। (व्यवधान)...

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आपके सहमत होने से नहीं है। (व्यवधान) आप आम उपभोक्ता की चिंता करो।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह तो पूरे सदन की प्रोपर्टी है, यह क्या बात हुई? (व्यवधान) तो आप यू.पी.ए. का देखो खेल, एन.डी.ए. का देखो खेल (व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप आम उपभोक्ता की चिंता करो ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय मंत्रीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम ...(व्यवधान) राजस्थान में कंट्रोल की दुकानों का गेहूं ब्लैक में बिक रहा है ...(व्यवधान) यह राजस्थान की सहकारी दुकानों का गेहूं ब्लैक में बिक रहा है ...(व्यवधान) आपकी सरकार सेठों से मिली हुई है। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, राजस्थान में जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर नियंत्रण रखने के लिए आपने क्या उपाय किये हैं और दूसरी बात आप यह बताएं कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर 28 परसेंट और 20 परसेंट सरकार वेट ले रही है उसके कारण माल भाड़ा बढ़ा है और उसके कारण खाद्य पदार्थ महंगे हुए हैं। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और तीसरी बात यह है कि ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): यह बात समझें कि आम नागरिक कितना परेशान है ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 16 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): राजस्थान में पैट्रोल और डीजल की चौथाई कीमत राजस्थान सरकार ने बढाई है ...(व्यवधान) डीजल और पैट्रोल पर राजस्थान में वेट कम करें ...(व्यवधान) गेहूं और इसका सपोर्ट प्राइस यू.पी.ए. सरकार ने बढ़ाया है ...(व्यवधान) आपकी पार्टी कम कर रही है, किसानों को समर्थन मूल्य ज्यादा मिलना चाहिए...(व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): केन्द्र सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कोई नियंत्रण नहीं किया है ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट, किसानों को समर्थन मूल्य में तो एक ही समर्थन मूल्य में प्राइस बेंड की पालिसी अपनाई है जिस समय समान मूल्य के आधार पर बाजार में गेहूं आये ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं बोल लूं उसके बाद बोल लेना ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ज्यादा आए हैं तो आप खरीदवाइए और कम आए तो पैसा उपभोक्ता को सप्लाई करिए ...(व्यवधान) उसके लिए आप जिम्मेदार हो ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप बोल रहे थे तो हमने व्यवधान नहीं किया। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपके राज में तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ...(व्यवधान) आज सस्ती दुकानों की दरें पीडीएस सिस्टम आपका तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, महंगाई इसलिए बढ़ी है ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इस सिस्टम को तो आपने समाप्त कर दिया ...(व्यवधान) पीडीएस सिस्टम को तो भारत सरकार ने समाप्त ही कर दिया ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपकी लापरवाही से ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक भी भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है ...(व्यवधान) आज भारत सरकार ने सारे पीडीएस सिस्टम को समाप्त कर दिया, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): जिलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण हुआ है ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमको भारत सरकार सिर्फ 16 हजार मीट्रिक टन गेहूं दे रही है, सिर्फ 16 हजार मीट्रिक टन ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान) कृपा करके, एक बात आप सुनिए ...(व्यवधान) बिराजिए ...(व्यवधान) I want to ask a simple question. आप बिराजें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो फिर आप कह दो कि आप महंगाई बढ़ाने के पक्ष में हो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: The Chair wants to ask a simple question. आप बिराजें... (व्यवधान)... आसन पैरों पर है ...(व्यवधान) आप बिराजें, साहब, मंत्री महोदय, आप बिराजें. Do you require permission of the Chair to speak or not? Let there be some discipline in this House. I think, both the sections have made their points. It is well understood and well taken care of. Thank you very much.

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, बाकी रह गया है ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह सरकार बताए कि जब स्वयं सलाहकार मंडल ने 175 रुपये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मंत्रीजी के स्टेटमेंट के बाद हमको क्वेरी करने का अधिकार है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: इस मामले में डिबेट नेवर एंडिंग है। It cannot be concluded.

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की राजस्थान में? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: ...... आपकी संवेदनशीलता अच्छी तरह आन रिकार्ड है और आपकी भावनाएं इस प्रदेश की जनता और राष्ट्र की जनता तक पहुंच गई हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, विराजें।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, जब पक्ष और प्रतिपक्ष सहमत हैं तो महंगाई पर एक दिन की डिबेट होनी चाहिए। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): डीजल और पैट्रोल के ऊपर जो आपने 28 और 20 प्रतिशत टैक्स लगा रखा है उससे महंगाई बढ़ी है। उसको रोकने के क्या उपाय कर रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराज जाएं। थैंक्यू वैरी मच सर। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है उसको कब शुरू कर रहे हैं? (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप कल्ला साहब को कहें कि विराजें। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : इधर-उधर की बात मत किया करो। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: There is no point to get excited on it. Whatever cost one has to pay and when one is paying, they realize how dear the rupee has become and how expensive the commodities have become. Thank you very much. I think, it is well understood.

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, यह बहस का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा बहस का नहीं है। यह मुद्दा कमीशनखोरी का है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: We are all concerned. It is not that … we are all concerned about it. Thank you very much. Now my request to you is to kindly take your seats.

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, एक निश्चित अवधि के लिए महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। यह गरीब लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, जब राजस्थान सरकार को श्रम सलाहकार मण्डल ने न्यूनतम मजदूरी 175 रुपये करने की सिफारिश की तो क्यों नहीं की आपने 175 रुपये? क्यों नहीं की आपने? अगर आपको महंगाई की चिंता है तो आप मिनिमम वेज बढ़ाओ। बढ़ाओ मिनिमम वेज आप। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने कमीशनखोरी की चिंता की है। आपने राजस्थान के आम-अवाम् की कभी सोची नहीं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपको कोई चिंता नहीं है। यह सरकार घड़ियाली आंसू बहाना चाहती है और राजस्थान के मजदूरों का शोषण करना चाहती है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब आप विराज जाएं। There is no competition. There is no competition. Even those who have not spoken, their concerns are well recorded. Their intentions are well defined.  I am sure about it. Even those who have not spoken, we have registered their concern about rising prices.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह सरकार राजस्थान के मजदूरों का शोषण करना चाहती है। करिये आप 175 रुपये। घड़ियाली आंसू बहा रहे हो मजदूरों के लिए। (व्यवधान) क्यों नहीं बढ़ाते मजदूरी आप।

**श्री सभापति**: We take it in good stead. Thank you very much. विराजिये। आदरणीय सदस्य, विराज जाएं।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्यों नहीं बढ़ाते मजदूरी आप? 175 रुपये मजदूरी करें। श्रम सलाहकार मण्डल ने सिफारिश की है आपको। (व्यवधान)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): ... नारा लगाया है यह। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि विराज जाएं। थैंक्यू वैरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। विराज जाओ। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, अब इन्होंने मुद्दा उठाया है तो गरीबों का तो भला करो। 175 रुपये मजदूरी कराओ इनसे। 175 रुपये कराओ। (व्यवधान)

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, बीपीएल का गेहूं भारत सरकार से गरीब लोगों के लिए मिलता था वह सारा का सारा बीपीएल का गेहूं खतम कर दिया... (व्यवधान)

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): ... उसके बावजूद भी इस चीज में समझ नहीं आ रही है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: One thing is very sure. If lung power can bring the prices down, then all 200 of us should do the job. Thank you very much. अब आप विराज जाएं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री दिगम्बर सिंह, उद्योग मंत्री, राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के 22 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## प्रतिवेदन

### राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिवेदन (संख्या 22)

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपके ये माइक करंट मारते हैं। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1984-85, द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष

(डा. दिगम्बर सिंह)

1985-86, तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 1986-87, चतुर्थ प्रतिवेदन वर्ष 1987-88, पांचवा प्रतिवेदन वर्ष 1988-89, छठा प्रतिवेदन वर्ष 1989-90, सातवां प्रतिवेदन वर्ष 1990-91, आठवां प्रतिवेदन वर्ष 1991-92, नवां प्रतिवेदन वर्ष 1992-93, दसवां प्रतिवेदन वर्ष 1993-94, ग्यारहवां प्रतिवेदन वर्ष 1994-95, बारहवां प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, तेरहवां प्रतिवेदन वर्ष 1996-97, चौदहवां प्रतिवेदन वर्ष 1997-98, पन्द्रहवां प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, सोलहवां प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000, सत्रहवां प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001, अठारहवां प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, उन्नीसवां प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, बीसवां प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, इक्कीसवां प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 तथा तेईसवां प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री सभापति**: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

## याचिका का उपस्थापन

**श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

### अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर सड़क चौड़ी करने बाबत

(I) स्टेट हाईवे-37- चौमू-चूरू सड़क के भाग अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर की चौड़ाई दुगुनी (7 मीटर) करवाने बाबत् ; एवं

### श्रीमाधोपुर कस्बे की पेयजल योजना बाबत

(II) श्रीमाधोपुर कस्बे के लिये पेयजल की बड़ी योजना (रींगस नदी से पाइप लाइन द्वारा) स्वीकृत कराने बाबत्

**श्री सभापति** : श्री जालम सिंह रावलोत, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

### चाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु

(I) बाड़मेर जिले की पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मुख्यालय चाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत ; एवं

## उण्डू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु

(II) बाड़मेर जिले की पंचायत समिति शिव के ग्राम पंचायत मुख्यालय उण्डू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत् ।

**श्री सभापति** : वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। डा. ओ.पी. महेन्द्रा, सरकारी उप मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव करेंगे।

# समितियों का निर्वाचन

## वित्तीय समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

(1) "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2008-2009 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2008-2009 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2008-2009 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2008-2009 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। डा. ओ. पी. महेन्द्रा, सरकारी उप मुख्य सचेतक वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

## समितियों का गठन

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-230 (1) 231, सहपठित नियम 232(1) 233-खा (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति "क", प्राक्कलन समिति "ख", व राजकीय उपक्रम समिति प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्व-विदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम 232(1) 233-खा (1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथा सम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य, विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। श्री रामनारायणजी डूडी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

## विधायी कार्य

### राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री सभापति**: श्री संयम लोढ़ा।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूज्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने के लिए संत विनोबा भावे की अगुवाई में हमारे मुल्क में यह भूदान यज्ञ आंदोलन चला। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में इस सरकार के कार्यकाल में पूज्य महात्मा गांधी की यह फोटो यहां जरूर लगी है लेकिन पूरे सवा चार साल में इस सरकार ने महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों के लगातार खिलाफ काम किया है।

जिस एक्ट के अन्दर ये संशोधन का प्रस्ताव लेकर आये हैं, 2004 में भूदान बोर्ड खतम हो गया था, अध्यक्ष का कार्यकाल, इसका पुनर्गठन नहीं किया और अब 2008 में जाकर डिप्टी सैक्रेटरी को उसका चार्ज देने का काम किया है जो कि एक्ट के प्रावधान के विपरीत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भूदान यज्ञ का आरम्भ 1951 में तेलंगाना में हुआ जब आचार्य विनोबा भावे उस इलाके में पदयात्रा कर रहे थे और पोचमपल्ली में वह पहुंचे और वहां के बे-जमीन लोगों ने उनसे कहा कि उनको 100 बीघा जमीन उपलब्ध कराई जाये। आचार्य विनोबा भावे चिंता में पड़ गये। उन्होंने सोचा कि यह कार्य तो सरकार ही कर सकती है लेकिन उस गांव के जमींदार रामचन्द्रन रेड्डी, पहली शख्सियत थी हमारे मुल्क की जिन्होंने खुद की 100 बीघा जमीन दान में देने का फैसला किया और वह बे-जमीन लोगों को हमारे मुल्क में पहली बार उस महान विचार के आधार पर जमीन से लाभान्वित होने का मौका मिला। संत विनोबा भावे ने यह सोचा कि यह जो रास्ता मुझे दिखाया है बे-जमीन लोगों को जमीन देने का, भूमिहीन लोगों को भूमि देने का, भूमिवान बनाने का, उन गरीबों को कमाकर खाने का एक रास्ता दिखाने का कि अपने परिवार का वह जीवन निर्वाह करे। उन्होंने यह माना कि परमात्मा का मुझे यह आदेश है और यह विचार करके पूरे मुल्क के लोगों को उस महान विचार से जोड़ने का आन्दोलन संत विनोबा भावे ने शुरू किया। पूरे देश में वह घूमे और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का वह मांगरोठ गांव जिसके अन्दर जितने जमींदार थे, संत विनोबा भावे की प्रेरणा से सारे जमींदारों ने अपनी भूमि इस आन्दोलन को समर्पित कर दी। 13 साल तक संत विनोबा भावे इस विचार को लेकर हिन्दुस्तान के लोगों का मन जगाने का, उनके मन में दूसरों के प्रति आगे बढ़ाने का निर्मल भाव लेकर वह चलते

(श्री संयम लोढ़ा)

रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश के अन्दर 42 लाख एकड़ जमीन मिली और बंटी और उस जमीन के बंटने से एक वातावरण बना कि धन और धरती बंटकर रहेगी। "जमीन किसकी, जोते उसकी और सबै भूमि गोपाल की" यह पूरा वातावरण उन महान विचार की देन था और इतना ही नहीं, उनके विचार को खाली एक राजनैतिक दल ने नहीं, सभी राजनैतिक दलों ने पूरा समर्थन दिया और यही वजह थी कि 1957 में मैसूर के पास में यह येनवाल में एक सर्वदलीय नेताओं की बैठक हुई जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ई.एस. नम्बूदरीपाद, यू.एन. ढेवर और 1975 से 1977 के उस आन्दोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण भी उस बैठक में शामिल थे और उन सभी ने इस आन्दोलन को अपना समर्थन प्रदान किया और इस विचार से देश को आगे बढ़ाने का संकल्प किया।

राजस्थान के अन्दर माननीय सभापति महोदय, महान और यशस्वी नेता गोकुल भाई भट्ट जिन्होंने अनेकानेक आन्दोलन और संघर्ष राजस्थान की अवाम के लिए किये और राजस्थान की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी माउंट आबू जिसको बचाने का श्रेय भी उन्हीं गोकुल भाई भट्ट को है कि आज उन्हीं के अदम्य प्रयासों का ही नतीजा है कि माउंट आबू राजस्थान का हिस्सा बन सका। गोकुल भाई भट्ट और सिद्धराजजी ढढ्ढा और अनेक सर्वोदयी नेताओं के प्रयासों से यह पावन कार्यक्रम चला। राजस्थान में 1.15 लाख एकड़ जमीन दान में मिली जिसमें से 20,874 भूमिहीन लोगों को उसका आबंटन किया गया। राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 बना, राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1991 में बना और उन सबके माध्यम से वह लोग जो उस जमाने के अन्दर बहुत जुल्म से पीड़ित थे। अनेक ऐसी व्यवस्था थी गांवों में जहां लोग अत्याचार और जुल्म से पीड़ित थे। आधी रात को लोगों को गांव को छोड़कर भागना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, मेरे अपने जिले के अन्दर आधी रात को भागे हुए उन लोगों को इसी भूदान आन्दोलन के माध्यम से मिली हुई जमीन पर बसाया गया और आज उनके परिवार जीवन यापन उसी जमीन के जरिये कर रहे हैं चाहे वह हमारे क्षेत्र में कृष्णगंज गांव हो, चाहे हमारे क्षेत्र में पामेड़ा गांव हो चाहे हमारे क्षेत्र में हत्थल गांव हो, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हजारों-हजार लोगों को भूमिवान बनाने का काम इस आन्दोलन के माध्यम से हुआ।

(श्री संयम लोढ़ा)

अब यह सरकार धारा 24 और 25 में, धारा 24 में तो संशोधन लेकर आई है और धारा 25 को इन्होंने खतम करने का फैसला किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जब एक बार पहले भी भूदान बोर्ड में लैण्ड अलाटमेंट पर सरकार ने रोक लगा दी थी तब राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर एक पीटीशन थी 902/86 और हाई-कोर्ट ने उस पिटीशन में यह डाइरेक्शन सरकार को दिये थे कि बिना बोर्ड को सुने जमीन एक बार जब भूदान के अन्दर आ गई तो वह जमीन बोर्ड में रेस्ट करती है और बिना बोर्ड को सुने किसी भी तरह का सरकार फैसला नहीं करे। आपने बोर्ड तो बनाया नहीं, सालों-साल जिन सर्वोदयी नेताओं ने इस भूदान यज्ञ के आन्दोलन में योगदान किया है, कम से कम उनको तो बुलाकर बात कर लेते और बहुत स्पष्ट निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.पी. नावलेकर ने दिये हैं - "..would only be passed after affording a reasonable opportunity of being heard to the Board. The State Government is at liberty to take appropriate steps in regard to donated land of … Zila Bikaner in accordance with section 27 after giving proper opportunity to the Board." तो माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि न तो इस सरकार ने बोर्ड का गठन किया और न उन सर्वोदयी नेताओं से बात की। कुल मिलाकर मुझे यह लगता है कि उस आन्दोलन के माध्यम से जिन लोगों को भूमि-सम्पन्न बनाया गया, भूमिवान बनाया गया, अब यह बेचने का और हस्तान्तरण करने का अधिकार देकर भूमिहीन बनाने का सरकार एक रास्ता खोल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि जिन लोगों को मूल रूप में उस समय भूमि आबंटन किया गया, बाद में ग्राम सभा के अन्दर एस.सी. और एस.टी. के किसान जिनको भूमि का आबंटन किया गया मूल रूप में, उस रिकार्ड में हेराफेरी करके जनरल केटेगरी के लोगों का लैण्ड रिकार्ड में नाम कर दिया। सरकार को पहले ही इन सारी बातों की पड़ताल करनी चाहिए थी और इसी सदन में जब मैंने यह मामला उठाया था, तब राजस्थान सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि ऐसे सभी मामलों में सरकार जांच करायेगी, जिन एस.सी. और एस.टी. के भूमिहीन किसानों की भूमि सामान्य केटेगरी के लोगों के नाम पर चढ़ाई गई है, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी। कार्यवाही तो कोई हुई नहीं, अब आप यह संशोधन लाने जा रहे हैं तो वह लोग जो एस.सी. एस.टी. की लैण्ड पर जनरल

(श्री संयम लोढ़ा)

केटेगरी के लोग चढ़ गये, आज वह उनके मालिक हो जायेंगे और जो महात्मा गांधी और संत विनोबा भावे के विचार के आधार पर राजस्थान का वह गरीब आदमी, एस.सी. एस.टी. का आदमी जमीन का मालिक बना था, एक स्थाई रूप में उसको मालकियत से वंचित करने का काम यह सरकार करेगी। आज इस स्थिति में एक काला अध्याय राजस्थान सरकार लिखने जा रही है और मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जो उन्होंने कही थी,

"तुम तो प्राण दे चुके बापू, स्वयं उन्हें साधारण जान
कृपया कभी नहीं करना अब फिर अपने दिये हुए का दान
उन्हें न्यास सा रखना आगे, अब उन पर अधिकार उन्हीं का
उनमें है जिनके भाग्य और भगवान जिनके है जागे"

लोगों ने तो दान दे दिया था, अपनी जमीन दे दी थी कि आप कुछ बेघर लोगों को, भूमिहीन लोगों को मालिक बनाओ, लेकिन चूंकि यह सरकार यह उस पार्टी की सरकार है माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और अब बीजेपी का मतलब क्या हो गया है, +++ दूसरा सोचो तो +++ तीसरा सोचो तो +++ और इसलिए यह ....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, यह +++ की बात करने वाला आदमी, यह बोर्डर बेचने की बात करने वाला +++ होता है और +++ की श्रेणी में अगर कोई आयेगा तो संयम लोढ़ा आयेगा, बीजेपी नहीं आयेगी। आप बंद कराइये इस तरह से। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह अंगुलियां आपकी सरकार के ऊपर उठ रही है, यह अंगुलियां आपकी सरकार के ऊपर उठ रही है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : +++ करता है, क्या बात करते हो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हद होती है हरेक चीज की।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): प्रस्ताव करो, बाहर निकालो इसको। ...(व्यवधान) बाहर निकालो इसको। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): +++ करता है। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): +++ कोई नहीं कह सकता। आप लोग तो जवाब देओ। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): यह क्या बात है...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): +++ करता है +++...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप जो चाहे कह सकते हो, +++ का देखो खेल...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): +++ करता है यह। बोर्डर जमीन बेचने वाले...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप मंत्री होकर के ऐसे बोलते हो, वह नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कार्यवाही से निकलवाइये इसको। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): और इसका प्रस्ताव लाओ, बाहर निकालो इसको। (व्यवधान) लाओ प्रस्ताव इसका।

**श्री सभापति**: बीजेपी के संबंध में जो भी बात कही है, आप डिलीट कर दें। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): तो +++ के बारे में जो बात कही है वह भी निकालो। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): जो बेशकीमती जमीनें हैं +++ बेच चुकी है...(व्यवधान) बाहर फिंकवाइये, यह देश की जमीन को बेचने वाले लोग हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: ऐसा कोई भी वक्तव्य किसी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी के संबंध में कहा गया हो वह डिलीट कर दें। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बाहर निकालो इसको। (व्यवधान) प्रस्ताव लाओ इसका। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय घनश्यामजी ने +++ के बारे में कहा है वह भी निकालो आप।

**श्री सभापति**: मैंने सारी पार्टियों का कहा है। (व्यवधान) मैं अब आदरणीय सदस्य से निवेदन करूंगा....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, इनको बाहर जाने के लिए कहिये सदन से। +++ की बात सदन में नहीं कर सकते।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कोई बात हुई सभापति महोदय। किस तरह के आरोप लगा देते हैं...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इस बोर्डर को बेचने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है, मजाक है यह। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सदन का दुरूपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आपकी सरकार का +++ इसलिए आपके ऊपर +++ उठती हैं। आप कितना भी कर लो, बोर्डर की जमीन बेचने के मामले में सवाल बने हुए हैं, यह बात...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, यह, प्रस्ताव लाओ, प्रस्ताव लाओ। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सदन का दुरूपयोग है, सभापति महोदय।

**श्री सभापति**: मैं आपसे निवेदन...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बाहर जाने के लिए कहें इसको।

**श्री सभापति**: कृपा करके आप लोग बिराज जायें। I won't allow the House to be used for some specific purpose.

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यस, मजाक लगा रखा है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: Any derogatory remark or any unconstitutional remark will not be tolerated by the Chair. Now I will not allow that. Kindly keep your deliberations limited to the Bill.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): एक भी डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है। एक भी डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है, इस सरकार के ऊपर....

**श्री सभापति**: I would not allow the spirit of the Bill to be defeated by any political consideration.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह गरीब, जमीन, भूमिहीन लोग, उनकी जमीन भूमाफिया के द्वारा खरीदने का रास्ता सरकार खोल रही है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं आप सब से निवेदन करूंगा....

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): उनकी जमीनें बिकेंगी। (व्यवधान) साठ साल तक वह किसान जमीन का मालिक बना रहा...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बंद करो इसको, सभापति महोदय। सदन का दुरूपयोग नहीं कर सकते यह। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, किस बात पर बोल रहे हैं, किस बात पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आसन पांवों पर है। कृपा करके अपना-अपना स्थान ग्रहण करिये। मैं पुन: निवेदन कर रहा हूं कि आसन पांवों पर है, अपना-अपना स्थान ग्रहण करिये। आपका प्रस्ताव जनमत जानने के लिए था, आप कृपा करके अपने वक्तव्य को वहां तक केन्द्रित रखें। अगर कोई भी इन्फीरियर पालिटिकल कंसीडरेशन आपके दिमाग में है तो kindly keep it to yourself. The floor of the House should not be used for that. I will be grateful if you could all adhere to that discipline. Thank you.

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): सभापति महोदय, कांग्रेस के टाइम एक आईआरडीपी योजना बनी थी, मैं कहूं +++ क्या यह व्याख्या ठीक रहेगी।

**श्री सभापति**: मैं पुन: सबसे निवेदन करूंगा, नो एब्रिविएशन एण्ड नो, आप अपने इमेजिनेशन को कांस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स और पार्लियामेंट्री तक लिमिटेड रखें, बाकी आपकी जो जनरल नालेज है उसको इस सदन से बाहर इस्तेमाल करें।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, भूदान आंदोलन और ग्राम दान के अंदर...

**एक माननीय सदस्य**: सदन से बाहर निकालो इनको।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): +++ और कर क्या सकते हो। और कर क्या सकते हो +++ और क्या कर सकते हो।

**श्री सभापति**: आप अपना वक्तव्य जारी रखें। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, आप बाहर निकालने की व्यवस्था दें। यह कोई बात हुई। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): बाहर निकालने से राजस्थान के साढ़े पांच करोड़ लोग चुप नहीं रहेंगे। राजस्थान के साढ़े पांच करोड़ लोग बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें। संसदीय सचिव महोदय, आप विराजें। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, यह कोई मजाक थोड़े ही है..(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ऐसा है, सच के...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तुम्हारी +++ सुनने को नहीं बैठे हैं। +++ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं...(व्यवधान) यह सदन नियमों से चलेगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, +++ की बात करने वाला यहां नहीं रह सकता...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: I will not allow this.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): +++ खुद हैं यह, +++ खुद हैं यह। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): +++ की बात करने वाला सदन में नहीं बैठेगा...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप जो चाहे बोल सकते हो +++ के बारे में और +++ के बारे में जो बात कही उसका जवाब दो। हाउस से निकाल नहीं सकते। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): यह +++ है, बाहर निकालो इसको। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): क्या बात करते हो, बाहर निकालिये इसको।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): निकालिये, राजस्थान की साढ़े पांच करोड़ जनता चुप हो जायेगी क्या...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): निकाल दो इसको, यह क्या बात हुई।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां-हां, बिलकुल। इसको सदन से...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सदन का दुरूपयोग करोगे...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सदन का दुरूपयोग करोगे...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप +++ के बारे में कैसे बोल गये। वह +++ और फलानां कर गये...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कैसे बोलोगे, सदन का दुरूपयोग करोगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप कैसे बोल गये...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): +++ को बाहर निकालो... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सुनने की भी हृद होती है..(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं कर सकते सदन में। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सुनने की भी ताकत रखो। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): यह +++ देने वाली सरकार है...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप जो चाहे मंत्री होकर बोलो और माननीय सदस्य बोले तो सुनना नहीं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह आपकी नसीहत से सुधरने वाले नहीं हैं। यह आपकी नसीहत से सुधरने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मेरा यह निवेदन है कि जब माननीय मंत्रीगण कोई बात कह रहे हैं तो कम से कम सदस्य इस बात का ध्यान तो रखें, जब आपके मंत्री कोई बात कह रहे हैं, वह सक्षम हैं अपनी को कहने में। (व्यवधान) So kindly keep your discipline. आदरणीय संसदीय सचिव।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): आप व्यवस्था दीजिये इसमें। जो कहा है उसी की व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब आप बिराज जायें। Let the Deputy Chief Whip do his job, in case he wants the deliberations to go on. I think, they are competent enough to take care of their responsibilities.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज्ञा दी वापिस बोलने की, पार्लियामेंट्री...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक मिनट आप भी बिराज जायें। सदस्य महोदय। (व्यवधान) एक मिनट।

**श्री मदन दिलावर** (समाज कल्याण मंत्री): नो, नो, नो।

**श्री सभापति**: मंत्री महोदय, एक बार बिराज जायें। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): बाहर निकालने का वह कह रहे हैं, आप निवेदन मुझे कर रहे हैं, आप उनको निवेदन करिये न फिर। (व्यवधान) वह बाहर निकालने की बात कह रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं कहते आप। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मेरी बात आप सुन लें उसके बाद में. If you want to react, you can react.

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, यह कोई एक दिन का काम नहीं है। यह हमेशा जब भी खड़े होते हैं, धमकी भरी बात करते हैं, काहे का व्यवहार है यह लोग...

**श्री सभापति**: एक मिनट, संसदीय सचिव, बिराजें।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): हमको क्या बाहर निकालोगे, जनता तुमको बाहर निकालने वाली है।

**श्री सभापति**: मेरी आप...

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): क्या।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): हमको क्या बाहर निकालोगे, जनता तुमको फेंक देगी बाहर निकालकर। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): यह नहीं, आपको व्यवस्था रखनी पड़ेगी। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह राजशाही और तानाशाही तरीके से...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): लोकतंत्र की भावना रखो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप बिराज जायें। कृपा करके आप बिराज जायें। Let us bring the House to order. एक मिनट, संसदीय सचिव महोदय, बिराज जायें। There are certain things which are not in yours hands. कौन किसको कहां निकालेगा, it is limited to the electorate. Let that take place whenever the time comes. मैं एक बात आपसे सबसे निवेदन करना चाह रहा था, मैं आदरणीय सदस्य से भी निवेदन करना चाह रहा हूं, I made it very clear. Kindly limit your vocabulary and your deliberations to the scope of the Bill. If you persist in using issues and deliberate on extraneous subjects, the House will not be used for that. I will not allow the floor of the House to be used for that. In case you persist doing it, then I will have to take some other measures. Thank you.

Now you continue deliberating on the Bill. We want that some message should come across but it should be limited to the spirit of the Bill. Thank you.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक घंटे का भाषण हो गया इनका। एक घंटा बोल चुके हैं यह। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब कृपा करके, बिकाज इसमें कम से कम भी नहीं तो पच्चीस बोलने वाले लोग-बाग़ हैं।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): क्या है यह, रोजाना की मजाक बना रखी है, क्या इनकी +++ है।

**श्री सभापति**: एक मिनट संसदीय सचिव, एक मिनट बिराज जायें।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): क्या सारे के सारे, काहे की कमजोरी आ गई।

**श्री सभापति**: अब मैं यह चाहूंगा कि इसको आप दो-चार मिनट के अंदर इसको आप कन्क्लूड करें। I would request the House that in case there has been some slip of tongue …

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, हमारा निवेदन सुनें आप।

**श्री सभापति**: एक मिनट संसदीय सचिव महोदय, आप बिराज जायें। एक मिनट, आप बिराज जायें। (व्यवधान) मैं जब कम्पलीट कर लूं तब बात फरमायें। Let me conclude.

**श्री अशोक बैरवा** (खण्डार): भागो, जनता पीटेगी।

**श्री सभापति**: Let us be large hearted. In case there is slip of tongue, we take it in good stead. But if you want it to be made a permanent feature of the House, I will not allow that. Any such slip of tongue henceforth will be

(श्री सभापति)

strictly taken by the Chair. Kindly keep that in mind whosoever is making a point. Thank you.

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, मैंने सदैव आसन की आज्ञा का पालन किया है, लेकिन मैं आपका संरक्षण भी चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित बात है कि हम लोग कम संख्या में हैं, राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सत्ता पक्ष अपनी सत्ता के अहंकार में और बहुमत के घमंड में...

**श्री सभापति**: आप कृपा करके ... it's not ….

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): प्रतिपक्ष का दमन कर सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। जब सरकार सुनना नहीं चाहती तो सुनाने से भी कोई अर्थ नहीं है, जनता को सुना देंगे। लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक समतामूलक समाज की संरचना करने के लिए एक विचारधारा प्रेरित जो आंदोलन चला, यह सरकार आज उस आंदोलन को खतम करने का काला अध्याय, माननीय सभापति महोदय, लिख रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमीन है, इसी भूदान यज्ञ आंदोलन की जमीन है, इसी ग्रामदानी यज्ञ आंदोलन की जमीन है। मैं राजस्थान की जनता की ओर से पूछना चाहता हूं सरकार से, किसकी नीयत खराब है, क्यों उन जमीनों को बेचने का रास्ता खोल रहे हैं, क्यों उन भूमिहीन किसानों की जमीन लैण्ड माफिया के हाथ में देने का रास्ता खोल रहे हैं। अगर आपके पास हो तो इन बातों का जवाब देना वरना मैं गांव सहित बता दूंगा कि किस-किस गांव की जमीन नेशनल हाईवे पर इन ग्रामदानी गांवों की आ रही है, कौन-कौन से पैट्रोल पम्प के लिए वहां जमीन लेने की एप्लीकेशन लगी हुई है। संयम लोढ़ा को बैठाने से और विधान सभा से बाहर निकालने से राजस्थान के साढ़े पांच करोड़ लोगों की आवाज बंद नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अब भी इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के अवाम के हित में सोच करके काम करो, अपने घर भरने की नीयत से फैसले मत करो। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री जुबेर खान।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक, 2008 को जनमत जानने

(श्री जुबेर खान)

के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, अगर इस बिल को देखें तो इसमें अमेण्डमेंट के माध्यम से यह जो भी क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा जो माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने भूमिका बताई कि किस तरह से संत विनोबा भावे ने एक अभियान चलाकर लोगों को मोटिवेट किया कि इसमें डोनेट करे, गांव के भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाए। उस भावनाओं के अनुरूप यह ज़मीनें आई और इनमें ज्यादातर खेती करने वालों को दे दी। अब उनको यह अधिकार दिया जा रहा है कि उनको सीधे खातेदारी के अधिकार दे दिये जाएं तो मैं यह पूछना चाहूंगा मंत्रीजी से अपना जवाब जब दें इसके बाद में कोई जमीन बचेगी क्या? अगर यह जमीन पर जो लोग क़ाबिज़ हैं, उनको अगर खातेदारी अधिकार दे देंगे तो क्या यह भूदान की जो जमीन है, यह कहीं बच पाएगी क्या? और अगर जमीन बच नहीं पाई, जब आप उस जमीन को देने के पक्ष में हैं तो फिर इस एक्ट में पूरे को ही रिपील कर देते, इसको निरस्त कर देते, इसकी आवश्यकता कहां रह गई? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने एक तरफ तो जो नया टीनेन्सी एक्ट ला रहे हैं जो 25-26 को पेश हो जाएगा और पास हो जाएगा, पुराने टीनेन्सी एक्ट को खतम करने जा रहे हैं और आप जो अमेण्डमेंट कर रहे हैं इसमें, इस एक्ट के सेक्शन-24 "Vesting of land and rights of grantee. – Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force but subject to the provisions of section 26 of this Act, the land granted under this Act shall stand vested in the State Government with effect from the date of commencement of the Rajasthan Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 2008 (Act No. … of 2008) or from the date of grant, whichever is later, and the grantee of such land shall become a khatedar tenant thereof with effect from the said date and shall be entitled to all the rights conferred, and be subject to all the liabilities imposed, on a khatedar tenant under the provisions of the Rajasthan Tenancy act, 1955 (Act No. 3 of 1955)." आपका यह संशोधन आज हो जाएगा और आपका टीनेन्सी एक्ट 1955 जो आप खतम करने जा रहे हैं, नया टीनेन्सी एक्ट, 2008 लाने जा रहे हैं फिर इसमें इसका मतलब क्या रह जाएगा? आपको मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि आप इसको दो दिन पहले ले आते और नया टीनेन्सी एक्ट जब बनने के बाद और पुराने टीनेन्सी एक्ट की जगह हवाला नया टीनेन्सी एक्ट का दे देते। फिर आप इसमें अमेण्डमेंट लेकर आएंगे दुबारा, जहां आपने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 किया है उसको फिर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 2008 करेंगे तो यह कहां बात समझ में आती है? नम्बर एक, नम्बर दो मैं आपको बताना

(श्री जुबेर खान)

चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जब जमीन सारी को आप ले लेंगे, गवर्नमेंट में आ जाएगी या तो आप सीधे उन्हीं काश्तकारों को दे देते जो जमीन पर क़ाबिज़ हैं, आपने तो यह कह दिया सरकार के पास आ जाएगी और फिर सरकार उनको देगी। आपका जो एक्ट में साफ है कि भूदान यज्ञ, भूदान डिक्लीयरेशन, जब एक्ट में पुराने में कम्युनिटी परपजेज, ग्रांटी, लैंड-लैस परसन आप यह देखिए क्या आप इसमें अभी कोई भूदान देने वाला कोई है? इसमें देने वाला है क्या कोई जमीन आज और जमीन देगा नहीं तो आबंटित किसको करोगे तो फिर इस एक्ट की आवश्यकता क्या रह गई? फिर आपने कहा है, बोर्ड के बारे में कहा है कि बोर्ड का काम क्या होगा? बोर्ड के कर्तव्यः- बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि भूदान यज्ञ के प्रयोजन के लिए उसमें निहित समस्त भूमि का प्रशासन करेगा, यज्ञ प्रयोजनों के लिए बोर्ड ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का धारण करेगा जो ऐसी भूमियों के बारे में आवश्यक हो। जब आप सारी भूमि दे देंगे, रखेंगे ही नहीं तो यह बोर्ड का काम क्या रह गया? एक और था कम्युनिटी सर्विसेज वो थे, श्मशान घाट है, कब्रिस्तान है, स्कूल है या सार्वजनिक काम है, वह आपके ग्राम पंचायतें कर रही हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अगर यह बिल लाना था या तो सोच-समझकर के पूरे बिल को ही इस तरह से लाते कि इसकी आवश्यकता या इतने अमेण्डमेंट लाने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा मानना है कि आप इस जमीन को जब ना रहेगा बांस, तो बांसुरी कैसे बजेगी? जब जमीन ही लोगों को दे देंगे तो इस भूदान बोर्ड की आवश्यकता क्या रह गई और बाकी एक्ट की आवश्यकता क्या रह गई? मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय और आपने इसमें भी वहीं लिखा है स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन में भी 1955 अभी भी इसमें आप कोई-न-कोई सुधार कर सकते हैं। मैं एक दूसरा निवेदन और करना चाहूंगा कि पहले ही इस एक्ट में छह बार अमेण्डमेंट आप कर चुके हैं, छह अमेण्डमेंट पहले ही आ चुके हैं इसमें और यह सातवाँ अमेण्डमेंट है तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपका एक्ट जो कहता है – ‘‘Short title, extent and commencement. – This Act may be called Rajasthan Bhoodan Yagna Act,, 1954. It extends to the whole of the State of Rajasthan, including Abu, Ajmer and Sunel areas.” अब राजस्थान में नहीं रहा क्या? अजमेर या आबू राजस्थान में नहीं है? हो सकता है जब यह भूदान बना हो, उस टाइम अलग व्यवस्था हो लेकिन आज तो यह आबू और अजमेर राजस्थान का ही हिस्सा है, राजस्थान में है। जब आप

(श्री जुबेर खान)

अमेण्डमेंट लाए तो आप इसको भी तो लेते, आज राजस्थान से अलग मानते हैं क्या? अब बाकी जो एक्ट आ रहे हैं उसमें क्या इन्क्लूडिंग कुछ बांसवाड़ा, डूंगरपुर या कुछ ला रहे हैं क्या आप? आपने पढ़ा ही नहीं यह एक्ट। क्या सभापति महोदय, आप इसको वाजिब समझते हैं कि आज देश की आजादी के 60-61 साल के बाद भी इस एक्ट में यह चीज मौजूद रहे कि it will include Mount Abu, Ajmer and Sunel. यह आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय आपके एक्ट का जो पैरा थर्ड है, मैन एक्ट का "Establishment and incorporation of the Bhoodan Yagna Board. There shall be established a Board by the name of the Rajasthan Bhoodan Yagna Board." इसका सब-सेक्शन-2 "The Board shall be a body corporate having perpetual succession and common seal with powers to acquire, hold, administer, transfer and dispose of property both moveable and immoveable and shall by the said name sue or be sued." इसकी क्या आवश्यकता रह जाएगी? यह नया जो आपका अमेण्डमेंट जो आप 24 और 25 में अमेण्डमेंट ला रहे हैं, 24 में तो आप अमेण्डमेंट ला रहे हैं और 25 को पूरे को डिलीट कर रहे हैं तो फिर इसकी आवश्यकता क्या रह जाएगी या इसका क्या काम रहेगा? तो मेरा निवेदन है कि पहली बात तो यह है कि संशोधन लाना ही नहीं चाहिए था और अगर आपकी मंशा ईमानदारी से है कि जो लोग भूमिहीन लोग जो इस जमीन पर क़ाबिज़ है अगर उनको खातेदारी राइट देने का अधिकार है, आपकी मंशा है, पारदर्शिता से, ईमानदारी से जब तो ठीक है और जैसा माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि इसके माध्यम से इस जमीन को कालोनाइजरों, बिल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को बेचे तो यह बात गलत है। इसमें आप यह राइडर लाइए कि कम से कम दस साल तक जिसको आप खातेदारी अधिकार दे रहे हैं, उसको यह जमीन को बेचने का अधिकार नहीं होगा। आपको यह क्लाज इसमें डालना चाहिए।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, यह जमीन तो अलाट होकर के उन किसानों के पास चली गई है, यह सरकार के पास थोड़े ही है, सरकार के पास और बोर्ड के पास तो जमीन ही नहीं बची, यह तो उनको खातेदारी अधिकार मिल जाए....

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप सुनिए. Vesting of land and rights of grantee.

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उसके खातेदारी अधिकार के कारण से उनकी कई सारी अड़चने हैं, उनको लोन नहीं मिलता है, इसके कारण से यह संशोधन लाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान) सारे फ़ैसले बोर्ड को करने पड़ते हैं, एक किसान बोर्ड में आकर के परमिशन लेता है जो परमिशन पटवारी और तहसीलदार को मिलती है, वह परमिशन ...(व्यवधान) जो मिलती है, इसके कारण वह समस्या आ रही है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप विद्वान हैं, आपको बोलना है, वह बोल लीजिए, खुद लर्नेड परसन है। सभापति महोदय, सेक्शन-24 में जो अमेण्डमेंट कर रहे हैं "Vesting of land and rights of grantee. – Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force but subject to the provisions of section 26 of this Act, the land granted under this Act shall stand vested in the State Government with effect from the date of commencement of the Rajasthan Bhoodan Yagna (Amendment) Act, 2008…"

यह क्या मायने है इसके? स्टेट में वेस्टेड हो जाएगी ना? तो क्या आपने यह तो नहीं कहा कि वहां जो खेती कर रहा है, काश्तकारी कर रहा है उसमें वेस्ट हो जाएगी अगर उसमें वेस्ट होने की बात होती तो हम मानते कि यह सही बात है इसलिए आप करिये क्लेरीफिकेशन अपने जवाब में।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके बाद ही खातेदारी मिलेगी इसलिए सैक्शन 24 में अमेंडमेंट है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): नहीं आप आश्वस्त करिये हाउस को ...(व्यवधान) नहीं तो उनको करने देंगे तो वो ठीक करेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी क्षमता रखते हैं कि आप लोगों की मर्जी के खिलाफ कुछ कर पाएंगे।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): ...(व्यवधान) कर रहे हैं कि वो सरकार में न जाए। 24 का अमेंडमेंट इसलिए हो रहा है कि वो अलाटमेंट का खातेदारी अधिकार उसको मिल जाएगा।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप तो इसी को कहते न आप बोर्ड को ही अधिकार देते न। आप बोर्ड को ही अधिकार दे देते न।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): आपने सारे, आपने ये आंकड़े देखे होंगे उनके अन्दर जब हमने यह सारा आइडेंटीफाई कर लिया कि बीस हजार कुछ काश्तकार जो भूदान यज्ञ के हैं उनको हम खातेदारी दे रहे हैं। कहां मतलब लंबी-चौड़ी बातें कर रहे हो। इसको आप इस परव्यु में देखें।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय मंत्रीजी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर को लिया कि नहीं लिया।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): नहीं आप देना चाहते हैं लेकिन आपकी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही है। हम भी चाहते हैं कि आज वर्षों से, हम उसके खिलाफ नहीं हैं जो वर्षों से वहां खेती कर रहे हैं काश्तकार हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए इसमें हमारी आपत्ति नहीं है लेकिन जो आप, आप सीधे भी तो कर सकते थे आप बोर्ड को ही अधिकृत कर सकते थे, आप बोर्ड को ही यह पॉवर दे सकते थे जब आप इस एक्ट को जिन्दा रख रहे हो आप इसको लागू रख रहे हैं तो आप बोर्ड को अधिकार दे देते कि जिनको बोर्ड ने जिन काश्तकारों को जमीन अलाट की है और जो वहां बैठे हैं उनको खातेदारी अधिकारी देने का अधिकार आप बोर्ड को दे देते। अब सरकार कहां से बीच में आ जाती है तो इसलिए सभापति महोदय, ये आप इस बिल के माध्यम से आपका कोई हिडन एजेंडा लगता है कि जैसे कि आप ...(व्यवधान) हमको लगता है नहीं हो तो आप साफ कह देना हमको लगता है कि आप इस आड़ में खातेदारी राइट दे रहे हैं और आपने एक बार जमीन सरकारी कर ली और उसके काश्तकारों को पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीओ किस तरह के चक्कर लगवायेंगे, लोग दरख्वास्त देंगे इसका कब्जा नहीं है मेरा कब्जा है यह कहां की बात हुई इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को आप जनमत जानने के लिए भेज दीजिये जहां पचास साठ साल से यह कार्यवाही नहीं हुई इसमें दो चार महीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता के सामने जाने दीजिये, विशेषज्ञों के सामने जाने दीजिये और उसके बाद उनकी राय आने के बाद आप दुबारा से इस बिल में अमेंडमेंट लेकर आइये और कम से कम मेहरबानी करके ये तो सरकारी अमेंडमेंट आप ले आओ जो आपने लिखा है कि राजस्थान में लागू होगा इंक्लूडिंग माउंट आबू, अजमेर और सुनेल इसको तो कम से कम अभी आपके पास समय है इसको तो ठीक कराने का अमेंडमेंट आप लेकर आ जाइये। सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री सभापति**: डा. बुलाकीदास कल्ला।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में मैंने एक प्रस्ताव जनमत जानने के लिए एक माह के लिए परिचालित करने के संबंध में प्रस्तुत किया है उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बात सही है कि

(डा. बुनाकीदास कल्ला)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से बिनोबा भावे ने इस कार्यक्रम को शुरू किया और जिन लोगों के पास अधिक जमीन थी जो भूस्वामी थे राजा महाराजा, जागीरदार और जमींदार उनसे इन ज़मीनों को प्राप्त कर लेंड लेस पीपल को देने का काम किया गया और इसमें राजस्थान में देश भर में सबसे अच्छा काम हुआ। राजस्थान में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि महाराज गंगासिंह जी के लड़के अमरसिंहजी जिन्होंने अपनी सर्वाधिक जमीन राजस्थान में दान दी वो जो आज छतरगढ़ में है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है। इसी प्रकार अनेक भूस्वामियों ने अपनी जमीनों को दान दिया और उसके बाद में 1954 में यह एक्ट आया। यह मूल रूप में अंग्रेजी में था। इसमें आज धारा 24 प्रतिस्थापित की जा रही है उसका आधार यह है कि धारा 24 में कुछ नयी प्रतिस्थापना की जा रही है उसके अन्तर्गत यह जमीन है भूदान की वो इस एक्ट के पास होने के बाद तत्काल सरकार में वेस्ट हो जाएगी और सरकार ने अपने ओब्जेक्ट्स में यह बताया है कि यह सारी की सारी जमीन वर्षों से भूमि प्राप्तकर्ता भूदान यज्ञ बोर्ड के द्वारा और इस एक्ट के अन्तर्गत जो-जो भूमि उन्होंने प्राप्त की वो खातेदारी राइट मांग रहे थे। आपने जो इसमें उपबंध किये हैं वो सेल्फ कंट्राडिक्ट्री हैं वो इस रूप में कि एक तरफ तो आपने उसको खातेदारी की मांग करने वाले को खातेदार टिनेंट बना दिया और दूसरी तरफ इसी एक्ट की धारा 25 को आपने विलोपित कर दिया । मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आ रही है सरकार करना क्या चाहती है सभापति महोदय, खातेदार जो होता है वो भूमि का भूस्वामी होता है वो जमीन को बेच सकता है, खरीद सकता है, पट्टे पर रख सकता है, जमीन को गिरवी रख सकता है, किसी को वहां पर उप पट्टेदार को दे सकता है लेकिन आपने खातेदार टिनेंट बनाया तो आप सबसे पहले यह बतायें कि खातेदार टिनेंट और खातेदार में क्या फर्क है और जमीन भूदान की जो भूमिहीन व्यक्तियों को दी गई है धारा 25 में जो व्यवस्था थी उसके अन्तर्गत मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा – "Ejectment of holder of Bhoodan land on breach of conditions. – Subject to the provisions contained in sub-section (2) of section 24, if any holder of Bhoodan Land commits a breach of any of the conditions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of that section he will, on the application of the Board be liable to ejectment under section 175 or section 177, as the case may be, of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955)." अब मैं सभापति महोदय, धारा 24(1) का उल्लेख है वो भी आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं – "Conditions of lease. – (1) The person to whom land

(डा. बुनाकीदास कल्ला)

is allotted shall be recorded in village papers or records of rights as a Bhoodan holder and shall hold the land subject to the following terms and conditions, namely :-

(a) Subject to the provisions of clause (f) the holder shall be deemed to hold the land directly from the State Government;

(b) The rights shall on the death of the holder pass to his heirs;

(c) The holder shall not transfer any interest in the land;

(d) The holder shall not sub-let the land without the previous sanction of the Board;

(e) The holder shall not allow the land to lie fallow for period in excess of two years. …"

यह पांचों की पांचों 24(1) की ए से लेकर ई तक की धाराएं जो हैं इनको आपने डिलीट करने की बात कही है तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इनको आपने क्यों डिलीट किया? एक तरफ तो आपने उनको खातेदार नहीं बनाया जमीन आपने वेस्ट कर दी सरकार में और खातेदार टिनेंट बनाकर आप करना क्या चाहते हो? जमीन के मालिक आप हो गये, खातेदार आप हो गया और उसको आपने खातेदार टिनेंट बना दिया और खातेदार टिनेंट के बाद जो भूदान की मुख्य भावना थी जिसके कारण ये भूदान यज्ञ से प्राप्त जमीन को किसी भी तरीके से उप पट्टेदार को नहीं दे सकते थे, बेच नहीं सकते थे इन सब धाराओं को आपने हटा दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप उनको खातेदारी राइट दीजिये और इसके पक्ष में हैं लेकिन वो जमीन नहीं बेच सकेगा, नहीं तो यह फिर लेंड लेस हो जाएगा और लेंड लेस होकर के जो बिनोबा भावे का जो सपना था बिनोबा भावे ने यह कहा था कि जमीन उसकी है जो खेती करता है, हल जोतता है और जो धरती पर काम करता है उसकी जमीन होगी और ऐसे भूमिहीन लोगों को जो जमीनें दी गईं वो पैसे के प्रलोभन में और अन्य प्रकार से उन जमीनों को बेच देंगे ऐसी स्थिति में आप इनको खातेदारी राइट्स देने के लिए आगे आये, जमीन सरकार की नहीं हो, खातेदार की हो और खातेदार को जो अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों में केवल मात्र यह कर दीजिये कि वो अपनी जमीन को बेच नहीं सकेगा वो बीमार है, वो खेती नहीं कर सकता तो वो लीज पर दे सकता है ऐसा अधिकार भी आप दे सकते हो वो अपनी जमीन की उन्नति के लिए और आजकल के एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट्स जो अच्छे साधनों से उपकरणों से खेती होती है उसको

(डा. बुनाकीदास कल्ला)

खरीदने के लिए ट्रैक्टर के लिए वो जमीन को गिरवी रख सकता है ऐसा उपबंध करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपने धारा 24(1) के ए और ई तक के उपबंधों को हटाकर और उसको खातेदार टिनेंट बना दिया और आप स्वयं खातेदार बन गये। इस एक्ट के बाद आप खातेदार हो जायेंगे इस जमीन के, तो यह सारी जमीन आप में वेस्ड हो रही है और उसको आपने खातेदार टीनेंट बनाया है । खातेदार टीनेंट बना कर आपने जैसे उनको कोई खातेदारी अधिकार दे दिये और इन धाराओं को हटा कर यह शो करने की कोशिश की है कि हमने खातेदार के समकक्ष उसको बना दिया, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। यह विनोबा भावे के स्वप्न के खिलाफ है इसलिए इसमें यह पाबंदी जरूर रखिए कि उसको खातेदार बनाने के बाद वह अपनी जमीन किसी को बेच नहीं सकेगा, यह पाबंदी जरूर लगाइए नहीं तो यह जमीन खुर्द बुर्द हो जायेगी और पुनः पूंजीपतियों के पास और बड़े-बड़े लैंड होल्डर के पास यह जमीन चली जायेगी । इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इसको एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

**श्री सभापति**: डा. सी.पी. जोशी (अनुपस्थित), डा. चन्द्रशेखर बैद (अनुपस्थित), श्री बृज किशोर शर्मा (अनुपस्थित) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): सभापति महोदय, राजस्थान भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिये धन्यवाद । मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से अपना पक्ष रखा । मैं उसी क्रम में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि अनेकों जिलों में है लेकिन सर्वाधिक जमीन जिला बीकानेर में और जिला बीकानेर में भी तहसील छत्रगढ़ में सर्वाधिक भूमि है । आज मंत्री महोदय ने यह बिल जो संशोधन के लिये रखा है (व्यवधान) मैं एक मिनट की क्षमा चाहूंगा हरिमोहनजी साहब । मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल के माध्यम से जो कुछ परेशानियां अलाटी के सामने आई उनका संशोधन करने का जो प्रयास किया गया है वह भावना पूर्ण हो इसी उद्देश्य से हम अपना पक्ष आपके बीच में रख रहे हैं ।

सभापति महोदय, यह विवादास्पद विषय रहा कि जो आबंटी, खातेदार जो इस भूमि के रहे, सही व्यक्तियों को भूमि आबंटित नहीं हुई इसको लेकर लंबे समय तक विवाद रहा और इस विवाद के चलते सरकार को भी हाई-कोर्ट

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

तक में जाना पड़ा और संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर के माध्यम से भी जांच करा कर सूची कई बार बनी और उसमें छंटनी रही । वर्तमान समय में भी एक तो सूची है जो स्पष्ट और सम्पुष्ट सूची है। एक सूची है जो अभी विचाराधीन प्रकरण है और एक मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि भूदान बोर्ड के बोगस पट्टे । सभापति महोदय, आज भी मेरा उद्देश्य कहीं से भी कोई ऐसा तर्क रखने का मकसद नहीं है कि मैं कोई इस बिल का विरोधी हूं लेकिन वस्तु स्थिति से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज भी भूदान बोर्ड के खाली पट्टे उपलब्ध हो जाते हैं । यह स्थिति कहीं ऐसा न हो कि जिस सोच के साथ इतना बड़ा आंदोलन चला और तत्कालीन जागीरदारों ने अपनी भूमि का दान किया कि भूमिहीनों तक भूमि जाये, कमजोर और पिछड़े तबके के बीच में भूमि पहुंचे, वह लोग इसका अपना हक लेकर अपनी काश्त करके अपने परिवार का लालन-पालन करे, कहीं वह उनकी सोच धूमिल न हो जाये । आज ऐसे लोग इस भूमि के खातेदार हैं जो राज्य के बाहर के हैं । ऐसे लोग हैं जो राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं और ऐसे लोग जो राज्य के बाहर से यहां आकर निवास कर रहे हैं वह भी खातेदार हैं । एक ही परिवार के पास कई-कई पट्टे हैं । साढे 12 और 25 बीघा भूमि आबंटित किया जाना इसमें प्रस्तावित था और एक एक परिवार के पास में 8-8, 10-10 मुरब्बा से ज्यादा जमीन है । इसके साथ आज जो स्थिति है चूंकि हम इसमें संशोधन कर रहे हैं, एक और टीनेंसी एक्ट की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी और हम कालोनाइजेशन एक्ट की बात भी इसमें जोड रहे हैं या नहीं जोड रहे हैं यह मंत्री महोदय स्पष्ट करने का कष्ट करें । क्योंकि राज्य के अन्य जिलों में टीनेंसी एक्ट के तहत इस भूमि का आबंटन करने की प्रक्रिया चल रही थी और आज भी चल रही है। लेकिन हमारी जो छत्रगढ़ तहसील है यह चूंकि कमांड एरिया है, यह कालोनी एरिया है इसलिए यहां पर कलोनाइजेशन एक्ट के तहत आप जो भी संशोधन करके इसको देने वाले हैं वह इसके तहत देंगे ।

मैं यही निवेदन करूंगा कि आप आने वाले समय में अधिकार किस के माध्यम से देने वाले हैं यह स्पष्ट करें । क्या भूदान बोर्ड के माध्यम से देने वाले हैं या भूदान बोर्ड को समाप्त करके आप अपने ही राजस्व अधिकारी के माध्यम से देने वाले हैं, यह प्रक्रिया स्पष्ट हो । क्योंकि लंबे समय से भूदान बोर्ड के आपके अध्यक्ष का पद रिक्त है। आज आपने किसी अधिकारी को अगर उसका चार्ज दिया भी है तो उसका क्या औचित्य है यह मेरी समझ

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

से बाहर है । सभापति महोदय, साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा हमारा छत्रगढ़ चूंकि सबसे ज्यादा जमीन वहीं है इसीलिए मैं उसके ऊपर बार-बार इस बात को लाना चाहूंगा । पूर्व में जो लोग वहां पर मजदूरी करने के लिये आये थे उनको आने वाले समय में भूमि आबंटित कर दी गई, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। तो क्या उनको इसके तहत आप अधिकार देंगे और अगर अधिकार देंगे तो पूर्व में जो आपकी रोक थी राज्य के बाहर का व्यक्ति यहां पर खातेदारी अधिकार नहीं ले सकता क्या उसमें भी कोई परिवर्तन करने वाले हैं यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह भी आप स्पष्ट करें। यह बात सही है कि आज बहुत से विवादास्पद विषय रहे, डबल अलाटमेंट के भी प्रकरण रहे जिनमें से कुछ का निस्तारण आज दिन तक नहीं हुआ । क्या आप एक व्यक्ति विशेष को खातेदारी दे देंगे तो उस दूसरे के अधिकार का क्या होगा यह भी आप स्पष्ट करने का प्रयास करें यह मैं आपसे निवेदन करूंगा ।

इसके साथ-साथ आज अधिकांश भूमि पट्टेदारों के पास है और उस भूमि पर उनको खातेदारी अधिकार मिल जायेगा तो वह व्यक्ति जिनकी पात्रता संदेहास्पद है, संदेह के घेरे में है वह लोग आज इसका अधिकार लेकर उस भूमि को बेच कर अपनी मनी जनरेट करेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज अधिकांश भूमि आपके इन खातेदारों के पास होने के कारण उनको हक मिल जाने के बाद जो एक विवाद वहां पर है कि वहां श्मशान के लिये भूमि चिह्नित नहीं है, वहां मार्ग भी नहीं कटे हुए हैं इन विवादों का निस्तारण भी इसके साथ, आपने जो संशोधन किया है इसमें किस प्रकार से होगा यह भी मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय स्पष्ट करें ।

साथ ही मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस बिल में जो खामियां नजर आ रही हैं तो मेरा प्रस्ताव है कि तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु इसको परिचालित किया जाये, धन्यवाद ।

**श्री सभापति**: श्री हरिमोहन शर्मा ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): सभापति महोदय, जिस भावना और जिस उद्देश्य के साथ आचार्य विनोबा भावे ने यह भूदान यज्ञ के माध्यम से उन लोगो से, उनकी स्वेच्छा से जमीन लेने का अभियान चलाया था जिसे सरकार कानून के अभाव में उनसे नहीं ले पा रही थी, उन्होंने प्रेरणा दी कि राजस्थान और हिन्दुस्तान के सभी भागों में वह गरीब लोग हैं, अनुसूचित

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जाति, जनजाति के, पिछड़े तबके के आर्थिक दृष्टि से विपन्न लोग हैं और एक तरफ वह तबका है जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं, लैंड लोर्डस है, जागीरदार हैं, राजा हैं, महाराजा हैं और राजा और महाराजा नहीं है तो भी जिनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक खातेदारी की जमीन है । सभापति महोदय, उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान में दर-दर की ठोकरे खाते हुए गांव-गांव में जाकर इस बात की प्रेरणा दी कि हमें इन पिछडे तबके का, इन गरीबों का उत्थान करना है और इनको भूमि देकर इनको अपने पैरों पर खड़ा करना है । उस भावना के अनुरूप लाखों बीघा जमीन राजस्थान सहित पूरे देश में भूदान के माध्यम से वह जमीन उन लोगों से यह कहकर ली गई थी, उनको यह विश्वास दिलाकर ली गई थी कि आप दानदाता हैं, आप गरीबों के मसीहा हैं, आप इनको पैरों पर खड़ा करने में सहायता करें। यह आजीवन आपके इस दान से, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो दानदाताओं की स्मृति इनके दिल और दिमाग में बनी रहेगी। माननीय सभापति महोदय, जिस भावना के तहत यह किया गया और आज जिस भावना के तहत इसमें परिवर्तन किया जा रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि मूल रूप में वर्तमान सरकार का गांधीजी, आचार्य विनोबा भावे, उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान, सोच, नीतियों में कतई विश्वास नहीं रहा और उन नीतियों से हटने का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, है क्या गांधीजी में विश्वास आपका? (व्यवधान)नहीं है तो फिर काहे को बोलते हो।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): गांधीजी समाधि में जाकर तो रोजाना ही सिर नवाते हैं लेकिन यह...(व्यवधान)

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): गांधीजी में आपका विश्वास नहीं है (व्यवधान) आपका गांधीजी में विश्वास नहीं है।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): यह तो तो पैदाइशी ही गांधीजी के भक्त हैं और गांधीजी ....(व्यवधान)

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): गांधीजी में अगर विश्वास होता तो राम नाम का विरोध नहीं करते।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): माननीय उप सचेतक महोदय, गांधी जी के साथ इन्होंने आंदोलन किया था शहीद रामकल्याण ने उसको तो शहीद मानते हैं। बीजेपी उनको कहती है कि साहब वह तो.... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): गांधीजी में विश्वास है इसीलिए खादी पहनना छोड़ दिया आप लोगों ने।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): किसने ?

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): राम नाम में तो विश्वास रखते हैं लेकिन पाखण्ड में विश्वास नहीं रखते। (व्यवधान)

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पाखण्ड आप करते हो। रामसेतु में भी आपका विश्वास नहीं है, राम नाम में विश्वास नहीं है, रामसेतु में भी आपका विश्वास नहीं है। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): राम के नाम पर सौदा नहीं करते, राम के नाम पर चंदा नहीं करते, राम के नाम पर बेइमानी नहीं करते, राम के दर्शन करते हैं । (व्यवधान)

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): हमारा विश्वास गांधीजी के राम में है और इनका विश्वास गोडसे के राम में। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): जो मंदिरों में भी आपको अधिकार नहीं देना चाह रहे। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: किसी भी सदस्य को..

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आज भी मनु स्मृति में लिखा है शिडयूल कास्ट के कानों में सीसा डाल दो। बचो इनसे। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल** (निवाई): कांग्रेसी अपने नाम बदल लो ताकि सोनियाजी खुश हो जाएं। (व्यवधान)

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़): राम का नाम भूल गए। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप लोग बिराजें, कृपया करके बिराजें। (व्यवधान) कृपया करके बिराज जाएं। आदरणीय किशनगढ़ से आने वाले सदस्य, कृपया करके बिराजें. What is more important? The deliberations on this Bill or your personal comments? Let the House be very serious about it. I want no disturbance when the hon'ble member is speaking. Nobody will hijack the floor unless it is relented by the Chair.

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय, मैं इसलिए कहता हूं नीतियों में विश्वास नहीं होने की बात। यह संशोधन जो यह लाये हैं खातेदारी राइट्स देने का, खातेदारी राइट्स देने के संशोधन के पूर्व जिस भावना से भूदान यज्ञ का एक्ट बनाया था उसका मूल उद्देश्य उस काश्तकार को, उसमें प्रोवीजन है आज भी, उसमें प्रोवीजन है कि उसकी डेथ के बाद उसके हैड्स उसमें आएंगे।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उसमें यह प्रोवीजन है वह सब इन्स्टीटयूट से जो रिकोमनाइज्ड बाई दा स्टेट गवर्नमेंट एंड एप्रूव्ड बाई दा स्टेट गवर्नमेंट से है चाहे वह कापरेटिव के हो, उसमें वह अपनी भूमि सुधार के लिए लोन ले सकता है, उसमें प्रोवीजन है। भूमि सुधार का प्रोवीजन है। उसके बच्चे के नाम वह लैण्ड ट्रान्सफर होने का प्रोवीजन है। एक प्रोवीजन उसमें यह नहीं है कि उस लैण्ड को वह ट्रान्सफर कर सकता है या बेच सकता है और वह प्रोवीजन इसलिए है कि दानदाता से लेकर आचार्य विनोबा भावे और इस फिलोस्पी के मानने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि उसको लैण्ड को ट्रान्सफर करने का अधिकार दिया जाए। मूल भावना यही है कि इस एक्ट के, आप खातेदारी अधिकार में परिवर्तन लाकर खातेदारी अधिकार आप उनको दें। खातेदारी अधिकार देने के बाद उसको लैण्ड ट्रान्सफर का अधिकार स्वतः ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा या इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोवीजन है जिसके तहत लैण्ड को सेल करेगा, ट्रान्सफर करेगा एलिनेट करेगा तो उसमें क्या प्रतिबंध लग जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे सही बात तो आपको यह करना चाहिए था कि, मुझे सरकार यह बताए, राजस्व विभाग यह बताए कि इन दोनों परिवर्तनों को करने के बाद राजस्थान भूदान यज्ञ एक्ट की किस बात के लिए आवश्यकता है मुझे यह बताए, इस एक्ट की उपयोगिता क्या है, इस एक्ट में किस प्रोवीजन के तहत आप क्या काम करेंगे? खातेदारी अधिकार दे ही रहे हैं लैण्ड पहले भी वेस्ड गवर्नमेंट में ही कर रही है, लैण्ड अब भी वेस्ड गवर्नमेंट में ही करेगी। भूदान यज्ञ के तहत जो लैण्ड अलाटमेंट की गई उनको या उनको जो दी गई उस समय भी लैण्ड वेस्ड राजस्थान गवर्नमेंट में ही कर रही थी किसी और संस्था में नहीं कर रही थी और आज भी इस एक्ट में परिवर्तन करोगे....(व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): नहीं था यह...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप इसको पढ़ लेना इसमें लिखा है।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): नहीं था यह अधिकार..(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): इसमें लिखा है भई, उस समय लिखा है।

**श्री सभापति**: एक बात का पता कर लें कि मंत्री महोदय सक्षम हैं कि नहीं? Let us decide it on one thing. Let the Hon'ble Minister reply.

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): इसी में लिख रहा है कि उस समय भूदान यज्ञ एक्ट के तहत जो लैण्ड उनको दी जाती थी जबकि यह लैण्ड गवर्नमेंट में ही वेस्ट कर दी. Vested in the Government. तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से , हिम्मत करके सामने आए और साफ कहे कि न हमारा भूदान एक्ट में कोई विश्वास है, न हमारा आचार्य विनोबा भावे की नीतियों में विश्वास है और हम इस तरीके से, इस एक्ट की उपयोगिता राजस्थान के राजस्व विभाग मुझे समझा दें कि धारा 25 को डिलिट करने के बाद और धारा 24 में यह उनको सीधा खातेदारी अधिकार देने के बाद और सारी लैण्ड गवर्नमेंट में वेस्ट होने के बाद क्या इस एक्ट की किस प्रोवीजन में किस जगह पर क्या आवश्यकता है यह मुझे समझा दें। ज्यादा बैटर यह होता कि आप वह ला रहे थे, न्यू टिनेंसी एक्ट जो ला रहे थे आप उस टिनेंसी एक्ट में इन प्रोवीजन को डाल देते और इस एक्ट को भी रिपिल करने का आप ले आते तो ज्यादा बैटर होता। आप चेहरा तो बनाये रखना चाहते हैं विनोबा भावे का, आप चेहरा तो बनाये रखना चाहत हैं महात्मा गांधी की नीतियों का और काम ठीक उनकी नीतियों के विपरित करके,मुझे यह समझा दो कि इस भूदान एक्ट की किस परपच से किस स्तर पर कहां किस वजह से आवश्यकता रह गई है यह तो बिल्कुल बेकार हो गया। जब बेकार ही हो गया तो इसके बाद जो आप संशोधन लाये यह बात आप साफ करें इस एक्ट के तहत भूदान एक्ट के तहत लैण्ड ट्रान्सफर होकर आप जिसको खातेदारी दे रहे हो, उस खातेदार को, अगर शिडयूल कास्ट का है तो क्या उस लैण्ड को वह शिडयूल कास्ट को ही बेचेगा या दूसरी कास्ट को बेचेगा अगर वह दूसरी कास्ट का है तो क्या उस पर प्रतिबंध है रहेगा लैण्ड को सेल नहीं करने का। क्या इसमें स्वतः ही जो अनुसूचित जाति के जो परिवार हैं जिनको लैण्ड भूदान यज्ञ एक्ट के अन्तर्गत मिली है और आप खातेदारी अधिकार दे रहे हो तो क्या इम्पलाइडजली वह रेस्ट्रिक्शंस इसमें लागू होगी या नहीं होगी कि वह उस जमीन को बेचेगा तो केवल अनुसूचित जाति को ही बेचेगा या अनुसूचित जनजाति को ही बेचेगा, आप यह साफ करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय, एक ओर इस बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड आपका है, पूरा सरकारी है, कोई दूसरा इसमें आदमी है नहीं, यह भी सरकार है और यह भी सरकार है। इधर सरकारी अधिकारी है और इधर सरकार का नाम है । जब वह काम भी एक विधिवत सरकार कर रही थी तो इसमें इस परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी आप मुझे यह समझा दें ? मैं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं, इसके साथ ही आपसे कि जिस प्रकार से इस एक्ट को पूरे को रिपिल करने का अप्रत्यक्ष रूप से यह सरकार प्रयास कर रही है वह शत प्रतिशत अनुचित है। आचार्य विनोबा भावे के दृष्टिकोण से जो राजस्थान के और हिन्दुस्तान के किसानों को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्थाई रूप से जो अधिकार दिया अनुसूचित जाति और जनजाति को टीनेंसी एक्ट में, उस समय अधिकार इसलिए दिया गया कि वह उस जमीन को नहीं बेचे, क्यों नहीं बेचे रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन दूसरे प्रभावशाली लोग कम दाम पर खरीद लेंगे और उनको उस जमीन से बेदखल करवा देंगे। यह रेस्ट्रिक्शंस इसलिए था, अब इसमें क्या है वह रेस्ट्रिक्शंस आप मुझे यह समझा दें। खातेदारी राइट देने के बाद क्या यह रेस्ट्रिक्शंस इसमें भी रहेगा? इन सब बातों पर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेहरबानी करके आप स्पष्ट शब्दों में साफ तरीके से यह बात करके सामने आये कि अब इस भूदान एक्ट की न तो कोई आवश्यकता है या मुझे समझा दें कि अब भी इस एक्ट के तहत आपको कोई न कोई काम करना शेष है, तो  मैं उसे समझ लूंगा इसीलिए अंत में माननीय सभापति महोदय, आपसे अनुरोध करता हूं और यह आरोप लगाता हूं इस सरकार पर कि सरकार आचार्य विनोबा भावे की नीतियों से, महात्मा गांधी की नीतियों से अपने ढंग से, क्योंकि उनकी नीतियों में इनका विश्वास नहीं होने के कारण इन नीतियों से हटकर चोर दरवाजे से इन नीतियों का, उन भावनाओं का, उन विधानों का समापन कर अपने ढंग से सरकार उस भूमि को जो दानदाताओं ने दी है, सरकार ने नहीं ली है, और दानदाताओं ने उनके निवेदन पर, उनकी प्रार्थना पर, उनके प्रभाव पर, उनकी भावना पर दी है। सरकार का कोई प्रयास नहीं था, उस लाखों बीघा जमीन में। सरकार उस जमीन को जो अलाटमेंट से अभी बाकी है, अपने पास लेकर उस जमीन का भी उसी प्रकार से दुरुपयोग करने की नीयत रखती है कि जिस प्रकार से यह इनके पास जो सरकारी जमीन है और उसको जिस प्रकार से दुरुपयोग करके अपने पदों का दुरुपयोग कर मनमाने ढंग से सर्किट हाउसों जैसी कीमतों को मुफ्त में देने का जो षड्यंत्र यह सरकार कर रही है, वह षड्यंत्र इस सरकार के द्वारा, इस भूदान यज्ञ के द्वारा, जो जमीन दी है, जो वेस्ड करेगी राजस्थान गवर्नमेंट में, यह उस बात का भी, उस प्रकार से दुरुपयोग करना चाहती है। विस्तार से जिस प्रकार के दुरुपयोग की बातें सर्किट

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हाऊस की जमीनों को बेचने की, मुफ्त में देने की, अलाट करने की, और राजस्व विभाग में वह काम हो रहा है, इस पर विस्तार से प्रकाश जब टीनेन्सी एक्ट में मैं मेरे विचार रखूंगा तब आऊंगा लेकिन मेरा आरोप है कि यह सरकार, इस सरकार का यह विभाग सरकारी जमीनों का दुरुपयोग करना चाहता है। भू-दान यज्ञ की जमीनों का दुरुपयोग करना चाहता है और जो सरकार में वेस्ड लैण्ड है, उसका दुरुपयोग करना चाहता है और अपने लाभ के लिये उन लोगों को आबंटित करना चाहता है कि जो इनकी संस्थाओं या इनके लोगों से जुड़े हुए हैं, विस्तार से इस चर्चा पर मैं टीनेन्सी एक्ट पर विचार करुंगा। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री बाबूलाल नागर। श्री जोगेश्वर गर्ग।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, यह सरकार जो अधिनियम लाई है संशोधन के लिये, इस विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भू-दान यज्ञ के भगवान को प्रणाम करता हूं और भू-दान यज्ञ के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे और उनके सहयोगी श्रद्धेय गोकुल भाई भट्ट और सिद्धराजजी डढ्ढा जैसी महान आत्मा को भी नमन करता हूं। बहुत पवित्र भावना के साथ भू-दान यज्ञ का आगाज किया गया था और उसके कारण जहां—जहां यह लागू हुआ, वहां उस समय में बहुत लाभ हुआ। आधी सदी से अधिक समय निकल गया, भू-दान आन्दोलन को प्रारम्भ हुए और अब परिस्थितियां बहुत बदल गयीं। उस समय जिनको उस भू-दान कानून, 1954 के तहत जिनको खातेदारी का अधिकार इसमें दिया होगा।

**(समय : 16.02 बजे)**

**(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)**

खेती के लिये उसको जमीन दी होगी। अब उस व्यक्ति की चौथी पीढ़ी अस्तित्व में आ चुकी, अपना अधिकार मांग रही होगी। उस समय जो 50 बीघा जमीन रही होगी, आज वह बंटते-बंटते, एक के हिस्से में चार बीघा, तीन बीघा रह गई होगी। वह खेती की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं रही और उत्पादक भी नहीं रही। उस जमीन के भरोसे उसका भरण-पोषण नहीं हो सकता है और खेती के अलावा अन्य कोई गतिविधि करने की अनुमति भू-दान एक्ट, 1954 नहीं देता है। तो उस जमीन का वह क्या करे, अगरबत्ती करे, दर्शन करे। जो

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस संशोधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रश्नों के जवाब सोचें। अब उस जमीन पर जो संयोग से, उधर से कोई हाइवे निकल गया, 4-लेन, 6-लेन हाइवे निकल गया, हाई-वे के किनारे पर वह जमीन आ गई। उसके हिस्से में एक बीघा आ रही है, दो बीघा आ रही है, तीन बीघा आ रही है। खेती से उसका भरण-पोषण नहीं हो सकता है और वह जवान लड़का चाहता है कि उस पर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल ले, शानदार आमदनी उसकी हो सकती है, वह नहीं कर सकता है। वह चाहता है कि वहां कोई फैक्ट्री लगा दे, वह नहीं कर सकता है। वह चाहता है कि वहां कोई दुकान कर ले, वह नहीं कर सकता है। उस भूमि का अन्य कोई उपयोग करने का अधिकार उसको भू-दान एक्ट, 1954 के तहत नहीं है। उसका मालिकाना हक है, पर उपयोग नहीं कर सकता है। तो यह तो ऐसा हो गया जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में जंवाई जब पहली बार ससुराल में जाता है तो उसको जब भोजन के लिये बैठाते हैं तो जो बाजोठ लगाते हैं, उस बाजोठ के ऊपर तो कांच होता है, नीचे से वह बंद होता है, उस कांच के नीचे थाली में छप्पन भोग सजे हुए रखे होते हैं और उसका कोई गुप्त ताला, ऐसा कोई खांचा होता है, जिसके बिना वह खोल नहीं सकता है, वह जंवाई उसको ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, घंटों तक। जब तक वह कील नहीं मिले तब तक वह भोजन नहीं कर सकता है। भोजन सामने पड़ा रहता है।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): खोलने की कला आती नहीं है, इतनी सी बात है।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): वह रामनारायणजी के जमाने में तो आती थी पर हमारे युग के लोगों को कहां आती है वह कला। इसलिये इस संशोधन पर इतने सारे सवाल खड़े करने वालों को इन प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिए कि जिस भूमि का वह मालिक है, जिस भूमि का मालिकाना हक उसको प्राप्त है, उस भूमि का उपयोग भू-दान यज्ञ की भावना के अनुसार अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिये, अपनी आय बढ़ाने के लिये वह कर सके इस बात की गारण्टी कर सकता है, यह संशोधन। लेकिन जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यह जमीनें बिक जाएंगी, वह आशंकाएं भी निर्मूल नहीं हैं। कीमतें हो गईं, वह जमीन हाइ-वे पर आ गई होगी, शहर के नजदीक आ गई होगी। उपयोग उनका बढ़ गया है तो उनके भाव भी बढ़ गये हैं। भाव बढ़ गये हैं तो बेचने

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

की सम्भावना बढ़ जाती है। अब जैसे ही आप यह छूट देंगे, वह सारी की सारी जमीनें यदि बिक गयीं तो फिर भू-दान आन्दोलन की भावना भी समाप्त हो जाएगी। भू-दान आन्दोलन का उद्देश्य भी मर जाएगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि बाकी सारे अधिकार तो दिये जाएं, कन्वर्जन के अधिकार दिये जाएं, भू उपयोग परिवर्तन के अधिकार दिये जाएं, पर बेचने के अधिकार उसको न रहे। यह यदि प्रतिबंध रहा तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उसका हित हो सकेगा जिसका हित हम करना चाह रहे हैं इस कानून के माध्यम से।

दूसरा, जो हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, इस भू-दान यज्ञ के तहत जिन लोगों को जमीनें मिली हुई हैं उनमें सब जातियों के लोग हैं। एस.सी. के हैं, एस.टी. के भी हैं। उनके साथ क्या होगा। इसके बारे में जरुर यह बिल बनाते समय, यह विधेयक पेश करते समय सरकार ने विचार किया होगा। जो विचार आपने किया है वह सदन के सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा कि उनको वह बेचने का अधिकार होगा या नहीं होगा। उनके अधिकारों में कोई कटोती होगी या बढ़ोतरी होगी। उनमें क्या-क्या सीमाएं लागू रहेंगी। यह विषय भी यदि स्पष्ट हो जाता तो मैं समझता हूं कि इतने सारे सवाल सदन में नहीं उठते। इसलिये माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन के माध्यम से जिन अधिकारों को, भूमि-धारकों के अधिकारों को व्यापकता आप देने जा रहे हो, उसका तो मैं स्वागत करता हूं पर बेचने का अधिकार देने के बारे में यदि आप फिर सोचेंगे, बेचने का अधिकार देने के बारे में पुनर्विचार यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूं, ज्यादा उचित रहेगा। इसी के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य श्री सुभाषचन्द्रजी बहेडिया। माननीय सदस्य श्री अमरारामजी धोद। माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद। माननीय सदस्य श्री प्रहलादजी गुंजल। माननीय सदस्य डा. श्रीगोपालजी बाहेती।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस देश की आजादी के इतिहास को हम देखें तो देश की आजादी केवल संघर्ष से नहीं हुई। इसके पीछे नीति थी, त्याग था, सद्‌भाव था और मानसिक पवित्रता थी। तब जाकर हमारे देश के शहीदों ने इस मुल्क को आजाद कराया।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

**(समय : 16.08 बजे)**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

मुल्क की आजादी के बाद हमारे देश में जब विकास की यात्रा प्रारम्भ हुई तो गांधीवादी नेताओं ने देश के दौरे किये। मुल्क आजाद हुआ 1947 में और कोई चार साल भी नहीं बीते कि 1951 की 18 अप्रैल को तेलंगाना में जब आचार्य विनोबा भावे अपने दौरे पर थे तब एक दृश्य उन्होंने देखा और हृदय विदारक दृश्य, एक किसान, एक गरीब आदमी उनको हाथ जोड़ रहा था कि बाबा, मुझे जमीन दो, मेरे पास कोई जगह नहीं है। बाबा के लिये यह घटना अप्रत्याशित थी, जमीन देने का काम सरकार करे, बाबा कहां से करे। लेकिन तभी वहां एक जमींदार आगे आया। उस जमींदार ने अपनी जमीन बाबा को दी कि बाबा, मैं यह जमीन दान करता हूं, आप इसे दे दीजिए और बाबा ने देखा कि इस देश के अन्दर जमीन का दान भी हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जमीन किसान के लिए हो और चाहे जमीन धारक के लिए हो, जमीन उसके कलेजे का टुकड़ा होता है। जमीन आदमी अन्त में बेचता है। चाहे कितनी ही उसको दिक्कत आ जाए। ऐसे में जमीन दान करना जब तक उसके अन्दर भावना नहीं आएगी दान करने की, कोई व्यक्ति दान नहीं कर सकता और इस प्रकार से यह भूदान आन्दोलन आगे बढ़ा और बहुत ही जल्दी इस आन्दोलन को 1957 में सभी पार्टियों का समर्थन मिला तब हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें धेवर साहब, जय प्रकाशजी, जवाहरलालजी, नम्बूदरीपाद और सभी पार्टियों के लोग थे और उन्होंने मिलकर इस बात को प्रतिपादित किया कि इस भूदान की आवश्यकता हमारे देश के अन्दर है। हमारे देश के अन्दर जितना देश फैला हुआ है, जितना गरीब है और हमारा 80 परसेंट देश गांव में रहता है। आर्थिक व्यवस्था ठीक करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम गांव के भूमिहीन व्यक्ति को जमीन उपलब्ध कराएं और उसके बाद इस आन्दोलन ने गति पकड़ी और उस गति को पकड़ते हुए देश के कई जमींदारों ने जमीन दान की और ऐसी स्थिति भी आयी कि गांव के गांव दान किये। भूदान ग्राम दान आन्दोलन बन गया। एक दफा तो स्थिति ऐसी आयी यू.पी. के एक गांव के अन्दर कि जहां पूरे के पूरे गांव को उस जमींदार ने अपनी पूरी जमीन को आचार्य विनोबा भावे को दान कर दिया। इस प्रकार से लैण्ड बैंक बन गया और वह लैण्ड बैंक

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बाद में जाकर भूदान बोर्ड के माध्यम से विभिन्न प्रांतों में लैण्ड-लैस लोगों को मिली और लोगों ने उससे अपना जीवन-यापन किया और इस पूरे आन्दोलन से राजस्थान भी अलग नहीं रहा। राजस्थान में 2 लाख 87 हजार 399 एकड़ भूमि के दान-पत्र मिले, उसमें से 1.15 लाख एकड़ जमीन 20874 लैण्ड लैस लोगों को दी गयी। जो आज भी उनके पास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूदान आन्दोलन ने जो गति पकड़ी और लोगों को जमीनें मिली तो राजस्थान में भी एक एक्ट बना और उस एक्ट के माध्यम से यह बात रेगुलेट हुई कि किस प्रकार से जमीन को किन लोगों को दी जाए और मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूं कि राजस्थान में यह काम तत्कालीन जागीरदारों, जमींदारों, किसानों और दानदाताओं के माध्यम से जमीन मिलने से चला लेकिन आज जब हम यह देख रहे हैं कि राजस्थान की सरकार इस एक्ट को खुर्द-बुर्द करके और पता नहीं किस नीयत से यह संशोधन लायी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इसका राजस्थान भूदान यज्ञ एक्ट, 1954 है उसमें एक धारा है-32- Powers to make rules. The Bhoodan Yagna may with the previous sanction of the State Government or the State government may in consultation with the Board make rules for the purpose of carrying into the effect the provisions of this Act. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में तो साफ कहा है कि सरकार यदि यह बदलाव लाये तो बोर्ड से पूछकर और बोर्ड यदि बदलाव लाये तो सरकार से मंजूरी लेकर। जब रूल बदलने में स्थिति यह है, जब आप एक्ट में अमेंडमैंट कर रहे हैं और अब वर्तमान में बोर्ड नहीं है। बोर्ड है ही नहीं वहां पर बोर्ड एक डिप्टी सैक्रेटरी के हवाले है और...(व्यवधान) आप बाद में बोल लेना, माननीय सदस्य, समझ में नहीं आता मेरे को, बार-बार क्यों बोल रहे हैं, मैंने पहले भी बोला आपको, यह बात...(व्यवधान) बोल लेना बाद में आप।

पता नहीं सरकार क्यों कर इसमें इतना बड़ा अमेंडमैंट लाना चाहती है कि जो इस पूरे भूदान बोर्ड की और भूदान आन्दोलन की जो नीयत थी, जो इसका उद्देश्य था, जो इसका लक्ष्य था और जिसको लेकर आचार्य विनोबा भावे और समग्र सेवा संघ के लोगों ने राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में घूम-घूमकर, आप कल्पना करिये कि 13 वर्ष तक सूर्य की तरह घूमकर दिन रात बाबा ने इस आन्दोलन को गति दी। यह सामान्य बात नहीं है। उनको आवश्यकता नहीं थी जमीन की लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि तेलंगाना के लोगों की घटना

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

उनके जहन में ऐसी बैठी कि उनको इस काम के लिए घूमते-घूमते अपनी पूरी जवानी और पूरा अपना जीवन लगाया लेकिन इस आन्दोलन को उन्होंने गति दी। इसकी धारा 24 के अन्दर आप यह देखिये कि जो भूदान में जिसको यह जमीन मिली है उसको यह अधिकार है कि वह जमीन के लिए लोन ले सकता है। जमीन का विकास कर सकता है। वह जमीन के उत्थान के लिए सब काम कर सकता है, उसमें लिखा हुआ है कि ''(a) Subject to the provisions of clause (f( the holder shall be deemed to hold the land directly from the State Government; (b) The rights shall on the death of the holder pass to his heirs; उसके मरने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी है, उन्हें भी मिलेगा। (c) The holder shall not transfer any interest in the land; (d) the holder shall not sub-let the land without the previous sanction of the Board; (e) The holder shall not allow the land to lie fallow for period in excess of two years; (f) The holder shall pay the rent equal to the land revenue fixed by the State Government direct to the landholder or the State Government, as the case may be, on or before the date when it falls due;" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो खातेदार है उसके अधिकार में और इस पट्टेधारी के अधिकार में सिर्फ जमीन बेचने के अलावा कोई कमी नहीं है। आज भी जब खातेदार कोई लोन लेता है तो वह पटवारी या तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेता है तो वही सर्टिफिकेट उसे वह भूदान बोर्ड से लेना है लेकिन चूंकि सरकार की मंशा, जब से राज में आयी मन से खराब थी। आज चार साल और कुछ महीने इनको हो गये। अब तक यह भूदान बोर्ड नहीं बना पाये क्योंकि वह मंशा नहीं थी जैसा मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे कि सरकार की नीयत यदि लैण्ड लैस के पक्ष में होती, सरकार की नीयत गांधी और विनोबा के अनुरूप होती तो सरकार इस पवित्र आन्दोलन को बजाए नष्ट भ्रष्ट करने के और उसको आगे बढ़ाती लेकिन सरकार चल रही है भूमाफियाओं के दबाव में। सरकार को जहां पर जमीन दिखती है वहां सरकार की कली-कली खिल जाती है कि कहां से जमीन को किस तरह तितर-बितर की जा सके, खुर्द -बुर्द की जा सके लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको यह सब काम करने से पहले जो इस आन्दोलन से जुडे हुए लोग थे, उनको बुलाते। उनसे आप राय लेते। उनकी भावनाओं को आप समझते कि उनकी भावना क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जमीन जिसके पास है उसको विकास के पूरे-पूरे अधिकार मिलने चाहिए। इससे हम भी सहमत हैं लेकिन सरकार इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करे कि भूदान की मिली जमीन बेचने का अधिकार, ट्रांसफर का अधिकार, सबलैट का अधिकार किसी भी प्रकार से उस पट्टेधारी

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

को नहीं मिले जिसको दान में यह जमीन मिली है क्योंकि भूदान की जमीन और खुद की एन्सेस्ट्रल प्रोपर्टी, उसमें अन्तर है। आज मैं जमीन परचेज करूं, मैं कुछ भी करूं, वह अलग बात है लेकिन मुझे सरकार ने कोई जमीन यदि कमा खाने के लिए दी है तो उस जमीन को बेचने का अधिकार मुझे नैतिक रूप से नहीं होना चाहिए।

लेकिन जिस प्रकार से जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं और लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, जो टेम्पटेशन आ रहा है, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इस बात का संदेह व्यक्त किया कि वह गरीब आदमी मुझे लगता नहीं है कि इस प्रलोभन से बच जाएगा। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन की इस एक्ट में आवश्यकता ही नहीं है, उसके बाद भी यदि आपका अडामैंट है तो एक बार जनमत जानने के लिए इसे आप परिचालित करें और जिन लोगों का इससे संबंध है और जो दान-दाता आज जीवित बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी बुलाकर पूछें। छतरगढ़ का इतिहास है कि छतरगढ़ के तहसीलदार ने फैसला करके छतरगढ़ की जमीन को दुबारा भूदान बोर्ड के नाम की जो गलती से खातेदारी में चढ़ गयी थी। एक तरफ तो सरकार की मंशा यह थी कि भूदान आन्दोलन की जमीन वहां से खुर्द-बुर्द नहीं हो और एक तरफ आपकी मंशा है कि उसको आप बेक-डोर से खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दिन के उजाले में ऐसे काम मत करो कि रात के अंधेरे में नींद नहीं आती है और रात के अंधेरे में ऐसे काम मत करो कि दिन के उजाले में आंखें झुक जाती हैं। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री हेमराज मीणा।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूदान बोर्ड संशोधन विधेयक, 1954 में जो धारा 24 में संशोधन है उसके बारे में कुछ बात अपनी निवेदन करना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाह रहा था आपके माध्यम से मंत्रीजी को, कि यह धारा 24 में भूदान बोर्ड में जो संशोधन पेश किया है, कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इसका बड़ा विरोध किया और कहा कि इस संशोधन के आने से जमीनें चली जायेंगी, भू-माफियाओं का कब्जा हो जायेगा और सारी जमीनें खुर्द-बुर्द हो जायेंगी। मैं कहना चाहूंगा कि .. (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): कांग्रेस के सदस्यों ने इसका विरोध नहीं किया, आप सही बात बोलो। ट्रांसफर पर रेस्ट्रेक्शन होना चाहिये, यह बोलो।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): मैं सही बोलूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि भूदान बोर्ड में जो धारा-24 का संशोधन था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस संशोधन से काश्तकार को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि 24 के संशोधन होने के बाद में इसमें कुछ क्लॉज जोड़ने के बाद में और एक से पाँच क्लॉज हटाने के बाद में उस किसान को, जिस गरीब आदमी को भूदान बोर्ड द्वारा जमीन मिली थी, उसको मालिकाना हक मिलेगा। वह खातेदार बनेगा और खातेदार बनने के बाद में उसके वह सब रास्ते खुलेंगे, जो खातेदार को आवश्यकता है और खातेदारी के आधार पर जो अधिकार उसको मिलना चाहिये, बैंकों में जाना, ऋण लेना, उसके आधार पर कई सारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन उसका भूदान होने के कारण से बहुत बड़ा व्यवधान था। मेरे इलाके में भूदान बोर्ड का एक गांव है ग्रामदानी, उनको कोई भी परमिशन लेनी पड़ती थी तो जयपुर उनको आना पड़ता था। जयपुर आने के बाद में उनको कोई परमिशन लेनी पड़ती थी। वह कई चक्कर लगाते थे महीनों तक, उसके बाद में कोई उसकी परमिशन होती। उसके बाद में उनकी फाइल आगे बढ़ती। मैं समझता हूं उसको मालिकाना हक मिलने के बाद में उसका अधिकार मिलेगा। अगर तहसीलदार, पटवारी वहीं होगा तो वहीं उसका सारा समाधान हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि यह वास्तव में आप बहुत अच्छा संशोधन लाये हो जिसमें काश्तकार को मालिकाना हक मिलेगा और जहां जमीन की बात है, ट्रांसफर की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, जमीन तो बची नहीं। वह तो अलॉटमेंट कर चुके। भूदान बोर्ड की जमीन अब कहीं है ही नहीं, किसी न किसी के कब्जे में है, किसी न किसी आबंटी के पास है, वह खेती कर रहे हैं। उसका उपयोग कर रहे हैं। अब जमीन कहीं बची नहीं है।

लेकिन इसमें जो विवादित जमीन है, इसमें मेरा एक सुझाव भी है आपके माध्यम से मंत्रीजी को, कि कई जमीनें ऐसी विवादित हैं, अलॉटमेंट किसी को हो गयी, अलॉटमेंट होने के बाद में वह जमीन दूसरे के नाम ट्रांसफर हो गयी और उस भूदान बोर्ड की समिति ने दूसरे के नाम भी पट्टा जारी कर दिया। उस एक्स काश्तकार के नाम पट्टा, फिर दूसरे के नाम जारी हो गया। उसने तीसरे के नाम जारी कर दिया। यह जो व्यवधान है, इसकी आप दुबारा से छानबीन करवायें और असली मालिकाना हक किसका है, उसका अधिकार

(श्री हेमराज मीणा)

किसको है, उसको ही वह अधिकार मिले और वह उस पर काबिज हो और एक रेवेन्यू रिकार्ड सही नहीं बना इस ग्रामदानी गांव का, उस रेवेन्यू रिकार्ड को सही किया जाना चाहिये ताकि वह बिलकुल साफ-सुथरा दिखाई देना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो 24वां संशोधन है, यह बहुत ही अच्छा किसान के हित में होगा और जो 25वां संशोधन विलोपित कर रहे हैं, 25 का विलोपित करने से, मैं समझता हूं किसी प्रकार का नुकसान काश्तकार को नहीं होगा। इसके विलोपित करने से फायदा यह होगा कि जो कोई विवादित जमीन थी, जो जमीन विखण्डित होने वाली थी, वह जमीन विखण्डित होने के बाद में भूदान बोर्ड में वापस जाती थी। उसका विवाद पैदा होता था। उसके दो-दो, तीन-तीन मालिक बने थे। जो सरकार में जाने के बाद में दुबारा से उसके अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी और उस गरीब आदमी को ही मिलेगी।

यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि जो जमीन अनुसूचित जाति की है और जो रेस्ट्रेक्शन सामान्य अलॉटमेंट में है, उस रेस्ट्रेक्शन का भी पालन किया जाना चाहिये तो वह जमीन आसानी से बिक नहीं जाये, किसी को वह ट्रांसफर न हो। इसका तो खास तौर से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें और निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: वह आ गयी। मुख्य बातें तो कह दीं आपने।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): नहीं, दो-तीन इससे रिलेटेड बातें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे रिलेटेड दो-तीन बातें हैं। अभी भूदान बोर्ड में कोई अध्यक्ष नहीं है। उसके कारण यह व्यवधान आ रहा है कि मेरे इलाके में भूदान बोर्ड की जमीने हैं, उनको कई सारे काम करने हैं, जैसे मैंने माननीय मंत्रीजी को निवेदेन किया था, मेरे गांव समरानिया में जिसको जमीन अलॉटमेंट हो रही है, वह अलॉटमेंट में मिली जमीन एन.एच. क्षेत्र में आने के कारण उसको मुआवजा मिलना है और मुआवजे का चैक भूदान बोर्ड में जमा हो गया। दो साल से भूदान बोर्ड में जमा है। आज उस मुआवजे को लेने में उस किसान को इसलिए परेशानी आ रही है कि चेयरमैन का अधिकार किसी को था ही नहीं। इसके कारण मुआवजे के चैक पर कौन दस्तखत करेगा। अब इन्होंने अधिकार दिया डिप्टी सेक्रेट्री को। मैं समझता हूं डिप्टी सेक्रेट्री से दस्तखत कराने के लिये उस समरानिया और शाहबाद के आदमी को जयपुर नहीं आना चाहिये।

(श्री हेमराज मीणा)

यह अधिकार आपको कलक्टर को देना चाहिये। कलक्टर उस चैक पर दस्तखत करे ताकि वह चैक उस काश्तकार को नहीं मिल जाये, काश्तकार को चक्कर नहीं लगाना पड़े। चैक मिलना है उसको 60 हजार का और चक्कर लगाने में उसके 10 हजार रुपये खर्च हो जायेंगे। जब यहां दस्तखत कराने आयेगा तो उसके 10 हजार तो चले गये। इसमें प्रोविजन किया जाना चाहिये अधिकार देते समय कि जिला केन्द्र पर जो जिला कलक्टर बैठे हैं, उनको चेयरमैन के अधिकार सम्मिलित करें ताकि उन किसानों को आने-जाने में कोई व्यवधान पैदा न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक बात है, इसके कारण से हमको और आसानी होगी ताकि काश्तकार को इसका लाभ होगा और खास तौर से मैं यह कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि 20 हजार खातेदार हो गये। भूदान बोर्ड के अन्तर्गत जब 20-25 हजार खातेदार इसके अंदर हैं, सभी लोग काबिज हैं, इस भूमि पर तो कोई बचा नहीं, लेकिन इसका पुराना रिकार्ड देखा जाना चाहिये। बहुत पुराना रिकार्ड, कि इसका मूल आबंटी कौन है। यदि वह मूल आवंटी उस पर काबिज नहीं है तो जो बाहर के आबंटी आ गये, कई जगह मैंने मेरे इलाके में खुद ने देखा है तो जो मूल आबंटी हैं उसने अपनी जमीन सब-लेट करके और उस समिति से मिलकर अपने नाम पट्टे बनवा ले तो मूल आबंटी को ढूंढकर उन मूल आवंटियों के नाम ही रिकार्ड में दर्ज करने चाहिये और उनका ही मालिकाना हक हमको दें तो निश्चित रूप से यह भूदान यज्ञ जो हम सोचने जा रहे हैं, विनोबाजी की भावना की हम कद्र करते हैं और इसमें आपको सफलता मिलेगी और जो भूदान का 24वां संशोधन ला रहे हैं एक्ट 16 के अन्तर्गत, मैं समझता हूं इसका लाभ किसानों को मिलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री रामनारायणजी मीणा।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आदरणीय उपाध्यक्षजी, क्योंकि काफी इस बारे में बहस हो चुकी है, मैं इसको रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना निवेदन करूंगा इसका बैक ग्राउण्ड तो यही है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आपकी और हेमराजजी की तो एक ही राय होगी। (व्यवधान) हेमराजजी की और आपकी आपस में तो कोई ..(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): हेमराजजी बारां जिले के रहने वाले हैं और मैं बूंदी जिले का रहने वाला हूं, राशि एक है, लेकिन बीच में कोटा अड़

(श्री रामनारायण मीणा)

गया इसलिए थोड़ा अन्तर आ गया। (व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है माननीय उपाध्यक्षजी, कि एक समय था जब इंसपेक्टर राज खत्म करने की कल्पना की थी और प्रशासनिक सुधार में यह कहा गया था कि जितने भी एक्स कानून हैं, उनको कम किया जाये। यदि इनको अमेंडमेंट, जिस तरह का आया है, माननीय उपाध्यक्षजी, अब इसमें बचा क्या है एक्ट में? मैं राजस्व मंत्रीजी से आपके माध्यम से जानकारी चाहूंगा कि एक्ट के प्रोविजन साफ हैं, जमीन आई। यह तो आचार्य विनोबा भावेजी का उस समय संकल्प था गरीबों के प्रति, जिस समय आपका सीलिंग कानून, अधिकतम जोत सीमा अधिनियम लागू नहीं था, उसके बाद अधिकतम जोत सीमा अधिनियम लागू हुआ और अधिकतम जोत सीमा अधिनियम में जो जमीन आई, वह लैण्डलैस पर्सन को दी गयी। उस समय चूंकि लैण्डलैस पर्सन को, स्वेच्छा से उनसे जमीन ली जा सकती थी, उस भावना से यह भूदान यज्ञ बोर्ड का गठन हुआ है, कानून बना है। यह उपाध्यक्षजी, राजस्थान में ही नहीं, पूरी कण्ट्री में है। यह जरूर होता राजस्व मंत्रीजी, जल्दबाजी में काम ठीक नहीं होता है। दूसरे प्रान्तों में भी इस तरह के एक्ट बने हुए हैं। उन एक्ट की स्टडी करके, देखकर, कहां क्या नियम हैं, उनको लाया जाना चाहिये था और जब आप खातेदार रहने दे रहे हैं, भूदान बोर्ड की अहमियत को खत्म कर रहे हैं और सरकार ने, जैसा कल कहा जा रहा था आर.पी.एस.सी. में एक मैम्बर, यहां भूदान बोर्ड में कोई अधिकारी नहीं। तो इस बात की मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, और करनी ही पड़ेगी आसन की, तो जो किशनगंज से आने वाले माननीय विधायक ने कहा है, इस बात को रखा है, इस बात को इसको इतना कर दिया जाये कि नया टीनेन्सी एक्ट आ रहा है, यह प्रोविजन्स उसमें डाले जा सकते थे और इन्होंने जैसा कहा है कि कलक्टर को, यदि मान लो, नहीं डाले गये हैं तो आदमी को यहां तक आना पड़े और कलक्टर को यदि पॉवर दे दिये जाते तो यह सारा सम्भव तब होगा जब सरकार इस पर पुनर्विचार करने के लिए जनमत जानने के लिए इसको परिचालित करे।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में अर्ज करना चाहूंगा कि जो धारा तीन है इसको इन्होंने छुआ नहीं है लेकिन धारा तीन तो साफ है। उसके बाद बोर्ड के जो कर्तव्य हैं वो तो सारे समाप्त हो जायेंगे। तो इसमें साफ होता कि इस एक्ट के माध्यम से क्लॉज लाया जाता कि इस एक्ट के माध्यम से जब बोर्ड सारा, अब न तो वो जमीन अलॉट कर सकता है, जब

(श्री रामनारायण मीणा)

अधिकार मिल जायेंगे खातेदारी के किसी किसान को तो बोर्ड का काम क्या रहेगा? इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना यह है कि जब स्वामित्व तहसीलदार का इस जमीन का होता है तो बोर्ड को तो केवल उसको ट्रांसफर करने का, अभी किशनगंज से आने वाले माननीय विधायकजी ने बिलकुल साफ कहा है कि यह जो दो साल पड़त रह गयी इस क्लॉज से या दूसरे कारण से, जमीन को वापस लेकर के उन्होंने दोबारा पट्टे पर दी गयी है, यह खामियां आपको सब जगह मिलेंगी, इसलिए इसके बारे में आपको देखकर के, सोच करके बात करनी चाहिए।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो अर्ज करना है कि सैक्शन-25 जो यह डिलीट करने जा रहे हैं, अब सैक्शन-25 को डिलीट करने के बाद में रहता क्या है इस एक्ट में? इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि जो 24 इसमें एड कर रहे हैं, यह खातेदारी राइट के लिए तो यह एक्ट को समाप्त करने के बजाय टीनेन्सी एक्ट को अमेण्ड कर के एक-दो क्लॉज इसमें रहते हैं और उस क्लॉज को जो भूदान यज्ञ के तहत जो जमीन विनोबा भावे के समय आयी गयी थी उस जमीन का गवर्नड कैसे होगा यदि एक सैक्शन में दो क्लॉज जोड़ करके, प्रोविजो जोड़ करके उसको ले जाया जाता, तो मेरा जहां तक ख्याल है इसके बारे में कुछ होता नहीं लेकिन सरकार की मंशा मुझे स्पष्ट करनी चाहिए, विद क्लीनेट सरकार को आना चाहिए। चूंकि हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक ने कहा था सदन में, मैं इसको आरोप नहीं मानता लेकिन मैं वास्तविकता में अर्ज करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्किट हाउस की जमीन दी जा रही है, दूसरी जमीनें दी जा रही हैं, नेताओं को ट्रांसफर की जा रही है, संस्थाएं बना करके सरकारी जमीनें अरबों-खरबों की जमीन दी जा रही है, लैंड लेस पर्सन की बात हो नहीं रही ऐसी स्थिति में क्या भूदान यज्ञ के तहत जिस को भी जमीन मिली है उसने शर्तों का उल्लंघन किया तो जिनको दी गयी है उनको आप रेगुलराइज कर दो, पूरे एक्ट को बदलना और पूरे एक्ट की भावना को खतम करना और पूरे एक्ट को जिस तरह से इन्होंने तोड़-मरोड़ करके वो करने की कोशिश की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छा होता सरकार इस मामले में भी कुछ कहती और कहां-कहां की जमीन किस-किस जगह की जमीन शर्तों को तोड़कर के किस प्रकार से इन्होंने दी है, इसके बारे में सरकार को साफ मन से आना चाहिए था। सरकार इस एक्ट के अमेंडमेंट पर साफ मन से नहीं आयी है इसलिए मेरा

(श्री रामनारायण मीणा)

आपसे अनुरोध है कि इसको जनमत जानने के लिए, एक सार्वजनिक इसको किया जाना चाहिए ताकि दोबारा से सदन में बैठें और जो-जो भी इसमें भावनाएं आएं उन भावनाओं का समावेश करके क्या इसमें हम किसी एक्ट में समावेश कर सकते हैं, कुछ इसमें बचता नहीं है, क्या टीनेन्सी एक्ट में इसको ले सकते हैं या दूसरे एक्ट में, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में या टीनेन्सी एक्ट में क्या हो सकता है उस बात को देख करके सरकार, ताकि एक कानून कम हो। जब सारे एक्ट की भावना ही खतम हो जायेगी, इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को चाहिए और, राजस्व मंत्रीजी, आप तो किसानों की बात जानते हो, हम से कम तो नहीं हो आप किसान के बारे में इसलिए यह काम्प्लीकेशंस आप बढ़ा रहे हो, यह उन लोगों को फायदा पहुंचाने की बात आपके माध्यम से होगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो राजस्व मंत्रीजी के माध्यम से पूंजीपतियों को, ऐसे लोगों को जमीन जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं नियम विरुद्ध उनको रेगुलराइज करने के लिए जो आपकी भावना है यह भावना राजस्थान में ठीक नहीं है, इस प्रान्त में सही नहीं है इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ताकि सही बात सामने आ सके और उसके बाद दोबारा बैठ करके विचार किया जा सके। मुझे यह बात कहनी है। यही अर्ज करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूदान यज्ञ, 1954 के धारा 24 के इस संशोधन के लिये जो पेश किया है इसमें पक्ष प्रतिपक्ष, दोनों के तर्क हैं। वास्तविकता देखी जाए, जो हेतु विनोबाजी ने लिया था, वो हेतु ही वास्तव में एक गरीब, नि:शक्त, बिलकुल जो भू-रहित है उनको भूदान के माध्यम से एक सामाजिक समरसता का भाव और वह अपने पावों पर खड़े हो सकें, वो परिवार भी अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें इसलिए यह एक भाव और यह भाव विश्व के अन्दर इसी देश में ऐसा हुआ है कि व्यक्ति अपने ही समाज के व्यक्ति के लिए सोच कर, कुछ दान देकर और वो दान दी गयी भूमि ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, ऊपर आसमान और नीचे जमीन है, अब वो जो दान दी गयी जमीन है, इस संशोधन के माध्यम से उसके उपयोग के बारे में एक विराट कल्पना करके उस समय में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भूदान दी गयी

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

थी, बरसात का औसत अनुपात देश में अच्छा था, परिवार भी छोटा था और छोटे परिवार में उस जमीन का उपयोग होता था। अब एक कल्पना कर लीजिए, एक परिवार को भूदान के माध्यम से 25 बीघा या 10 बीघा जमीन भूदान में मिली और उस 10 बीघा में वो एक परिवार लेकिन आज पिछले 40-05 वर्षों में वो 50 परिवार हो गये, अब एक व्यक्ति के हिस्से में 200 गज उस परिवार में आती है, अब 200 गज जमीन पर वो कैसे तो खेती करे। आज वो जमीन चाहे तो हाई-वे के नजदीक हां गयी हो, शहर के नजदीक आ गयी हो, कुछ कामर्शियल यूज करने के नजदीक आ गयी हो वस्तुतः यह भूदान यज्ञ निश्चित रूप से विनोबाजी के यह मन में कल्पना थी कि दबे हुए व्यक्ति को ऊँचा उठाना और ऐसे व्यक्ति को कि वो उसका उपयोग कर सके। तो आज उस 200 गज पर रहने वाला व्यक्ति भी कुछ उस जमीन का उपयोग कर सके। एक विषय तो यह है।

दूसरा, अगर आज की इस चकाचौंध की दुनिया में अगर मान लो उपयोग करने के अधिकार उसको नहीं मिलेंगे तो आज की स्थिति में, क्योंकि बरसात की भी कमी है, खेती बराबर हो नहीं रही है मान लो तो उसकी रखवाली के भी पैसे लगेंगे उसके कि वो उस जमीन से और नीचे दब जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सलाह-मशविरा के बाद इस सरकार ने, हमारी सरकार जो यह संशोधन लायी है, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेताओं ने कहा कि विनोबाजी से सारी राय कर लेनी चाहिए, राय की होगी। (व्यवधान) विनोबाजी ऊपर हैं, देखो ऐसा है इस देश में ऐसी भी ताकत है, ऐसी भी शक्ति है कि कोई व्यक्ति ध्यान में बैठ कर अन्तर ध्यान हो सकता है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए यह गुर मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को दे सकता हूं, अन्तर ध्यान होने की ताकत मैं बता सकता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा एक निवेदन है कि यह जो संशोधन आया है, ठीक है, उसके यूज के लिए हो लेकिन वास्तव में बेच दी गयी तो आप जिस प्रकार से यह कुछ भी स्टॉम्प पेपर पर लिखवा कर कुछ ऐसे बड़े व्यवसायी ने उनकी जमीन खाली करवा दी और आगे इसको रेगुलराइज करने के बाद में उन्होंने बेच दी तो उनके हाथ में कुछ आयेगा या नहीं आयेगा लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक वातावरण बना कर एक इस प्रकार का क्लाइमेट निर्माण करना पड़ेगा कि आपकी जमीन आपके

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

उपयोग के लिए है, आप किन्हीं एजेंटों के हाथ में बिकने लायक नहीं हो, आप स्वयं उसका उपयोग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अपने परिवार को एक आत्म सम्मान से जी सकते हो। जो विनोबाजी की कल्पना थी, आज उस 200 गज की जमीन पर खेती नहीं कर सकता है लेकिन किसी न किसी संशोधन के माध्यम से वो उपयोग ऐसा करे कि वो विनोबाजी की आत्मा को बिलकुल शांति मिले कि उन्होंने जो एक यज्ञ चलाया था उसमें देशभर का गरीब से गरीब वर्ग भी उसके माध्यम से ऊँचा उठा है और उसी सोच को ला कर सरकार जो संशोधन लायी उसका मैं समर्थन करता हूं और जो मैंने जनमत जानने के लिए दिया है उसको मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री तगाराम चौधरी। तगारामजी, आपको संशोधन वापस ही लेना है जब तो अभी ले लीजिए। हां, ऐसा।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): भाषण जरूर होना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, तगारामजी का।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब बोलना चाह रहा हूं, आपकी अनुमति हो तो।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री): तगारामजी की एक तो रिफाइनरी पर और एक भूदान यज्ञ पर बड़ी तैयारी है।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): मैं आपकी अनुमति से बहुत ज्यादा देर तक नहीं परन्तु कुछ विचार व्यक्त करूंगा। इसलिए ही तो मैंने यह जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं इस बात से तो थोड़ा बहुत वाकिफ हूं कि सन्त विनोबा भावे जिन्होंने भूदान यज्ञ चलाया और वह गांव-गांव, नगर-नगर पैदल फिरे और भूमि का दान करने वालों को भी प्रेरित किया और इस उद्देश्य से किया कि बिलकुल जिनके पास कुछ नहीं है और खेती करने वाला भी है, गांव का व्यक्ति है जो भूमिहीन हैं और उनके पास कोई चारा नहीं था, उनको भूमि दान करके और जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि उनको एक सहारा मिला। वह समय और आज का समय वास्तव में अलग है, जनसंख्या भी बढ़ी है और खेती की जो आय है वह वर्षा पर निर्भर है, वह तो बिल्कुल ही लाभकारी नहीं है। इस मंहगाई के जमाने में और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। खर्चा लगता है ज्यादा और आय होती है कम तो कुछ व्यक्ति थक भी जाता है।

तो हो सकता है कि इसमें कुछ तो सबल भी हुए और कुछ निर्बल भी हुए और कोई छोड़कर भी चला गया होगा। एक शोचनीय स्थिति है। विचार

(श्री तगाराम चौधरी)

चला, उसमें भी यह आया कि जमीन बेच देता है, मैं थोड़ा निवेदन करूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जमीन बेचने का अधिकार नहीं था और वह फिर मांगा गया, कुछ दिया गया, यह भी हुआ वह इसलिए हुआ है कि जमीन बेचे बगैर काश्तकार के भी काम चलता नहीं था तो वह देखे कुछ टुकड़ा मैं बेच भी सकूं, इस तरह की बात थी।

इस संशोधन में इतना ही है कि बेचने पर क्या होगा और साथ ही साथ मैंने यह पाया और आज का जो युग है उसमें सत्यता कितनी है और कितना हम किसी को मिलावट करके बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, करते हैं जैसे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ऊपर से कुछ हैं अन्दर से कुछ हैं और वह सबसे ज्यादा बोलते हैं।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, अन्दर से तो स्वीकार कर रहे थे कि सही है पर विरोध करना है इसलिए कर रहा हूं।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): अन्दर क्या है, बोलने में न तो सदन को बहुत ही सुगमता से चलने देते हैं और थकते नहीं हैं, निष्कासित का भी आपने लाभ उठाया, उसमें भी बड़े गौरवान्वित हुए ...(व्यवधान) आपको पिछले सदनों में बाहर भी निकाला गया है उससे भी गौरवान्वित हुए हैं परन्तु थकते नहीं हैं। इस बात की तो मैं तारीफ करूंगा कि थकते नहीं हैं। मैंने आपको बैठाया था कई कई बार, आप हाथ ज्यादा हिलाते थे, मैंने भी बैठे-बैठे हिलाया, आप संकोच खाकर बैठ गये।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपकी उम्र में आयेंगे जब पता चलेगा।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): लेकिन आप अब जोर ज्यादा ही मार रहे हो क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आपको बड़ा बनना है कि मैं जो कमाई कर रहा हूं वह मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी यह बिल्कुल कुदरत के हाथ है, तकदीर के हाथ है, समय का तकाजा है और अंजल आधीन है, जिस-जिस को अंजल कहां पर करना है वह वहीं करना पड़ेगा, पानी कहां का पीना है वहीं पीना पड़ेगा, यह कुदरत के हाथ है, बिलकुल सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल शत प्रतिशत सत्य है कि आया है वो तो जाएगा, कितना ही बड़ा डाक्टर हो वह भी किसी को बचा सकता है क्या, ऊपर वाला नहीं चाहे तो नहीं बचा सकता। उनको दवाई भी नहीं मिलेगी वह जो अच्छे डाक्टर हैं, मैंने देखा।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, तगारामजी नहीं जाने देना चाहिए, तगारामजी चले गये तो सदन में चहल-पहल खतम हो जाएगी।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): आप तो न तो चलोगे ...(व्यवधान) मेरी बात सुनो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को तो भरोसा नहीं है एक पल का, आँख है ना आँख को आप झपकाकर के खुली करो ना इतना ही है सारा खजाना सबके पास। लेकिन आपके पास तो है। मेरे तो जाने से सूना हो जाएगा लेकिन आप रहोगे तो सूना तो होने नहीं दोगे क्योंकि आपके तो हाथ में है, आपके तो पक्का पट्टा है और हम तो भगवान के भरोसे ही हैं। वह तो आपने सुन लिया पिछले चुनावों में जो भगवान के भरोसे रहा वह तो जीत गया और आप जैसी होशियारी की वह मुंह लटकाकर के आ गये। यह भी है अपन जो अभी तड़प रहे हैं ना अपनी तड़पन क्या है, अपनी तड़पन यही है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस भूदान के लिए भगवान ने क्या कहा, यह भी बता दो।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): भूदान के लिए भगवान ने यह कहा कि विनोबा भावे भी संत थे और संत हैं। संत भी एक भगवान के नजदीक का होता है जैसे अभी आप माननीय मुख्य मंत्रीजी के नजदीक हैं ना, इस तरह से जो होता है उसको संत कहते हैं ...(व्यवधान) और मैं भीतर की बात कहूं तो अच्छी नहीं लगती है। आज मेरे को अवसर मिला है और मिलते ही उपाध्यक्ष महोदय ने कहा आप प्रस्ताव वापस ले लें और बैठ जाएं।

**श्री उपाध्यक्ष**: ना, ना।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): क्या मेरे को भेजने वालों ने यह कहा था कि आप वहां बोलना मत। आप बोलने का अधिकार देते हो, यहां पर मैंने बहुत नई बात देखी, नई बात यह देखी कि यहां बहुत से ठेकेदार बैठे हैं। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं नहीं तो मेरे साथ में जो हुआ क्यों हुआ, यह बात है ना मैं कह रहा हूं। मैं किसान हूं, मैं झौपड़े में रहने वाला हूं थोड़ा सा मेरे को भी दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: इसीलिए तो आज तगारामजी ....

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): वह तो सन्त का नाम लेने के लिए दिया, भगवान का नाम लेने के लिए दिया है। आपने फरमाया कि राठौड़ साहब ने सदन में कहा कि मंत्री महोदय ने फर्माया कि भगवान के विषय में बोलें, मैं कह रहा हूं कि संत विनोबा भावे भगवान थे ।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव करता है कि तगारामजी को मंत्री बनाया जाय। संसदीय कार्य मंत्रीजी लाइये, वोट कराइये, हम तैयार हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा, आप मुख्य मंत्रीजी से क्यों नहीं सिफारिश करते हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तगारामजी, मीणा साहब यह कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव कराओ कि तगारामजी को मंत्री बनाओ। आपके प्रस्ताव पर बनना नहीं चाहते। ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): मैं निवेदन करूं मंत्री कौन बनाता है, आप बनाते हो, तो बनाओ ना किसी को।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इधर आ जाओ अगली सरकार में बना देंगे।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): तो यह असत्य का आपने ठेका ले रखा है असत्य बोलना है दिन भर यहां, ठेका ले रखा है बोलिये, कौन मना करेगा और नहीं तो कहां गये लोढ़ाजी और माहिर साहब कहां गये ...(व्यवधान) भागे कोई नहीं, वह तो विश्राम करते हैं। होली आ गयी तो होली पर तो जायेंगे। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेकर यही निवेदन करूंगा कि जमीन बेचने की पाबंदी लगाई जाय। यह बात आयी है परन्तु लगाने में भी मुश्किल है और नहीं लगाएं तो भी मुश्किल है। इस बारे में नियम वगैरह बनायेंगे उस समय आप सोचिये और गहराई से सोचकर के नियम बनाये जायें।

सरकार जो यह संशोधन विधेयक लाई है वह बहुत सोच समझकर के लाई है, गरीबों के हित में लाई है, गरीबों की हितकारी सरकार है इसलिए गरीबों को भला करने के लिए लाई है और मैंने जो जनमत जानने का संशोधन दिया था वह मैं वापस लेता हूं। मेरे को समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**: क्या सदन की सहमति है?

**(स्वीकृत)**

आज की कार्य सूची समाप्त होने तक व जवाब देने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री मदन राठौड़।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): जवाब देने तक या फिर बिल पारित होने तक?

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): कार्य सूची के पूर्ण होने तक।

**श्री उपाध्यक्ष**: स्वीकृति दी जाती है।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 1951 में संत विनोबा भावे वर्धा से दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने राजस्थान में पद यात्रा सबसे पहले धौलपुर क्षेत्र में की और वहां लगभग 500 एकड़ जमीन का भू-दान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में ... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनमत वाला प्रस्ताव तो निरस्त करवाओ उसके बाद बोलेंगे यह। पहले नहीं बोल पाओगे आप। पहले वह प्रस्ताव निरस्त करवाइये उसके बाद बोलेंगे यह।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): वह बाद में हो जायेगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: साथ ही हो जायेगा।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): साथ करा देंगे?

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे ... (व्यवधान) साथ ही हो जायेगा।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): नहीं, पहले उत्तर कैसे देंगे ? साथ में करा देना। तो मैं यह निवेदन कर रहा था ... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपका नाम है क्या इसमें ... (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): हां, है ना। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रवर समिति का है।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): है। आप चिन्ता मत करो। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, देखिये मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं ... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं भी बहुत सम्मान करता हूं आपका। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): मैं तो आपके बच्चे के समान हूं ... (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपको तो शिक्षा मंत्री ने टोका है, हमने नहीं टोका। आप बोल सकते हैं। आपका प्रवर समिति का प्रस्ताव है। अब आपके मंत्रीजी ने ही टोका।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आपने सुना नहीं। वह टोका जरूर लेकिन आपने यह नहीं सुना कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि क्या आपने कुछ दिया है सुझाव। इसमें नाम है आप जरा पढ़ लें ... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैंने इसमें देखा नहीं था। अगर आपकी भावना किसी प्रकार से मैंने हर्ट की है I am sorry for that. अगर हर्ट किया है मैंने आपको। कहां दिक्कत आ रही है? आप भले ही छोटे हो।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े महानुभाव ने कोई प्रसंज्ञान तो लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुशी जाहिर कर रहा था कि भू-दान यज्ञ का प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन मेरे विधान सभा क्षेत्र के खीमेल में फरवरी, 1952 में हुआ। इस बात की भी बहुत खुशी है कि लगभग 21 वर्षों तक आदरणीय गोकुल भाई भट्ट 1955 से लेकर 1976 तक इसके अध्यक्ष रहे। (व्यवधान) शॉर्टकट करूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 में से 20 जिलों के संयोजक तो नियुक्त हुए। भू-दान भी हुआ। कार्यकर्ता ही उसको वितरित कर देते थे और इसमें कई विवाद भी हुए। पहले तो जो विवाद होता था या कोई भी भूमि दान देता था तो उसको 30 दिन में कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार था और आपत्ति वह दर्ज करवाता तो उसकी आपत्ति सुनी जाती थी। सुनने के बाद में वह भू-दान निरस्त भी हो सकता था और यदि आपत्ति नहीं होती तो भू-दान और वह भूमि वितरण कर दी जाती थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 1976 के बाद में 14 नवम्बर, 2003 तक तो अध्यक्ष है और इसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद अध्यक्ष नहीं है। जब अध्यक्ष नहीं है तो यह अधिकार भी केवल मुख्य मंत्रीजी के पास होता है तो यह बात बिलकुल सही है। अभी किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी कि इसका अधिकार कलक्टर

(श्री मदन राठौड़)

को दे दिया जाना चाहिये तो यह सुझाव भी मैं सोचता हूं कि यदि मान लिया जाए तो इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1954 में जब भू-दान यज्ञ अधिनियम लागू हुआ और उसके बाद जो इसमें धारा 24 जोड़ी गयी उसमें यह था कि भू-दान होल्डर को राज्य सरकार द्वारा दी हुई मानी जायेगी। भू-दान आबंटन में दी गयी जमीन उत्तराधिकार में दी जा सकेगी। आबंटी किसी अन्य को भूमि हस्तांतरण नहीं कर सकेगा। यह भी था आबंटी दो वर्ष से अधिक भूमि को पड़त नहीं रख सकेगा। यह भी था कि आबंटी राज्य सरकार को नियमित रूप से लगान अदा करना होगा। यह भी था कि आबंटी मान्यता प्राप्त बैंक को रहन रखकर ऋण प्राप्त करने का उत्तराधिकारी होगा। यह तो उसमें था लेकिन इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकता था। इस भूमि को विक्रय भी नहीं कर सकता था। यह अधिकार उसमें नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें लगभग यानि 2005-06 तक 2,87,399 एकड़ भूमि भू-दान में आयी जिसमें से 1,55,467 एकड़ जो वितरित की जा सकी। 1,71,932 एकड़ भूमि विवाद में है। विवाद में पड़ी रही इसमें और केवल 20,784 परिवार लाभान्वित हुए। वितरण के लिये ... (व्यवधान) नहीं-नहीं सही है। आंकड़ा तो लेकर आये हैं। केवल छतरगढ़ में 24 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें 242 एकड़, 242.5 एकड़ विवाद है जो वहां पर लम्बित है। यही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 26 एस डी ओज के पास में है। उप खण्ड अधिकारियों के पास में है 222.12 बीघा भूमि और 20.31 हैक्टेयर भूमि विवाद में है। अभी भी उसमें विवादास्पद यानि मामले लम्बित हैं। काफी लम्बे समय से लम्बित हैं।

ठीक इसी प्रकार से कई दानदाताओं ने घोषणा वापस लेने की भी प्रार्थना-पत्र, एप्लीकेशंस दे रखी हैं तो मैंने प्रवर समिति का सौंपने का जो निवेदन किया था उसके पीछे भावना केवल यही थी कि इस प्रकार से यह मामले लम्बित हैं और इसका निस्तारण किस प्रकार से हो सकेगा। कई भूमि तो लोगों ने बेच भी दी जब कि अधिकार नहीं था बेचने का। कईयों ने उस पर भवन भी बना दिये हैं जब कि अब यह वापस खातेदारी अधिकार मिलने वाले हैं तो किसको मिलेंगे? क्या मूल आबंटी को मिलेंगे? जिसको पहले और वितरित की गयी थी उसको मिलेंगे? या अभी जिसका कब्जा है उसको मिलेगा? यह विवाद था।

(श्री मदन राठौड़)

लेकिन अभी मुख्य मंत्रीजी का जो दौरा हुआ और उसमें कई लोगों ने इस प्रकार की मांग जो भू-दान में भूमि जिन्होंने प्राप्त की उन लोगों ने भी मांग की कि हम इस भूमि का अन्यत्र उपयोग करना चाहते हैं। इसका वितरण भी करना चाहते हैं। इसका कोई रूपांतरण करवाना चाहते हैं। कोई औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण करवाना चाहते हैं। कोई आवासीय भूमि में रूपांतरण करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से जब उनकी लगातार मांग रही तो फिर यह राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और मैं सोचता हूं कि यह उपयुक्त है इसलिये प्रवर समिति को सौंपने का जो मैंने प्रस्ताव रखा है मैं उसको वापस लेने के लिये प्रस्ताव करता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे ... (व्यवधान) आपको बाद में बुलायेंगे पारित करेंगे जब।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में भू-दान यज्ञ अमेंडमेंट बिल के बाबत चर्चा हुई और 11 माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिये अपना प्रस्ताव मूव किया। एक माननीय सदस्य ने प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपना वापस भी ले लिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 1954 के अन्दर भू-दान यज्ञ बोर्ड बना और उस बोर्ड में विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य, जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद के अन्दर राजा-महाराजाओं ने, जागीरदारों ने और हिस्सेदारों की जो जमीनें थीं उन लोगों ने अपनी जमीन संत विनोबा भावे के आह्वान पर दान देनी शुरू की।

उसमें जगह-जगह यह सभी जमीनें दान दी गयी और उस दान में 2,87,399 एकड़ जमीन सम्मिलित हुई। इतनी जमीन सम्मिलित इसलिए हुई कि जब यह प्रचार हो रहा था, विनोबा भावे जगह-जगह जा रहे थे कि भूमिहीनों को भूमि जोतने के लिए दी जाये और उसके अंतर्गत लोगों ने जगह-जगह पर राजस्थान में जमीनें दान दीं। मगर जब रिकार्ड के अंदर शुरूआत की गयी तो केवल 1,15,340 एकड़ जमीन ही उपलब्ध हुई और वह जमीन 20,784 लोगों को आबंटित की गयी। उसमें 1,71,382 एकड़ जमीन जो कि विभिन्न कारणों से उपलब्ध नहीं करा पाये और उनके विवादित मामले हुए और एक लंबे समय से बोर्ड का गठन किया गया था और यह सारी जमीनें बोर्ड के नीचे दी गयी और इसके बाद में उन भूमिहीनों को वह जमीनें अलॉट

(श्री रामनारायण डूडी)

की गयीं। जो उस गांव के अंदर रहते थे और उसमें यह भी था कि उनकी जितनी जमीन थी उनको भी दान स्वरूप लेकर के वापिस उनको पुनः अलॉट कर दी गयीं। उनके रिकार्ड का इंद्राज तहसीलदार करता था और कई जमीनें रिकार्ड के अंदर आने से वंचित रह गयीं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक लंबे समय से यह प्रक्रिया चल रही थी और जिनका उपयोग तो काश्तकार कर रहे थे और उस वक्त के अंदर जिनमें टर्म्स एंड कंडीशन रखी गयी तो मैं यह बात कहना चाहूंगा कि धारा 24 और 25 की बात हम कर रहे हैं, इसका अमेंडमेंट जो हम ला रहे हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन में उस वक्त के अंदर यह प्रावधान था (1) The person to whom land is allotted shall be recorded in village papers or records of rights as a Bhoodan holder an shall hold the land subject to the following terms and conditions, namely; (a) Subject to the provisions of clause (f) the holder shall be deemed to hold the land directly from the State Government; (b( The rights shall on the death of the holder pass to his heirs; (c) The holder shall not transfer any interest in the land; (d) The holder shall not sub-let the land without the previous sanction of the Board; (e( The holder shall not allow the land to lie fallow for period in excess of two years; (f) The holder shall pay the rent equal to the land revenue fixed by the State Government direct to the landholder or the State Government, as the case may be, on or before the date when it falls due;" यह आपने पांच टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखे थे, परिस्थितियां बदलती गयी, आज जैसे माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे और उसके अंतर्गत यह बात सामने आयी कि 50-55 साल पूर्व की स्थितियां बदल गयी, जमीन तो दान दे दी गयी मगर उनको खातेदारी हक प्राप्त नहीं थे। खातेदारी हक केवल बोर्ड के अंदर निहित थे, वह बेच नहीं सकता था, उसमें किसी प्रकार का कनवर्सन, सपरिवर्तन नहीं करा सकता था। चाहे वह होटल बनाने का, चाहे उद्योग-धंधे लगाने का और किसी प्रकार का अन्य कार्य से जिस प्रकार से अपने को जो खातेदारी राइटस प्राप्त हैं, टीनेन्सी राइटस प्राप्त हैं, उस तरह से कार्य इस भूदान बोर्ड के अंदर नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सामने आने के बाद में जब हमारी मुख्य मंत्रीजी ने मई के महीने में राजस्थान कैनाल का दौरा किया तो वहां भी यह बात सामने आयी क्योंकि सबसे बड़ा जो भूदान बोर्ड को जमीन मिली थी वह बीकानेर रियासत में छतरगढ़ में मिली थी तो यह बात सामने आयी कि हम न तो किसी प्रकार से इस जमीन का उपयोग कर सकते हैं, हमारा परिवार बढ़ गया, 15-25 बीघा जमीन है, इसको हम किसी तरह का उपयोग नहीं कर

(श्री रामनारायण डूडी)

सकते हैं। हमें इसके राइटस मिलने चाहिए, हमें इसकी खातेदारी मिलनी चाहिए, तो ऐसे वक्त में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जैसे कि चार वर्ष के अंदर, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य 50 साल के अंदर जिन काश्तकारों के लिए जो भी तत्कालीन सरकार थी उन्होंने उन्हें सुख और सुविधाएं देने में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। हमने इन चार सालों में ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): हद कर रहे हैं आप, टीनेन्सी एक्ट आपने बनाया है।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वह कार्य सारे के सारे किये हमने चार वर्ष के अंदर, आप लोगों को पता होगा कि आदिवासियों को खातेदारी हक 50 साल के बाद में भी आप लोग नहीं दे पाये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक विशेष अभियान चलाकर के 2006 में हजारों काश्तकारों को जमीन के पट्टे दिये। हमने उन सैनिकों को जो 84 से लेकर के एप्लीकेशन पैंडिंग थी और उन लोगों को भी हमने इस सरकार ने ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्व मंत्रीजी आप भूदान यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): आप मेरी बात सुनिये ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या दो लाइनें टीनेन्सी एक्ट में एड करके इस एक्ट को जो आपने प्रभावहीन कर दिया है।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): वह मैं बता दूंगा, आगे आ रही बात, बता दूंगा।

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): इसलिए कृपया करके आप यह बतायें ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): सुन लो आप ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आपने क्या किया, आपने ईश्वर का रूप धारण कर लिया ...(व्यवधान) राजस्थान को लूट लिया ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): बीच में व्यवधान नहीं ...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): यह आपने जो हजारों, लाखों को आबंटन कर दिया, यह सुनी नहीं जाती इनसे ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): दोनों एक्टों का साथ ही जवाब दे रहे हैं आप ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): आप तो कृपया कीजिये ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): भूदान एक्ट और टीनेन्सी एक्ट दोनों साथ-साथ ही बता रहे हो आप ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आपने क्या किया यह बोलो आप, यह मत कहें कि आपने कुछ नहीं किया ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): आजादी के बाद पहली कल्याणकारी सरकार ने ऐसे अनोखे कार्य किये हैं ...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): जो भूमि के मामले में 50 साल में नहीं हुआ वह इन्होंने कर दिखाया है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ऐसे सक्षम मंत्री आप बनाते तो सारा हो जाता ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): केवल भावनाओं से नहीं होता है, काम फील्ड के अंदर करने से हाता है और जब किसी किसान को अपने नाम का पट्टा फलानां सन ऑफ फलानां का जब पट्टा हाथ में आता है तो उनको पता होता है कि यह जमीन मेरे खाते में आयी है और यह किसी ने किया है तो ...(व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): 50 साल में जो काम नहीं कर पाये वह काम इस सरकार ने किया है ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है, यह हमारी सरकार ने चार साल के अंदर हमने किया है ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): कांग्रेस ही है जो आप यहां तक आ गये हो ...(व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): अब वह दिन आये हैं, अब क्या है, क्या नहीं है, छोड़िये इस बात को ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमने चार साल के अंदर जो कार्य किये हैं, जो पैंडिंग थे, हजारों लोग मोहताज थे पट्टे से, जमीनें उनके कब्जे में थी, पैनल्टियां ली जा रही थी और जो आदिवासियों को हमने पट्टे दिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब वहां गया तो वो नाचते-गाते थे और जब उनको पट्टा हाथ में दिया जाता तो वह गांव में ढोल-नगाड़ों के साथ वापिस जाते थे कि अब हमें 50 साल के अंदर यह जमीन का पट्टा मिला है और उसी प्रकार से आज हमने दिया है, विनोबा भावेजी की भावनाएं उस वक्त में बहुत बढ़िया थीं।

धीरे-धीरे, धीरे-धीरे व्यक्ति अपनी उस जमीन के ऊपर विकास के काम करना चाह रहे थे, उनके पास अपना खुद का कोई पट्टा नहीं था, यह टर्म एण्ड कण्डीशन मैंने जो आपको बताई उसके आधार पर वह उसको विकसित नहीं कर सकता था इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 24 का जो राइडर था, उस राइडर को खतम करके उनको परमानेंट खातेदारी की व्यवस्था इसके अंदर की है और इस परमानेंट खातेदारी की व्यवस्था के अंदर 20,784 लोगों का जिनका हमने आइडेंटीफिकेशन कर लिया पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर आइडेंटीफिकेशन करने के बाद में हमने अभियान के तौर पर उनके खातेदारी हकूक को और यह पट्टा जिस पर वह आज काबिज है उनको हम देंगे, यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम इस अमेंडमेंट होने के बाद के अंदर किया जाएगा तो यह राजस्थान सरकार करेगी।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): इस एक्ट को क्यों रख रहे हो, इसको खतम ही कर दो न, इस एक्ट का क्या करेंगे?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसको भी कर देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय जुबेर खानजी, यह सबसे बड़ा विरोधाभास चल रहा है। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता ही कहां रह जाएगी?

**श्री उपाध्यक्ष**: इसकी आवश्यकता है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस एक्ट में यह भी है कि इस भूदान बोर्ड की जमीन की डिक्री नहीं हो सकती, कोई अदालत अटैच नहीं कर सकती, अगर मान लो किसी ने लोन ले लिया

(श्री जुबेर खान)

और लोन नहीं चुकाया और डिक्री हो गई बैंक के नाम तो वह इसमें बहुत से प्रोविजन ऐसे हैं जो कंट्राडिक्ट्री है।

**श्री उपाध्यक्ष**: पर इसमें विरोधाभास यह था जुबेर खानजी, सन् 1954 में यह एक्ट बन गया, 1955 में राजस्थान टीनेंसी एक्ट फोर्स में आया तो एक -दो दिन में, दो दिन पहले का काश्तकार भी खातेदार हो गया था और उसके बाद में 50 साल से यह लोग भुगत रहे हैं कि इतने लम्बे कब्जे के बाद भी इनको खातेदारी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यह बड़ी अजीब बात थी।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): आप यह कह रहे हैं लेकिन हम यह कह रहे हैं कि अब इस एक्ट की जरूरत नहीं है, भूदान एक्ट को खतम कर दीजिए।

**श्री सांगसिंह भाटी** (जैसलमेर): आप कर देते न, आप पछता रहे हो, अब आपने खातेदारी अधिकार नहीं दिए इसलिए बहुत पछता रहे हो, हमारी सरकार कर रही है तो आपको आपत्ति है।

**श्री उपाध्यक्ष**: एक दिन में रातोंरात पूरे राजस्थान के काश्तकार 15.10.1955 को राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, प्रद्युम्नसिंहजी को पता है कि रातोंरात राजस्थान टीनेंसी एक्ट 15.10.55 को लागू हुआ था, लाखों काश्तकार रातोंरात मालिक हो गए थे।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): मालिक हो गए, भैरोंसिंहजी के टाइम में फ्री खातेदारी 1955 वालों को जो दी गई थी, वह ऐतिहासिक काम था।

**श्री उपाध्यक्ष**: उसके 50-55 साल बाद भी किसी काश्तकार को खातेदारी राइट्स देते हैं, इससे बड़ा और क्या काम होगा?

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): वह काम किसने किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह 1955 का टीनेंसी एक्ट लेकर कौन आया? कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजाद कराया, जिसने जागीरें खतम की।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मुफ्त में खातेदारी भैंरोंसिंहजी के टाइम में दी थी, आपके समय में तो एक-दो का किया हो तो बताओ, आप यूं ही कर रहे हो।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): यह कह रहे हैं कि हमने 50 साल में कुछ किया ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, देवल साहब, आप बात सुनिए। (व्यवधान) मेरे विचार भी हो सकते हैं, माननीय सदस्य, उसके बाद आपने

(श्री उपाध्यक्ष)

देखा क्या? उसके नैक्स्ट में आपने देखा क्या कि जिन खातेदारों को ... (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): वह कांग्रेस लाई है, आप क्या ला सकते हैं, आपकी क्या हैसियत है? 4 साल बाद में आप लेकर आए हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप बैठिए। माननीय सदस्यगण, उसके बाद सब टीनेंट्स जो आए और सब टीनेंट्स को भी राजस्थान टीनेंसी एक्ट ने अभी उनको खातेदारी राइट्स दे दिए, सब टीनेंट्स को दे दिए तो इनकी हैसियत तो सब टीनेंट्स से तो हल्की नहीं हो सकती न, सब टीनेंट्स को भी राइट्स दे दिए गए तो खातेदारी राइट्स ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): यह कहते हैं, जो यह बात कह रहे हैं वह गलत है, आप राइट्स किसको देना चाहते हैं लेकिन यह कह दिया कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष**: वह अलग बात है। वह अलग बात है।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): कांग्रेस ने एक लाख से 4 लाख बढ़ाए, यह किया।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई झगड़ा नहीं है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा कुछ आब्जर्वेशन्स किए गए, हम आपका आदर करते हैं, आपने आब्जर्वेशन किया, सही आब्जर्वेशन है आपका, आपका अनुभव है।

**श्री गोविन्द राम मेघवाल** (संसदीय सचिव): कांग्रेस ने दी गरीबी और भुखमरी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो आब्जर्वेशन किए, टीनेंसी राइट्स जब फोर्स में आए, लाखों काश्तकारों को मालिकाना हक मिल गया। बड़ी खुशी की बात है, इनको भी दिया जाए, इनको खातेदार बनाया जाए, इसमें कहीं हम लोगों के पक्ष का कोई विरोध नहीं है, इसकी मूल भावना में, अगर आप इजाजत दें तो दो मिनट में कह दूं अपनी बात। जिस मूल भावना को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था, आप खातेदारी दो, जमीन मोर्गेज कर सके, जमीन का लैण्ड यूज चेंज कर सके, वहां

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तक तो ठीक है लेकिन उसको यह अधिकार दे देते हैं कि वह अपनी जमीन को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, मुझे उसके बारे में एतराज है, मैं बाद में बोलूंगा, खातेदारी राइट्स देने में हममें से किसी का इसका विरोध नहीं है, आप खातेदारी दीजिए उनको, जालौर से आने वाले आपके माननीय सदस्य ने जो बात कही थी खातेदारी देने में किसी को कहां एतराज है, किसी को एतराज नहीं है, खातेदारी के अधिकार देने में।

**श्री उपाध्यक्षः** खातेदारी के बाद खातेदार के जो राइट्स हैं ट्रांसफर के वह रहेंगे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आप देखिए जो एस सी के खातेदार हैं, जो एस टी के खातेदार हैं, उनकी जमीन सिर्फ एस सी, एस टी के लोग ही ले सकते हैं अन्य लोग नहीं ले सकते हैं। आप लैण्ड यूज बदल दीजिए, आज जमीन का फ्रग्मेंटेशन हो गया।

**श्री उपाध्यक्षः** इसमें जो एस सी, एस टी के लोग आएंगे उनके ऊपर वही लागू होगा जो जनरल होंगे उन पर वह लागू हो जाएगा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं जब बोलूंगा तब अपनी बात पूरी कह दूंगा।

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कस्टोडियन का अलवर में और दूसरे जिलों में दिया है, जयपुर जिले में भी कस्टोडियन की भूमि है उनको भी खातेदारी अधिकार दे दो।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): कस्टोडियन की बात करेंगे। अभी भूदान का मामला है, भूदान की बात कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से अभी कई तरह की शंकाएं यहां पर पैदा कीं, जमीन कुर्क कर दी जाएगी, जमीन ऐसे लोगों को बेच दी जाएगी जो उद्योगपति, भू-माफिया और न जाने किस-किस प्रकार की कपोल कल्पित बातें करके पारदर्शिता रहेगी नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब इसी सदन के अंदर हमने सैनिकों की विधवाओं और राजस्थान कैनाल पर कॉलोनाइजेशन के अंदर था जब कब्जा लेने से पूर्व जिस किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उनको जमीन नहीं मिलती थी, आबंटन हो गया और आबंटन होने के बाद कब्जा नहीं ले पाए, इस गेट पर गए, दूसरे गेट पर कब्जा लेने वाला था, वहां नहीं पहुंच

(श्री रामनारायण डूडी)

सका और उनकी डेथ हो गई, वह उस जमीन से महरूम रह जाते थे। मैंने यह अमेंडमेंट इसी सदन के अंदर पिछली बार रखा तो इसी प्रकार की भावनाएं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने व्यक्त कीं। मैं यह समझता हूं कि वह सारे मामले जो आबंटन होने के बाद में कब्जा उन लोगों को मिला, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रही हो, कहीं बेइमानी हुई है तो अभी यह बात करते हैं या जब कभी भी अमेंडमेंट लाया जाता है तो हर तरह की सम्भावनाएं पैदा की जाती हैं, यह सम्भावनाएं नहीं हैं, हकीकत के आधार पर हम बात को लाना चाहते हैं जो राइट्स एक खातेदार काश्तकार को मिलने चाहिए वह खातेदार को हम भी हम देना चाहते हैं, वह सेटलमेंट के अंदर जो जमीन के मालिक बने हैं वैसे के वैसे जो भूदान यज्ञ बोर्ड उसका मालिक न होकर खुद काश्तकार मालिक हो, यह अधिकार हम देना चाहते हैं और उसके अंदर रेवेन्यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उन्हीं के तहत यह सारे किए जाएंगे। न तो एस की जमीन दूसरे को दी जाएगी न एस टी की जमीन दूसरे को दी जाएगी, एस.सी. की एस.सी. लेगा, एस टी की एस टी लेगा, सहरिया की सहरिया लेगा और उनके जो राइट्स हैं जो उनके हक हैं वही प्रावधान उसमें रखे गए हैं, कोई दूसरे प्रावधान इसके अंदर नहीं हैं।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): भूदान वाले कहां जाएंगे?

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): कौनसे भूदान वाले? जो हमने आइडेंटीफाई किए हैं 20784 लोग उनको हम यह खातेदारी हक दे रहे हैं और वह कैसे उपयोग में ले सकते हैं।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): भूदान वाले भूदान वाले को ही बेच सकेंगे, जैसे एस सी वाला एस सी को और एस टी वाला एस टी को यही कर दो।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): जब हम खातेदारी दे रहे हैं उनको हक दे रहे हैं और जिसका पूरा हक है...

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): खातेदारी तो उनको भी मिली हुई है इसलिए यह कर दो व्यवस्था कि भूदान वाला भूदान वाले की ही खरीदेगा।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): हमें तो जो हक प्राप्त है, जो राइट हमें प्राप्त है, वही राइट्स ही उनको दिए जा रहे हैं, वह भी अपने उस राइट्स का उपयोग करे इसमें कहां दिक्कत आ रही है, यह दिक्कत दिख नहीं रही है, पैदा की जा रही है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी यह जितनी हमारे माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है। उस बाबत मेरा

(श्री रामनारायण डूडी)

निवेदन था और उसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा जो कुछ मामले न्यायालय में चल रहे हैं उनका निस्तारण न्यायालय जो भी निर्णय देंगे उसके मुताबिक किया जाएगा। जब धारा 25 का प्रावधान ही विलोपित किया गया क्योंकि खातेदार होगा, मिल जाएगा तो इनकी आवश्यकता भी नहीं रहेगी धारा 25 की। इसलिए इनको विलोपित करना ही उचित समझा गया। साथ ही जिन नियमों के अंतर्गत यह अमेण्डमेंट रखा है मैं चाहता हूं सदन उनको पारित करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): मैंने वापस ले लिया है।

**श्री उपाध्यक्ष**: वह आपने वापस ले लिया। प्रस्ताव वापस ले लिया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। खण्ड-2 । डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव इस रूप में प्रस्तुत किया था- "... whichever is later, thereby such land shall be vested in the grantee and the grantee of such land shall become the owner of that land, the khatedar tenant thereof with effect from the said date and shall be entitled to all the rights conferred, and be subject to all the liabilities imposed, on a khatedar tenant under the provisions of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 .." मेरा संशोधन प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने इस एक्ट के अंतर्गत जमीन अपने में वेस्ट की और उसको खातेदार नहीं बनाकर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

खातेदार टिनेंट बनाया। एक तो मंत्रीजी यह बताएं कि खातेदार और खातेदार टिनेंट में क्या फर्क है?

दूसरी बात यह है कि आपकी मंशा इससे साफ झलकती है कि इसमें तीसरे खण्ड में जैसा मैंने पूर्व में यहां अपना वक्तव्य दिया था, यह बताया था कि आपने धारा 25 को डिलीट कर दिया है, मूल एक्ट की धारा 25 को। इसका मतलब यह हुआ कि यह भूदान की जमीन बेच सकेंगे। इसको निश्चित रूप से आपको रोकने का प्रावधान करना चाहिए, खातेदारी राइट्स के कोई भी माननीय सदस्य खिलाफ नहीं है, लेकिन आपने हाफ हार्टेडली काम किया है, खातेदार उसको पूरा बनाना चाहिए था। जमीन के मालिक आप तो बन गये, खातेदार तो आप हो गये इस एक्ट के अनुसार और आपने उसको खातेदार टिनेंट बना दिया और उसके बाद धारा 25 में वह प्रावधान कर दिया जो खातेदार को दिये जाते हैं। उन प्रोविजंस में वह जमीन बेच नहीं सकेगा, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरण हो जाए, वह गिरवी रखकर लोन ले सके, जमीन का सुधार कर सके, ट्रेक्टर खरीद सके, इक्यूपमेंट खरीद सके, इस तरह के प्रावधान होते तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिए सरकार की मंशा मुझे लगता है कि वास्तव में जो हिडन एजेण्डा की बात की गई है कि सरकार अपने में वेस्ट करके क्या करना चाहती है, इसको आप स्पष्ट करें।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी अपनी जमाबंदी वगैरह, आप सभी ने तो देखी है, श्री सरकार और श्री सरकार के बाद में जो अपन खातेदार हैं उनका नाम लिखा रहता है। यह यदि नहीं है तो माननीय कल्ला साहब बता दें अपनी जमीन का क्या लिखा हुआ है जो आलरेडी आपके पास खातेदारी है?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मेरे पास नहीं है।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): होगी, आपकी होगी या कहीं से भी होगी हमारे तो यह श्री सरकार लिखा हुआ है, फिर हम टिनेंट और खातेदार हैं। यही प्रक्रिया है, प्रावधान है, उसी के अनुरूप यह भी उसमें वेस्ट होगी और वापस उन्हीं को अलॉट की जाएगी। अब उनको पट्टा दिया जाएगा।

आपने यह प्रस्ताव किया है कि विद्यमान अधिनियम की विद्यमान धारा 24 की प्रतिस्थापित धारा 24 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति whichever is later के पश्चात् अभिव्यक्ति and the grantee of such के पूर्व अभिव्यक्ति thereby such grantee अतः स्थापित की जाए। मुझे जरा इन दोनों का अर्थ बता दें। यदि

(श्री रामनारायण डूडी)
आगे और पीछे लगने से इसका भावार्थ क्या बदल जाएगा? यदि कहीं भावार्थ बदल जाता है ..(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैंने मूल में जो प्रस्तुत किया है, जो विधान सभा में दिया है।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): कोई अंतर आ जाता है तो आप सदन को बता दीजिए।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैंने जो संशोधन दिया था वह आपके सामने पढ़कर सुनाया है। विधान सभा में दिया है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माफ करना, अगर ''कल्ला बी.डी.'' लिखें या ''बी.डी. कल्ला'' लिखें तो क्या फर्क है?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मेरे पास मूल रूप से जो मैंने संशोधन दिया है वह पढ़कर सुना दें। प्रस्ताव की गलती हो सकती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने जो दिया था वह पढ़कर सुनाया है। (व्यवधान)

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): मंत्रीजी, इसमें इतना फर्क है जितना अमरीका की इंग्लिश में और इंग्लैंड की इंग्लिश में फर्क है।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): ''...and the grantee of such land ..'' और ''.. thereby such grantee ..'' का शाब्दिक अर्थ एक ही है माननीय कल्ला जी। इसलिए इसकी कहीं आवश्यकता भी नहीं है प्रस्ताव लाने की।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): फिर आप बार-बार कोट क्यों कर रहे हैं? मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसकी फोटो कॉपी पड़ी है वह मैंने आपको पढ़कर सुना दी।

**श्री उपाध्यक्ष**: आ गया जवाब। प्रश्न यह है कि ..(व्यवधान)

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): साथ ही जो भूमिधारी सरकार है, सभी खातेदार टिनेंट होते हैं पूरे के पूरे।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए।

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं कह सकता हूं, नियमों में प्रावधान है। मैं इस पर ही बोलना चाहूंगा। (व्यवधान) भले ही नहीं दिया है, पुराना कन्वेंशन है।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): आपने दिया ही नहीं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): एक मिनट, रुक जाइए आप। पुराना कन्वेंशन है। आप देख लीजिए, यहां रूलिंग हुई हुई है। जब खण्डवार होता है, पारित की स्टेज से पहले जब खण्डवार विचार होता है तब भी यहां पर परम्परा रही है सदन की, खण्डवार विचार किया जाए।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): जब आपने दिया ही नहीं .. (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं तिवाड़ीजी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप डिलीट के लिए बोलना चाहते हैं क्या?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं इसी पर बोल रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हटाने के लिए बोलना चाहें तो बिना दिये बोल सकते हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हां, मैं बोल सकता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, तब बोल सकते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: खण्ड के ऊपर तो आपका संशोधन प्रस्ताव नहीं है। नहीं बोल सकेंगे। बाकी आप उसमें बोल सकते हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): उपाध्यक्षजी, मेरा यहां तक ध्यान है कई मर्तबा इस प्रकार के छोटे बिलों के अंदर अलाऊ किया गया है पारित की स्टेज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पर सिवाय इसके अलावा कि सरकार इस बिल को विथड्रा करे तो मेरे पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा। जब कोई संशोधन दिया, मुझे बोलने का अधिकार है, बहुत पुराना देख लीजिए। वैसे आसन जो कहेगा मैं मानने के लिए बाध्य हूं। आपकी जो रूलिंग होगी, अगर आप अलाऊ करेंगे तो मैं बोलूंगा, अन्यथा मैं कतई नहीं बोलूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: मैं इसमें स्वीकार नहीं करूंगा। पारित के समय।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):

**श्री उपाध्यक्ष**: नई परम्परा हो जाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष**: पारित के समय आ जाएगी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): नई परम्परा नहीं है। मैंने कहा आसन अलाऊ करेगा तो बोलूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: इसमें स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री रामनारायण डूडी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक, 2008 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी रूलिंग को मानते हुए अपनी बात नहीं कही लेकिन पूर्व में अगर आप, मैं, आपका स्टाफ यहां बैठा है, उससे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि यह बात सुबह, मेरी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

काफी देर चर्चा पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामनारायणजी चौधरी से हुई और उन्होंने कहा कि पारित की स्टेज पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही उपाय रह जाएगा कि सरकार से कहो कि इस बिल को ही विदड्रा करे तो मेरा आपसे निवेदन है ...(व्यवधान) मैंने वही आपसे निवेदन किया। तिवाड़ीजी, आप बड़े, कोई सरकास्टिक-वे में नहीं कह रहा हूं आप अनुभवी आदमी हैं और बदकिस्मती थी आप पार्लियामेंटरी एफेयर्स मिनिस्टर नहीं रहे, अगर आप रहते तो शायद यह स्थिति नहीं आती। खैर, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस अमेंडमेंट के न मैं, न मेरी पार्टी इस अमेंडमेंट के कतई खिलाफ नहीं है, रिकार्ड को बिलकुल साफ कर देना, लिहाजा यह भ्रांति फैलाने की चेष्टा भी की गई as if the Congress Party is opposed to the amendment of giving rights to these bhoodanis. यह बड़ा साफ-साफ इसमें रिकार्ड के ऊपर है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माफ करें, यह बात तो आपके प्रथम वक्ता से स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पार्टी, इन सब लोगों को खातेदारी अधिकार देने के खिलाफ है। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): आपका यह आरोप मिथ्या, अनर्गल और तथ्यों से परे है (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, आपके पहले ही सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह भू-माफियाओं के लिए हो रहा है, यह उनके लिए हो रहा है, वह सब गरीब आदमी को 50 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं और उनको आज अब अधिकार मिल रहा है और उनको भू-माफिया बता रहे हो? (व्यवधान)...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं है ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उन्होंने यह कहा था कि यह भू-माफियाओं को बिक नहीं जाए, यह कहा था, बात को तोड़ मरोड़ कर मत पेश करो। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): सुनिए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): किसी भी काश्तकार को जब बारानी जमीन पर लगान माफ करना हो ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उन्होंने यह कहा था कि खातेदारी राइट मिलने चाहिए ...(व्यवधान) लेकिन उनकी जमीनें भू-माफियाओं को बिकनी नहीं चाहिए, यह कहा था। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): अब आप बैठें, मैं अभी बताता हूं ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन साक्षी है, जब-जब काश्तकार के लिए, किसान की बहबूदी के लिए जब कभी भी कोई भी ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह जागीरदार कब से किसानों के हितैषी हो गये? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन या कोई भी इस तरह लेकर सरकारें हमेशा ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह जागीरदार कब से किसानों के हितैषी हो गये? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह इनका किसान विरोधी चेहरा है ...(व्यवधान) यह किसान विरोधी चेहरा लिए बैठे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह जागीरदार कब से किसान के हितैषी हो गये? (व्यवधान) यहां बैठ कर बात कर रहे हैं, जागीरदार होकर किसानों के हितैषी कब से हो गये यह? (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): किसानों के हितैषी हो गये हैं कि जब यहां पर सबसे पहले सुखाड़ियाजी कानून लेकर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के 8 मैम्बर्स को जागीरदारी उन्मूलन का पक्ष लेने के कारण से हमने पार्टी से निकाल दिया था और भैरोंसिंहजी शेखावत बचे थे तब से हम किसानों के समर्थन में हैं। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जागीरदारी के उन्मूलन की झलक हमारे जैसे लोग ही हैं। (व्यवधान) हमारे जैसे लोग ही हैं जागीरदारी उन्मूलन का, हमारे जैसे लोगों के कारण ही हुआ है ...(व्यवधान) आप जैसे लोगों के कारण नहीं हुआ ...(व्यवधान) हमेशा किसान को सूद पर पैसा दिया, पांच गुना लिया। (व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): सारा राजस्थान जानता है कि आप किसानों के कैसे हितैषी हैं और तिवाड़ीजी आज बहुत जोश में बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, आने वाले दिनों में मुख्य मंत्री यही होंगे। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा, उन्होंने भी यह कहा कि आप इनको जागीरदारी के हकूक दीजिए, आपके जो उधर से भी सब ने दबी जुबान में यह कहा, पार्टी के डिसिप्लीन को ध्यान में रखते हुए कि इनकी जमीन किसी तरह से बिके नहीं, इसको प्रोटेक्ट करने की आप कोशिश कीजिए, आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिए। (व्यवधान) देखो धर्मपालजी, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, आप जवान हो, मैं आपसे लंग पावर में जीत नहीं सकता हूं। वैसे ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, ज्यादा कुछ कहोगे, कुछ बढ़ गया तो आपके मत्थे पड़ जाएगा ...(व्यवधान) आपके मत्थे पड़ जाएगा कि धर्मपाल ने कह दिया कुछ, हो गया तो आपके मत्थे पड़ेगा, आप छोड़ो इन बातों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, cutting across party lines, विपक्ष के लोग और सत्ता पक्ष के लोग माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ रहे हैं, विधान सभा में कई दफा रहने का मौका मिला है, अनुभवी आदमी हैं लेकिन वह रटा-रटाया भाषण जो सरकार के अधिकारियों ने लिख कर दे दिया उसको बोल गये यहां पर, आपने सुना क्या ? आप सुनते सब की भावनाओं के अनुरूप किसी ने नहीं कहा, आप खातेदारी अधिकार दीजिए, खातेदारी अधिकार दीजिए, लैंड यूज चेंज कर सकें, जमीन मोरगेज रख सकें उनको सारी सुविधाएं जो खातेदार को मिलती हैं वह मिलें लेकिन जो मूल भावना थी जिसके ऊपर एक आंदोलन चला था, जो विनोबा भावेजी ने एक आंदोलन चलाया था और धौलपुर भी पधारे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मदन राठौड़जी ने कहा, धौलपुर भी आए थे, और कोई मुझे अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहिए ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो धौलपुर में विरोध किसने किया था उनका ? (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मेरे पिताजी ने 290 बीघा जमीन दी थी, रिकार्ड दिखवा लो, मेरे पिताजी ने 290 बीघा जमीन दी थी। (व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): अगर भूदान के इतने ही हो तो आप अपनी जमीन दे दो। (व्यवधान)

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आज उन्हीं को खातेदारी अधिकार दे रहे हैं, श्रीमान् जी। (व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): गरीबों को दो जमीनें आप। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): मैं कहना नहीं चाहता था, यह मुझे टोकते नहीं तो मैं जो चीज कर दी उसके बारे में बोलना अपने मुंह से तारीफ करना बहुत ही घटिया चीज समझता हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, उस वक्त आपके पिताजी के पास कितनी हजार बीघा जमीन थी? (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): थी, देखिए, ऐसा है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है।

**श्री उपाध्यक्ष**: वही देता है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): वह भी देता है, यह सब मन की बातें होती हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: मन की बात तो मन की ही होती हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह मन की बात होती है, गरीब आदमी से कहो तो वह दे देता है और जिसके पास सब कुछ है वह कोड़ी निकाल कर नहीं देता है।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): सत्ता पक्ष के पास सौ बीघा से सारी जमीनें भूदान के अंदर दे दो। (व्यवधान) तब तो उदाहरण प्रस्तुत होगा ... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था यह बात ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आपके बुजुर्गों के पुण्य काम का आप लाभ उठा ही रहे हो तो उसका ...(व्यवधान) आज उन गरीबों से आशीष आपको मिल रहा है ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): यह मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाते कि आपने विरोध किया था तो इस बात को मैं मरे ही नहीं कहता यहां। किसी चीज को करके कभी कहना नहीं चाहिए, मैं ऐसी हल्की बात कभी नहीं कहता, मरे ही नहीं कहता, इस चीज को लेकिन आपने एक बिना बात की तोहमत लगाई तो आपको यह बात सुननी पड़ी ...(व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप मरते ही नहीं कहते पर जीते जी कह दिया आपने ...(व्यवधान) आपने कहा कि मरते भी नहीं कहता पर जीते जी आपने कह दिया है। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आप तो दूसरे की जमीनें ही खा गये आपके भूदान तो क्या है आपके, आप तो पूरा जहान ही खा गये। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से यह आंदोलन शुरू हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय, हम में से बहुत लोग लैंड अलाटमेंट कमेटी के मेम्बर रहे हैं, जमीन हमारे जिलों में खास तौर पर पूर्वी जिलों में जमीन कम अवेलेबल थी, लैंड अलाटमेंट के लिए, जब हम किसी काश्तकार को ज्यादा जमीन देना चाहते तो गांव के लोग मौके पर कहते थे कि साहब, दो-दो बीघा ही दे दो, कम से कम हम जमीन के मालिक तो कहलाएंगे, हम जमीन के मालिक तो कहलाएंगे, हमें यह संतोष रहेगा कि हमारे पास भी जमीन है, लैंडलैस की हमेशा यह इच्छा रहती है। मैं साइक्लोजिकल आपको कह रहा हूं, मैंने कई दफा देखा और कई दफा लगता था कि दो-दो बीघा जमीन, तीन-तीन बीघा जमीन देकर होगा क्या ? लेकिन भरतपुर, धौलपुर में जहां पर कि जमीन के ऊपर आबादी का प्रेशर ज्यादा है, वहां जमीन ज्यादा अवेलेबल नहीं थी और आपके वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ज्यादा जमीन अवेलेबल है तो अब दो-दो बीघा देकर तो कहते कि हमें संतोष है कि आपने ईमानदारी का बंटवारा कर दिया, सब को दो-दो बीघा जमीन दे दो, तीन-तीन बीघा, जैसी जमीन उपलब्ध हुई, एक साइक्लोजिकल आदमी के दिमाग में रहता है कि मैं जमीन का मालिक हूं। उसी भावना के अनुरूप विनोबा भावे ने यह आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन को चला कर देश के अंदर जैसा कि एक माननीय सदस्य बता रहे थे 42 लाख रुपये कितनी दूरदृष्टि थी, उनकी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, धरती का बंटवारा नहीं हुआ तो देश के अंदर क्रांति हो जाएगी, हैव्ज में और हैव नाट्स में झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसी के अनुरूप आपने सीलिंग का कानून बनाया, एक सीमा से ज्यादा लोगों के पास जमीन नहीं रहेगी, जमीन उपलब्ध होगी तो यह जमीन दूसरों को दी जाएगी, उसका भी मूल मकसद सारे देश के अंदर राजस्थान अग्रणीय था, हमने राजस्थान के अंदर इतना क्रांतिकारी काम .... Rajasthan was the first State in the country और सुखाड़िया के नेतृत्व के अंदर जिसमें कहा था कि एस.सी., एस.टी. की जमीन कभी ट्रांसफर उनके अलावा, उनकी जाति के अलावा, अन्य लोगों को होगी नहीं । एक क्रांतिकारी कानून जिसमें भोगीलाल जी पंड्या, गोकुल भाईजी भट्ट, माणिकलालजी वर्मा, इन सारे नेताओं का सोच था उसके पीछे, मैं सुखाड़ियाजी का उप मंत्री था, मैंने पूछा यह किसलिए बनाया, कि वहां पर साहूकारों के जरिए थोड़ी-थोड़ी उनकी जमीन चली जाती है तो उस जमीन को प्रोटेक्ट किया है हमने, नहीं कास्ट-वार शुरू हो जाती, आज कई जगह इस कास्ट-वार की नौबत इसीलिए आ रही है कि जमीन की, आज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप कितना बड़ा आंदोलन हमारे यहां से कम से कम 20 हजार आदमी ग्वालियर से दिल्ली तक गये थे, राजघाट पर उन्होंने कहा कि हमको जमीन दी जाए।

जमीन की मांग की, जंगलात की मांग की, आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि कितना बड़ा हुआ और आज आप कुछ लोगों ने कह दिया, भगवान के लिए 27 तारीख तक यह सेशन चलेगा, आप इसमें अमेंडमेंट ले आयें, आज इसको विदड्रा कर लें। मेरी आपसे फिर विनती है कि पूरे सदन की भावनाओं को देखते हुए, अब आप नहीं मानो वह आपकी मर्जी है, आपका बहुमत है, आप मानो चाहे नहीं मानो, यह तो आपका सत्ताबल है, बहुमत है आपका, मानो या नहीं मानो यह आपकी मर्जी है। पर आप इसकी जमीन को, बाकी सारे हकूक दे दीजिये, जो एससी, एसटी को है, एससी, एसटी के लोग भी आज बैंक से लोन ले सकते हैं, वो अपनी जाति के लोगों को ही बेच सकते हैं। आप यह देखिये, इस कानून को मत लाइये, इस कानून को लाने के बाद जमीन आज तक, दुनिया में सब चीज है, हिन्दुस्तान में सारी मिल जाएगी पर एक वक्त आयेगा जब जमीन नहीं मिलेगी। जमीन अवेलेबल होने वाली नहीं है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जमीन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, खेती की जमीन अब रिहायशी जमीन में हो गई है, गांव से लोग निकल-निकल कर अपने खेत में जाकर रह रहे हैं, हमारे जिलों में तो खासतौर से अपने खेतों में जाकर के घर बनाकर रह रहे हैं क्योंकि आबादी का प्रेशर बढ़ रहा है। यह समस्या बड़ा विकराल रूप लेगी, समाज के अन्दर एक विषम स्थिति पैदा होगी इसलिए भगवान के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता हूं कि जमीन बेचने का अधिकार उनको मत दीजिये, बाकी सब ले लीजिये। अन्यथा विनोबा भावे की आत्मा रोयेगी कि जो इतना बड़ा आंदोलन मैंने चलाया, यहां सब ने विनोबा भावे को ट्रिब्यूट पे की है, मुझे खुशी है कि उधर के लोगों ने भी विनोबाजी को संत कहा, उन्होंने भी ट्रिब्यूट पे की उनके इस आंदोलन के लिए। उस वक्त के लोक नारायण जयप्रकाशजी, नम्बूदरीपादजी, जवाहर लाल जी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी ने, सबने इस आंदोलन की सराहना की थी। 13 महीने पूरे देश के अन्दर घूमे थे, आज आप उसको पलीता लगा रहे हो।

राजस्थान सरकार ने क्रांतिकारी कानून बनाये हैं यहां पर, सीलिंग का कानून बनाया, आपने जस्टिस भण्डारी की कमेटी की सिफारिशें स्वीकार करके सीलिंग का कानून बनाया, एससी, एसटी की जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह आपका आज के दिन काला कानून है, इसे पास मत कीजिये, यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। आप इसे विदड्रा कर लीजिये और 27 तारीख से पहले ले आइये, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप उनको सारे अधिकार दे दीजिये, सारे अधिकार दीजिये, खातेदारी अधिकार दीजिये लेकिन जमीन बेचने का अधिकार मत दीजिये। देखिये, हर घर में हर तरह के लोग होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कई ऐसे लोग होते हैं जो घरों को बर्बाद भी करते हैं। अपने घर, रहने के मकान तक बेच देते हैं, औरतों के जेवर तक बेच देते हैं। यह मत दीजिये। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि यह फिर से सोच लीजिये, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है1 अन्ततोगत्वा लोंग रन के अन्दर इससे उनको नुकसान होगा, यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री जीतमल खांट।

**श्री अमराराम** चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई एससी और एसटी की जमीन है और वो बेचान नहीं होता लेकिन वो आबादी में कन्वर्जन करा लेते हैं और हजारों बीघा जमीन बिक रही है। बड़े-बड़े पैसे वाले ले रहे हैं। यह तो भावना है कि अगर वो चाहेंगे तो नहीं बेचेंगे। एससी और एसटी के लिए भी बहुत से जो पैसे वाले हैं वो कन्वर्जन कराकर उतने के उतने पैसे दे देते हैं तो यह तो काम अपने दिल से होगा वही होगा। इसमें जो इन्होंने किया है वह बिलकुल सही है और बाकी आप यह कहो कि टीनेंसी एक्ट में बार होने के बाद में बिकी नहीं है, बिलकुल बिक रही है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, ये जो आप प्राब्लम कह रहे हो यह तो जो आबादी के पास में जमीन आ गई, शहरों के बिलकुल एडजोईनिंग लैण्ड है उसकी बात है, कन्वर्जन उसी का है। जो खेत की जमीन है, काश्त की जमीन है उसका कन्वर्जन थोड़े ही हो रहा है। यह आबादी बढ़ी उस वजह से हो रहा है। अब आप कह रहे हो...

**श्री अमराराम** चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): ऐसा नहीं है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि फार्म हाउस के फार्म हाउस बिके हैं और आबादी में कन्वर्ट होते हैं। पैसे वाले होते हैं तो वो भी खरीद लेते हैं। क्या बात कर रहे हो? (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): हम आपकी बात ही तो कह रहे हैं। यही तो शंका है शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जमीन हड़पने का एक रास्ता निकाल दिया। लैण्ड यूज चैंज कर दी उनकी जमीन हड़पने जा रहे हैं। यह आप कह रहे हैं कि पैसे वाले लोग हैं...

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): इसमें वो प्रावधान है... (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): तो इन गरीबों की जमीन कौन छोड़ेगा? इनकी एक इंच नहीं छोड़ेंगे, सारी जमीन पैसे वाले ले लेंगे। (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): ...यह तो वो कह रहे हैं, आज 50 साल से मांग रहे हैं कि कब खातेदारी राइट मिलेगा...

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आपने हमारी बात का ही समर्थन किया है कि उनके लिए राइडर लगाने के बावजूद भी उनकी जमीन इस तरह से जो पैसे वाले लोग हैं, बैकडोर से रास्ता निकाल लिया कन्वर्जन का....

**श्री अमराराम** चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): फिर राइडर लगाने की जरूरत क्या है?

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): कन्वर्जन करवाकर के उनकी जमीन हड़पे जा रहे हैं, उनको बेजमीन करते हैं, लैण्डलैस कर रहे हैं। तो यह जमीन तो पैसे वाले लोग ले लेंगे। ये आप खातेदारी अधिकार, एक साल के अन्दर ये सब बिलकुल बिना जमीन के हो जाएंगे। आपको इसमें तकलीफ कहां है, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि ये बेच नहीं सकेंगे, बाकी इनकी जमीनें पीढ़ियां दर पीढ़ियां इनकी रहेगी, मरने के बाद में इनका उत्तराधिकारी जो कोई भी होगा, हिन्दू लॉ या जो भी जिस पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे उनको मिलेगी। तो इसमें आपको तकलीफ कहां है? यह बेच नहीं सकेगा, आप बिकवाने के लिए ही दे रहे हो क्या?

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक): फिर उसको खातेदारी राइट देने का क्या मतलब है?

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): बात तो सीधी सी एक है, अब आपके दिमाग में नहीं बैठे और आप तय ही करके आये हो कि इनकी बात तो मानना नहीं चाहे मर जाएं सो मर जाएं तो मत मानो अगर यही है तो।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): टीनेंसी एक्ट में यह भी प्रावधान कर दो कि आबादी में कन्वर्ट करके भी शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन नहीं बेचे। आप इतने हमदर्द हैं तो यह अमेंडमेंट भी करवा दो कि शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन आबादी में कन्वर्ट करके नहीं बेची जाएगी। यह भी करा दो अमेंडमेंट। आप टीनेंसी एक्ट को कर रहे हो, क्या आपके राजस्व मंत्रीजी ने यह सोचा है कि टीनेंसी एक्ट में यह प्रावधान किया जाए? यह समस्या आपके सामने आ रही है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, यह टीनेंसी एक्ट नया आ रहा है उसमें यह उठाना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** (राज्य मंत्री, गृह): यह थोड़े ही है।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): यही तो हम कह रहे हैं कि मंत्रीजी को सलाह दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, उस वक्त सोचेंगे। माननीय जीतमल जी।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 में जो संशोधन यहां पर लाया गया है और इस भूदान यज्ञ के जन्मदाता संत विनोबा भावे ने जब यह राजस्थान के भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाने का जो एक क्रांतिकारी कदम उठाया था, देशभर में बहुत बड़ा जन-जागरण किया था, मैं इस बात के लिए तो उनका, जो परलोक में हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया, बड़ा महान कार्य किया इसके लिए तो वो इस धरती पर हमेशा-हमेशा के लिए जीवित हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यहां भूमिहीन किसानों को जो भूमि मिली है क्योंकि मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा और मैं रिपीट भी नहीं करना चाहूंगा लेकिन इस बिल के पारित होने से बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला, मैं बांसवाड़ा जिले की बात कहना चाहूंगा कि इस भूदान अधिनियम में कम से कम 10 हजार लोग ऐसे हैं कि आज का बिल पारित होने के बाद में ये जैसे ही पत्र-पत्रिकाओं में सवेरे पढ़ेंगे और हमारे जैसे लोग पढ़कर के सुनायेंगे तो उनके घर और जीवन में ये आज आजादी का दूसरा दिन महसूस करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्राम-दान बोर्ड का जो गांव का अध्यक्ष होता था, पांच साल का जो अध्यक्ष का कार्यकाल, पीरियड पूरा हो जाता तो उसके लड़के को फिर उसका अध्यक्ष बना दिया जाता, उसका टर्म पूरा हो जाता तो उसके बड़े भाई को यह बना दिया जाता। गांव के अन्दर इस तरीके की हुकूमत चलती थी कि गांव का

(श्री जीतमल खांट)

आदमी कभी भी ऊंची आवाज में अपने हक की बात के लिए कभी उसके सामने आवाज नहीं उठा सकता था। अगर आवाज उठा दी जाती तो सुबह और शाम में पता नहीं उसका कौनसा खसरा नम्बर कहां पर ट्रांसफर हो जाता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा...

**श्री उपाध्यक्ष**: वह ग्रामदान एक अलग है।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): भूदान यही है।

**श्री उपाध्यक्ष**: वह यह नहीं है। यह नहीं है। ग्रामदान एक्ट एक दूसरा है। वो दूसरा है।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने और हमारे राजस्व मंत्रीजी ने जिस तरीके का क्रांतिकारी कदम उठाकर जो पूरे दक्षिणी राजस्थान में यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर का इलाका है, आज उनको खातेदारी हक मिलने का आपने यहां कानून पास किया है यह कानून उन गरीब आदिवासी किसानों के लिए वरदान साबित होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज इसी जगह पर आप प्रतिपक्ष में बैठे हैं, पिछला समय उनका भी रहा, अगर यह कानून उनको दे दिया जाता तो आज यह स्थिति नहीं होती। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस भूदान यज्ञ में इतना बड़ा संशोधन करके गरीब आदिवासियों को अपना कानूनी हक देने का जो काम किया है, मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात हां और ना में मंत्रीजी से जाननी है। मंत्रीजी, आपका आर्टिकल 24 है, धारा 24-क के प्रभावी होने के बाद में यह भूदान यज्ञ का या बोर्ड का इस जमीन से कुछ लेना-देना रहेगा? हां या ना में कह दीजिये।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): नहीं रहेगा।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): नहीं रहेगा ना और दूसरा, आपका 26वां क्लाज जो आपने रखा है, ‘‘... subject to the provisions of section 26 of this Act..” उसमें आलरेडी है कि बेच सकता है तो सारी जमीन वहां की चली गई। कुछ जमीन तो ऐसी है कि जो नोन-एग्रीकल्चर है, उसको तो बेचने का अधिकार है धारा 26 में, उसको तो आपने as it is रख लिया और यह धारा 24 में संशोधन करके पूरी जमीन आप जो कह रहे हैं, सरकार के माध्यम से खातेदारी मिलेगी, अच्छी बात है तो इस बोर्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा तथा विनोबा भावेजी की उनकी भावना, उनका त्याग और उनकी मेहनत के बाद में

(श्री जुबेर खन)

यह जो जमीन आई और यह बोर्ड बना और यह कानून बना, वह तो समाप्त हो जायेगा ना, फिर वह समाप्त हो जायेगा, इस एक्ट को रिपील करने में क्या दिक्कत है? इनडाइरेक्टली क्यों रिपील कर रहे हैं? सीधा रिपील कर दीजिये ना... (व्यवधान) आप बता दो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सीधा हो जायेगा।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): घनश्यामजी, आप कह दो ना। अब जब इसमें कुछ बचेगा ही नहीं तो इस बोर्ड को रखने का क्या सवाल है? क्योंकि वह जवाब नहीं देंगे, आप दे दीजिये हां और ना में जवाब और नहीं रहेगा तो इसको रख क्यों रहे हैं? इसको खतम ही कर दीजिये।

एक बात और बताइये, इसका क्या करेंगे कि जब 26 तारीख को पास होकर नया कानून आ जायेगा और आपने बना दिया राजस्थान टीनेंसी एक्ट, 1955, 1955 यह तो खतम हो जायेगा तो फिर क्या रह जायेगा इसमें? नया कहां शामिल होगा? उसके लिए अध्यादेश लायेंगे? यही करेंगे ना।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कर लेंगे।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): कुल मिलाकर आपने इसमें, मैं एक बार अंत में कह रहा हूं, हम इस पक्ष में हैं कि लोगों को खातेदारी अधिकार मिले, उनका हक हो, सारी सुविधाएं मिले, लोन मिले, कन्वर्जन कर सके, उद्योग लगा सके, यह सब करिये लेकिन इसको बेचने पर राइडर लगा दीजिये, यह हमारी आपसे मांग है पर इस जमीन को बेच नहीं सके, कम से कम 10-5 साल का तो लगा दीजिये।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। अब हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं जहां आपने इकोनोमी को लिबरलाइज कर दिया है, when continents have come together, आप 55 साल बाद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पांच दशक की आजादी के बाद में भी हमने अपने नागरिक को इतना ज्यादा स्वतंत्र नहीं बनाया कि वह अपने भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय ले ले कि वह अपनी सम्पदा को रखे या किसी को बेचे या उसको विकसित करके उसके बाद में निर्णय ले ले। आप किस प्रिमिटिव एज की बात कर रहे हैं? स्टोन-एज की बात कर रहे हैं? एक इंसान को कम से कम इतना अधिकार तो होना चाहिए कि वह अपने भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय ले सके कि अगर 21वीं शताब्दी में आप यह स्वीकार करते हैं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो पहले यह भी बात स्वीकार कर लीजिये कि 50 साल के अन्दर हमने कोई विकास नहीं किया, न तो मानसिक विकास किया, न भौतिक विकास किया और न बौद्धिक विकास किया, इस बात को स्वीकार करवा लीजिये। आखिर में हम एक इंसान को कानून में कितना बांधना चाहते हैं? यह इस राष्ट्र को भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र कर लिया, इसके नागरिक को हम बौद्धिक दृष्टि से पराधीन बनाना चाहते हैं, उसको मौलिक अधिकार नहीं देना चाहते। आप और हम तो अपनी जमीन, अपनी जायदाद के बारे में स्वयं निर्णय कर लें और वहां का नागरिक 50 साल बाद में अपनी जमीन-जायदाद के बारे में निर्णय नहीं करे। आप और हम कौन होते हैं यह निर्णय करने वाले? बेसिक ह्यूमन वेल्यूज और एक बेसिक नेचुरल जस्टिस के अन्दर उस वक्त की पृष्ठभूमि में यह बात हम स्वीकार कर सकते हैं और कानून के बनाने वाले और कानून के व्याख्याता यहां बैठे हैं, एक बार अगर आप कोई चीज गिफ्ट में दे देते हैं, गिफ्ट में दे देने के बाद में आपका उस पर से अधिकार खतम हो जाता है। जिसको आपने गिफ्ट में दिया है, वह उसका अधिकार होता है कि वह कैसे उसको उपयोग करे। 50 साल तक उस आदमी को आपने जंजीर में बांधकर रखा है। कृपा करके अब तो उसको स्वतंत्र करिये, उसका भविष्य और उसके बच्चों के भविष्य का अधिकार उसको दीजिये। धन्यवाद।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं, पढ़े-लिखे हैं, हम मानते हैं लेकिन मैं एक बात उनसे अन्तरात्मा से ही पूछना चाहता हूं। यहां विधान सभा में हम 200 माननीय सदस्य क्या अपने विजडम, अपना सोच, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं? आज क्यों एस.सी. एस.टी. के लिए राइडर लगा रखा है? क्या उनको अधिकार नहीं है लेकिन यह कहिये, इसलिए कि वह इस स्थिति में नहीं आया है। अगर उनकी जमीन बिक जायेगी, आप यह बात गलत कह रहे हैं कि 60 साल बाद भी आप इनडाइरेक्टली यह कहना चाहते हैं कि एस.सी. एस.टी. की जमीन को खुली कर दीजिये कि कोई खरीद ले। हम इस बात से सहमत नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: एस.सी. एस.टी. के सदस्यों से बात की है क्या कभी आपने? वे एतराज कर रहे हैं। वह स्थिति आने दीजिये। (व्यवधान) वहां प्रोविजन इसमें लागू होंगे, माननीय सदस्य बैठिये। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ...चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई पार्टी हो।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य की भावना यही है कि काश्तकार पर जो जंजीर लगा रखी है, 50 साल बाद उसको भी हटाया जाये। क्या सत्ता पक्ष और माननीय राजस्व मंत्रीजी इनकी बात को मानेंगे? जैसा कि आप उन्हें खातेदारी का अधिकार और बेचने का अधिकार दे रहे हैं, वैसे ही आप सभी को दे देंगे, यह तो बता दीजिये आप। आपके पक्ष के लोग कह रहे हैं, उनकी बात को मानिये।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपने तो खुद की जमीन एस.सी. वालों से खरीदी। आपने एस.सी. की जमीन नहीं खरीदी? आप यहां पर बता दो कि आपने एस.सी. की जमीन कन्वर्ट कराकर नहीं खरीदी है। बता दो ना कि आपने एस.सी. की जमीन को एग्रीकल्चर में कराकर खरीदी है। या आपने नहीं करवाई है तो आप हां या ना में बता दो।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय धर्मपालजी, बिराजिये आप।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): किसने खरीदी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी। यह आप सदन में कह दो, मैंने कोई एस.सी. की जमीन खरीदी हो, अगर आप प्रमाणित कर दें कि मैंने एस.सी. की जमीन खरीदी है तो मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूं।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपने तो पहले ही खरीदी, यहां पर काहे के लिए कहते हो।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): मैं विधान सभा छोड़ने के लिए तैयार हूं।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपने खुद ही स्वीकार कर लिया वह।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अगर लोगों की जमीन दबाई होगी मेवों की तो वह आपने दबाई होगी। हमने नहीं दबाई।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपने तो नौकरी करते हुए कई जमीन दबाई हैं।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): हमने तो कोई जमीन नहीं खरीदी।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): नौकरी करने के बाद में जहां तक पहुंचे, वहां तक जमीन खरीदी गई। आपने एस.सी. की जमीन खरीद रखी है, आपने बेनामी जमीन खरीदी है।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): अगर एस.सी. की जमीन मैंने ली है तो मैं विधान सभा से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं और नहीं तो माननीय सदस्य, आप त्याग-पत्र दो। आप समय तय कर दीजिये। ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं इसलिए ये कहें कि मैं गलत कह रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): अगर आपने एस.सी. की जमीन नहीं खरीदी तो आप कह दो कि नहीं खरीदी और खरीदी है तो बता दो कि खरीदी है, यही कह दो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ×××

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव):×××

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे ही जो-जो माननीय सदस्यों ने इस भूदान एक्ट के अन्दर बात उठाई है और धारा 24 और 25 में संधोधन करने में सभी का जवाब मैंने दे दिया है। इसलिए हमने राजस्थान के अन्दर खातेदारी हकूक हमें जो प्राप्त है, वही होंगे। इस धारा को विलोपित करने के बाद में इसको हम खातेदारी में दे रहे हैं तो कहां शंका रह गई कि उनके ऊपर राइडर लगा दीजिये, फिर वह जमीन नहीं बेच सकेंगे इस धारा के अन्दर किसी को जमीन बेचने का हक नहीं होना चाहिए। केवल उनको गुलामी की बेड़ियों के अन्दर आप रखना चाहते हैं कि वह अपना विकास नहीं करे, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इसे पारित करवाइये।

## विधेयक का पारण

### राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया गया।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि....

## व्यवस्था का प्रश्न

### सम्बन्धित विभाग का मंत्री ही विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। आज सुबह पंचायती राज मंत्रीजी यहां पर मौजूद थे और पंचायती राज मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के और आज जो एक्ट पास किया जा रहा है और मुझे बहुत ही....

I am surprised! How a Bill is being presented by a minister who is not minister in-charge of Panchayati Raj. The Minister was present in the House today. The hon'ble minister, Shri Kali Charan Saraf is inducted in the Council of Ministers on the advise of the Chief Minister. On the advice of the Chief Minister. He has also taken an oath as a minister. Later on, His Excellency the Governor has under the rules … business has been given to you. You have been allotted the portfolio of Education Department. The Bill which has been presented in the House, he is not minister in-charge of that. He is not holding the Panchayati Raj Department. I am pointing out my case. Even when he is not minister in-charge, he has brought this Bill, which has been brought in this House by the Education Minister. This is clear violation of the Constitution. The Constitution has mentioned that a State will have a Council of Ministers. That is Art. 163. I would like to read it. This very mistake was first made in 2003 ….(interruptions) … No, no, he will give definitely. Ruling has to be given by him.

"There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in exercise of his function …" "164. The Chief Minister shall be appointed by the Governor and other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister .." I too agree there are certain conditions. Then I quote Art. 166(3). "The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion."

On the advice of the Chief Minister, portfolios are allotted and portfolio for Education has been allotted to Shri Kali Charan ji Saraf. I am very clear and sure that the Constitution envisages all these things and this is violation of

(श्री महीपाल मदेरणा)

the Constitution. The Minister in-charge for Panchayati Raj is Shri Kalu Lal ji Gurjar. He is the minister in-charge and he should have piloted this Bill in the House.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 163 और 166(3) का उल्लेख करते हुए यहां यह कहने की कोशिश की है कि जो प्रभारी मंत्री महोदय ने अभी विधेयक प्रस्तुत किया है वह नियमानुसार नहीं है और संविधान सम्मत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही प्रकरण जब पिछले सत्र में आप श्रीमान खुद उसके साक्षी रहे हैं जब तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी एक बिल को पायलट कर रहे थे तब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि मंत्रीमण्डल सामूहिक दायित्व की भावना से काम करता है और एक बार, एक-दो जगह नहीं, यह संविधान में कई जगह उल्लेखित किया गया है, कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बात भी कही गई है और जिन अनुच्छेदों का आपने उद्धरण किया है अगर उनके बारे में विस्तृत रूप से जो कमेंटरी साथ है उसको पढ़ें तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि मंत्रीमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में काम करता है। चूंकि यह जो जिन शिक्षकों के लिए, जिन पैरा टीचर्स के लिए, जिनके जनक सामने बैठे माननीय सदस्य हैं, माननीय सभी लोग हैं, आज जो मारे-मारे फिर रहे हैं, उनको नियमित करने के लिए विधिवत एक कैडर के रूप में डालकर सरकार एक ऐसा कानून लाई है और मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के बाहर एक दो नहीं, कई रास्तों के अंदर वह पैरा टीचर्स, जो बारह, बारह सौ रुपये में इन्होंने नियुक्त करके जिनकी भावनाओं को आहत किया था, बेरोजगारों के साथ मजाक किया था, वह माला लिये खड़े हैं। मैं समझता हूं शायद इस लोकप्रिय निर्णय पर यह इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो कंडक्ट आफ बिजनस के रूल्स बने हुए हैं, जो आर्टिकल 208 के तहत बने हैं, यह भी हमें कहीं बाध्य नहीं करते कि मंत्री उत्तर नहीं दे सकता। अगर प्रभारी मंत्री दूसरे किसी, उस विषय पर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है इसमें कोई सार नहीं है, इसलिए इसे रिजेक्ट फरमायें।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हो चुका नाथू सिंहजी।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह तो आपस में कम्पीटीशन है आप में। हो गया न।

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): नहीं-नहीं, ऐसे नहीं, जब आपने कांस्टीट्यूशन कोट किया है...

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): Are you not the member of the Council of Ministers. The hon'ble minister is replying.

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 164 का...

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): The minister in-charge who is piloting the Bill, he will reply. Is he not competent enough to reply to all these things?

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): नहीं-नहीं, मैं भी बता दूं ना।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): He is just making a second point. You can support the minister concerned.

**डा. एन. एस. गुर्जर** (सहकारिता मंत्री): आप 164 का टू पढ़िये उपाध्यक्ष महोदय। आर्टिकल 164 का टू पढ़िये। "The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State." क्लियर है यह इसमें।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस सदन में कोई मंत्री स्वयं मौजूद हो और उसकी उपस्थिति में कोई दूसरा मंत्री उस बिल को पायलट करे, यह परम्परा नहीं रही है। हां, कोई बीमार हो, कोई किसी कारण से सदन में नहीं आये, उस समय यह छूट दी जा सकती है सामूहिक जिम्मेदारी की लेकिन उसका यह दुरूपयोग कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है इसलिए भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आब्जेक्शन उठाया है वह सही है कि यह परम्पराओं का दुरूपयोग कर रहे हैं और इसमें फिर संसदीय कार्य मंत्रीजी ने तो यह कह दिया, बिल पारित कौन करेगा, इस पर बहस हो रही है। यह हमेशा ट्विस्ट करने की बात करते हैं, यह कह रहे हैं कि इस एक्ट का हम विरोध कर रहे हैं। एक्ट का कहां विरोध कर रहे हैं, एक्ट के बारे में चर्चा होगी तो हम अपने विचार रखेंगे। इन्होंने यह कहा कि पायलट करने का काम पंचायती राज मंत्री को करना चाहिए, यह है प्वाइंट आफ आर्डर, न कि इसका समर्थन, विरोध, यह अभी प्रश्न ही नहीं उठता। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी कमी और खामी बताकर प्रयास आज पूरी कांग्रेस पार्टी यह कर रही है कि यह जो विधेयक थोड़ी देर में पारित हो जायेगा, यह आज सदन में रखा ही नहीं जाये, बाहर हजारों वहां पैरा टीचर्स...

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह नहीं है। यह ट्विस्ट कर रहे हैं आप। आप ट्विस्ट कर रहे हैं बात को।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बारह-बारह सौ रुपये के अंदर जिनके साथ मजाक किया था, आज उन्हें नियमित करने का प्रस्ताव सरकार लेकर आई है, आपको स्वागत करना चाहिए।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): नहीं, स्वागत तो, योग्य भी नहीं हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): इस योग्यता के कारण आपको मंत्रीमण्डल में रख रखा है कि आप ट्विस्ट करो चीज को।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न माननीय अध्यक्ष जब आसन पर बिराजमान थे और इसी प्रकार का पंचायती राज में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लोगों को भर्ती करने के लिए जो संशोधन था वह जब मैंने प्रस्तुत किया था उस समय भी इसी प्रकार का आब्जेक्शन उठाया गया था माननीय सी.पी. जोशी साहब की तरफ से और यह कह कर फिर माननीय राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने कहा था कि आप यह बिल ला रहे हो और आप कभी भर्ती नहीं कर पाओगे, यह उन्होंने कहा था। आज भी वही दिन है कि जब यह पैरा टीचर्स जिनको बारह-बारह सौ, पन्द्रह-पन्द्रह सौ में रखा गया, जिनकी योजना समाप्त होने वाली थी, आज उन पैरा टीचर्स के लिए एक पूरा कैडर बनाकर...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप तो प्वाइंट आफ आर्डर की बात करो। राजनीतिक भाषण नहीं। आप प्वाइंट आफ आर्डर वाली बात करो, यह बात बाकी यह कर लेंगे। प्वाइंट आफ आर्डर वाली बात करो आप। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, वह बोल रहा हूं न। सब काम मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो। तो आज वही जब उनको रेगुलराइज करने का बिल...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): कालूलाल गुर्जर को अयोग्य घोषित कर बाद में लायें...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, ठीक है, ठीक है।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): पहले भी आपने यही किया था, अभी उस दिन भी उनको बाहर भगा दिया...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं भी अयोग्य हो गया...

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आज दिन भर तो मौजूद थे और बिल आने लगा तो उनको बाहर भेज दिया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं भी अयोग्य हो गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से, वैसे तो इस सदन में बहुत बार इस बात के निर्णय हैं अध्यक्षों की ओर से।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोट कर दें आप कहें तो, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं, कोट की जरूरत ही नहीं है। बहुत बार निर्णित है, यहां पर एक सैटल्ड परम्परा है इस सदन की कि कोई भी मंत्री सदन में उपस्थित भी रहे तो अथोराइज्ड करने पर दूसरा मंत्री पायलट कर सकता है, बोल सकता है, कर सकता है। इस प्रकार की सदन में परम्पराएं रही हैं और इस पंचायती राज के और शिक्षा के बारे में, तो मेरे स्वयं के बारे में अध्यक्ष महोदय ने सारी व्यवस्था कायम की है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि माननीय भोपालगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और जिस व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से कांग्रेस पार्टी हजारों पैरा टीचर्स को रोकना चाहती है, उस व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त किया जाय।

**अनेक माननीय सदस्य**: नो-नो, नो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अध्यक्ष पद से लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड दो। उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड दो में लिखा है 5 अक्टूबर 1978, को, राजस्थान लोकायुक्त, उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 1978 को विधि मंत्री द्वारा पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर श्री मूलचन्द डागा, सदस्य ने एतराज किया कि मान्यवर, इसमें श्री भैरोंसिंह प्रभारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री लिखा हुआ है अतः विधि मंत्री रख सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी- माननीय डागाजी, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, ''member in-charge of the Bill means, in case of a Government Bill, any minister.''

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): You mean to say that he is 'any minister' or a minister in-charge? Kindly make the definition clear. Any minister … I am just elaborating my point of order.

हमें कोई बिल का विरोध नहीं करना है, अगर घनश्यामजी तिवाड़ी ने पिछली बार कर दिया और अध्यक्ष ने उनकी तरफ उदार दृष्टि से देख लिया, but this cannot be a convention for the ….

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो यह अध्यक्ष अनुदार है क्या?

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): यह उदारता के लिए बात हमने तगड़ी की है, आपने तो ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप छद्म रूप से पैरा टीचर्स का विरोध क्यों कर रहे हो? खुले आम विरोध करो, छद्म रूप से विरोध क्यों कर रहे हो?

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): मैं देखिए बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी इस बात का विरोध कर रहा हूं कि पहली बात तो आपने पांच साल के अंदर उस पंचायती राज मंत्री को इतना अक्षम समझ लिया कि वह इस योग्य ही नहीं है कि वह बिल प्रस्तुत कर सके। पिछली बार तो घनश्यामजी तिवाड़ी से पेश करा करके बचा दिया, आज कालीचरणजी सर्राफ से पेश कराकर बचा रहे हो और उनको अगर नहीं आना था तो सभापति महोदय को कहना चाहिए था। वह आपके स्टेट मिनिस्टर नहीं आ रही है, कह रही थी मैं किसी कारणवश नहीं आ रही हूं तो उन्होंने सदन को इन्फोर्म किया और वह आज सुबह आ गए थे, अभी थे और चले गए और आपने उनको भगा दिया। आपने भगाया है उनको, उनको आवाज लगाकर के कहा चले जाओ नहीं यह बात होने वाली है। अगर इतना अयोग्य मंत्री है तो उनको काउंसिल आफ मिनिस्टर से हटवा दो।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी क्या शिक्षा पर आपका और कालीचरणजी का ही अधिकार है? ओबीसी से आते हैं मंत्री

(श्री जुबेर खान)

इनका अधिकार नहीं है कि कुछ बोल सकें। आप जान-बूझकर शिक्षा से पिछड़ा वर्ग को दूर रखना चाहते हैं। इसलिए आप यह पायलेट करा रहे हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सारे अग्रवाल बिहार में ओबीसी में हैं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): राजस्थान में तो नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : सुशील मोदीजी फतेहपुर के हैं, फतेहपुर के सुशील मोदीजी है, फतेहपुर के कालीचरणजी है, सुशील मोदीजी बिहार में ओबीसी में हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): उप-मुख्य मंत्री है।

## व्यवस्था

## प्रभारी मंत्री के सदन में उपस्थित रहने पर भी अन्य मंत्री विधेयक पायलेट कर सकता है

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण दिनांक 21 फरवरी, 2005 को भी यही प्रश्न खड़ा हुआ था। दिनांक 21 फरवरी, 2005 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री द्वारा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2005 को प्रभारी मंत्री की हैसियत से विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते समय डा. सी.पी. जोशी सदस्य, विधान सभा ने आपत्ति प्रकट की कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) तथा अनुच्छेद की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने जो पंचायती राज के सम्बन्ध में नियम और कानून बनाए हैं, उनमें रिक्रूटमेंट करने का अधिकार आज भी पंचायत समिति और जिला परिषद में निहित है। अतः इसके रिलेवेंट मंत्री पंचायती राज मंत्री हैं, वह इस विधेयक के प्रभारी मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2005 में प्रभारी मंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी लिख रहे हैं, वह संवैधानिक दृष्टि से ठीक नहीं है तथा इस विधेयक के प्रभारी मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हो सकते। इसलिए इस विधेयक के प्रभारी मंत्री के रूप में श्री कालूलालजी गुर्जर का नाम होना चाहिए तथा वे इस विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री घनश्याम तिवाड़ी ने इस संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत राज एक्ट में संशोधन इसलिए हो रहा है कि पिछली सरकार के समय एलीमेंट्री का डायरेक्ट्रेट अलग से बना दिया और उसको शिक्षा मंत्री के अधीन किया

(श्री उपाध्यक्ष)

है। उसके हिसाब से जो भर्ती का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव का, वह शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हो रहा है और इसके कारण से पिछली बार जब हमने अमेंडमैंट पेश किया था, उस समय भी एतराज किया था। उस समय भी प्रभारी मंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी लिखा हुआ था और इस विधान सभा में इसी एक्ट में संशोधन हमने पारित किये हैं और उसमें विधवाओं का नहीं था, इसलिए इसमें छोटा सा परंतुक विधवाओं का जोड़ा जा रहा है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें व्यवस्था की भी मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है और उसी हिसाब से पेश किया गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं इस आपत्ति को निरस्त किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष ने इस पर व्यवस्था दी – ‘‘member in-charge if the Bill means, in the case of a government Bill, any minister and in any other case, the member who has introduced the Bill.”

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इनको प्रताडि़त करो आप।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): प्रताड़ित किस बात का? आप संसदीय कार्य मंत्रीजी प्रताड़ित करते हैं, पाइंट आफ आर्डर उठाने में प्रताड़ित करते हैं...

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य आपकी इस आपत्ति को निरस्त किया जाता है ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): कोई बोले उसको बाहर निकाल दो और जो पाइंट आफ आर्डर उठाए उसको प्रताडि़त कर दो ...(व्यवधान) इसलिए संसदीय कार्य मंत्री बनाया है बीजेपी ने ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारे बीच में आप कहां हो?

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मदरेणा साहब को प्रताडि़त करने की आर्थिक क्षमता है क्या? (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी ...(व्यवधान) नहीं है, आप मदरेणा साहब को प्रताड़ित करना चाहते हो?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ...(व्यवधान) यहां सदन के माध्यम से ...(व्यवधान) आपको उठाना चाहिए था ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह षड्यंत्र आप कराते हो? मदरेणा साहब को प्रताड़ित करने का षड्यंत्र आप करते हो ...(व्यवधान) हम सत्तापक्ष वाले भी यहां ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मदरेणा साहब ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, पाइंट आफ आर्डर वहां से उठा है ...(व्यवधान) आपकी हिम्मत क्या है? (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): आपने कालूलालजी और देवनानी को वहां बंद कर दिया, इसलिए आपको प्रताड़ित होना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): कालूलालजी की बार-बार क्या हालत कर रहे हो? इसके लिए आपको प्रताड़ित करना चाहिए यहां, यह भी कालूलालजी का, आज भी कालूलालजी का, आगे भी होगा तो कालूलालजी का, यह हाल कालूलालजी का होना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री कालीचरणजी सर्राफ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री जुबेर खान।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008 के ऊपर मैंने जो अपना प्रस्ताव दिया है जिसको जनमत जानने हेतु भेजा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, let me make it very clear. We are not against this Bill, we are in favour of this Bill और कांग्रेस की सरकार होती तो आज से चार साल पहले ही यह बिल आ चुका होता। कांग्रेस सरकार के समय में यह व्यवस्था करने जा रही थी कि पैरा टीचर्स को अध्यापक की नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन माननीय अदालत की रोक के बावजूद वह नहीं कर पाये और वह इस वजह से नहीं हो पाया तो आप आदरणीय मंत्री महोदय यह लच्छेदार बात मत करिए कि कांग्रेस इसके खिलाफ है। कांग्रेस उन लोगों को, शुरूआत में नौकरी कांग्रेस ने दी है जिनके लिए यह बिल आ रहा है। उनका अधिकार था और आपने चुनाव में भी वादा किया था उनसे लेकिन आज से सवा चार साल बाद यह बिल ला रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): पूरे पांच साल में एक भी मास्टर भर्ती किया क्या? एक भी मास्टर भर्ती किया क्या? पैरा टीचर, पैरा डाक्टर, पैरा इंजीनियर, पैरा के अलावा कुछ किया क्या?

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): एकाध चपरासी लगाया था क्या? (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): एक नौकरी नहीं मिली ... (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के नौजवानों की भ्रूण हत्याएं की हैं ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): वापस राज में आना चाहते हो तो पैरा टीचर की जगह पैरा बच्चे, पैरा बच्ची, पैरा माता ...(व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ...(व्यवधान) तो पिछली सरकार को कम से कम लाखों लोगों को ...(व्यवधान) दिया है। जो आपने झूठे वादे किए थे, वह वादे आपके सामने आ रहे हैं। जो यह अमेंडमेंट कर रहे हो? कांग्रेस तो इनको लगाने वाली है, स्कूलें खोलने वाली है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) ऐसा नहीं है, सदन को सही सूचित करना चाहिए। पैरा टीचर आपने ही लगाया, इसमें कोई मीनमेख नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन इनके लिए आपने टीचर नियुक्ति का आदेश जारी नहीं किया था। आपने यह कहा था कि 7500 की जो वेकेंसी निकाल रहे हैं, उनमें आपने रिज़र्वेशन में रिज़र्वेशन कर दिया था। इसलिए हाईकोर्ट ने यह कहा कि 49 प्रतिशत जो रिज़र्वेशन कांस्टिट्यूशनल है उसके ऊपर आप रिज़र्वेशन नहीं कर सकते। इसके कारण स्टे हो गया था। यह स्टे होने के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने उसको हाईकोर्ट से वापस किया, उस रिज़र्वेशन को खतम किया और खतम करके जो नई भर्ती की, उसमें 1 जनवरी, 1998 की आयु सीमा मानकर इनकी भर्ती करने की छूट दी। इसके कारण से 13 हजार पैरा टीचर नौकरी लग गए और अभी यह जो बिल है, यह बिल उन सब को नियमित करने के लिए है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह बिल आप ही पेश कर देते? इस बिल को आप ही पेश कर देते?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ऐसा है माननीय खाद्य मंत्रीजी आपने जो बात कही है उसमें हमने यह किया था कि जो पैरा टीचर्स हैं...

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): किसी के अधिकारों का हनन करके अपाइंटमेंट दें उसके साथ अन्याय करना है ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नई वेकेंसी आई, उनमें 50 प्रतिशत पोस्टें उनके लिए रिजर्व रहेगी, कुछ लोग उसके खिलाफ में हाईकोर्ट में गए और उसने स्थगन आदेश दिया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कब गए हाईकोर्ट में? आप रिकार्ड को ठीक रखें, 2004 के अंदर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, जब तक आपकी सरकार की विदाई हो चुकी थी।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं, नहीं, पहले ही दे दिया था, आपको मालूम तो है नहीं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आप हाउस में बता दें स्टे कब दिया था?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): संसदीय कार्य मंत्रीजी आपको पता नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): आपने तो पैरा टीचर्स के नाम से भट्ठा बैठा दिया राजस्थान के नौजवानों का ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आप यह बता दें स्टे कब दिया?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपको मालूम है स्टे कब मिला? स्टे हमारे वक्त में मिला था, हम तो उस समय ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के एक भी माननीय सदस्य बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट से स्टे कब हुआ था? यह बता दें, अगर स्टे का आपने नाम लिया है तो यह बता दें स्टे कब हुआ था?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट का स्टे ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हाईकोर्ट का स्टे हमारी सरकार के वक्त हुआ था।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : सुनो जरा।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): कब हुआ था यह बता दो?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वकील साहब आपको मालूम नहीं है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): कब हुआ था बताओ आप अभी पता लग जाएगा?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या पता लग जाएगा? अभी बता दिया ...(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : हां, यह सही है कि हाई कोर्ट का स्टे आपके टाइम पर हुआ था और कोर्ट का स्टे वेकेट हमने कराकर और इसके माध्यम से इनको नियुक्त कराया है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वह तो जो गवर्नमेंट होती है, वही करती।

**श्री सी. डी. देवल** (रायपुर): ...(व्यवधान) और माननीय संसदीय मंत्रीजी तो खाली कागज बताकर करके भी आर्डर पढ़ सकते हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की मंशा इनको नौकरी देने की थी और यह स्वयं घनश्यामजी तिवाड़ी ने स्वीकारा है, कोर्ट के स्टे की वजह से ...(व्यवधान) तो यह मत कहिए अगर कांग्रेस की यह, आपने बल्कि उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह कहने में संकोच नहीं है ...(व्यवधान)....

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ...(व्यवधान) 1200-1200 रुपए में उनको प्रतिमाह लगाकर के उनकी हत्या नहीं की तो और क्या किया है? नौकरी थोड़े ही लगाई है इन्होंने ...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ...(व्यवधान) क्योंकि इन लोगों को कांग्रेस सरकार के समय में लगाया था इसलिए उनको सवा चार साल बाद यह बिल लाया गया है ...(व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): नौकरी थोड़ी लगायी इन्होंने ...(व्यवधान) इन्होंने नौकरी नहीं लगायी ...(व्यवधान) 1200 रुपये में ...(व्यवधान) न्यूनतम मजदूरी से भी कम दिया। (व्यवधान) नौकरी देते ...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य ...(व्यवधान) इसके पक्ष में हैं तो जनमत जानने के लिए क्यों दिया?

**डा. ओ. पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अगर आपकी भावना थी तो इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव क्यों दिया?

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): ...(व्यवधान) केवल शोषण करने के लिए और +++ चलाने की मूल भावना थी ।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): जुबेर खानजी, ...(व्यवधान) इसके पक्ष में हैं तो जनमत जानने के लिए क्यों दिया?

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए परिचालित करने का मैंने इसलिए प्रस्ताव दिया है कि...

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): जुबेर खानजी, आप यदि इसके पक्ष में हैं तो जनमत जानने के लिए क्यों दिया?

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हां पक्ष में हैं। इसलिए दिया है उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में कई बार यह बात दोहराई है इस सदन में कि यह जो ट्रांसफर की बीमारी है मैं यह चाहता हूं कि ये आप जिले का कैडर बनाइये कि जो भर्ती जिले में होगा वो जिले में ही रहेगा ताकि जो आपका मूल उद्देश्य है कि रिमोट विलेजेज में और ढाणियों में शिक्षा की सुविधा पहुंचे उसकी व्यवस्था तभी हो पाएगी । आज अगर आपने बाड़मेर में किसी को रेगुलराइज कर दिया तो वो ट्रांसफर नहीं कराके जाए, मैंने इसलिए यह दिया है प्रस्ताव कि इसमें आपको एक तो यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पैरा टीचर्स के साथ में जो लोक जुंबिश परियोजना के अन्तर्गत, उर्दू टीचर्स लगे, जो अन्य सह शिक्षाकर्मी लगे हुए हैं इसमें सब को सम्मिलित करके लाइये। ये बार-बार कितने ही काफी बड़ी संख्या में लोग

**(समय : 18.21 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)**

ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीईपी के माध्यम से, पैरा टीचर्स के माध्यम से, सह शिक्षाकर्मी के माध्यम से, वैकल्पिक केन्द्रों के माध्यम से, उर्दू टीचर्स के माध्यम से लोक जुंबिश के माध्यम से लोग दूरदराज में लगे हुए हैं मैंने इसलिए कहा है इसमें आप सब को सम्मिलित करके एक कंप्रीहेंसिव बिल लायेंगे तो दूरदराज के इलाकों में शिक्षा तो पहुंचेगी ही, जो लोग वर्षों से दूरदराज के गांवों में काम कर रहे हैं और उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है उनको पे पूरी नहीं मिल रही है, तलवार ये लटकी हुई है कि हम कब

(श्री जुबेर खान)

परमानेंट होंगे, ताकि उन लोगों का भी रास्ता खुल सके यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक निवेदन और करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि आप ये तो लायेंगे लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों की वो हालत है माननीय मंत्री महोदय, जो आप नियुक्तियां देते रहे हो आरपीएससी के माध्यम से वो नियुक्तियां आप जयपुर में बैठ करके कराते हैं और जयपुर में बैठ करके डीईओ को बुला कर लोग शहरों के पास लग जाते हैं ग्रामीण एरिया में नहीं जा रहे हैं इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सक्षम मंत्री हैं आपकी भावना है कुछ करने की सर्राफ साहब, आप ये करायें कि ग्रामीण के दूरदराज के इलाके में जो बार्डर के गांव हैं, शहरों से दूर गांव हैं उनमें कैसे शिक्षा के लोग पहुंचे और जो स्टूडेंट्स गरीब परिवारों के, मजदूरों के, बीपीएल के किसानों के, ओबीसी के छात्र-छात्राएं जो पढ़ते हैं वहां सुविधा पहुंच सके उसके लिए इस बिल से काम नहीं चलेगा ये तो बारह सौ ही आप करेंगे, बारह हजार टीचर्स आप बता रहे हैं लेकिन आपके पास...

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): बारह हजार किसने कहा ? इसमें लोक जुंबिश, शिक्षाकर्मी, उर्दू टीचर्स सब सम्मिलित हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): सब शामिल हैं न?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): सब शामिल हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): बिलकुल सब को शामिल करके और इसके साथ इसके बाद जो जगह बच जाए, जो रिक्त पद हैं उन पर जल्दी से जल्दी आप आरपीएससी या कहीं भी व्यवस्था कराकर इस बार आप जिले को आबंटन करायें, पंचायत समिति को आबंटन करायेंगे टीचर्स का ताकि दूरदराज में पंचायत समिति स्तर पर लोगों को लगाया जा सके। यहां जयपुर बुलाकर आप शहर के पास नहीं लगाओगे यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: डा. सी.पी. जोशी। (अनुपस्थित) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में यह एक ऐसा विभाग है जिसमें एक केबिनेट मंत्री के साथ आवश्यकता पड़ी तो एक राज्य मंत्री बनाया गया और एक केबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से काम नहीं चला तो एक तीसरा राज्य मंत्री को भी पंचायत राज का मंत्री बना दिया गया और दो पंचायती राज मंत्री होते हुए भी एक पंचायती राज केबिनेट मंत्री के होते हुए भी तीनों से भी काम नहीं चला तो पंचायती

(श्री हरिमोहन शर्मा)

राज का जिम्मा माननीय शिक्षा मंत्रीजी पर देकर के उनसे काम करवाया जा रहा है। यह अपने आप में इस सरकार का फेल्योर है। ...(व्यवधान) कमाल कर रहे हो। आपको इस बात की कतई शर्म महसूस नहीं हो रही है कि तीन-तीन मंत्री थे क्या जरूरत थी तीन मंत्री बनाने की। केबिनेट मंत्री था फिर एक राज्य मंत्री हुआ और तबादलों का चक्कर लगा तो एक और राज्य मंत्री बनाया है और तीनों को भगा करके आप चौथे मंत्री को ले आये और एक पंचायती राज मंत्री चार मंत्री होते हुए ठीक प्रकार से नहीं चल पाये इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, इस करेंट को ठीक कराइये बहुत जबरदस्त करेंट आता है। हमको तो सुनने में भी शर्म आ रही है वैसे आप तो बात कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूं जो बेकदरी, पैरा टीचर्स के नाम पर आपने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया था..।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह बात तो मैं बोला ही नहीं उसके पहले ही शर्म आ रही है क्या?

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): आप कह रहे हैं कि आपको यह +++ नहीं आ रही है वो नहीं आ रही है तो हमें इस बात को सुनने में भी +++ आ रही है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): अच्छा इस बात पर +++ आ रही है तो अब जवाब सुन लीजिये। विराजिये आप। इस अव्यवस्था के बाद जैसा कि पाइंट आफ आर्डर माननीय सदस्य ने उठाया था और जिसकी वैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से वो अनसुनी करके नया फैसला हो गया माननीय मंत्रीजी को, माननीय मंत्रीजी, पंचायती राज की अव्यवस्थाएं जो कुछ भी हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं भले ही आप शिक्षा मंत्री हों लेकिन प्रभारी मंत्री आप इस बिल के हो तो आपको सुनना पड़ेगा। आपकी सरकार बनने के बाद जो-जो भी अधिकार जो-जो भी विभाग पूर्ववर्ती सरकार ने पंचायती राज को दिये थे आपने सबसे पहले पंचायती राज का गला घोंट करके उन विभागों को वापस अपने पास लिया। आपको याद होना चाहिए कि आज भी आपका जो वित्त आयोग है उस वित्त आयोग ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों में वापस वित्त आयोग ने लिखा है, वित्त आयोग ने फिर आपके लिए कहा है कि आयोग ने बजट गतिविधियों के कर्मचारियों सहित, कृषि, लघु सिंचाई परियोजनाएं, शिक्षा, सार्वजनिक चिकित्सा, पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, सामाजिक

(श्री हरिमोहन शर्मा)

वानिकी, कृषि वानिकी और लघु वन उत्पाद इन संस्थाओं को सौंपने की सिफारिश ...

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यह सब्जैक्ट मैटर ही नहीं है।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): आज तो ...(व्यवधान) उसकी आज तो बात करें।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप उसको समझ नहीं पाएंगे। यह मेरा दोष नहीं है आप उसको समझ नहीं पाएंगे।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, यह सब्जैक्ट मैटर ही नहीं है। यह पंचायती राज के कौन से राइट्स थे कौन से राइट्स दिये गये कि नहीं दिये गये यह सब्जैक्ट मैटर ही नहीं है। सब्जैक्ट मैटर यह है कि पैरा टीचर्स का नियमितीकरण का प्राविजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): पंचायती राज की इस बिल के माध्यम से ...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): पंचायती राज के चुनाव 18 साल में कराये थे याद है क्या वो समय? 18 साल तक आपकी सरकार रही और 18 साल तक चुनाव नहीं कराये।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय संसदीय सचिव साहब, मैं अपनी बात इस बिल के माध्यम से जो भी पंचायती राज में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, निकम्मापन है उसको इस समय बोल सकता हूं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): वो विषय वस्तु नहीं है आज की।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मैं उसको बोल सकता हूं जनमत जानने के लिए।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) यह सब्जैक्ट मैटर नहीं है ...(व्यवधान) आप नहीं बोल सकते। सब्जैक्ट मैटर आज का क्या है?

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मैं बोल सकता हूं आप कोई ऐसा कानून बता दें, नहीं बोलूंगा। आप कानून बता दो।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): यह थर्ड रीडिंग में बोलना। यह थर्ड रीडिंग में बोलने वाली बातें हैं।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) आज का सब्जैक्ट मैटर है ...(व्यवधान) इस बिल को इंट्रोड्यूज करना है कि नहीं करना है ...(व्यवधान) सब्जैक्ट मैटर के बियोंड जाकर के नहीं बोल सकते आप। माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था दीजिये।

**श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा): आज तो गांव का जो नौजवान है वो इंतजार कर रहा है कि हमारे पक्ष में बोलेंगे।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): इनकी सुनने की कोई क्षमता नहीं है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): आपको गलत बोलने का अधिकार नहीं है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): मैं इस बात के लिए तो माननीय कालीचरण जी को बधाई देता हूं कि यह बिल में जिन शब्दों का प्रयोग किया एक तो प्रबोधक का पद करेंगे यह दूसरा वरिष्ठ प्रबोधक, ये जिस विचाराधारा के आप पोषक हैं आपने इस बात के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि इन शब्दों का चयन भी अपनी मूल विचारधारा के अनुरूप हो ...(व्यवधान)...आरम्भ दक्ष, दक्षिणपंथी, वामपंथ और यह प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, शब्दों का भी कोई राजनीतिकरण हो सकता है या शाब्दिक अर्थ भी किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हो सकता है यह ज्ञान आज पहली बार मिला है।

**श्री सभापति**: वैसे आदरणीय सदस्य, शब्दों के साथ व्याकरण सही होनी चाहिए तभी उसका वास्तविक अर्थ निकलता है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): व्याकरण के साथ तो माननीय सभापति महोदय, अर्थ निकलता है लेकिन जिन शब्दों का प्रचलन जिन लोगों के द्वारा अधिक किया जाता है और वो जिन संस्थाओं से जुड़े रहते हैं तो ये प्रतिबिंब उन संस्थाओं की ओर इंगित करता है। ये तो आप मानते हैं?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): नहीं तो आप बतायें कौन से शब्दों का चयन करते? वो बतायें।

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): ये तो ...(व्यवधान) आप ही उनको शिक्षक नहीं बनाना चाहते हैं आप ही कोई नया नाम देकर के उसको प्रमोट करना चाहते हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): राजनीतिक दृष्टिकोण से आज आप बात कर रहे हैं आप वो लोग हैं।

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): शिक्षक बनाओ न उसको अध्यापक बनाओ न।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): हिन्दुस्तान की भाषा आपके बस की बात नहीं है आप तो इटली की संस्कृति चाहते हो यह हिन्दुस्तान की संस्कृति है इतना ही फर्क है।

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): धर्मपालजी, कभी तो ठीक बात किया करो। सीरियसली बात करो।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): अब धर्मपाल जी क्या जवाब दें आपकी बात का।

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): गम्भीरता से बात करो कभी तो।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपका जैसा स्तर मैं भी करूं तो ठीक नहीं रहेगा।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): जवाब है ही नहीं दोगे क्या ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): सभापति महोदय, आज यह इस बात का प्रचार प्रसार करने की बात कर रहे हैं कि जनमत जानने वाले और पाइंट आफ आर्डर उठाने वाले जो विधायक हैं वह इस विधेयक के खिलाफ हैं और पैरा टीचर को वह मदद नहीं करना चाहते हैं । आपको +++ आनी चाहिये और इस बात की +++ आनी चाहिये आपको कि आपने इनसे वादा किया था आज से सवा चार साल पहले और आपने यह कहा था कि हम आपको नियमित ग्रेड देंगे । आपके साथ अन्याय किया है, 1200 रुपये में रखा है । आपने इस बात का वादा किया था और जब जन आंदोलन हुए तो उन पैरा टीचर पर लाठीचार्ज, डंडे हमने बरसाये या आपने बरसाये थे और +++ की बात आप हमसे कर रहे हो । आपने पूरे सवा चार साल तक घुटने टिकवाये, जगह-जगह इनके डंडे पड़वाये, जगह-जगह वादा किया, जगह-जगह आपने उनकी बात की .. (व्यवधान) अब आप सुन लो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जगह-जगह तोरण द्वार बना कर माला पहनाई इन्होंने, 1200 रुपये में आपने उन लोगों का शोषण किया था । पैरा टीचर 1200, पटवारी 1200, हर चीज 1200 रुपये में । (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): सभापतिजी इन्होंने तो कोई वर्ग ही नहीं छोड़ा जिस पर डंडे नहीं बरसाये हों।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): हमने तो 1200 में की (व्यवधान) आप विराजिए, जितने भी संसदीय सचिव हैं इनको तो वेतन ही इस बात का मिलता है कि उठो और हल्ला करो इसके अलावा कोई काम तो है नहीं ।

**श्री ओम बिरला** (संसदीय सचिव): जैसे आप चुन कर आये हो वैसे ही चुन कर हम आये हैं ।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): कोई सही बात कहता है तो हल्ला लगता है ।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आपको अवसर मिला है तो अपने पद की गरिमा बनाये रखो ।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): सही बात सुनने की क्षमता भी चाहिये । आपने जो इस राजस्थान के साथ ...(व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): सभापति महोदय, आप कोई व्यवस्था बनायें माननीय सदस्य को बोलने दें ।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): .. (व्यवधान) एक मास्टर को भर्ती नहीं किया और पैरा टीचर के नाम पर जो ठगी करके गये, आज इसमें आपको तकलीफ है । (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): इन्होंने व्यापारियों पर लाठियां बरसायी, ब्राह्मणों पर लाठियां बरसायी, गुर्जरों को कूटा, कोई वर्ग छोड़ा है जिस पर आपने लाठी नहीं बरसायी ।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपको तो मिड वे के पीछे से लाये नहीं हम। (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): आपने सारी जिंदगी +++ और काम क्या है ।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आप तो +++ (व्यवधान) हमने तो क्या मिलाया नहीं मिलाया आपने तो सब कुछ मिला दिया ।

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): सभापतिजी, इनको गरिमा सिखाओ यह सारी जिंदगी +++

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आप तो +++ हो हमने तो क्या मिलाया नहीं मिलाया । यह क्या बोल रहे हैं ।

**श्री महीपाल यादव** (बानसूर): इनको प्रशिक्षण दिलाओ, संसदीय सचिव बना दिया इनको ।

**श्री सभापति**: मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय सचिव महोदय, माननीय सदस्य आप एक क्षण के लिये विराज जायें, मैं पहले तो आप सब से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आसन की तरफ मुख करके करे. And ask for permission first. At least let us be considerate toward the hon'ble member who has been permitted to speak. Kindly let him speak. He has a right above all of us when he has been permitted by the Chair. (व्यवधान) अब आप विराज जायें। मेरे ख्याल से आपके विद्वान मंत्रीजी हर बात का जवाब बहुत बखूबी तरीके से दे देंगे । He is not short of intellectual calibre.

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): पहले भी कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों का शोषण किया और आज यह जो बिल आ रहा है उसमें यह टाँग अड़ा रहे हैं, आज भी टाँग अड़ा रहे हैं और शोषण कर रहे हैं उनका ।

**श्री सभापति**: With too many intelligent people around, I think, we will have to be normal human beings for the time being.

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जो दुर्गति आपने सवा चार साल तक इन कर्मचारियों की की और जिस प्रकार से इन पर लाठी, डंडे, गोलियां और इनको मारा पीटा और इनकी दुर्दशा की आपको शर्म तो इस बात की आनी चाहिये कि आपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया उस वादे के अनुसार आते ही आपके अंत समय के पहले प्रारम्भ के वर्षों में ही आप यह काम कर देते तो हम आपको धन्यवाद देते कि हमने तो विलम्ब किया है।

अब 1200 रुपये की बात कर रहे हो, आप रेगुलर ग्रेड का पैसा ले रहे हो केन्द्र से और आप 4000 रुपये नहीं दे रहे दो साल के लिये, आपको शर्म नहीं आई इस बात की । आप इन कर्मचारियों को रेगुलर ग्रेड देते । आपने इन कर्मचारियों को रेगुलर ग्रेड नहीं देकर 4000 रुपये फिक्स में उनको दो साल के लिये रखा, उसमें आपको शर्म नहीं आई और हमने 1200 के बजाय उनके 2000 कर दिये तो उसमें हमको शर्म आनी चाहिये। इस प्रकार ही नहीं आपकी आदत है कर्मचारी के साथ दुर्भाव करने की, वादा करके नहीं निभाने की, उनकी दुर्दशा करने की । आज पूरा का पूरा पंचायती राज का ग्राम सेवक सारी पंचायतों में, पूरी पंचायत समितियों में कलम डाउन करके बैठा हुआ है, सारे विकास के काम बंद पड़े हुए हैं । सारी योजनाओं का काम बंद पड़ा हुआ है । उसके बाद आपने 10 बार उनको बुला कर माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ बैठ

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कर वार्ता करके उनकी सब मांगों को मंजूर किया । माननीय कालूलालजी जो पंचायती राज मंत्री थे उन्होंने प्रिंसिपल सैक्रेटरी पंचायती राज को लिखा कि आज इन सब मांगों का जो निर्णय किया है उसकी क्रियान्विति कर दें । जब हजारों की संख्या में यहां पर ग्राम सेवक आये आपको वादा याद दिलाया, आपसे पूरा कराने की बात कही तो आपने उनके साथ जो व्यवहार किया और जिस प्रकार के हालात यहां हुए और जिस प्रकार से पंचायती राज कर्मचारियों के माध्यम से वादा नहीं निभाने के कारण, उनका शोषण करने के कारण, उनकी दुर्गति करने के कारण अपने विश्वास से डिग कर आपने उन सारी बातों को जो लिखित में उनको दीं उस पर आप नहीं चल पाये इस प्रकार पूरा का पूरा पंचायती राज आपने पंगु बना दिया और आज कर्मचारियों के हितैषी बनने का कलात्मक प्रदर्शन जो आप कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इस पूरी पावर को सैंट्रलाइज करने की कोशिश की है । मैं यह चाहूंगा कि पंचायती राज में पंचायत समिति की जो कमेटी है, जो जिला परिषद की एस्टेब्लिशमेंट कमेटी है उनकी सब पावर इन्होंने अपने पास ले ली है और उनको पूरा का पूरा डिफंग करके डाल दिया । एक कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही वह नहीं कर पाते हैं, एक कर्मचारी का वह ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, एक कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लगा पाते हैं । पूरा का पूरा जो पंचायती राज में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं थी वह इस सरकार ने सवा चार साल में पंगु करके रख दीं और अब यह ढोंग रच रहे हैं इस बात का, यह श्रेय लेने की बात कर रहे हैं । सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार इन 27 हजार पैरा टीचर के साथ किया है, 8 हजार शिक्षा कर्मियों के साथ कर रहे हैं और 900 लोक जुम्बिश कर्मचारियों के साथ कर रहे हैं, आप यह कहते हैं कि उनको शिक्षा का अनुभव होगा । लोक जुम्बिश में तो अलग-अलग डिपार्टमेंट के आदमी हैं । कोई इंजीनियर है, कोई किस श्रेणी का है। उनको शिक्षा का अनुभव कहां से होगा । इन सब बातों पर आपको विचार करना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको नियमित वेतन श्रृंखला में, जो यह बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय में भी इनको प्रताड़ित किया गया और यही नहीं मैं इन से निवेदन करना चाहता हूं इनको फिक्स अमाउंट पर मत रखना, आप तो रेगुलर ग्रेड देने वाले हैं । हमने तो फिक्स अमाउंट पर रखा था, आपको बुरा लगा था । दिल्ली

(श्री हरिमोहन शर्मा)

से, केन्द्र से केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत इन शिक्षकों के लिये मिलने वाली राशि को आप अपने पास रख कर निर्धारित वेतन पर दो साल तक इनका शोषण करेंगे इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन्होंने पूरे इस विधान के संशोधन के माध्यम से भी और जो इन्होंने सारे पंचायती राज की शक्तियां इस सरकार ने, मंत्रीजी ने अपने पास निहीत करने की बात की है, साथ ही साथ एक-एक विभाग के तीन तीन, चार-चार मंत्रियों के बाद भी जो पूरी तरह से पंचायती राज को पंगु बनाने का इस सरकार ने प्रयास किया है मैं यह चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भिजवाया जाये, धन्यवाद ।

**श्री सभापति**: श्री अमराराम धोद (अनुपस्थित) डा. बुलाकीदास कल्ला।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2008 को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये इसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। हमारा दल पैरा टीचर को नियमित करने के शुरू से ही पक्ष में रहा और मैं आपको बताना चाहता हूं शुरू शुरू में पैरा टीचर जब लगाये गये थे तो उसी गांव के उसी वार्ड के लोगों को लगाया गया था और इसमें रिजर्वेशन पालिसी का पूरा ध्यान रखा गया । उसके बाद उनको 2000 रुपये देना शुरू किया और 200 रुपये का प्रतिवर्ष इन्क्रीमेंट दिया । आज जो पुराने पैरा टीचर हैं उनको लगभग 3800 और 4000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है। अभी हमारे सत्ता पक्ष के कई विद्वान साथी कह रहे थे कि पैरा टीचर को 1200 रुपये मिल रहे हैं। यह बात सही नहीं है पैरा टीचर को हमारे वक्त में ही 2000 फिक्स और उसके बाद हर वर्ष इन्क्रीमेंट देना शुरू कर दिया था और आज करीब-करीब उनको साढे तीन से चार हजार रुपये मिल रहे हैं । हम लोगों का तो यह विचार था कि चुनाव के पहले जो हमारे पास वेकेंसी है उन रिक्तियों की पूर्ति हम 50 प्रतिशत पैरा टीचर में सलैक्ट करके उनको नियमित अध्यापक बनाये और 50 प्रतिशत फ्रेश कैंडिडेट को लें। लेकिन उस समय इत्तफाक से कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गये और माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया। उस कारण से हम पैराटीचर्स को चाहते हुए भी नियमित नहीं कर पाए। हमारा तो उस वक्त भी यह मन्तव्य था कि इन पैराटीचर्स को जो दूरस्थ ढाणियों में और रिमोट प्लेसेज में जाकर काम करते हैं उनको हम नियमित रूप से अध्यापक के रूप में सुस्थापित करें और उनको पूरा वेतन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मिले। मैं पूरे सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि हम कई बार पक्ष और विपक्ष की बात करके एक तरफ ही बात करते हैं। सदन में सही जानकारी होनी चाहिए। माननीय होम मिनिस्टर साहब यहां विराजमान हैं यह भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके वक्त में शिक्षा कर्मियों की भर्ती की गई उनको कितना वेतन देते थे अपन? बहुत कम वेतन देते थे क्योंकि राजस्थान में बार बार अकाल और अभाव की स्थितियां आपके वक्त में भी रहीं और हमारे वक्त में भी रहीं। कई बार धन अभाव के कारण हम लोगों ने शिक्षा कर्मी हो, पैराटीचर्स हो, संविदा टीचर हो, अथवा शिक्षा कर्मी हो उन सब को बराबर वेतन नहीं दिया। उनको कम वेतन देकर और उस समय की स्थितियों के अनुसार उनसे काम लिया। काम में भी थोड़ा फर्क था यह भी बात माननी चाहिए लेकिन कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यह था कि हम तमाम पैराटीचर्स को नियमित अध्यापक बनाएं। आप लोगों ने चुनाव के वक्त, सवा चार साल पहले उनसे एक वादा किया कि हम आपको रेगूलर अध्यापक बनाएंगे लेकिन सवा चार साल बाद अब चुनाव आ रहे हैं तब आपकी आंख खुली और आप इसमें संशोधन लेकर आ रहे हैं। हम तो कहते हैं सवा चार साल पहले ही ले आते।

हम पैराटीचर्स को, एक तरफ तो आप कहते हैं यह कांग्रेस के लगाए हुए हैं, यह कांग्रेस के लगाये हुए हैं और उससे आप एक तरीके से अछूत व्यवहार करते थे लेकिन हम लोगों ने ऐसा व्यवहार नहीं किया । हमने तो शिक्षा कर्मी आपके वक्त में लगे उनको भी आगे बढ़ाया, संविदा टीचर को नियमित किया और इसके साथ-साथ राजस्थान के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो काम करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है उसका उपयोग लिया। आज इन पैराटीचर्स के कारण राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया, नेशनल एवरेज के करीब आ गया। इन्होंने महिला साक्षरता को भी बढ़ाया। साथ-साथ उर्दू पैराटीचर्स, जिन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और अन्य अनेक स्थानों पर सभापति महोदय ऐसे-ऐसे गांव जहां पर कोई जाता नहीं था वहां जाकर उन्होंने एनरोलमेंट किया और विद्यार्थियों को पढ़ाया। उर्दू पैराटीचर्स ने लगभग तीस हजार विद्यार्थियों को....(व्यवधान) हम कह रहे हैं कि तमाम लोगों को आप रेगूलाइज कीजिए चाहे लोक जुम्बिश (व्यवधान) आप बता देना, लोक जुम्बिश, संविदा टीचर्स और इसी प्रकार उर्दू पैराटीचर्स को सभी को नियमित करने का प्रावधान रखिये।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इस सम्बन्ध में आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप इनको ग्रेड क्या देंगे, आप अपना उत्तर देंगे तब आप बतायें कि इनको प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक के ग्रेड्स क्या होंगे, इसके बारे में खुलासा होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं, अभी सरकार नियमित रूप से आरपीएससी के जो लोग सलेक्ट हुये हैं उनको चार हजार रुपये वेतन दे रही है, यह कौनसी वेतन श्रृंखला है। आपने गजिटेड, नोन गजिटेड अफसर, आरएएस आफिसर, आरपीएस आफिसर इन सबको, हमने तो केवल पैराटीचर्स रखे थे, आप पैरा स्टाफ रख रहे हो, पूरे राजस्थान में। आप किसको पूरे वेतन पर रख रहे हो यह बता दीजिए लेकिन कहना आसान है, आलोचना करनी आसान है। पूरे राजस्थान में आपने जो नये कर्मचारी हें उनको क्या आप पेंशन देंगे? आप नये कर्मचारी जो रख रहे हैं उनको रिटायरमेंट के बेनीफिट्स कांग्रेस की सरकार देती थी वह क्या आप देंगे? केवल मात्र आलोचना के लिए आलोचना करना उचित नहीं है। जरा अपनी गिरेबान मैं झांककर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। आप जिन स्थितियों को कर रहे हैं, क्या आपने केन्द्र सरकार के द्वारा जो मंहगाई भत्ता दिया गया था उस तारीख से आपने सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दे दिया? आज साढ़े चार सौ करोड़ रुपये आपका सरकारी कर्मचारियों का वर्तमान सरकार में बकाया है। आप देख रहे हैं कि प्रेस वाले नहीं है लेकिन यह सब बातें प्रेस में तो जाएंगी ही जाएंगी। (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्रीजी को चिंता हो रही है, नोट नहीं हो रहा...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य प्रेरित कर रहे हैं कि हम बीच में इंटरविन करें। मतलब जो कुछ कह रहे हैं सबको मालूम है प्रोबेशन के अंदर फिक्स पे की बात जरूर है लेकिन यह कही नहीं कि उनको पे स्केल नहीं दे रहे, उनके सारे बेनिफिट्स काट लिये। पूरा राजस्थान का कर्मचारी वर्ग जानता है इन्होंने कर्मचारियों को, जब वह मांग पत्र लेकर गये तो इनके नेताओं ने उनके क्या-क्या चुगले पढ़े और उसके बाद जेल भेज दिया उनको। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): मैं कल की इनफोरमेशन दूं। जोधपुर में कल जालोरी गेट पर दस हजार कर्मचारियों ने दीपावली मनाई है। सभी अखबारों में आया है, फोटोज आए हैं और इतना बड़ा होर्डिंग लगाया कि अशोक गहलोत की सरकार ने हमको बर्बाद कर दिया और वसुन्धरा राजे की सरकार ने हमको आबाद कर दिया। यह कल की घटना है। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इसको आप कार्यवाही से निकलवाइये, इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर। इसको कार्यवाही से निकालें, इसका कोई मतलब नहीं है।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव):आपका क्या मतलब है फिर, आपका क्या मतलब है?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): इन्होंने कोई असंसदीय शब्द कहा है जो कार्यवाही से निकलवायें, कमाल है । (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के कौन से सेवा नियमों में यह लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड में पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, कहां लिखा हुआ है? कौनसे सेवा नियमों में प्रावधान है कि प्रोबेशन पीरियड में उस व्यक्ति को चार हजार रुपये मिलेगा, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। हमने शारीरिक शिक्षक रखे थे उनको पूरी तनख्वाह दी, प्रोबेशन पीरियड में कोई कम तनख्वाह नहीं दी थी। हमने शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की थी हमारे वक्त में...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): एक मिनिट कल्ला साहब। राजस्थान की यह पहली सरकार है जिसने राजस्थान की हाइऐस्ट सर्विस आरएएस आफिसर को भी फिक्स मानदेय दे रहे हो आप, दो साल के लिए फिक्स पैसा दे रहे हो आरएएस आफिसर को भी, इनका भी शोषण कर रहे हो। मोबाइल का खर्चा नहीं निकल रहा उनका। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दिल्ली में सरकार ने अभी जो रिक्रूटमेंट ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अंशदायी पेंशन योजना दी (व्यवधान) अंशदायी पेंशन योजना दी। कर्मचारियों के हितों पर जितना कुठाराघात आपकी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है यह चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। (व्यवधान)

**श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी): 64 दिन की हडताल और कांग्रेस ने कर्मचारियों को जो दुःख दिया वह कर्मचारी भूले नहीं हैं। (व्यवधान) कर्मचारियों ने जो 64 दिन में भुगता वह कर्मचारी भूले नहीं है।

**श्री हीरालाल** (निवाई):..(व्यवधान) अशोक गहलोतजी के समय में जो 2002 में कर्मचारी भर्ती हुए उनकी पेंशन बंद की माननीय सभापति महोदय.....(व्यवधान)

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी नागौर जिले में....

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपने इनको अलाऊ कर दिया क्या ?

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): मैंने परमीशन ली है साहब।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपने अभी रूलिंग दी थी कि कोई बीच में नहीं बोलेगा आपकी बिना परमीशन के।

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): परमीशन ली है साहब मैंने

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): अब मंत्री ही अनुशासनहीन हो रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): परमीशन ली है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं-नहीं आप बाद में, मेरे बाद बोल लेना।

**श्री युनूस खान** (यातायात मंत्री): ठीक है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जिस पार्टी की सरकार ने इस राजस्थान में शिक्षाकर्मियों को 1200 रुपये का, 800 रुपये का और 600 रुपये तक का वेतन दिया है वह कह रही है पैराटीचर्स आपने 1200 रुपये में रखे, मैं समझता हूं वह आपके लिए शोभा नहीं देता। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इनको नियमित करने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया और नियम यदि हाईकोर्ट में चेलेंज नहीं होते तो आज से करीब-करीब साढ़े चार-पांच साल पहले पैराटीचर्स नियमित अध्यापक बन जाते लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण हम चाहते हुए भी उस काम को नहीं कर पाये। अभी मैंने कहा था डीवाईएसपी आपके यहां फिक्स वेतन पर, लैक्चरार फिक्स वेतन पर, डा. फिक्स वेतन पर, इंजीनियर, जेईएन सब फिक्स वेतन पर। सारे के सारे राजस्थान में पैरा स्टाफ भर्ती की यह कौनसी योजना बनाई है ?

मैं समझता हूं कि आप भारत सरकार से जो पैसा ले रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान में क्या आप राज्य का हिस्सा दे रहें है कि नहीं दे रहे या चार हजार रुपये में सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार का हिस्सा देकर अपना हिस्सा बचा रहे हैं, इसको भी आप क्लियर करें। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आपने नाम दिये हैं प्रबोधक, वरिष्ठ प्रबोधक इन नामों को आप

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अध्यापकों के रूप में लाइये नहीं तो आपको शिक्षा विभाग के जो नियम कानून, कायदे हैं हमारे पंचायती राज के जो अध्यापक हैं वह कुछ वर्ष बाद सैकण्ड ग्रेड टीचर बनते हैं, शिक्षा विभाग में एबजोर्व किये जाते हैं उसके लिए फिर आपको नियमों में संशोधन करने पड़ेंगे इसलिए इनको अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक के रूप में लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। यह क्या थर्ड ग्रेड टीचर होंगे, क्या सैकण्ड ग्रेड टीचर होंगे, क्या होंगे? आप जब रिप्लाई दें तो अपने आपमें क्लियर करे यह प्रबोधक क्या है और वरिष्ठ प्रबोधक कौनसे ग्रेड के टीचर होंगे, क्या अध्यापक होगा, वरिष्ठ अध्यापक या वरिष्ठ व्याख्याता होगा। (व्यवधान) आपके पास पर्ची आ जाती आप क्यों चिंता करते हैं। सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार इन बातों का खुलासा करें और यह बताए कि वह क्या करने जा रही है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी के यह भी जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमारे यहां पंचायत एक्ट मेंएक जिला स्थापन समिति बनी हुई है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि काम करते हैं। प्रधान, जिला परिषद के प्रमुख और उनके नोमिनी वह स्थापन समिति में काम करते हैं ।

उनको पहले चार तरह के अधिकार दिये हुए थे, ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाएं, लिपिकीय वर्ग और उसके बाद अध्यापक। अब यह पांचवां इसमें जोड़ रहे हैं धारा 89 में, एक पांचवां प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक। पहले से ही राज्य सरकार ने एक संशोधन करके अध्यापकों की नियुक्ति का काम उनसे छीन लिया। पहले यह सारा काम जिला परिषद करती थी। अध्यापकों की नियुक्ति जिलेवार जिला परिषद करती थी और पंचायत समितियों के प्रधान भी स्थापन समिति के माध्यम से स्थापना का काम करते थे। उनके ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग, यह पूरे काम वे करते थे। लेकिन धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि पंचायती राज का तो नाम है, झुन्झुना है पंचायती राज का। बाकी सारे काम सरकार अपने अधीन ला रही है, उनके ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग और उनकी नियुक्तियां। यह सारे के सारे काम राज्य सरकार ने छीनकर अपने पास रख लिये हैं। कुल मिलाकर अब यह प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक, जो यह बनाने जा रहे हैं, उनका भी काम राज्य सरकार पंचायत समिति जिसमें आपके एक्जीक्यूटिव आफिसर और प्रारम्भिक शिक्षा का जिला शिक्षा अधिकारी, यह सारा काम करेंगे। यह काम क्या आप स्थापन समिति को नहीं दे सकते थे। इसलिये नहीं देना चाहते थे क्योंकि आपका और आपकी पार्टी का लोकतांत्रिक

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है। पहले तो चुने हुए प्रतिनिधि, जो स्थापन समिति में वहां पर हैं। उनके माध्यम से यह काम कराना चाहिए। फिर उसके बाद आपने विधवा महिलाएं और परित्यक्त महिलाएं उनके लिये एक छानबीन समिति और बनाने का इसमें प्रस्ताव दिया है। उसकी क्या जरुरत है। जब आप समिति बना रहे हो और बल्कि मैं तो यह कहता हूं, यह सारा काम आप स्थापन समिति के माध्यम से कराइये। स्थापन समिति के माध्यम से इन सब कामों को बखूबी कर सकते हैं। फिर उसके लिये अलग-अलग कमेटियां बनाने की क्या जरुरत है। इसके अलावा मैं, चूंकि पंचायती राज विधेयक आ रहा है और यह जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव है, इसमें कुछ बातें एक्ट के बारे में भी मुझे कहनी हैं, आपकी अनुमति से।

इस एक्ट में 19 जी.जी. एक ऐसी धारा है, हालांकि हमारे वक्त में ही यह एक्ट बना था और मैं जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप, चालान हो जाए और उसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान हो या इससे ज्यादा का प्रावधान हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह अपराधियों को पंचायती राज से वंचित रखने के लिये किया गया था लेकिन आजकल इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। तो जब आप एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हो तो जब तक फाइनल सेन्टेंस किसी व्यक्ति के लिये नहीं हो जाए तब तक उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अभी पिछले दिनों सभापति महोदय, हमने देखा चुने हुए प्रधान, चुने हुए वार्ड पंच, चुने हुए सरपंच और चुने हुए अनेक लोगों को जो जनतांत्रिक तरीके से चुनकर आये हैं, उनको राजनीतिक आधार पर, यह अमुक पार्टी का है, उसको हटा दिया और वह सारे के सारे लोग प्रायः उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर वापस वहीं पर आ गये। तो राजनीतिक आधार पर जो हटाने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। चाहे वह किसी भी पार्टी के हों। राजनीतिक आधार पर किसी भी चुने हुए पंच अथवा सरपंच को, अथवा प्रधान को, अथवा उप प्रधान को नहीं हटाया जाना चाहिए। इसके साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने जैसे अध्यापक की नियुक्ति का अधिकार, पहले माननीय शिक्षा मंत्रीजी थे, खाद्य मंत्रीजी, उस वक्त, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, जब शिक्षा मंत्री थे, उस वक्त अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषदों से और इनसे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

छीन लिया और अब यह प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक, यह स्थापन समिति के माध्यम से क्यों नहीं आप इनकी नियुक्ति करवा रहे हैं। इनके लिये अलग कमेटी बनाने की आवश्यकता, मैं नहीं समझता हूं।

सभापति महोदय, संविधान के 73वें संशोधन विधेयक के अन्तर्गत अनेक विभाग फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ, करीब 49 विभाग पंचायती राज विभाग को ट्रांसफर करने थे। उसमें स्थापन, उसका बजट और उसका संस्थापन, इन सब के साथ फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ इनको ट्रांसफर करना चाहिए था। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे राज में करीब-करीब अनेक विभाग, जिसमें पी.डबल्यू.डी., आयुर्वेद, मेडिकल एण्ड हैल्थ, शिक्षा विभाग और अनेक विभागों का काम हमने पंचायती राज को दिया लेकिन पिछले सवा चार सालों में आपने पी.डबल्यू.डी. का काम उनसे छीन लिया और वन विभाग का काम छीन लिया, मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट का काम छीन लिया और शिक्षा विभाग का काम, जो वर्षों से कर रहे थे, उस काम को भी छीनकर आपने यह शिक्षा विभाग को दे दिया। मैं समझता हूं कि ऐसे कामों की भर्त्सना की जानी चाहिए और इन सब कामों को संविधान के अनुच्छेद 74 में जो विषय सूची दी हुई है, वह सारे विभाग आप पंचायती राज को दें। हमारे महात्मा गांधीजी चाहते थे कि हम हमारे देश में...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 'हमारे' नहीं, 'अपने'। माननीय सभापति महोदय, आपने सीमित कर दिया महात्मा गांधी को। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): 'हमारा' और 'अपना' का एक सा अर्थ होता है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या शब्दावली यूज कर रहे हैं महात्मा गांधी के लिये, सभापति महोदय, हमारे महात्मा गांधी, आप इतने बड़े महापुरुष को दलीय सीमा में बांधना चाहते हैं। इस पर मेरा एतराज है, सभापति महोदय।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): 'हमारे' में 'अपना' आ जाता है। (व्यवधान) 'हमारे' में 'अपना' आ जाता है, पूछ लीजिये किसी को। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इतने बड़े महापुरुष, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता की अलख जगाई और पूरे देश में, पूरे विश्व में एक नई राह दिखाई, उनको दलीय सीमा में बांधने का काम कर रहे हैं ये। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): 'हमारा' और 'अपना' एक ही होता है। (व्यवधान) विराजो, 'हमारे' और 'अपने' में फर्क नहीं है। मेरे को बड़ा अफसोस है।

**एक माननीय सदस्य**: 'हमारे' में 'अपना' आ गया। (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): 'अपने' नहीं बोला, 'हमारे' शब्द बोला है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने कहा 'हमारा' मतलब इन्हीं के हैं। (व्यवधान) और आपने दंतहीन व्यवस्था करने का काम किया था। आपने 19 विभाग सौंपने का काम एक कागज पर किया और न उनको फण्ड दिये, न फंक्शनरीज हुईं। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं, नहीं, हमने फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ ट्रांसफर किये थे। अब आपको तो देखो, ऐसा है कि 'हमारे' और 'अपने' को अलग-अलग कर रहे हो तो यह दुर्भाग्य है हमारा। आपको पता नहीं है कि फण्ड, फंक्शन, आप अपने वित्त मंत्रीजी से पूछो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूछा है मैंने।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): यह फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज, तीनों के साथ हमने विभाग ट्रांसफर कर दिये थे और कर्मचारियों का ट्रांसफर उसमें कर दिया था पंचायती राज में ...(व्यवधान) लेकिन आपने धीरे-धीरे...

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कण्ट्रोलिंग पावर किसके पास था।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हैं?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कण्ट्रोलिंग पावर किसके पास था। आपने एक कागज पर यह कहा कि हम उनको स्थानान्तरित कर रहे हैं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं, नहीं, कर दिया था।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और सभापति महोदय, पूरा का पूरा कण्ट्रोल, पेरेण्टल विभाग है, वही करता था। (व्यवधान) उसके पास नियंत्रण था, उसके पास बजट था।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपकी तो हर एक बात को ट्विस्ट करने की आदत है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके पास नियंत्रण था, उसके पास बजट था और इन्होंने कुछ करने का काम किया नहीं। सिर्फ हैण्ड-पम्प मिस्त्रियों को जरुर पंचायत समिति में जोड़ने का प्रोविजन रखा था। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं, नहीं, हमने आयुर्वेद, पी.डबल्यू.डी., वन विभाग, शिक्षा विभाग, मेडिकल एण्ड हैल्थ...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): मंत्रीजी, 18 जनवरी, 2004 को चीफ सैक्रेट्री ने आदेश निकालकर वह 2003 के सारे अधिकार जो दिये थे, वह वापस लिये। 2004 में तो आप ही थे ना, तब फिर। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): 2003 में जाते-जाते आर्डर किये थे। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 18 जनवरी, 2004 को चीफ सैक्रेट्री ने आर्डर निकालकर के 2003 में पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिकार दिये थे, जो विभाग सौंपे गये थे, वह वापस लेने का काम किया, पंचायती राज संस्थाओं का गला घोंटने का काम राजस्थान में किया तो आपकी सरकार ने किया।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपके कार्यकाल में हुआ सारा। 1998 में सरकार में आये और 2003 में आर्डर कर रहे हो 5 साल बाद। जब आपका राज था (व्यवधान) 2003 में किया, 1998 में ही करते ना फिर।

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): इससे पहले करते ना आप। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ऐसा है हमने महात्मा गांधीजी के सपने को साकार करने के लिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया था और जो विभाग दिये थे, वह फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ दिये थे। लेकिन मुझे अफसोस है जैसे अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, मुख्य सचिव के माध्यम से आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं की हत्या कर दी। पंचायती राज संस्थाओं को जो कांग्रेस के राज में दिये हुए कार्य थे, वह छीन लिये गये। मैं समझता हूं कि आपका लोकतंत्र में और पंचायती राज में विश्वास हो तो आप उन संस्थाओं को वापस उनके अधिकारों को दे दो, तभी पंचायती राज के लोग आपका साथ देंगे। नहीं तो आप सारे के सारे लोग, जो यह चाहें कि सत्ता का केन्द्रीकरण करके एम.एल.एज. और एम.पीज. के पास सारी सत्ता रहे, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि पंचायती

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

राज संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण हो, सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और यह सारे के सारे जो संविधान के अनुच्छेद 73 में जो 49 विषय दिये हुए हैं, वह तमाम विषय से सम्बन्धित अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को मिलने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी बीच में उठ करके काफी बातें बोल रहे थे कि हम लोक जुम्बिश के सभी कार्मिकों को करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि लोक-जुम्बिश में केवल मात्र आपके पैरा टीचर्स या लोक-जुम्बिश कार्मिक नहीं हैं। इसमें नौ स्टेनो हैं, एक कम्प्यूटर आपरेटर है, एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर है, एक टेलीफोन आपरेटर है, तीन अकाउंटेंट हैं, 23 कनिष्ट लिपिक, चार लोग बी.लिब. और सी.लिब. किये हुए, लाइब्रेरियन से सम्बन्धित कोर्स सी.लिब. और बी.लिब. किया हुआ है और करीब-करीब 437 अप्रशिक्षित कार्मिक हैं, इनके बारे में आप क्या करेंगे? आप अपना जवाब दें तो बतायें कि शिक्षा विभाग में ऐसे तमाम कार्मिक, कुछ इंजीनियर्स भी हैं, क्या इंजीनियर्स को आप प्रबोधक या वरिष्ठ प्रबोधक बनायेंगे, उनके लिये कौनसा कैडर लाएंगे। तो यह सारी बातें आप स्पष्ट करते हुए अपना जवाब दें और मुझे उम्मीद है कि देर आये-दुरुस्त आये, सुबह का भूला शाम को घर लौट आये तो वह भूला नहीं कहलाता है।

सवा चार साल पहले आपने जो एक असत्य वादा किया था उस वादे की परिणति हो रही है। मैं समझता हूं कि आप उनको पूरा वेतन पूरे तरीके से, पूरे मन से उनको हमारा जो पुराना कैडर है अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक, इस प्रकार के कैडर में उसको लाएंगे ताकि उनको पूरे हक और हकूक मिल सके। आपने फिर पैरा स्टाफ जैसे अभी अलग-अलग विभागों में आप लगा रहे हैं, चाहे वह गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट है, दो साल के लिए राजस्थान में तमाम पोस्टों पर जो आप पैरा स्टाफ लगा रहे हैं, ऐसा कोई कैडर मत ले आना। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार के कर्मचारियों को 450 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने जो डी.ए. दिया है, जिस तारीख से वह डी.ए. उनका बकाया आप दें और उनके पूरे इमाल्यूमेंट्स जो केन्द्र सरकार देती है उसके अनुसार आप इनको भी देंगे, यह वादा करें तब तो मैं समझता हूं कि इस एक्ट का कोई फायदा होगा और इसी कारण से मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को क्लियर करने के लिए यह और हमारे सब सजेशंस को जोड़ने के लिए ताकि इन पैराटीचर्स को तमाम लाभ मिल सकें, इसके लिए मैं चाहता हूं कि यह जो बिल है वह एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

**श्री सभापति**: श्री जोगेश्वर गर्ग।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, इस पवित्र सदन में चुन कर आने वाले सभी माननीय सदस्यों से राजस्थान की जनता यह उम्मीद करती है कि वह इस सदन के विचारार्थ आने वाले प्रत्येक विषय पर योग्य और न्यायसंगत विचार व्यक्त करें पर मैं देख रहा हूं कि ऐसी एक परिपाटी पड़ गयी है कि इधर से जो भी बात कही जाए उसका विरोध करना है इधर वालों को और उधर से जो बात कही जाए उसका विरोध करना है इधर वालों को। आज की तारीख में दो बिल, एक बिल पास हो चुका, दूसरा बिल विचाराधीन है। दोनों बिलों पर इधर से अनेक विद्वान माननीय सदस्यों के विचार सदन के सामने आये हैं। मैं भी कन्फ्यूज्ड हूं। जनता तो कन्फ्यूज्ड होगी ही होगी, मैं भी कन्फ्यूज्ड हूं कि यह चाहते क्या हैं? यह पक्ष में बोल रहे हैं या खिलाफ बोल रहे हैं। अब यह इन 27000 अध्यापक जो पिछले सात साल से नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं, खुशियां मनाने के लिए बेताब बैठे हैं। यह कह रहे हैं कि इनको तीन महीने के लिए जनता को जनमत जानने के लिए परिचालित कर लो। थाली परोस कर सामने ले आये और अब कह रहे हैं कि तीन महीनों के लिए हटा दो। रोटी मत खिलाओ। तो करना क्या चाह रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। आप इसके पक्ष में हैं तो खुल्ला हां करिये और पक्ष में नहीं है तो खुल्ला ना करिये। जनता को पता तो लगे कि आप चाहते क्या हैं? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): पक्ष में ही बोला है, कोई प्रक्रिया के विपक्ष में बोले हैं। (व्यवधान)

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (उप मुख्य सचेतक) : पक्ष में बोले हैं तो आप जो है प्रस्ताव वापस लो। . (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का तहदिल से स्वागत करता हूं और अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सवा चार साल पहले जो इन लोगों से असत्य बोला था वह अब साकार हो रहा है तो जब साकार हो रहा है तो असत्य कहां है? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): तत्काल होना चाहिए।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): सच हो गया, यह तो असत्य नहीं है और तब भी असत्य नहीं था और आज भी असत्य नहीं है। यह सच बन रहा है। असत्य तो वह था जो आप लोगों ने इन लोगों को कहा था कि हम आपको

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

स्थाई करेंगे और अन्तिम जो पांचवां वर्ष था आपकी सरकार का उस समय यह लोग हर जगह जहां भी आपका कोई मंत्री गया, जहां आपके मुख्य मंत्री गये, सबके वहां पर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे कि हमको नियमित कर जाओ। हमको नियमित कर जाओ और आप नहीं कर पाएं। उनके पेट में लात मार कर गये आप। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पेट के बल परिक्रमा की उन्होंने ... (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): पेट के बल पर परिक्रमा की और आपने उनके पेट में लात मारने का काम किया है। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इसमें अपने वक्तव्य में साफ कहा था, हमने नियमों में संशोधन करके जो भी नई भर्ती होगी उसमें 50 प्रतिशत रिजर्वेशन पैराटीचर्स के लिए किया था। अब हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, उसका हम क्या करें? (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, हाईकोर्ट तब भी था और हाईकोर्ट आज भी है।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): कौन से साल में किया था? 1999 में अपाइंटमैंट किया और यह रेगुलेट करने का निर्णय कब लिया आपने? कब किया निर्णय?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): निर्णय हमने 2003, 2002-2003 में ... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): साढ़े चार साल बाद ही किया न आपने?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां, तो आपने शिक्षा-कर्मियों को 1993 में लगाया था। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आपने हमें कहा कि ... (व्यवधान) आपने क्या किया? नहीं, आप यह कह रहे हो ... (व्यवधान) मैं जवाब दूंगा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ... (व्यवधान) और कितना? 800 और हजार रुपये में आप क्या बात करते हो? यह आरोप-प्रत्यारोप छोड़ो। एक आदमी कहता है कि इन्ह उघाड़ियो छोड़ो तो आ लज्जो मरे, बिन्ह उघाड़ियो छोड़ो तो वा लाज्जो मरे, जिक्हो हाळी बात मत करो। (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपकी पार्टी ने 2003 में चुनाव लड़ा उनको नियमित करने का वादा करके और उसके बाद राजस्थान में 23 जगह पर आपने लाठियों का प्रहार उनके ऊपर किया और उदयपुर में आपने उनके ऊपर गोली चलायी। यह धोखा किया आपने। (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं ... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आपने चुनावों के समय 1999 में बेरोजगार नव-युवकों के साथ यह वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आयी तो हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे और आपने उनको दिया क्या? 1200 रुपये, जो न्यूनतम वेतन नहीं है। उस पर आपने इनको नौकरी दी, उनके साथ छलावा किया, उनके साथ धोखा किया और उनके साथ विश्वासघात किया। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): 2004 के लोक सभा चुनाव में हमने देश के नौजवानों से वादा किया कि नौकरी देंगे राजस्थान में भी, सर्व शिक्षा अभियान में 1 लाख 12 हजार 740 देंगे ... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मैं 1999 की बात कर रहा हूं। 1999 में क्या किया? (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): भारत सरकार ने 1 लाख 12 हजार 740 ... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मैं 1999 की बात कर रहा हूं। ठोकर खाकर तो अच्छा-अच्छा सुधर जाता है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जो यह है न, इतने यह हमारी सरकार ने किये हैं। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मैं 1999 की बात कह रहा हूं।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, प्लीज मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, प्लीज। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमने अपनी सरकार के वक्त में शारीरिक शिक्षकों को नौकरी दी। संविदा अध्यापकों को नियमित किया। क्या बात करते हो आप?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): 1200 रुपये में, 1200 रुपये में।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या 1200-1200, आपने तो 800, 1000 रुपये में शिक्षाकर्मी रखे थे। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): हम तो इनको 4500 रुपये दे रहे हैं, आज भी आपने 1200 रुपये में इनके साथ छलावा किया है, इनके साथ धोखा किया है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमने हमारी सरकार ने पैराटीचर्स की तनख्वाह मिनिमम 2000 और एक साल सीनियोरिटी पर 200 रुपये का इंक्रीमैंट, यह किया हमने। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमने 400 किया।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): 400 किया। हमने आपके 200 के इंक्रीमैंट को 400 किया।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): जैसे-जैसे हमने किया, वैसे ही आपने आदेश किया।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): नहीं, वह तो ... (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): अब आपने पैरा स्टाफ क्या लगा रखा है? अब आप यह 4000 रुपये फिक्स क्यों दे रहे हो आप। आप पूरी तनख्वाह क्यों नहीं देते? (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मेरा आप सबसे एक निवेदन है Battle lines have been drawn. Let the public solve this puzzle who has done what for whom. We will wait for that time to come. (Interruptions)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय सभापति महोदय, अभी शिक्षा कर्मियों को जो शुरूआत में 800 रुपया वेतन मिलता था उसका जिक्र कर रहे थे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य। शिक्षा कर्मी लगे थे आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले 800 रुपये और छह साल पहले 1200 रुपये, कौनसा ज्यादा था, यह हाउस निर्णय कर ले। उस समय में क्या वेल्यू थी रुपये की और आज से छह साल पहले क्या वेल्यू थी रुपये की उससे यदि आप तुलना करेंगे तो पता लग जाएगा कि वह 800 रुपये कितना बड़ा था और यह 1200 रुपये कितना तुच्छ था।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल का जैसा मैंने अभी एक निवेदन किया कि मैं स्वागत करता हूं तहेदिल से और यह निश्चित रूप से एक बहुत ऐतिहासिक कदम सरकार उठाने जा रही है और इसलिए इसका स्वागत करते

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हुए मैं कुछ बातें जो थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजिंग लग रही हैं, वह स्पष्टीकरण के नाते मैं रखना चाह रहा हूं सदन के सामने। उन सब बातों का स्पष्टीकरण करते हुए क्योंकि जब यह बिल पास हो जाएगा तो इसके बाद इसके नियम बनेंगे। नियम, उप नियमों के माध्यम से जब यह बिल लागू होगा तो उन नियमों-उपनियमों में उन सब बातों को सम्मिलित किया जाए, इस उम्मीद से मैं कुछ बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पैराटीचर्स तो सारे इसमें हो जाएंगे लाभान्वित। लोक जुम्बिश वाले भी हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है पर लोक जुम्बिश वालों में एक दुर्भाग्यशाली तबका ऐसा था, जिसके साथ लोक जुम्बिश परियोजना में लगे अधिकारियों ने बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी। 900 के आस-पास थे शायद वे लोग, जिनको उन्होंने एजेंसी के माध्यम से रखा। ऐसा शो कर दिया, बाकी सब को रखा अपने पंचायत समितियों के माध्यम से और उन थोड़े से लोगों को रखा एजेंसीज के माध्यम से और चूंकि वह एजेंसीज के माध्यम से थे, प्लेसमैंट एजेंसी के माध्यम से इसलिए लोक जुम्बिश परियोजना समाप्त होते ही उनको घर भेज दिया गया। यदि वह एजेंसी के माध्यम से उनको कागजों में नहीं दिखाया होता और वास्तविक जिस रूप में बाकी सबकी भर्ती हुई, वैसा दिखाया होता तो वह दुर्भाग्यशाली जवान भी आज परमानेंट हो रहे होते और उनका भविष्य उज्ज्वल हो रहा होता परन्तु अधिकारियों की एक चाल के कारण, वह उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हो गया। खैर, वह तो हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, न इस सदन के पास इलाज बचा है पर अभी जैसा माननीय कल्ला साहब जिक्र कर रहे थे कि कुछ दस-बारह एक, लोक जुम्बिश कर्मियों का वैसा ही मैं जिक्र करना चाहूंगा, महिला शिक्षण विहार, दो संस्थान चल रहे हैं राजस्थान की धरती पर एक झालावाड़ में और एक जालौर में। और उसमें जो शिक्षक और प्रिंसिपल के रूप में लगे हुए हैं, दो प्रिंसिपल हैं, चार-चार शिक्षिकाएं हैं, वह आपकी इस कैटेगिरी में आयेंगे, मुझे नहीं लग रहा तो उनके लिये क्या करेंगे? उनको नियमित करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तो उनको साक्षरता विभाग को दे रखा है, वह पहले लोक जुम्बिश में थे। अब उनका क्या होगा? साक्षरता विभाग उनको अपना नियमित कर्मचारी मानेगा या उनको पंचायती राज में देंगे या उनको महिला और बाल विकास विभाग में देंगे? वह कुल-मिलाकर 9-10 कर्मचारी हैं, उनका भी कुछ सोचें। वह शिक्षण का कार्य ही कर रहे हैं। पेशे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

से वह अध्यापक ही हैं, लेकिन आपकी इस प्रबोधक की परिभाषा में नहीं आ रहे हैं या आ रहे? यह मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से जरूर जानना चाहूंगा।

मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। शिक्षाकर्मी परियोजना की यहां बार-बार चर्चा होती रही है। हो-हल्ला मचा उसको लेकर, उनके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर निवेदन करना चाहूंगा। सदन गम्भीर हो सकता है उस पर विचार करें। 20 साल से यह लोग काम कर रहे हैं और जैसा मैंने शिक्षा विभाग की मांगों पर बोलते समय भी वाक्य बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भारत देश आजाद होने के बाद शिक्षा जगत् में सुधार लाने के लिए जितनी भी योजनाएं बनी होंगी, उनमें यह शिक्षाकर्मी योजना मेरी नजर में, मेरी जानकारी में, मुझे कम जानकारी हो सकती है, पर सब्जैक्ट टू करेक्शन, मेरी जानकारी में यह पहली योजना थी जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुई और अब तक उसका डंका बज रहा है। जहां-जहां क्षेत्र में शिक्षाकर्मी विद्यालय हैं, वहां-वहां बालकों की शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार जबरदस्त आया। उस शिक्षाकर्मी परियोजना के बारे में अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कि हमारी सरकार के समय हमने उनको यह किया, वह किया। मैं गवाह हूं साढ़े आठ हजार शिक्षाकर्मी पूरे पांच वर्ष जब सोते थे रात में तो भगवान को प्रार्थना करके सोते थे कि हे भगवान, सुबह तक हमारी नौकरी बचा लेना। तलवार लटक रही थी उन पर। आज हटा रहे हैं, कल हटा रहे हैं। आज हटा रहे हैं, कल हटा रहे हैं। प्रोजेक्ट खतम हो रहा है। प्रोजेक्ट के लिए पैसा विदेश से आ रहा था, वह बंद हो गया। हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं। हम इनको घर भेज रहे हैं। पूरे पांच साल उन्होंने गिन-गिनकर काटे हैं और उनको परमानेंट करने की बात तो वह सोच ही नहीं सकते थे। उनको निकाला नहीं नौकरी से। यह इन्होंने बड़ी मेहरबानी कर दी। बाकी रोज विचार होता था आज निकालें, आज निकालें। अब इनके बारे में जब यह बोलते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है, हंसी भी आती है। उन शिक्षाकर्मियों के बारे में इस नये बिल के माध्यम से जो सोचा जा रहा है कि उनको भी प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में परमानेंट किया जायेगा, उसमें कुछ विसंगतियां आ सकती हैं, वह भी मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह शिक्षाकर्मी 20 वर्षों से हैं, जब कि बाकी सारे प्रकार के कर्मी हैं वह पांच-साल के बीच के हैं। एक तो यह बड़ा गैप है। 20 वर्ष का उनका अनुभव है, 20 वर्ष की उनकी नौकरी है। 20 वर्ष नौकरी करने के बाद आज वह प्रौढ़ता को पहुंच गये हैं। उनमें से अधिकांश रिटायरमेंट के पास हैं। कोई पांच साल बाद रिटायर होगा, कोई दस साल बाद रिटायर होगा तो यह एक बड़ा मूलभूत फर्क है इन दोनों में। बाकी सारी कैटेगिरीज में और इस कैटेगिरी में दूसरा फर्क यह है कि बाकी सारी कैटेगिरी वाले लगभग सब या तो एस.टी.सी. हैं या बी.एड. हैं, सारे कर चुके। शिक्षाकर्मी परियोजना में पहले दिन से एस.टी.सी. और बी.एड. पर जोर नहीं दिया गया। एस.टी.सी., बी.एड. की अनिवार्यता कभी नहीं रखी गयी। शिक्षाकर्मी परियोजना का अपना ट्रेनिंग सिस्टम था और वह साल दर साल वह ट्रेनिंग करवाते थे पहले यह ट्रेनिंग, फिर वह एक के बाद एक ट्रेनिंग करवाते थे और उसके माध्यम से उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाते थे। एक अलग तरह का कल्चर उन्होंने खड़ा किया था ट्रेनिंग के माध्यम से। अब दुर्भाग्य एनसीईआरटी ने उस ट्रेनिंग को एस.टी.सी. या बी.एड. के समकक्ष मान्यता नहीं दी। यह हमारी एक संवैधानिक समस्या है, जो इनके गले में फांस लगी हुई है। उसका भी हमको कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उनकी ट्रेनिंग को भी हमको किसी न किसी रूप में मान्यता देनी पड़ेगी। वरना यह जो साढ़े 8 हजार शिक्षाकर्मी हैं, उनमें से ढाई हजार शिक्षाकर्मी ऐसे हैं कि जिनके पास न बी.एड. की डिग्री है, न एस.टी.सी. का सर्टिफिकेट है। वह लोग आपके इतने उदार मन से लाये गये बिल के बाद भी लाभ से वंचित रह जायेंगे। उनका क्या होने वाला है, उस बारे में हमको सोचना होगा। उनके बारे में सोचते समय दो विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं या तो यह हो कि हम उनको उनकी जो ट्रेनिंग थी शिक्षाकर्मी सिस्टम की, उस ट्रेनिंग को एस.टी.सी. के समकक्ष मिनिमम मान लें और नियमों में उसके लिए संशोधन करना पड़े और उसके लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें, एनसीईआरटी से भी रिक्वेस्ट करें कि उसको मान्यता दे दें और उसको आधार बनाकर हम उनको प्रबोधक या वरिष्ठ प्रबोधक बना दें या फिर दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि हम उनको जैसा शिक्षाकर्मी बोर्ड आपने एक स्वतन्त्र अस्तित्व रखा है, अलग से चल रहा है, उसको चलते रहने दें। यह भी एक विकल्प हो सकता है पर दोनों में से जो भी विकल्प हम लागू करें, 20-20

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

साल से जो लोग सेवा दे रहे हैं, अच्छी सेवा दे रहे हैं, गुणात्मक सेवा दे रहे हैं, उनके हितों के बारे में पूर्ण आश्वस्त हुए बिना कोई भी बड़ा कदम हम नहीं उठायें, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी समस्या आने वाली है कि 4500 की जो पे-स्केल आपने रखी है, उसका डी.पी. और डीए सब मिलाने के बाद लगभग 9000 रुपये के आस-पास पहुंचेंगे। शिक्षाकर्मी परियोजना में जो प्रबोधक, वरिष्ठ प्रबोधक लगे हुए हैं उनमें दो कैटेगिरी है। एक तो 11,000 से ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं जो 545 लोग शुरू में कोई सात-आठ साल पहले ही, जो लोग वरिष्ठ हो गये थे, वह लोग तो 11,000 से ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं और जिन पांच हजार लोगों को हमने इन तीन सालों में वरिष्ठ बनाया है, वह लोग भी लगभग 10,000 रुपये से ऊपर की तनख्वाह ले रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उनकी तनख्वाह इस फार्मूले में फिट करते समय कम कर दें। कम करना न्यायसंगत नहीं है। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा और इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी पे-प्रोटेक्ट की जायेगी और उनको प्रबोधक या वरिष्ठ प्रबोधक बनाते समय उसी पे-स्केल पर रखा जायेगा, उसी वेतनमान पर फिक्स किया जायेगा, जहां आज की तारीख में ले रहे हैं।

दूसरा, शिक्षाकर्मियों के साथ एक और कुठाराघात हुआ। 30 जून, 2005 को शिक्षाकर्मी परियोजना समाप्त हो गयी। वह बोर्ड भंग हो गया। राज्य सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत उदारतापूर्वक दूसरे बोर्ड का गठन किया और उस दूसरे बोर्ड में उन सारे शिक्षाकर्मियों को समायोजित कर लिया और उनकी नौकरी को बचाया। बहुत-बहुत साधुवाद सरकार का, बहुत बड़ा कदम लिया आपने। बहुत बड़ा मन दिखाया, लेकिन फिर अधिकारी यहां कलाकारी कर गये। 18 साल तक संघर्ष करने के बाद जिन शिक्षाकर्मियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की थीं सी.एल., पी.एल., मेडिकल लीव, मेडिकल बिल्स का रिअम्बर्समेंट, यह सारी सुविधाएं जो प्राप्त की थीं, वह 30 जून, 2005 को समाप्त हो गयीं और नये बोर्ड ने उन सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया, उनको लागू नहीं किया यानि 18 साल का संघर्ष किया हुआ पानी में और वापस ए, बी, सी, डी से शुरू करो। यह एक चुनौती उनके सामने खड़ी कर दी। सरकार की मंशा यह नहीं थी। अधिकारियों ने कलाकारी की, अधिकारियों ने बदमाशी की है। मैं बहुत दुःख के साथ यह कहना चाहूंगा और प्रमाणपूर्वक कहना चाहता हूं यदि सरकार की मंशा ऐसी करने की होती तो यह

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सरकार शिक्षाकर्मी बोर्ड से सारी जानकारी नहीं मांगती कि इन सब को यह सारे परिलाभ देने पर कितना वित्तीय भार आता है, यह सुविधाएं क्यों रोकी गयी हैं और इनको लागू करें तो कितना वित्तीय भार आता है। यह सारी जानकारी सरकार ने मंगवाई थी शिक्षाकर्मी बोर्ड से। शिक्षा बोर्ड ने वह परिलाभ क्यों रोके, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। उनको कैसे समझ में आया, उनकी वह जाने, पर हमको तो समझ में नहीं आ रहा। वह विसंगति भी दूर होनी चाहिये और शिक्षाकर्मियों को उनकी गुणवत्ता के अनुरूप, उनकी वरिष्ठता के अनुरूप नियमित करने की और परिलाभ देने की सारी व्यवस्था होनी चाहिये। इस बिल के माध्यम से बनने वाले नियमों में और शामिल हों तभी मैं समझता हूं कि उनके साथ न्याय होगा और यह सब बात करते समय मैं निवेदन करना चाहूंगा, उल्लेख करना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार के एक आदेश का। मध्य प्रदेश में हमारे यहां तो साढ़े 8 हजार शिक्षाकर्मी हैं, मध्य प्रदेश में 85 हजार शिक्षाकर्मियों को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेएक आदेश से नियमित कर दिया और नियमित किया है शिक्षा वर्ग में, अध्यापक वर्ग में- अध्यापक, सहायक अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक। तीन कैडर उन्होंने दिये हैं और तीनों को इन्होंने एक साथ, एक आदेश से तीन अलग अलग वेतनमानों पर सहायक अध्यापक तीन हजार वाला, अध्यापक चार हजार वाला, वरिष्ठ अध्यापक पांच हजार वाला, ऐसे एक आदेश से सब 85 हजार लोगों को नियमित कर दिया और उनको व्यवस्थित जीवन भर के लिए सुरक्षित नौकरी करने का अवसर दे दिया।

मैं आशा करता हूं राजस्थान सरकार भी उस आदेश को देखे और उसके अनुरूप यहां भी प्रावधान करने की यदि कोशिश करे, उनको वहां सब, उसमें उन्होंने विशेष करके जो उल्लेख किया है, उसका एक पैराग्राफ मैं यहां पढ़ना चाहूंगा। 'ऐसे शिक्षा सहयोगी, शिक्षाकर्मी एवं महिला पैराटीचर्स', उन्होंने भी ऐसे ही किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने सारे शिक्षकों के जितने वर्ग थे, जितने संवर्ग थे, संविदा वाले भी, पैराटीचर्स भी, महिला पैराटीचर्स भी, शिक्षा सहयोगी भी, शिक्षाकर्मी भी, सब को एक साथ उन्होंने किया था और उसमें शिक्षाकर्मी को भी शामिल किया था, 'ऐसे शिक्षा सहयोगी, शिक्षाकर्मी एवं महिला पैराटीचर्स जिन्होंने एन.टी.सी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण बी.एड., एस.टी.सी. की उपाधि नहीं की है उन्हें निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त ही अध्यापक संवर्ग में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अगली वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जाएं। ऐसे मामलों में शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि करने पर छूटी हुई वेतन वृद्धियां जारी की जाएं', प्राप्ति करने के पश्चात, 'किन्तु एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। ऐसे शिक्षा सहयोगी, शिक्षाकर्मी एवं महिला पैराटीचर्स को स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करनी होगी जिनके लिए उन्हें एक बार सवैतनिक अवकाश स्वीकार किया जायेगा।' ढाई हजार लोग हैं जो आपके उस बी.एड., एस.टी.सी. से युक्त नहीं हैं, उन ढाई हजार लोगों के साथ यह अवसर इस तरह से हम दे सकते हैं, सवैतनिक अवकाश दें उस कोर्स को करने का और उनको जब तक वो नहीं हो जाए तब तक उनको हम भर्ती परमानेंट नहीं करें लेकिन घर भी नहीं भेजें और उनको पूरा अवसर दें उपाधि प्राप्त करने का और उसके माध्यम से फिर उनको परमानेंट करें और सारे परिलाभ हम दें, बैक डेट से उनकी वेतन वृद्धियां लगेंगी, क्युमुलेटिव वो एरियर नहीं मिलेगा लेकिन वेतन वृद्धियां बैक डेट से लगेंगी। यह बहुत बड़ा लाभ मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, वो लाभ हम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो समस्या हम सुप्रीम कोर्ट के डर से यह मान रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में भी लागू होता है, वहां दिक्कत नहीं आयी तो यहां क्यों दिक्कत आयेगी, मैं नहीं समझ सकता।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सरकार जब इस एक्ट के बनने के बाद नियमों का निर्धारिण करे, उप-नियमों का निर्धारण करे तो इन सब बातों को इसमें सम्मिलित करे और सम्मिलित करते हुए इन सारे कर्मियों को, जितने भी कर्मियों को आप इसमें शामिल कर रहे हैं उनको सब प्रकार के कर्मियों को उनका भविष्य सुरक्षित करें, उनके रोजगार की सुरक्षा हो और वो निश्चित होकर सरकार की सेवा कर सकें, राजस्थान की सेवा कर सकें, राजस्थान के माथे पर निरक्षरता का जो थोड़ा बहुत कलंक बचा है उसको भी साफ कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसी निवेदन के साथ इस उम्मीद में कि मेरे सारे सुझावों को माना जायेगा, मैं अपना यह जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन वापस लेता हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापतिः** श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया।

**श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया** (भीलवाड़ा)ः माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज संशोधन विधेयक और जिसके द्वारा जो हमारे नेताओं ने

(श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया)

पैराटीचर्स से चुनाव से पहले जो कमिट किया था कि जैसे ही अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम नियमित करेंगे।

आज क्योंकि सुबह से जब मैं विधान सभा में आया हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र से पचासों टेलीफोन पैराटीचर्स के आ चुके हैं कि हमारे बिल का क्या हुआ? मैंने उनको यही कहा कि, भाई, आज पास हो जायेगा और इसके लिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो इतने लम्बे समय से मांग कर रहे थे परमानेंट होने की उनको इस बिल के माध्यम से स्थायी करने जा रहे हैं।

अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि स्थायी तो हम भी करने वाले थे पर कोर्ट का स्टे आ गया था। क्या हो गया, तो इसके बारे में एक वाकया याद आ जाता है, जो वास्तविकता है कि कोई काम करना चाहा किसी आदमी ने दूसरे को कोई वस्तु, मतलब जमीन ही मान लें, बेची उसकी इच्छा थी कि खरीदनी तो है पर इसको अपने को अभी नहीं इसमें और डिले करें तो सौदा तो कर लिया और तीसरे को बोल दिया कि कोर्ट में जाकर स्टे ले आओ और उसमें कुछ ऐसी खामी रख दी ताकि स्टे फटाफट मिल गया। और यही काम पिछली वाली सरकार ने किया कि, भाई, उसमें ऐसी खामी रख दी जिससे कोर्ट से स्टे मिल जाए। आदेश तो करवा लिये लेकिन खामी ऐसी रख दी और किसी को भेज दिया कि, भाई, कोर्ट से स्टे ले आओ ताकि हम को यह परमानेंट न करना पड़े। हमारी सरकार ने आते ही उस कोर्ट के स्टे को वेकेट कराया और उसके अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू करायी। यह इन्टेन्शन था लगाने का, परमानेंट करने का इसीलिए यह काम किया, उधर नहीं करने का था तो स्टे को रहने दिया।

सभापति महोदय, मेरा इसमें एक और है कि काफी पैराटीचर्स के साथ अतिरिक्त पैराटीचर्स भी लगे हैं और सरकार ने एक आदेश से उन अतिरिक्त पैराटीचर्स को हटा दिया। उसमें से कुछ अतिरिक्त पैराटीचर्स होशियार निकले, स्टे ले आये और वो नहीं हटे पर कुछ रह गये जिनको स्टे नहीं मिला और वो हट गये। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि रूल में ऐसा प्रावधान किया जाय जो पैराटीचर्स, जिन्होंने नौकरी की है और किसी कारण से क्योंकि वो कोर्ट में नहीं जा सके या कुछ नहीं हो सका और उनके साथ वाले तो हो गये और वो नहीं हुए तो सब को समान रूप से एक ही बार से सब की नियुक्ति हो जाय। कुछ जिलों में तो अतिरिक्त पैराटीचर्स को

(श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया)

हटा दिया था और मेरे जिले में जैसे थे तो उनको तो यह सुझाव दिया कि कैसे ही करके आप इसमें स्टे ले आओ और वो स्टे ले आये और वो शायद उनको स्टे मिल गया, वो उसमें नियमित भी हो जायेंगे।

पिछली सरकार में जो बारबार कह रहे थे कि क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पिछली सरकार ने जाने कहां से एक फिगर ले आये थे 1200 रुपये, पैराटीचर्स का 1200 रुपये, पैरा पटवारी 1200 रुपये, पैरा सचिव 1200 रुपये, बचपन में कहीं मेले में जाते थे तो क्या होता था, कहीं दुकान पर खड़े हो गये तो हर माल मिलेगा चार आने, तो यहां पर भी यह स्थिति कर दी कि, भाई, जो भी चीज, पैरा 1200 रुपये। न जाने यह फिगर कहां से आयी, यह आज तक समझ में नहीं आया लेकिन हर चीज 1200 रुपये और आज मैं इस बात की बधाई देता हूं क्योंकि सारी इनकी, जो शिक्षाकर्मी हैं, दूसरे पैराटीचर्स हैं इन सब की दुवाएं हम सब को मिलेंगी इस विधेयक को पास करने वालों को और इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैंने जो संशोधन दिया है उसको वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री प्रहलाद गुंजल। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण मीणा। (अनुपस्थित) श्री हेमराज मीणा।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक पंचायत राज प्रबोधक सेवा का एक नया कैडर तैयार किया। उस कैडर में 27-28 हजार लोगों का सबसे बड़ा लाभ होगा, लाभ होगा जो बहुत वर्षों से वो इन्तजार कर रहे थे पिछली सरकार का भी, इस सरकार का भी, उनको एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उनके परिवार उनका इन्तजार कर रहे हैं कि, भाई, क्या होने वाला है। तो आज वो बिल आ गया और मंत्रीजी को बधाई दूंगा कि वो बिल को लेकर के आये।

लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पैराटीचर्स प्रबोधक, वरिष्ठ प्रबोधक बनेंगे इनकी मूल भर्ती किसने की, किसके अन्तर्गत यह आते थे। पैराटीचर्स ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इसके मार्फत ही आकर के ग्रामीण में शिक्षा का विस्तार हो, जो आपका विद्यार्थी, पढ़ा-लिखा विद्यार्थी है, गांव में ही उसका एपाइंटमेंट हो और गांव में ही वो काम करे ताकि ट्रांसफर-पोस्टिंग की समस्या न रहे, दांये-बांये न भागे। वहां पर शिक्षा का विस्तार हो इसके कारण से पैराटीचर्स की स्थापना की गयी और पैराटीचर्स ग्राम पंचायत के अन्तर्गत लेकर के वहीं पर उसकी नियुक्ति की गयी। सभापति महोदय, मैं

(श्री हेमराज मीणा)

निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ग्राम पंचायत के अन्तर्गत काम कर रहे थे, नयी एक सेवा इन्होंने स्थापित की। और नया अमेंडमेंट जो लाये हैं उसमें जो धारा 89, 90 है उसमें पहले से ही जो जिला स्थापना के अन्तर्गत आता है, ग्राम सेवक हैं, सहायक ग्राम सेवक हैं, महिला ग्राम सेवक हैं, प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापक हैं यह सारे उसके अन्तर्गत आते हैं और उसमें नया इन्होंने जोड़ा प्रबन्धकों और वरिष्ठ प्रबन्धकों, इनको भी उसमें जोड़ दिया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि इसका कैडर जो बनाया है इन्होंने जिला परिषद का सी ई ओ, प्रारम्भिक शिक्षा का डी ई ओ दोनों को इसमें कन्वीनर बनाया गया है। वह उसमें नियम बनायेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इस बिल को लाये हैं और पंचायत मंत्रीजी का बिल है। क्या ऐसा तो नहीं है पंचायत राज के जो अधिकार हैं उनको हम कम कर रहे हैं, यह भी मुझे शंका हो रही है सभापति महोदय, कि पंचायत राज का बिल होने के बाद भी शिक्षा मंत्रीजी रख रहे हैं। कहीं पंचायतों के अधिकार कम तो नहीं हो रहे। अभी तक जो पंचायत समितियों में अध्यापक का काम देखते थे, प्रधान देखते थे, विकास अधिकारी देखते थे उसके बाद में बी ओ उसमें लगाये। डी ई एक समिति होती थी जिला स्थापना समिति, जिसका चेयरमैन जिला प्रमुख है, अभी भी है।

तो सभापति महोदय, यह कैडर तो बन जाएगा, सेवा नियम भी इनके बनेंगे तो क्या जिला परिषद, इसका नियंत्रक कौन होगा, इसका नियंत्रक क्या जिला प्रमुख होगा, क्या जिले का कलक्टर होगा या इसका नियंत्रक सीधी राज्य सरकार होगी? यह बातें इस बिल में स्पष्ट नहीं हैं, क्या जिले का शिक्षा अधिकारी होगा, यह बातें बिलकुल स्पष्ट नहीं हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो पंचायत राज के पास एक अधिकार था यह भी खतम होकर के शिक्षा विभाग में चला गया, या राज्य सरकार के पास सीधा चला गया? इसको भी मंत्रीजी स्पष्ट करें कि इसमें क्या होगा।

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा सभापति महोदय, कि जैसे यह नई सेवा हम गठित कर रहे हैं, नये अमेंडमेंट ला रहे हैं तो कई सारे ऐसे बच गये जैसे शिक्षाकर्मी हैं, राजस्थान में मेरे इलाके में बहुत सारी शिक्षाकर्मी स्कूलें हैं, मैं यह कह सकता हूं कि शिक्षाकर्मी स्कूल जो हमारे नियमित स्कूल हैं उनसे

(श्री हेमराज मीणा)

ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वह प्राइवेट क्षेत्र से काम कर रहे हैं और कम तनख्वाह में काम करने वाले अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा कर्मी मेरे यहां बहुत सारे हैं, सारे राजस्थान में हैं। शिक्षा कर्मी के साथ-साथ लोक जुम्बिश परियोजना के कर्मचारी भी हैं उनको भी हमने कुछ दिया है तो आखिर इनको हम किसमें सम्मिलित करेंगे? क्या हम यह नई सेवा बना रहे हैं, क्या इस कैडर में उनको सम्मिलित करेंगे? मैं चाहूंगा कि इनका भी एक कैडर बने, उनको भी उसी कैडर में शामिल कर लिया जाय ताकि उनके भी सेवा नियम बनें, उनकी भी अव्यवस्था खतम हो जाए।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें आप 27-28 हजार लोगों की भर्ती करेंगे और ग्राम पंचायत और रखे थे लेकिन अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने भर्ती की। माननीय घनश्यामजी जब शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने आर पी एस सी से जितने चयन किये उन चयनों में बैकलॉग का पूरा ध्यान रखा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की इन्होंने भर्ती की और मैं कह रहा हूं शिक्षा विभाग में घनश्यामजी उनके समय में बिल्कुल बैकलॉग को जीरो कर दिया। तो यह जो सत्ताइस हजार लोग आयेंगे, परमानैंट होंगे, नई सेवा बनेगी, क्या इनमें उन बैकलाग को भी हम शामिल करेंगे? इसमें भी हमको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उनको भी लाभ मिलना चाहिए ना।

सभापति महोदय, हो सकता है ग्राम सभा में वो लोग नहीं आये होंगे, ग्राम पंचायतों का अपाइन्टमैंट नहीं किया होगा लेकिन आज जब नई सेवा बनेगी, नया कैडर बनेगा, नये उनके सारे सेवा नियम बनेंगे, उप नियम बनेंगे तो सभापति महोदय, हमको यह भी विचार करना पड़ेगा, इनमें उन बैकलाग का भी ध्यान रखते हुए शामिल किया जाना चाहिए। यदि उसमें बैकलाग में गिनती में अगर वह नहीं आते हैं, पूरे होते हैं तो ठीक है अन्यथा उनकी भर्ती भी हमको अलग से करनी पड़ेगी, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो कैडर अपना बना है, इस कैडर में यह जो नये लोगों को जोड़ा जाना चाहिए, एक मेरे इलाके में खास तौर से जो लोक जुम्बिश के माध्यम से कुछ लोगों की भर्ती की गयी थी, जिनका नाम दिया था मुक्तांगन, मुक्तांगन राजस्थान में दो ही जगह थे। एक तो किशनगंज शाहबाद, दूरदराज के इलाकों में वहां पर स्कूल नहीं थे, टीचर नहीं जाते थे, वहां पर स्कूल बनाये और ऐसे ही कोटड़ा में दोनों जगह

(श्री हेमराज मीणा)

ही मुक्तांगन के करीब ऐसे पैंतालीस लोग थे जो लोक जुम्बिश के मार्फत एडजस्ट हुए थे। लोक जुम्बिश के मार्फत उनकी भर्ती की थी तो तीन-चार साल तक लोक जुम्बिश के माध्यम से उन्होंने काम किया। उसके बाद में सभापति महोदय, उनको प्लेसमैंट एजेन्सी के माध्यम से रखा और प्लेसमैंट एजेंसी के मध्यम से फिर जब लोक जुम्बिश परियोजना मर्ज हुई तब उनको बाहर निकाल दिया।

आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि मुक्तांगन की रिपोर्ट भी अभी राज्य सरकार को प्राप्त हो गयी है। इन्होंने इसकी जांच भी करवा ली। इसमें यह पता लग गया कि पैंतालीस लोग ऐसे निकले राजस्थान में जो प्लेसमैंट एजेंसी के माध्यम से न रखकर के लोक जुम्बिश के माध्यम से ठेके पर और अनुबंध पर गये थे। ऐसे लोगों को भी इसमें स्थाई करके उनको परमानैंट करें तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

खास तौर से आप यह जो लाए हैं उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और मेरा तो यही निवेदन था कि मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव को मैं विथड्रा करता हूं और मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि नियम और उप नियम और अच्छे बनाएं ताकि पैरा टीचर्स को, सारे कैडर के लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती अनिता भदेल।

## सूचना

### ग्राम सेवकों को नौकरी से निकालने का निर्णय

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, मैं एक इन्फार्मेशन देना चाहता हूं। माननीय पंचायत राज मंत्री यहां पर विराजे हुए हैं, यह इस बात को स्पष्ट करें कि क्या अभी-अभी जो पंचायती राज में काम करने वाले ग्राम सेवक जिनकी मांगें आपने मानी हैं, उनकी सेवा में व्यवधान डालकर उनको नौकरी से निकालने का निर्णय अभी-अभी आपने लिया है? आपने अभी-अभी इस बात का निर्णय भी लिया है कि ग्राम सेवकों के स्थान पर पटवारी और अध्यापकों को अपना कार्यभार संभला दें। मंत्रीजी एक ओर पंचायती राज की मांगों पर यहां पर बहस चल रही है, दूसरी ओर मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं । एक ओर कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं और दूसरी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

ओर अभी-अभी इन्होंने अपनी मीटिंग में इस बात का निर्णय लिया है कि इन ग्राम सेवकों की सेवा में व्यवधान डालकर के व्यवधान डालने के जुर्म में उनकी तनख्वाह काटकर के उनको सेवा से अलग कर दिया जाय। यह फैसला माननीय पंचायत राज मंत्रीजी ने, एक ओर यह सरकार हितैषी बन रही है और दूसरी ओर यह सरकार जिस प्रकार से अभी-अभी निर्णय लेकर के जो फैसला करके आयी है, उसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय से आप दिलाएं। ताकि स्थिति साफ हो सके कि किस प्रकार की व्यवस्था माननीय पंचायत राज मंत्री कर रहे हैं। जब पंचायत राज मंत्री आ ही गये हैं और बिल पायलट हो रहा है तो वह काम भी अभी यह कर ही सकते हैं कामन सैंस के हिसाब से ।

**श्री सभापति**: मेरा आपसे निवेदन है कि आप विराज जायें। श्रीमती अनिता भदेल।

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ...

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): यह भी महत्वपूर्ण बात है । इन मांगों को इन्होंने स्वीकार कर लिया। जिन मांगों पर इन्होंने काम करने का ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं आपसे कह रहा हूं आप विराज जायें।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जिन मांगों को विधिवत कर दिया ... (व्यवधान) और उन मांगों के फैसला होने के बाद, इनके स्वीकार करने के बाद इस प्रकार का यह बिलकुल एक सामंती निर्णय ले लें और उनके साथ ज्यादती करें और इस प्रकार की व्यवस्था करें और फिर एक अक्षर नहीं बोलें । उनको बुलवाओ तो सही लोकतंत्र में, आप उनको बुलवाओ तो सही ।

**श्री सभापति**: आप विराजें तो सही।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी क्या लेकर आये हैं इनकी सेवाओं को समाप्त करने का क्या वास्तव में निर्णय लिया है क्या?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): ऐसा लगता है यह बार-बार ... (व्यवधान) अवरोध करके बीच में रुकावट पैदा करना चाहते हैं। यह नहीं चाहते कि पैरा टीचर्स को रेगुलराइज किया जाय।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हम पैरा टीचर्स को रेगुलराइज कराना चाहते हैं ...(व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): व्यवधान करके ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हम कोई व्यवधान नहीं कर रहे हैं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): हम चाहते हैं रेगुलराइज करिये। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ग्राम सेवकों की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है क्या? और उनकी जगह पटवारियों को काम कराने की बात कही है ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): नौकरी से निकालने जा रहे हो ...(व्यवधान) शर्म करनी चाहिए सरकार को, आप नौकरी से निकाल रहे हो उनको। आप स्थिति स्पष्ट करें, यहां बैठे हुए हैं और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है, यह सदन में बैठे हैं वह जवाब देंगे।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपको क्या पता?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): +++

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): उन मांगों पर जिनको इन्होंने स्वीकार किया ...(व्यवधान) उनकी मांगें स्वीकार कीं तब उनको फुलफिल करने में क्या दिक्कत है?

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (खनिज मंत्री): आपके जैसे वरिष्ठ सदस्य कहें कि +++ व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): इस प्रकार का यह उन ग्राम सेवकों के खिलाफ किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): किस प्रकार का उनके खिलाफ ...(व्यवधान) यह उनको नौकरी से निकालने की बात करते हैं ...(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राजाखेड़ा): इनका चीर हरण हो रहा है चीर हरण ...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपको पता है क्या निर्णय हो गया ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: आप विराजें, आप विराजें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, कोई भी माननीय सदस्य इस सदन में खड़ा होकर बिना नियमों के यह पूछ लेगा कि अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय बाथरुम में जाकर आये हैं, क्या किया बताएं क्या बात हुई ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): आप किस हैसियत से खड़े हुए?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सदन सर्वोपरि है, इन्होंने सूचना दी है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): जिस हैसियत से माननीय घनश्याम जी मंत्री महोदय खड़े हुए हैं उसी हैसियत से विधायक के रूप में मैं खड़ा हुआ हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इस सदन में व्यवस्था के माध्यम से कोई भी सदस्य खड़ा होकर ...

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): अगर मेरा खड़ा होना गलत है तो आपका भी गलत है। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप चाहे खड़े रहो चाहे बैठे रहो, आप बाध्य नहीं कर सकते ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): कर्मचारियों के हितों के साथ करोगे तो ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हम तो यह जानना चाहते हैं मंत्री जी बताएं आपने उनकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय किया है क्या ... (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बाध्य नहीं कर सकते ...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): वादा कर लेते हो और मांगें मंजूर कर लेते हो और मंजूर करने के बाद झूंठा आश्वासन देते हो ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप विराज जायें।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): और उस रूप में अव्यवस्था पैदा होती है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, आप बिराज जाएं ... (व्यवधान) आसन पैरों पर है माननीय सदस्य, बिराज जाएं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): पंचायत राज मंत्रालय का पूरा सर्वनाश कर दिया और बड़ा ... (व्यवधान)

**श्री सभापति**: एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैंने किसी सदस्य को अनुमति नहीं दी थी फिर भी आपने अपना वक्तव्य दे दिया I will not force the Minister to give a reply. Kindly Anita Bhadhel.

आप कंटीन्यू करें।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008

**श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार जो पैराटीचर्स, सभी प्रकार के पैराटीचर्स की बात कहूंगी मैं। इनके लिये जो बिल लेकर आयी है उसका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और अपनी ओर से सम्पूर्ण सरकार को, सम्पूर्ण मंत्रिमंडल को इस बात की बधाई देती हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो मैनीफेस्टो निकाला था उस मैनीफेस्टो का पालन करते हुए वह इस प्रकार का बिल लेकर आयी है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोई भी सरकार का जो मैनीफेस्टो होता है वह पूरे पांच सालों के लिये होता है। उसकी कोई तारीख निश्चित नहीं होती है कि हम इस कार्य को, हमारे मैनीफेस्टो में जो इतने काम हैं उनको इस-इस तारीख को पूरा करेंगे तो इसलिये यह बात कहना बेमानी है कि हम चार वर्ष निकलने के बाद में अपने इस वायदे को पूरा कर रहे हैं और जो कहा गया, हिण्डौली से आने वाले सदस्य ने कहा कि असत्य वायदा हमने किया तो वादा तो जब सम्पूर्ण कार्यकाल निकल जाता और हम उसको पूरा नहीं करते तब वह असत्य कहलाता। तो इसलिये सत्य है या असत्य है वह तो संबंधित जो पैराटीचर्स हैं उन तक यह मैसेज पहुंच गया है कि हमने जो वायदा किया था उसको पूरा करने के लिये यह बिल लाये हैं। अब उन्होंने जो अपनी मांग रखी थी उसको हम पूरा करके जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो पैराटीचर्स की भर्ती की थी, इसके बारे में सभी माननीय सदस्यों को उनका मानदेय आपने क्या तय किया? ग्राम सभाओं के माध्यम से, वार्ड सभाओं के माध्यम से उनकी भर्ती की गयी और यह सोच कर की गयी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहां चूंकि स्थानांतरण की प्राब्लम के कारण से कई बार कर्मचारी जब राजकीय सेवा में आता है तो किसी न किसी प्रकार से स्थानांतरण करा कर उन्हीं शहरों में आ जाते हैं जहां आलरेडी पहले से ही काफी संवर्ग के लोग, काफी शिक्षक वहां नियुक्त होते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बात की गयी थी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि अब उन्होंने प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक नाम का संवर्ग एक अलग कॉडर बनाने की जो बात कही है इस बिल के माध्यम से तो इस प्रकार का राइडर भी एक लगायें ताकि हमारी सरकार की जो इच्छा है कि हम सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करना चाहते हैं तो इसलिये इस पर राइडर लगाया जाये कि यह जब उनकी सेवाएं नियमित हो जायेंगी तो वहां अन्यत्र वह स्थानांतरण नहीं करा पाये।

दूसरी बात जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कही मैं भी उसको रिपीट करना चाहती हूं। शिक्षाकर्मियों की जितनी सुविधाओं की बात कही। अभी जिस पे-स्केल पर वह काम कर रहे हैं इसलिये न्याय के सिद्धान्त के आधार पर जब हम इसको नये संवर्ग में उनको एडजस्ट करेंगे तो उनका वही पे-स्केल रहे, उसमें कटौती न हो। जब आप अपना बिल पास करायें, जब अपनी बात कहें तब इस बात का निश्चित रूप से आप वापस इस बात का उल्लेख करें। क्योंकि हमारी सरकार ने इस प्रकार के टीचर्स को दो बार अवसर दिये हैं। जो नियमित भर्ती हो रही है आर पी एस सी के माध्यम से उनको दो बार अवसर मिला जो बी एड और एस टी सी थे उनकी तो नियुक्ति हो गयी लेकिन जो नहीं कर पाये उनकी नियुक्ति नियमित रूप से नहीं हो पायी। मेरा आग्रह यह है कि जो 27,000 का आप नया संवर्ग बनायेंगे और इसमें 27,000 शिक्षक नियुक्त होंगे, 27,000 में से जितना भी एस टी, एस सी का बैकलाग बनता है क्योंकि इनमें ही बहुत सारे कर्मी हैं जो रेगुलर होकर चले गये आर पी एस सी के माध्यम से। तो जो हमने रिजर्वेशन पहले रखा था वार्ड सभाओं का और ग्राम सभाओं का तो उनमें से काफी सारे एस टी, एस सी उसमें से निकल गये हैं। यह जो 27,000 का नया आंकड़ा आपके पास आया है इस आंकड़े में से कितने एस सी, एस टी का आपका रिजर्वेशन बनता है? उस रिजर्वेशन को आप कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या आने वाले जो नयी आर पी एस सी की भर्ती की आपने बजट में घोषणा की है कि 11-12,000 आर पी एस सी के माध्यम से आप भर्ती करेंगे। तो क्या इस बैक लाग को आप उसके माध्यम से पूरा करेंगे? इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे इस बात का थोड़ा सा खुलासा करें तो हम एक अच्छा मैसेज जो हमारी सरकार की इच्छा भी है, भावना भी है वह हम पहुंचा पायेंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसके अतिरिक्त शिक्षाकर्मियों की जो दूसरी बात कही गयी है उनकी मान्यता की। उनके पास डिग्री नहीं है, एस टी सी की डिग्री नहीं है, बी एड की डिग्री नहीं है। वह नहीं होने के कारण से वह रेगुलर भर्ती में नहीं आ पाये तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एन सी आर टी के माध्यम से या कोई नयी डिग्री उनको मिनिमम अर्हता हो कि यह क्वालिफाई पूरा कर लेंगे तो उनको हम नियमित भर्ती में ले लेंगे। क्या इस प्रकार का भी अपन कोई प्रावधान इसके लिये करेंगे इस पर नियम बनाते समय?

तीसरी बात मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जब हम इस प्रकार का पूरा संवर्ग बना देंगे एक प्रश्न जैसा उठाया है कि बार-बार ग्राम पंचायत, पंचायती राज और शिक्षा विभाग में इसका विवाद होता रहता है कि किसके पास है? इसके लिये हमें एक नया प्रावधान भी करना पड़ा बाद में, तो यह पूरा जो बनेगा वह किसके अंडर में रहेगा? कैसे काम करेगा? कैसी उसकी वर्किंग रहेगी? कौन उसका नियंत्रक रहेगा? इस बात का भी आप खुलासा करेंगे तो मुझे इस बात का भरोसा होगा कि हमारी सरकार जिस भावना से यह बिल लेकर आयी है उस भावना से उन्होंने इसको पास कराया और वही प्रावधान हम करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ यही कहकर मैं अपना वक्तव्य जो मैंने यहां इस बात के माध्यम से कहा हैं, जनमत परिचालित करने की जो बात कही है उसका संशोधन वापस लेती हूं। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री देवीशंकर भूतड़ा (अनुपस्थित) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): माननीय सभापति महोदय, एक देखिये ... (व्यवधान) पढ़ा हुआ मान लिया जाये, ऐसा नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला है।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का एक कदम जिस कदम के जरिये राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में एक ऐतिहासिक कदम शिक्षा विभाग ने जिस तरह से 60-62,000 आर पी एस सी के माध्यम से अध्यापकों की भर्ती और उसके बाद में यह कदम जिस कदम के तहत पिछले समय में शिक्षा कर्मी और पैराटीचर जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर एक लटकती तलवार को सामने रख कर चल रहे हैं।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुन्धराजी को, घनश्यामजी और कालीचरणजी को ...(व्यवधान) राठौड़ साहब को भी धन्यवाद। जिस प्रकार शिक्षा कर्मी बोर्ड का समय खतम होने के बाद जो शिक्षा कर्मी अपनी गुणवत्ता के आधार पर दूर ढाणियों के अन्दर शिक्षा दे रहा था और ऐसी जगह पर जहां अध्यापक नहीं पहुंच पा रहे थे, जहां स्कूल की भी बहुत सुदूर कमी थी ऐसी जगहों पर जाकर आज भी एक शिक्षा कर्मी स्कूल का स्टेंडर्ड बाकी स्कूल के मापदंडों से काफी अच्छा है। ऐसी जगह से वह दे रहा था और उनके साथ उस बोर्ड को कायम, आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा न्याय किया और दूसरा न्याय इस विधेयक के जरिये 27,000 ऐसे पैराटीचर, 8000-8,500 ऐसे शिक्षा कर्मी और लगभग 800-900 लोक जुम्बिश के जो एक नियमितीकरण के अन्दर आ जायेंगे। जिनके अन्दर एक स्वाभिमान पैदा हो जायेगा कि हम भी नियमित शिक्षक के जरिये एक ऐसी शिक्षा देंगे जिस शिक्षा के तहत इस हिन्दुस्तान की धरती पर कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानन्द कभी इम्पोर्ट नहीं हुए थे। इसी देश की माटी से पैदा हुए थे लेकिन इस देश में उस समय समर्थ गुरु रामदास और रामकृष्ण परमहंस थे, ऐसे शिक्षक हम बनना चाहते हैं और ऐसे शिक्षक बनने के लिये स्वाभिमान उनको लौटाने के लिये यह सरकार जो विधेयक लायी है मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात का निवेदन आपसे करूंगा कि इनकी जो 20 वर्षों की नौकरी या 15 वर्षों की नौकरी, उनकी वरीयता के हिसाब से उनके मानदंड में किसी प्रकार से कमी नहीं आए इस बात को एक नजर में रखें।

**(समय : 19.47 बजे)**

**(श्री बीरू सिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)**

दूसरी बात, किस प्रकार से लोक जुम्बिश के उन पुराने कर्मचारियों के साथ अधिकारियों की कहीं न कहीं कमी, कसर के कारण जो अन्याय हुआ ऐसा अन्याय प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक के शब्द के नाम पर इस टीम में आने वाले 5 से 25,000 लोगों के साथ आज नहीं ,वर्षों के बाद कोई अन्याय नहीं हो ... ऐसी एक सीमा डालो, ऐसी एक लैंग्वेज डालो जिससे यह शिक्षक अपने स्वाभिमान को रखते हुए हमेशा एक अच्छी शिक्षा दे सकें। इसी के साथ आपने जो मुझे समय दिया, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और बीकानेर से आने वाले माननीय

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

सदस्य बार-बार कह रहे थे कि लोक जुम्बिश में इतना पैसा दिया, केन्द्र सरकार ने जो दिया वह राजस्थान सरकार का हक है और मैं फिर कह रहा हूं कि अब की बार अगर यह आप कहेंगे तो हम उस दिन आपको मानेंगे कि जिस दिन +++ उसमें से पैसा लाकर के चुका देना हम मान जायेंगे, नहीं तो यह राजस्थान के हक का पैसा है और राजस्थान के अंदर रहने वाला चाहे वह शिक्षा कर्मी हो, चाहे पैरा टीचर या लोक जुम्बिश का हो ...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): सभापति महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि +++ के बारे में जो अनर्गल वक्तव्य दिया है उसको आप एक्सपंज कराने का कष्ट करें।

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): उसका स्वाभिमान हम लौटाकर के रहेंगे, ताकि वह अच्छी शिक्षा दे सके, इस के साथ में ...(व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): +++ पड़ा है ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): +++ नहीं है ...(व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): +++ (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): हाउस का माहौल देखते हुए इस बिल को तुरंत पास करवायें ...(व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): इसको एक्सपंज किया जाये।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इसको एक्सपंज किया जाये।

**श्री सभापति**: इसको एक्सपंज कर दें।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): सभापति महोदय, हाउस का जो मन है वह बहुत ही गर्म है इसलिए इस बिल को तुरंत ही पास करवा दिया जाये ...(व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर): सभापति महोदय, बहुत अच्छा बिल है और सोने में सुहागा वाला अवसर है। इस बिल को पास किया जाये और मैंने जो जनमत जानने के लिए दिया है, उस प्रस्ताव को मैं वापिस विदड्रा करता हूं, धन्यवाद।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, जालम सिंहजी।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): सभापति महोदय, हमारी सरकार ने और उससे पहले हमारी पार्टी ने सवा चार साल पहले जो वायदे किये थे, उन

(डा. जालम सिंह रावलोत)

वायदों को पूरा करने के लिए सरकार ने लगभग 35-40 हजार के बीच में जो पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी कर्मचारी थे उनको स्थायी करने के हिसाब से जो एक शानदार कदम उठाया है, आज जो बिल प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही अनुकरणीय काम किया है। मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के सम्मानीय सदस्य लगातार इस तरह की बातें करते रहे, जैसे कि हमने तो किसी वायदे को पूरा नहीं किया है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो चुनावी वायदे हमने किये थे उनमें से 95 से 97 प्रतिशत वायदे हमारी सरकार ने पूरे किये हैं, बाकी जो बचे हुए वायदे हैं उन सब को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार शानदार प्रयत्न कर रही है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो शानदार काम किया, इनके जो नाम रखे गये हैं प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक, इसके बारे में भी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य शंका जता रहे थे, शायद विद्वान होते हुए भी उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि बहुत ही शानदार नाम उनके रखे हैं। मैं तो सरकार से इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने अच्छे नाम रखे हैं उसी के अनुरूप इन पैरा टीचर्स को इस विधेयक के पारित होने के बाद में प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में इनको जाना जायेगा, उनका मान-सम्मान सम्मानीय शिक्षक के बराबर रहेगा।

सभापति महोदय, दूसरा विधवाओं के बारे में छानबीन समिति जो प्रदेश स्तर पर बनेगी, उसके बारे में साधुवाद है, कि विधवाएं और परित्यक्ता महिलाएं इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है और हमारी सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री ने मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने की दिशा में महिला सशक्तिकरण के रूप में जो कदम उठाये हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार भी इस छानबीन कमेटी से जो भी रियायतें विधवाओं के लिए, परित्यक्त महिलाओं के लिए उनके इस कैरियर को आगे बढ़ाने के हिसाब से जो कुछ भी बन पड़ेगा ऐसा प्रावधान करेगी।

सभापति महोदय, मैं पुनः इस बिल का हृदय की गहराई से शानदार स्वागत करता हूं और मैंने जनमत जानने के हिसाब से जो संशोधन प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापिस लेता हूं।

**श्री सभापतिः** श्री बद्रीलाल जाट।

**श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन): सर्व जन हिताय और उच्च शिक्षा की जागृत हो रही वसुन्धराजी की भावना, गदगद शिक्षाविद चहुं ओर सफल हो रहा है प्रबोधक बिल।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो एजुकेशन में प्रबोधक के नाम से जो बिल आया है, ग्रामीण जनता की और से और नौजवान भाइयों की ओर से भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज वह पल आया है, आज वह क्षण आया है, आज वह खुशियों का अंबार आया है। दूसरी ओर राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो नौजवान हैं जो यहां से छोड़कर चले गये थे, आज उनमें किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी की पत्नि हो सकती है। आज उनको कितनी खुशी हो रही है, शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है, क्योंकि मैं कुछ देर पहले जब बाहर गया था तो मोबाइल और टेलीफोन पर संदेश और फोन आ रहे थे कि आज जगह-जगह ढोल-नगाड़े, शहनाइयां बज रही हैं कि राजस्थान के शिक्षक का खोया हुआ स्वाभिमान आज राजस्थान की यशस्वी सरकार ने पुनः लौटाया है।

सभापति महोदय, इस प्रबोधक बिल के द्वारा मैं ग्रामीण अंचल का रहने वाला होने के नाते यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे ग्रामीण अंचल में पूर्व की जो सरकार थी, पूर्वोत्तर सरकारें थी उनके काले कृत्य, उनके गोरखधंधे, उनके लिये हमारे नौजवान भाइयों और बहनों की जो भावना है, उनके मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचायी थी उसको मुख्य मंत्री महोदया ने और राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने पुनः लौटाने का जो काम किया है उनको ढेरों बधाइयां और शुभ कामना।

सभापति महोदय, मैं आज इन शुभ क्षणों में यह कहने का प्रयास करूंगा कि जो पूर्व में प्रौढ़ शिक्षा आयी हो, शिक्षा कर्मी आयी हो या उसके बाद लोक जुम्बिश आयी हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान और उसमें चार वर्ग सामान्य पैरा टीचर, पैरा महिला टीचर, पैरा शारीरिक शिक्षक और पैरा उर्दू शिक्षक, मुझे आज जानकर के यह खुशी हो रही है कि जो बारह सौ रुपये में जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने इस राजस्थान का कायाकल्प करने वाले और दूरदराज ढाणी में जो हमारे अनपढ़ भाई और बहन थे, उनका जीवन सुधारने के लिए, उनके नये भविष्य निर्माण के लिए, विद्यालयों के बाहर लिखा होता है कि ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ

(श्री बद्रीलाल जाट)

प्रस्थान, उसका अपमान जो किया है, उस अपमान को आज यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार धोने के लिए, उस सब को समाप्त करने के लिए आज आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने प्रबोधक बिल लाकर के यह साबित किया है कि हमारी कथनी और करनी में कहीं अंतर नहीं आयेगा। रघुकुल रीत सदा चली आयी, प्राण जाये पर वचन ना जाई। यह आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्री महोदया ने साबित करके दिखाया है कि राजस्थान का नौजवान, राजस्थान की वह नौजवान महिला जिनके भविष्य पर सदैव अंधकार की तलवार प्रति दिन, प्रति क्षण लटकी रहती थी उसको आज नियमित करने का जो बिल लाये हैं, यह निश्चित रूप से हट गयी है। जब तक सूरज, चांद रहेगा तब तक यह बिल सदैव याद रहेगा। ऐसी मंगल भावना का विश्वास करते हुए यह कहने का प्रयास करूंगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागूं पाय, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताय।

सभापति महोदय, जो हमारे भारत का निर्माता है, जो भारत का भविष्य है। उसके लिए केवल बारह सौ रुपये में जो हमारा शिक्षक भाई था, उनका अपमान करके, जो यहां सदस्य हैं, उन्होंने जरूर यह बोला होगा, एक लड़का जब पढ़ा रहा था तो वह कह रहा था कि हमारी जो भागीरथी है, जो गंगा माता है उसको हम बंगाल की खाड़ी में नहीं डालेंगे, अरब सागर में डालेंगे। किसी एक व्यक्ति ने यह भी कहा था कि हमें केवल ताला खोलने का और ताला बंद करने का और केवल चूना रगड़ाई का पैसा देते हैं बारह सौ रुपये, इसलिए हम पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। हम तो केवल ताला खोलेंगे और वापस जुड़ देंगे उसका पैसा लेते हैं। आज उस काले अध्याय का नामोनिशान मिटाने का जो काम कर रही है राजस्थान सरकार, यह सदैव वंदनीय होगा, सदैव स्मरणीय होगा और सदैव उसको याद किया जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करने का प्रयास करूंगा कि आज हमारे जो शिक्षा के मंदिर हैं, आज हमारी शिक्षा के जो द्वार हैं, आज वहां शिल्पकार चाहिए, हमें केवल मूर्तिकार नहीं चाहिए। हमारी इस भारत भूमि पर चाहे विवेकानंदजी हो, चाहे परमहंस हों और चाहे हमारे विभिन्न विद्वान रहे हों और इस भारत भूमि को विश्व गुरु कहा है और विश्व शिरोमणि कहा है। उस भारत माता के राजस्थान का जो मान और सम्मान लौटाने का प्रयास कर रही है यह यशस्वी सरकार, निश्चित रूप से आज वंदनीय है।

(श्री बद्रीलाल जाट)

मानणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 37 हजार जो कार्मिक हैं, 5 साल से जो नियमित कार्य कर रहे हैं उनको नियमित करने का जो बिल लाए हैं, निश्चित रूप से सदैव वंदनीय और याद रखने के काबिल होगा। इसी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि

अशिक्षा के अंधकार में शिक्षा का दीप जलाएंगे हम,
तिमिर हटा कर उजाले में आगे बढ़ेंगे हम,
सबल होगा जीवन सबका और समता संवर्द्धन होगा,
वसुन्धराजी का लक्ष्य प्रबल है, शिक्षित होगा राजस्थान।

हमारा राजस्थान शिक्षित बने, अगड़ी श्रेणी में आए और हरित बने, राजस्थान का कोई भी भाई और बहन बाहर अदर स्टेट में जाकर के यह कहे कि हमारा राजस्थान अब भी पिछड़ा है, अब भी विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है, हमारा राजस्थान वह शिरोमणि राज्य बनने वाला है, सुपर पावर राजस्थान, हमारा राजस्थान सक्षम बने, सम्बल बने, सर्वगुण सम्पन्न बने, ऐसा राजस्थान बनाने के लिए आज यह बिल लाए हैं।

निश्चित रूप से आज इस शिक्षा के बिल पर मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि भारत में तीन आई.आई.टी. खुली हैं, उनमें से एक कोटा को मिली है, राजस्थान को मिली है, यह हमारी जो सोच है, हमारी जो काम करने की उच्च शिक्षा की मन में जो भावना है, किसी ने कहा है,

कह दो उन आंधियों और तूफानों को,
हम परों से नहीं हौंसलों से उड़ा करते हैं,

यह भावना सिद्ध होती है कि राजस्थान का कायाकल्प हम करके रहेंगे और राजस्थान को एजूकेशन स्टेट बनाने की हमारी जो भावना है उसमें हम काम करने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे जो समय दिया, निश्चित रूप से आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। इस बिल में मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है जनमत जानने के लिए वह मैं विथड्रा करता हूं और इस बिल पर पूरे ग्रामीण अंचल के किसानों की ओर से, नौजवान भाइयों की ओर से, बहनों की ओर से, भरसक और भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

**श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, यह प्रौढ़ शिक्षा वाली बात कही, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं खुद इस बात का

(श्री रामप्रताप कासनिया)

साक्षी हूं कि अगर प्रौढ़ शिक्षा होती तो मैं यहां किताब लेकर जिस तरह माननीय कल्लाजी खड़े होते हैं, मैं भी हो सकता था, कहां हुई प्रौढ़ शिक्षा?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य श्री तगारामजी चौधरी।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के दिन मुझे इस पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 2008 को सुनकर के बहुत खुशी हुई है कि हमारे इतने ही, हजारों ऐसे जो बच्चे और बच्चियों को, मैं थोड़ा उम्र में हूं इसलिए हमारे सबके भाई-बहन कह दिया, उनको खुशी हुई होगी, उसका अंदाजा नहीं है। इससे पहले बिल पर भी, थोड़ी देर पहले भी उदारमना थे, वह भी इतना पुनीत था, इतना सराहनीय कार्य था, उससे बढ़कर यह बिल जो आया है इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कई बच्चे-बच्चियां कह दूं, भाई बहन कह दूं, उनको तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी भी बारी आएगी, उन सब को जोड़ने वाला बिल आया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी, संसदीय कार्य मंत्रीजी, पंचायती राज मंत्रीजी, पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी और वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी, इन सब को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं पूरे राजस्थान में अपनी सेवा करने के हिसाब से जिनको बहुत कुछ दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा, वह दु:खी थे इसलिए उनकी सुध ली है, उनको सुना और उनके लिए आज इस तरह का विधेयक लाकर जिस प्रकार से उनका जीवन बनाया है और शिक्षा को भी आगे बढ़ाने का इससे बहुत सम्बल मिलेगा, यह सारी चीजें सुनकर बहुत खुशी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व में यह सरकार है वह इन सबको ध्यान में रखते हुए, जो रखा है, बहुत सराहनीय होगा, हो रहा है, हो गया। ...(व्यवधान) आपकी तालियां बज जाती है तो इतना तो मैं सोच ही रहा हूं कि समय का अभाव है इसलिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैंने जो संशोधन प्रस्ताव पंचायती राज विधेयक को जनमत जानने के लिए रखा था उसको मैं वापस लेता हूं, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य मदनजी राठौड़।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनकिीकरण के लिए और छह से चौदह वर्ष के बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा मिले इसके लिए 1985 में एक शिक्षा कर्मी परियोजना के माध्यम से कुछ शिक्षा कर्मी लगाए थे फिर बाद में 1999 में राजीव गांधी

(श्री मदन राठौड़)

प्राथमिक पाठशालाएं जो इन्होंने शुरू की और इसमें कुछ पैरा टीचर्स, अतिरिक्त पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शारीरिक पैरा टीचर्स, इस प्रकार की बाद में नियुक्तियां हुई। यह लगभग 27 हजार होते हैं। ठीक इसी प्रकार 8 हजार शिक्षा कर्मी और 9 हजार के करीब लोक जुम्बिश, इस प्रकार यह संख्या लगभग 35900 के आसपास होती है, इनको नियमित करने के लिए राज्य सरकार जो बिल लाई है, मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि हम भी इनको नियमित करवाना चाहते थे लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जब इनको नियुक्ति देने का प्रयास किया तब इस तरह का एक शपथ पत्र भरवाया था कि आप नियमित होने के लिए किसी प्रकार का आग्रह नहीं करेंगे, कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, यह इस प्रकार का आपने उनसे एफेडेविट लिया था तो आपकी मंशा तो शायद इस प्रकार की नहीं थी। दूसरा मैं एक और...

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): कोई एफेडेविट नहीं लिया था।

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): आप बहुत विद्वान हैं, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, आपकी भी और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य की भी प्रशंसा करूंगा कि जो प्रबोधक का और वरिष्ठ प्रबोधक का एतराज कर रहे थे, अब मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि जो अबोध को प्रबोध करे वह प्रबोधक। यह सामान्य सी बात है और अब प्रबोधक के बारे में आपको एतराज हो रहा है, यह मेरी समझ में तो नहीं आया क्यों एतराज कर रहे थे, कोई शब्द विशेष पर एतराज आपको होता है वह तो कह रहे थे, वामव्रत, दक्षिणव्रत और अर्द्धव्रत, वह करके चले गए, अब अर्द्धव्रत करके निकल ही गए वह।

खैर, अभी मैंने इसको प्रवर समिति को सौंपने का जो आग्रह किया था, मांग की थी, उसका एक कारण था। अभी कुछ ऐसे जूनियर इन्जिनियर्स को भी लिया गया है, वह भी पैरा इन्जिनियर्स के माध्यम से लिए गए हैं। मैं यह भी चाहता था कि उनको भी यदि नियमित कर देते तो बहुत अच्छा होता।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने विधवा और परित्यक्ताओं के चयन के लिए एक कमेटी की बात की। मुझे आश्चर्य यह हो रहा था जब मैंने तीन दिन पहले अख़बार में पढ़ा था कि केन्द्र के एक मंत्री ने कहा कि विधवा और परित्यक्ताओं की जवाबदारी सरकार की नहीं है, उनके

(श्री मदन राठौड़)

पतियों की है, अब पता नहीं किस आधार पर उन्होंने यह कहा, यह तो वह समझे, आज मैंने यह निकाल कर रखा है कि उन्होंने किस आधार पर यह कहा। आश्चर्य होता है लेकिन हमारी सरकार इनकी भी चिंता कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार की भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि मैंने जो प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा था, मैं उस प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं, सरकार को उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने लोगों को इन्होंने नियुक्तियां देने का जो काम किया है, वह बहुत अच्छी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए और 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 1999 में पूरे प्रदेश में शिक्षा गारण्टी योजना के अंतर्गत राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं और इन राजीव गांधी पाठशालाओं में नियमित अध्यापक लगाने के स्थान पर न्यूनतम मजदूरी से भी कम 1200 रुपये के मानदेय पर इन्होंने पैराटीचर्स की नियुक्ति की। चुनाव के समय बेरोजगार नवयुवकों से यह वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे इससे बड़ा विश्वासघात और उनके साथ इतना बड़ा मखौल कोई कर नहीं सकता। होना तो यह चाहिए था कि इनके द्वारा जो पाप किये गये थे उनको धोने के लिए इस बिल के माध्यम से इनको गंगा स्नान कराने का हमने प्रयास किया उसमें डुबकी लगाते और पवित्र होते, परंतु क्योंकि इनकी नीयत शुरू से ही गड़बड़ थी, इनकी नीयत में खोट थी इसलिए यह जो बिल हम लाये उसका किसी न किसी बहाने से किस प्रकार से विरोध किया जाए ..(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): किसी ने विरोध नहीं किया, जबर्दस्ती कर रहे हो। विरोध में तो आप थे। हमने कहा विरोध नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हो विरोध कर रहे हो।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आप बैठिए। मैंने आपकी बात शांतिपूर्वक तरीके से सुनी, आप भी सुनिए। किस प्रकार से इसमें रुकावट पैदा की जाए इस बात का प्रयास सामने बैठने वाले मेरे कांग्रेसी मित्रों ने किया। इन्होंने यह कहा कि हमने इनको नियमित करने का प्रयास किया, हम इनको

(श्री कालीचरण सर्राफ)

नियमित करना चाहते थे, पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी, अब इनका नियमन कैसे करते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि इनकी नीयत शुरू से ही गड़बड़ थी, ये इनको नियमित नहीं करना चाहते थे, रेगुलराइज करने के नाम पर रिक्रूटमेंट में 75 परसेंट का रिजर्वेशन किया। इनको यह पता था कि हम 75 प्रतिशत का रिक्रूटमेंट में अगर रिजर्वेशन करेंगे तो यह एंटी कांस्टीट्युशनल होगा, यह संविधान के खिलाफ होगा, हम इनका नियमन नहीं कर पाएंगे। 75 परसेंट का रिजर्वेशन कर दिया। 49 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन ये कर नहीं सकते, कोर्ट से स्टे आना ही था, कोर्ट से रोक लगनी ही थी, इसलिए ये उनको रेगुलराइज नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, वक्त ने करवट ली। 2003 में विधान सभा के चुनाव हुए। जिस प्रकार और सरकारी कर्मचारी जो इनके विश्वासघात से पीड़ित थे इनकी धोखेबाजी से पीड़ित थे और जैसा उन्होंने विधान सभा के चुनावों में इनका खुलकर विरोध किया उसी के अनुरूप पैराटीचर्स जो इनके लगाये हुए थे न्यूनतम मजदूरी से कम 1200 रुपये पर लगाये थे उन्होंने भी जमकर इनसे बदला लिया और हम इधर आ गये और ये उधर चले गये। हमारी सरकार बनी। आपने कहा कि हमने इनका इंक्रीमेंट किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने 200 रुपये प्रतिवर्ष इनका इंक्रीमेंट किया, दो हजार रुपये तक आपने उनकी तनख्वाह की। हमने आते ही उनका इंक्रीमेंट 400 रुपये प्रतिवर्ष किया और उसका यह परिणाम है कि आज किसी को 4 हजार मिल रहे हैं, किसी को 4200 मिल रहे हैं, किसी को 4500 मिल रहे हैं। इतना ही नहीं किया इनको हमने आरपीएससी में 1 जनवरी, 1999 में जो इनकी उम्र थी उस उम्र को आधार मानकर उनको एज में रिलेक्सेशन दिया और उसी का यह परिणाम है कि 40 हजार पैराटीचर्स में से 13 हजार पैराटीचर्स आरपीएससी के माध्यम से आज रेगुलर हो गये और तृतीय श्रेणी के अध्यापक बन गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं यहां कई लोगों ने यह मांग की 27 हजार पैराटीचर्स आप नियमित कर रहे हैं, शारीरिक पैराटीचर्स लगे हुए हैं उनका क्या होगा, लोक जुम्बिश में जो लगे हुए हैं उनका क्या होगा, शिक्षाकर्मी में जो लगे हुए हैं उनका क्या होगा, उर्दू के जो पैराटीचर्स हैं उनका क्या होगा, संस्कृत में जो पैराटीचर्स हैं, उनका नाम नहीं

(श्री कालीचरण सर्राफ)

लिया, उनका क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो बिल है वह चाहे शारीरिक पैराटीचर्स हों, चाहे लोक जुम्बिश के टीचर हों, चाहे शिक्षाकर्मी टीचर्स हों, चाहे उर्दू के पैराटीचर्स हों और चाहे अन्य प्रकार के पैराटीचर्स हों, जो भी शिक्षक बनने की योग्यता रखेगा उन सब का नियमन निश्चित रूप से इस बिल के माध्यम से किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी ने इनकी समस्या को समझा, 13 हजार पैराटीचर्स तो नियमित हो गये और बाकी जो पैराटीचर्स नियमित नहीं हुए उनके लिए उन्होंने कहा कि एकमुश्त इनको किस प्रकार से नियमित किया जाए इस बात की उन्होंने घोषणा की और यह घोषणा इसलिए की कि आज दूरदराज के गांवों में, ढाणियों में इन्होंने जो शानदार और जानदार काम किया है शिक्षा के प्रति समर्पित होकर आज उनके अनुभव का लाभ उठाया जाना जरूरी है और इसीलिए हम यह पैराटीचर्स को रेगुलराइज करने का बिल यहां पर लाये। हम तो यह चाहते थे और हम यह सोच भी रहे थे उन्होंने जो 5 साल में पाप किया उनको धोने के लिए निश्चित रूप से इस विधेयक का वे समर्थन करेंगे और समर्थन करके इस बिल को सर्वसम्मति से पास करवाएंगे।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): मंत्रीजी, जो हारते हैं वे सब पाप ही करते हैं क्या? 1998 में आप हारे थे तो आपने भी पाप किये थे जो सूपड़ा साफ हो गया था?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): विराजें आप। अब कई माननीय सदस्यों ने कई शंकाएं प्रकट की हैं मैं उनका एक-एक का सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होनी चाहिए। आपने यदि बिल को ध्यान से पढ़ा है तो हमने उसमें जिला स्तर पर ही नियुक्ति की व्यवस्था की है। आपने यह भी कहा .. (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): जिले का एडिशनल सीओ है वह नियुक्ति देगा। मेरा कहने का मतलब था कि यह इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर इनके नहीं होने चाहिए।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): नहीं होंगे, यही मैं कह रहा हूं। दूसरी एक बात और कही कि कई विद्यालयों में पद रिक्त पड़े हैं। 27 हजार तो

(श्री कालीचरण सर्राफ)

ये नियुक्त हो जाएंगे, 12500 की मैंने शिक्षा विभाग की जो डिमाण्ड थी उसमें घोषणा की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट का रिप्लाई दिया उसमें उन्होंने घोषणा की। आप निश्चित रहें सारे पद हम भरेंगे और किसी भी प्रकार की रिक्तियां शिक्षा विभाग में कम से कम नहीं रहेंगी।

हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने पंचायत विभाग के सारे अधिकार छीनकर पंचायत विभाग को छिन्न-भिन्न कर दिया। मैं कल्ला साहब आपको पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नाम से नहीं पुकारें।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहता हूं कि बीकानेर में एलिमेंट्री एजुकेशन का जब आपने डाइरेक्ट्रेट बनाया, निदेशालय की स्थापना की तो उसका प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग के पास रहेगा यह निर्णय आपने किया था या हमने किया था? शिक्षा विभाग का नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण उस पर रहेगा, यह हमने निर्णय नहीं किया, यह आपने निर्णय किया था और आपके किये गये पाप और उनको आप हमारे ऊपर थोपना चाहो, इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं हो सकती। अब उनको प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक के नाम में भी आपत्ति होने लग गई कि इनका यह नाम भगवाकरण के नाम पर कि साहब, इसमें भी साम्प्रदायिकता आ गई। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा और आप भी करेक्ट कर लो कि जो अबोध है उसको प्रबोध करने के लिए जो काम करेगा, वह प्रबोधक कहलाएगा ...(व्यवधान) अब आपने यह भी कहा

**श्री रामनारायण डूडी** (राजस्व मंत्री): पहले अबोध थे अब प्रबोध हो जाएंगे।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): अब आपने यह भी कहा कि आपने उनके डंडे पड़वाए, उनके घुटने टिकवाए, घुटने तो 1200 रुपये में रख कर आपने टिकवाए, हमने तो उनको यह बिल लाकर उनका जो मान सम्मान किया है, आपने जिस तरीके से उनका शोषण किया, उनको अपमानित किया, हमने तो उनको यह नियमित करने का जो बिल लाए हैं उससे उनको सम्मानित किया है, हमने उनके घुटने नहीं टिकवाए हैं, हमने तो गर्व से उनका सर ऊंचा हो, यह व्यवस्था की है। अब यह बार-बार जब भी कोई योजना की बात होती है, कहते हैं कि केन्द्र प्रवर्तित योजना है, केन्द्र प्रवर्तित

(श्री कालीचरण सर्राफ)

योजना है, केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्या पैसा आप कहीं इटली से लाते हो ? हिन्दुस्तान की जनता से टैक्स के रूप में हिन्दुस्तान की सरकार उसको वसूल करती है और राजस्थान कोई हिन्दुस्तान से बाहर नहीं है, राजस्थान की जनता भी टैक्स देती है और जो टैक्स देती है उसमें निश्चित रूप से हमारा भी हिस्सा है और हमारा हिस्सा आप क्योंकि हमको देते हो तो "तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा" फिर आपको इसकी तकलीफ क्यों होनी चाहिए। हर चीज में केंन्द्र प्रवर्तित योजना है, केन्द्र प्रवर्तित योजना है। केन्द्र प्रवर्तित योजना है तो आपके समय में भी थी। आपने सर्वशिक्षा अभियान में खर्चा किया 35 परसेंट, पहले साल और दूसरे साल में खर्चा किया 47 परसेंट, परंतु हमने सर्वशिक्षा अभियान में हर साल सौ प्रतिशत से ज्यादा खर्चा किया, आपके जैसे हमने केवल 35 परसेंट या 47 परसेंट खर्चा नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, कल्ला साहब कह रहे थे ...(व्यवधान) बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, सॉरी।

**श्री सभापति**: मंत्रीजी, आप दुबारा ध्यान रखें, उनकी आपत्ति है सदस्य की।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि यह प्रबोधक और जो वरिष्ठ प्रबोधक आप लगाओगे, इनकी वेतन श्रृंखला क्या रहेगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिलकुल शंका मत करिए, जो तृतीय श्रेणी की वेतन श्रृंखला है वह प्रबोधक की रहेगी और जो सैकण्ड ग्रेड के टीचर्स की वेतन श्रृंखला है, वह वरिष्ठ प्रबोधक की रहेगी और जो नियम बनाये जा रहे हैं उसमें वरिष्ठ प्रबोधक के बाद उनको क्या कैडर दिया जाए, इसकी भी व्यवस्था हम निश्चित रूप से करेंगे। (व्यवधान) आपने यह भी कहा कि लोक जुम्बिश में जो लोग हैं उनका क्या करोगे ? उनमें जो भी अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, जो हमने नियमों में प्रावधान किये हैं, उसमें जो भी पात्र होंगे उनको निश्चित रूप से नियमित किया जाएगा। जोगेश्वरजी गर्ग, हमारे जो जालौर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि जालौर में ऐसे जो कर्मी जो लोक जुम्बिश में कार्यरत थे, उनका क्या होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका भी निश्चित रूप से नियमन इस विधेयक के अन्तर्गत होगा। शिक्षाकर्मियों के बारे में उन्होंने कहा तो शिक्षाकर्मियों के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी शिक्षाकर्मी हैं उनके पास यह विकल्प रहेगा, जो इस योजना में आना चाहें वह इसमें आएं और जो शिक्षा कर्मी बना रहना चाहिए

(श्री कालीचरण सर्राफ)

क्योंकि वरिष्ठ हैं कई उनको कहीं ज्यादा तनख्वाह मिल रही है तो वह उसमें ही रहेंगे। शिक्षाकर्मी बोर्ड भंग नहीं किया जाएगा वह एज इट इज चलता रहेगा।

हमारे जो शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य हैं और जो अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि एस.सी., एस.टी. के बैकलाग का क्या होगा तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, हमने इनके हितों का सदैव संरक्षण किया है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को कि इनके अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा और इससे यदि कोई बैकलाग बनेगा तो वह निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा, उनके हितों की कहीं पर अनदेखी नहीं की जाएगी।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): एक ओ.बी.सी. का भी नाम ले दीजिए, इनसे नफरत क्यों कर रहे हैं, ओ.बी.सी. से ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ये कह रहे हैं कि कल्ला साहब ने पहले ही कह दिया था, हमने जब इनकी भर्ती की थी तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखा था। रखा था न ? तो फिर क्या दिक्कत है ?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): तो, माननीय सभापति महोदय, यह बिल हम क्यों लाए हैं, किसलिए लाए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, यह सब बात मैंने बता दी है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनमत जानने के लिए जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है उसको रिजेक्ट किया जाए और इस बिल को पारित किया जाए। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए ?

(श्री सभापति)

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2

डा. बुलाकीदास कल्ला।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ...(व्यवधान) पर कितनी बार बोले हैं, कम से कम, बताएं तो सही कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य 'परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम' ...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नहीं, मैं बोल दूंगा। ...(व्यवधान) नहीं, नहीं आपने अधूरा बोला है, पूरा पढ़ कर सुनाऊंगा। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): एक यह शंका भी प्रकट की गई कि जो ट्रेंड नहीं है, पैरा टीचर उनका क्या होगा ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रेंड नहीं हैं, उनकी हम सर्विस खतम नहीं करेंगे, वह जब भी ट्रेंड हो जाएंगे, उनको यहां पर शामिल कर लेंगे और उनकी सर्विस को हम खतम नहीं करेंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं विधेयक के खण्ड 2(ii)(6-ख) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'पदों के मामले में, चयन' के पश्चात् अभिव्यक्ति 'सरकार द्वारा गठित भर्ती समिति द्वारा किया जाएगा' प्रतिस्थापित किया जाय।' इसके बारे में अपनी बात रखूंगा, उससे पहले माननीय अभी शिक्षा मंत्रीजी ने अपना प्रत्युत्तर देते हुए बताया, दो-तीन बार पाप-पाप शब्द का इस्तेमाल किया । वेद व्यास ने जब 18 पुराण लिखे तो उनका एक वैश्य मित्र था तो उस वैश्य मित्र ने कहा कि व्यासजी महाराज, यह कौन पढ़ेगा, कम्प्यूटर युग में कोई भी आपके इन पुराणों को पढ़ेगा नहीं, आप कोई छोटा गुटखा या छोटा इसका प्रेसी राइटिंग करके दो तब उन्होंने कहा

"अस्तादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं व्दयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्"

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसका अर्थ यह है कि हमारे 18 पुराणों का सार यह है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा और कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आप बार-बार पाप शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। आज पैरा टीचर की नियुक्ति नहीं होती तो क्या यह नियमित होते ? उनकी नियुक्ति हुई उसके कारण आज वह नियमित हो रहे हैं इसलिए आज आपने पाप शब्द को इस्तेमाल किया है वह आपको ही समर्पित है ।

दूसरी बात, आपने सवा चार साल तक क्या किया ? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम लोगों का भी प्रेशर है, 27 बार लाठियां और गोलियां खाई, उन्होंने संघर्ष किया, उसका परिणाम यह है कि आज यह बिल आया है और आप इसके बारे में बार-बार यह कह रहे हो कि शिक्षाकर्मियों को आपने 800 रुपये में रखा है, वह क्या धर्म था, पुण्य था, वह पाप था, आप खुद निर्णय करें । यह तो सरकारों के वक्त में जो योजना और आप यह पैरा स्टाफ रख रहे हो, चार हजार रुपये में आप आरएएस, आईएएस आफिसरों को और जितने भी अधिकारी हैं और नान गजेटेड हों, लेक्चरार हैं, कोई भी सब को फिक्स वेतन पर रख रहे हो।

दुनिया भर में कहीं भी, भारत भर में कहीं पर भी ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जहां पर फिक्स वेतन पर रखा जाता हो। आप सब जगह पैरा स्टाफ रख रहे हो और हमने पैरा टीचर राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं थी उनको हमने पैरा टीचर्स रख लिया तो क्या गुनाह किया? सब को बताकर किया था कि हम रख रहे हैं और उसके बाद उनको दो हजार रुपये दिये, 200 रुपये का इन्क्रीमेंट दिया। आप कह रहे हो कि 800 रुपये आपके वक्त में मिलते थे वो आज बहुत ज्यादा हैं, इन बातों पर तर्क और वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के इनका हक था जो आज इन्हें मिला है उसकी मुझे खुशी है और किसी भी माननीय सदस्य ने, पक्ष और विपक्ष ने इसका विरोध नहीं किया है। आपने जो बिल में अपनी होशियारी लगाई है उसका निश्चित रूप से पर्दाफाश किया है। आप कह रहे हो कि प्रबोधक को हम अध्यापक के रूप में मानेंगे और वरिष्ठ प्रबोधकों को हम सैकण्ड ग्रेड टीचर मानेंगे। अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक यह अभी नोमिनक्लेचर है तो इस आधार पर आप इनको मानेंगे तो फिर प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक यह शब्द लाने की क्या जरूरत थी? यही तो हमने आपसे कहा है कि आप इसमें होशियारी कर रहे हो कि जो शिक्षा विभाग

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में परिभाषाएं नहीं हैं और नई परिभाषाओं को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसको हटाने में क्या दिक्कत है? यह सदन जो है यह अपने-अपने विचारों पर, अपने-अपने मन्तव्यों पर अपने-अपने विचार रखता है और विचारों को आप पाप की श्रेणी में लेते हो, मैं समझता हूं कि आप यह बोलकर के मुझे जो कष्ट पहुंचाया है इसका पाप तो आपको लगेगा। हमने कोई पाप नहीं किया। हमने तो राजस्थान में एक भूखे व्यक्ति को जो अकाल पीड़ित था और पशु गाय, जिसके नाम पर आप राजनीति करते हो उस गाय की रक्षा की और निश्चित रूप से हमारी नीयत यह थी कि इनको हम नियमित करते लेकिन वह हाई-कोर्ट के आदेश के कारण ये नियमित नहीं हो सके और उसके कारण आप कहते हो कि आपने यह नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने सवा चार साल तक क्या किया? आपको तत्काल जिस समय आपकी गवर्नमेंट आई, आपकी नीयत अच्छी होती तो आप उनको उस समय नियमित कर देते लेकिन आपने जान-बूझकर उनको नियमित नहीं किया।

आपका लोकतंत्र में कितना विश्वास है? आपने स्थापना समिति को बिलकुल पंगु बना दिया। उसके लिए आप नई कमेटी लेकर के आ रहे हैं। आपका एडिशनल सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) ये सारा काम करेंगे फिर लोकतंत्र में चुने हुए लोगों का गला क्यों घोंट रहे हो आप? उनकी हत्या क्यों कर रहे हो? जो चुने हुए प्रतिनिधि स्थापन समिति में होते हैं उनसे काम छीनकर के एक नई कमेटी बना रहे हो ताकि आपके अनुसार काम करती रहे।

उसके बाद जो हमारी विधवा बहनें हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए एक छानबीन समिति बनाई, उसकी क्या जरूरत है? इसीलिए मैं यह अमेंडमेंट लेकर के आया हूं। सभापति महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि आपको अलग कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपने कमेटी बना ही दी है तो कम से कम उस कमेटी के माध्यम से ही उन विधवा और परित्यक्ताओं को भी नियमित करने का काम आप करते। जो लोग अनट्रेंड हैं उनके बारे में तो आपकी बात साफ आ गई कि उनको आप कोई ग्रेड देने वाले नहीं हैं। अनट्रेंड लोगों का क्या होगा? वह भी आज कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनको दो साल का मौका देकर के आप ग्रेड दे दीजिये और दो साल में ट्रेनिंग करवा दीजिये स्पेशल।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): और मैंने क्या कहा है? मैंने यही कहा है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): देखिये, फर्क है। हम लोग विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को पहले नौकरी देते हैं....

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): रूल 86 यह प्रोवाइड करता है कि किसी भी टीचर को 6 महीने के आगे आपने दिया है You have to consider him as an upper Teacher. 286 says it. 6 महीने तक आपने किसी को लगा दिया चाहे उसके पास योग्यता थी या नहीं थी, वह चाहे पैरा टीचर हो या लोक जुम्बिश का हो या आपकी पंचायती राज संस्थाओं में लग गया है तो अगर उसको 6 महीने के बाद भी आपने कन्टीन्यू रखा है तो उसको आपको परमानेंट करना पड़ेगा। आप कोई नये प्रोविजन नहीं लेकर के आ रहे हो।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि स्थापना समिति को यह अधिकार देना चाहिए। अब आपने यह भी कह दिया कि जो अधिकार प्रारम्भिक शिक्षा को हमने दिये थे उस वक्त भी पंचायत समिति के प्रधान को और जिला परिषद के प्रमुखों को, यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जरूर शिक्षा विभाग था लेकिन प्रधानों को और जिला परिषद के प्रमुखों को उनके ट्रांसफर के अधिकार थे। आपने तो सारे अधिकार सैण्ट्रलाइज कर लिये। सारे काम आप कर रहे हो। क्या कोई प्रधान या जिला परिषद का प्रमुख एक थर्ड ग्रेड टीचर का ट्रांसफर भी कर सकता है? सारा केन्द्रीयकरण कर लिया और गांधीजी का जो विकेन्द्रीयकरण का सपना था उसको चकनाचूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया इसलिए....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो अमेंडमेंट में कहीं लिखा ही नहीं इन्होंने कि गांधीजी का सपना चकनाचूर कर दिया। काहे पर बोल रहे हो? कहां है? देखो, बताओ। आपने यह अमेंडमेंट दिया हो तो बताओ। (व्यवधान) सभापति महोदय, इनका अमेंडमेंट है विधेयक के खण्ड 2 में, इसमें न कहीं गांधीजी का नाम है न गांधीजी के सपनों का नाम है। इसमें तो पदों के मामले में चयन समिति का नाम है।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): गांधीजी विराजमान तो हैं। वर्चस्व तो है गांधीजी का। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मंत्रीजी ने जो बातें कहीं हैं उनकी रिप्लाई कर रहा हूं मैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा था कि मैंने शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का काम, वो उनको दे दिया लेकिन मैंने प्रधानों

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

के अधिकार नहीं छीने, जिला परिषदों के प्रमुखों के अधिकार नहीं छीने। आपने उनके अधिकारों को छीनकर के लोकतंत्र का गला घोंटा है इसलिए मैंने यह जो प्रस्ताव दिया है इसको आप स्वीकार करें और आप लोग जितने भी यह स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं इन सब कामों को स्थापना समिति को देकर के यह काम करें तब जाकर के पैरा टीचर्स का भला होगा।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पाप वो होता है जो दूसरे को पीड़ा देता है। तो इन्होंने तो 1200 रुपये में टीचर्स को रखा और उनसे बाण्ड भरवाया। आपने यह जो कहा कि हाई-कोर्ट ने रोक लगा दी तो हाई कोर्ट तो रोक लगाती ही कि आपने उनसे बॉण्ड भरवाया। क्या भरवाया आपने? "हमें यह पता है कि यह राजकीय सेवा नहीं है तथा मैं स्वयंसेवक भावना से कार्य करूंगा।" यह आपने उनसे बाण्ड भरवाये और सुनिये.....

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं उस समय शिक्षा मंत्री था क्या? आप तो यह बताओ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आप बोले तब मैं नहीं बोला। रिक्रूटमेंट में 75 प्रतिशत पता होते हुए कि 49 प्रतिशत का रिजर्वेशन ज्यादा करेंगे तो इट इज अनकांस्टीट्यूशनल, आपने 75 प्रतिशत का रिक्रूटमेंट किया और फिर कहते हैं कि हाईकोर्ट का स्टे आ गया। हाइकोर्ट की रोक आयेगी यह पता था आपको।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): स्वयंसेवक में तो आपको भगवाकरण नहीं हुआ, प्रबोधक में भगवाकरण हो गया।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): यह आपने लिखवाया, यह मैं बता रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 30 हजार लोगों को स्वयंसेवक आपने बताया है यह सोनियाजी से हम कहेंगे अब।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): रिजर्वेशन के बारे में जो आपने बात कही है, यह जातिगत रिजर्वेशन नहीं था, जो नियुक्ति होगी उसमें पैरा टीचर्स को प्राथमिकता देने की बात थी और इसका आप विरोध कर रहे हो तो लगता है कि आप ही इसमें स्टे लेकर के आये हो।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह वर्ड यूज है रिजर्वेशन। 75 पर्सेंट रिजर्वेशन फोर पैरा टीचर्स।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इसका मतलब हमारी भावना क्या थी कि हम पैरा टीचर्स को नियमित कर रहे थे।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसका मतलब आपकी भावना थी कि दें नहीं और कोर्ट से स्टे हो जाए और स्टे करा लिया आपने।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): नो-नो, ऐसा नहीं था। आप लोग गये थे कोर्ट में, आप लोगों ने करवाया।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आपने यह कहा कि जो यह समिति बनाई है उसमें आपने कार्यकारी अधिकारी को क्यों रखा, एडिशनल कार्यकारी अधिकारी को क्यों रखा। वो इसलिए रखा कि जिससे जवाबदारी फिक्स की जाए। जन-प्रतिनिधि का सम्मान है पर जिला प्रमुख यह स्क्रीनिंग करेगा? यह कहीं नहीं होता। इसलिए हमने वो कमेटी बनाई है। उसके पीछे कोई राजनीतिक दुर्भावना नहीं है और आपने जो यह संशोधन पेश किया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अधिनियम, 1994 की उपधारा 6 (क) में वर्ष 2004 में संशोधन किया जाकर विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं को राहत देने के लिए यह प्रावधान किया गया कि इस श्रेणी की महिलाओं की भर्ती ऐसी रीति एवं ऐसी छानबीन समिति द्वारा की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। आज नहीं बनाई हमने, यह 2004 से बनी हुई है। यह स्पष्ट प्रावधान इस आशय से किया गया है कि यह सभी तरह की इवेंचुएलिटी को एड्रेस कर सके एवं बार-बार संशोधन की आवश्यकता नहीं हो अत: प्रबोधकों के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान रखना समुचित होगा इसलिए इन्होंने जो संशोधन दिया है वो स्वीकार्य नहीं है, उसको अस्वीकार किया जाए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, न तो प्रथम वर्ष ट्रेंड हैं, न द्वितीय वर्ष ट्रेंड हैं, 8 वर्ष ट्रेंड हैं, 8 वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक, ये अब कांग्रेस की खाल निकालेंगे गांव-गांव में।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वो सब जानता है कि इनकी नियुक्ति कांग्रेस ने की। आप तो मिलने से कतराते थे तभी तो लाठियां मारीं, 27 बार गोलियां चलीं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह फर्स्ट ईयर, सैकण्ड ईयर, थर्ड ईयर ट्रेंड स्वयंसेवक इतने खतरनाक हैं, यह आठ वर्ष बाद कितने खतरनाक हो जायेंगे?

**श्री जोगाराम पटेल** (संसदीय सचिव): यह स्वयंसेवक क्या थे? यह स्वयंसेवक आपने ही बनाये थे। स्वयंसेवक से क्या मतलब है आपका, यह बता दो कल्ला साहब। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन डाक्टर बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

**(अस्वीकृत)**

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाये?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया जाये?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

## विधेयक का पारण

### राजस्थान पंचायती राज (संशोधन )विधेयक, 2008

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

**श्री सभापति**: श्री महीपालजी मदेरणा।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 में अमेंडमेंट्स 1989 और 1990 में इन्होंने जो प्रस्तुत किये हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अन्दर 2004 के अन्दर आपने जो प्रस्ताव पेश किया, वह काला अध्याय था और जो जैसा, आप सुनते जाइये This is a black step. Kalicharan is black step for the Panchayati Raj Institutions. It is just here what I ….(व्यवधान) कई बैठे हुए हैं, आप सुनिये मेरी बात, इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं, बात सुनिये। पंचायती राज संस्थाओं के साथ मखौल कर रहे हैं, पावरलैस कर रहे हैं। आप किस तरीके से अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। आपकी जो भावना है कि इसको रेगुलराइज करने की, उसकी तो मैं I support this. पर आप जिस तरीके से कर रहे हो, उसका मैं विरोध कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी कल्लाजी ने कहा था, डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, यह अमेंडमेंट आपने 6-ए किया। ऐसा नहीं है, पिछली सरकार में भी 2001 के अन्दर अमेंडमेंट्स इसके अन्दर लाये थे और वह जो अमेंडमेंट्स लाये थे और वह भी 90-91 के सैक्शन के अन्दर में किया और यह किया कि ‘‘provided for the better administration to the Elementary Education Amendment in Section 81-A and 90 Bill to achieve the aims and objectives.” जो कोई भी सरकार आती है, एलीमेंट्री एजुकेशन में सुधार के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए लाती है और उस सरकार का दायित्व बनता है कि वह समय-समय पर यह अमेंडमेंट लाये बल्कि उस अमेंडमेंट से भी कोई फायदा नहीं हुआ और जो 2001 में 6-ए लाये आप, उस 6-ए में यह कहा कि हमको बहुत सारी सर्वशिक्षा अभियान के अन्दर, एलीमेंट्री एजुकेशन के अन्दर नियुक्ति करनी है और नियुक्ति के बारे में ऐसा है कि यह जिला स्तर पर नहीं हो सकती। आपने 90 के सैक्शन से उस स्टेट्यूटरी बाडी को चेंज नहीं किया है। आज भी आपके पिछले चार साल में आपके द्वारा नियुक्तियां हुई हैं, वह सारी की सारी इल्लीगल हैं।

मैं अभी बताऊंगा Let Kali Charan Singhji give the reply today. How many people you are going to support him? (interruptions) No. I am not in a position to tease you. I am not here. I stand for the Panchayati Raj Institutions. मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने 89 के अन्दर प्रपोजल किया। आपने सैक्शन-2 का "एंड" हटाया और नया सैक्शन "एंड" जोड़कर किया है। आपने 6-बी जोड़ा, पहले 6-ए जोड़ा। किस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों का हनन किया है। मैं सिर्फ उसी को पाइंट आउट कर रहा हूं। मैं आपकी मूल भावना को समझ गया कि होना चाहिए, बहुत सारा समय हो गया, आपने भी आश्वासन

(श्री महीपाल मदेरणा)

दे दिये इनको, धरने भी दिये, उसके लिए कर रहे हैं, वह तो आपकी भावना बिलकुल सही है, अच्छा है बल्कि मैं यह भी बताऊंगा कि आप 286 में कर सकते थे There was no need of bringing these amendments. I will quote these Sections. आपने कहा कि Appointments on the specified clause (5) sub-section shall be made by the Addl. Chief Executive Officer-cum-District Education Officer. The powers and authorities are vested with the Zila Prishad. Zila Parishad is an Appointing Authority. जिला परिषद को देखना पड़ेगा कि उसके साथ जो उसकी वहां पर सीट्स हैं, उनको फिल-अप करने का पावर किसको है? वह है जिला परिषद को और जिला परिषद ने यह पावर डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी को दे दिया है और डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी एक स्टेट्यूटरी बाडी है और इस स्टेट्यूटरी बाडी को कमजोर करने के लिए यह सारा अधिकार 6-बी आपने लिया है। आप देखिये कि सारे के सारे आदेश एडिशनल सी.ई.ओ., डी.ई.ओ. वह जिला परिषद में बैठता तक नहीं है और पंचायती राज में कर रहे हो। हटा दो ना उसको, आप इन सबको एजुकेशन में ले जाओ। प्राइमरी टीचर्स, अपर प्राइमरी टीचर्स को आप एजुकेशन में ले जाओ। जब आपकी स्टेट्यूटरी बाडी है, उसको तो आप अधिकार देते नहीं और एक नौकरशाह को इतने सारे अधिकार देकर क्योंकि आप सब आदेश करोगे, करो आदेश, कराओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ‘‘For the district there shall be a District Establishment Committee consisting of the following members; the scope of this District Establishment Committee as government has no statutory powers over the DEC, the appointments made in for such selections can not be terminated by the Government or anybody….” मतलब आप वह स्टेट्यूटरी बाडी को कुछ नहीं देना चाहते और आप सारे के सारे अधिकार अपने पास सम्पन्न करके एडिशनल डी.ई.ओ. से काम कराना चाहते हैं। यह लोकतंत्र के अन्दर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत है। आपने यह लिखा, दूसरा इसमें आपने कहा ‘‘All process of appointments and selections shall be done by the DEC” Any order which will be passed…. पिछले चार साल में जितने भी आर्डर पास हुए हैं, वह इन्हीं डी.सी. के माध्यम से नहीं कराये ‘‘Every composition of DEC would show that the highest functionary in the district have been given birth by this Section 90.” I will again repeat. “Every composition of DEC would show that the highest functionary in the district have been given birth in it.” The 88 Act charges the DEC with a very vital and important functions. जो आप कर्टेल कर रहे हैं, आप इसमें अमेंडमेंट नहीं लाये ‘‘A high standard of impartialities respected by the DEC. It is an amendment body neither controlled by the Panchayat Sa-

(श्री महीपाल मदेरणा)

miti nor controlled by the Zila Parishad, it is a creature in Section 88 of the Act and is obviously statutory committee. The provisions of law has been pointed out under which the State Government may set aside the selection by the DEC……"

No, the State Government has only supervisory powers. They have no powers. ..(interruptions) … You can give reply. उसने कहा, I am afraid that this contention has no legs to stand on and there is no provision under the Act as to whatever is being done by DEC, the State Government has no control and supervision. It is not necessary for the DAC to obey your guidelines and directions but to accommodate, there should not be any difficulties so far as appointments and selections are concerned. It should have a very liberal view and you cannot make any interference. आपने इसमें सारे के सारे रूल्स में यह कर दिया, डी.सी. को आपने पंगु बना दिया। जिस कमेटी को आपको मजबूत करना चाहिए था, पंचायती राज का जब यह अमेंडमेंट हुआ था, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट और यह new era which dawned in 1993 of Panchayati Raj, it was a historical event और इस हिस्टोरिकल इवेंट के लिए जिस किसी की भी, लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के प्रयासों को भी याद रखा जाना चाहिए और उसमें कहा था कि the function of self governance आप नहीं सिखाना चाहते हैं गांव वालों को, आप नहीं करना चाहते हैं उनको मजबूत, यह किस तरीके से सलेक्शंस पहले होते रहे हैं, इन संस्थाओं को जो अधिकार सम्पन्न है उनको डी.सी. को जो अधिकार है, वह पिछले दरवाजे से आप इस एक्ट के माध्यम से ले रहे हैं। यह जब तक नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभासी रहेगा, या तो डी.सी. को डिलीट कर दो, उसको खतम करो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, थर्ड रीडिंग में तो बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है।

## व्यवस्था का प्रश्न

## विधेयक की थर्ड रीडिंग पर चर्चा का स्कोप बहुत सीमित होता है

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट, आप मुझे माफ करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, वह मुझे आज खुशी है इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है, मूल काम इस सदन का विधान बनाने का है और विधान बनाने के काम में जो हमारे माननीय सदस्य भोपालगढ़ से आने वाले

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं, वह जिस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बी.डी. कल्ला साहब ने कहा वह भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप इस पर चाहे व्यवस्था कल दे दें लेकिन मेरी एक बात को सुन लें। इस सदन में बहुत बार यह परम्पराएं और मान्यताएं स्थापित हुई हैं कि तीन स्टेज बिल की होती हैं, फर्स्ट स्टेज बिल की है जिसमें पुरःस्थापित करते हैं, इसको पेश करते हैं। उस स्टेज के ऊपर हम बिल को प्रस्तुत करते हैं, सदन की परम्परा है उसमें कोई आब्जेक्शन नहीं करता है और बिल पेश होता है। उसके बाद इस बिल की सेकण्ड स्टेज आती है। सेकण्ड स्टेज में जनमत के लिए परिचालित करते हैं, प्रवर समिति के लिए परिचालित करते हैं और उसके बाद में हम खण्डों में संशोधन देते हैं। जैसे कल्ला साहब ने तीन संशोधन दिये थे उन पर इसमें बहस हो गई। खण्डों में संशोधन पर जब विचार हो जाता है और द्वितीय वाचन पूरा होता है तब थर्ड स्टेज आती है पारित की। उसमें क्लाज वाइज डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह स्कोप इज लिमिटेड। वैरी लिमिटेड स्कोप है क्योंकि वह खण्ड इस सदन के द्वारा पारित किये जा चुके हैं मतदान के बाद। हर खण्ड पर मतदान होकर, प्रस्तावना पर, अनुसूची पर मतदान होकर वह पारित किये जा चुके होते हैं इसलिए थर्ड स्टेज पर जो बोलने का होता है, वह सब को अधिकार होता है, लेकिन थर्ड स्टेज का स्कोप बहुत लिमिटेड है इसलिए भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा होता कि या तो क्लाजवाइज डिस्कशन में डिलीट करने के लिए देते या उसमें संशोधन देते। अब वह बोल रहे हैं, बोलिये, मैं उनके बोलने पर एतराज नहीं कर रहा हूं लेकिन भविष्य में यह जो हमारी परम्परा है, इस परम्परा के हिसाब से व्यवस्था आये ताकि विधान सभा में यह सब सदस्यों को पता रहे, यह जानकारी के लिए मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इसलिए आप पुरानी परम्पराएं देख कर, आज नहीं, कल, कभी भी आप इस पर व्यवस्था अपनी दे दें, यह मेरा निवेदन है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्रीजी ने एक बात यहां व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आपको कही। मेरा भी निवेदन आपसे यह है, I agree with you कि इसकी जो तीन सीटिंग्स या तीन इसके तरीके हैं, उसमें पहले में तो यह है कि आदमी अपना प्रस्ताव देता है कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाय या प्रवर समिति

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को सौंपा जाय, या उस पर जो देते हैं वह अपना बोलते हैं। एक खण्डश: अमेंडमेंट भी देते हैं। यह जो तीसरी रीडिंग पर वह लोग जो किसी कारणवश न तो अमेंडमेंट दे सके और न प्रस्ताव दे सके उसको सौंपने के लिए, उसको थर्ड रीडिंग पर अपनी बात कहने का हक रहा है, यह आज तक परम्परा रही है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हक है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): है कि नहीं। अब माननीय सदस्य भोपालगढ़ से आने वालों ने, इन्होंने न तो इसके अंदर परिचालित करने के लिए, जनमत जानने के लिए और न इसको प्रवर समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव दिया, न इन्होंने संशोधन दिया, किसी कारणवश नहीं दे पाये, किसी दूसरे कामे में बिजी थे, कुछ भी था, इसलिए थर्ड रीडिंग पर यह अपनी बात कह सकते हैं, यह आज तक की परम्परा रही है, इसलिए इनको आप रोक नहीं सकते।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं रोक नहीं रहा हूं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): और आप उनके स्कोप को भी लिमिटेड नहीं कर सकते।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं रोक भी नहीं रहा हूं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): थर्ड रीडिंग पर ही आज तक यह परम्परा रही है कि थर्ड रीडिंग पर अपना मंतव्य इस सदन में जाहिर करते रहे हैं...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बोल सकते हैं, मैं इनको...

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): कि वह इस विधेयक के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए वह राय दे रहे हैं। आपने अपनी बात कह दी, हमने अपनी बात कह दी, आसन व्यवस्था दे देगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बोल सकते हैं लेकिन बोलना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बोल सकते हैं लेकिन जो पास हो चुका है...

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): नहीं-नहीं, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उसको वापिस साइकिल ले जाकर जो सदस्य...

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): यह एक भी बात किसी ने बहस में नहीं कही है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट। एक माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह बोलें, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो चीज इस सदन के द्वारा पास हो चुकी है उस पर अब बोलने का क्या असर, क्या उसको वापिस घुमायेंगे।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): हां, एग्री। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने आज भी बात कही और कल भी...

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसलिए इसका बिलकुल लिमिटेड होता है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): जब बीकानेर से आने वाले सदस्य बोल रहे थे, जब भी यह कहा कि इसमें थर्ड रीडिंग के ऊपर स्कोप बहुत शार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं। वह अपनी पूरी बात विधेयक के बारे में कह सकते हैं और आज तक कही जाती रही है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): माननीय सांगानेर से आने वाले सदस्य और माननीय खाद्य मंत्रीजी ने जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया है उसमें सबसे पहले तो मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट स्टेज होती है जब विधेयक को विचारार्थ लिया जाय और उस समय जो प्रस्ताव जनमत जानने के लिए परिचालित किया जायेगा...

**श्री सभापति**: चलो, विषय सब के समझ में आ गया है। माननीय सदस्य, एक ही मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने यह नहीं कहा। फर्स्ट स्टेज जब अपन पुर:स्थापित करते हैं तब होती है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आपने अभी यह कहा है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह नहीं है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं आपको यही तो करेक्ट कर रहा हूं। आपने कहा था फर्स्ट स्टेज, विचारार्थ लिया जाय, आप देखो उसमें, इन्होंने कहा है अभी। इन्होंने पुर:स्थापित का नाम ही नहीं लिया। (व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं-नहीं, पुर:स्थापित का नाम लिया है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): पुर:स्थापित के लिए तो सबसे पहले जब सदन में आता है तो पुर:स्थापित होता है और यह आपने पुर:स्थापन का नाम नहीं लिया। आपने विचारार्थ का नाम लिया है इसलिए मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको और उसके बाद जब विचारार्थ लिया जाता है तब जनमत जानने के प्रस्ताव और सलेक्ट कमेटी को देने के...

**श्री सभापति**: चलो, विषय समझ में आ गया है माननीय सदस्य।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): एक मिनट। उसके बाद खण्डश: विचार होता है।

**श्री सभापति**: यह बात आ गई न, सब को पता है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): और उसके बाद पारित करने का प्रस्ताव होता है। उस समय थर्ड रीडिंग के वक्त में कोई भी माननीय सदस्य इसको एब इनीशियो पूरे के पूरे इस बिल को वापिस लेने के लिए बोल सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत इस सदन में विपक्ष के नेता थे उस वक्त यहां पर जो बिल आये थे उसमें एक-एक घंटे तक, हमने कहा आप बिल के अलावा बोल रहे हैं, आप जनमत जानने के लिए कोई प्रस्ताव देते, आप कोई संशोधन देते, तो उन्होंने कहा मैं इस पूरे ही बिल को निरस्त करने का प्रस्ताव करता हूं और पूरे बिल पर बोले।

**श्री सभापति**: चलो, अब माननीय सदस्य को बोलने दें।

# विधेयक का पारण

## राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इसलिए आप इसको, आप खुद बोले हो माननीय सदस्य, जब आप और परम्पराओं का उदाहरण देते हो और जब हम विपक्ष में हैं तब आप ऐसी बात करते हो ताकि कोई बोल भी नहीं सके। इसलिए ऐसी बातें नहीं रखें, यह पूरा, माननीय भोपालगढ़ से आने वाले सदस्य इस बिल को पूरे का पूरा विश्लेषण कर सकते हैं।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): भैरोंसिंहजी जब बोलते थे तो पूरा विपक्ष बैठा रहता था।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): जवाहर लाल नेहरूजी ने जब पंचायती राज की स्थापना की और राजीव गांधीजी ने तेहत्तरवां, चौहत्तरवां संशोधन जब लाये...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): पांच जने यहां बैठे हो और ज्ञान की बात बघार रहे हो...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: चलो, सब के सब आ गये हैं, अब माननीय सदस्य को बोलने दें।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): दस-पन्द्रह ही सदस्य बैठे हैं आपके भी।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): प्रतिपक्ष के नेता की कोई बात माने नहीं, पांच जने बैठे हो। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): अशोक गहलोतजी तो पांच साल बैठे यहां पर। अभी पांच दिन नहीं बैठती यहां पर। लाओ न, बैठाओ फिर। बैठाओ न यहां।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): देखी थी कभी अशोक गहलोत की शक्ल। अशोक महान, अशोक महान कहते-कहते चले गये।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): देखिये, ऐसा है गहलोत साहब को हमने कहा था। आप इस सरकार के सामने कुछ जनमत के...

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): एक दिन हमने उनकी आवाज, इस सवा चार साल में एक बार तो उधर से बोलते नहीं सुना और हम भी वहां पर बैठते थे, आप भी उधर ही बैठते थे...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मेरी बात तो सुनें। संसदीय सचिव महोदय, मेरी बात भी सुनें। अब आपने अपनी बात कह दी तो हमारी तो सुनें।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): अशोक महान, अशोक महान करते-करते लेकर बैठ गये, अभी भी आप अशोकजी को ही नेता मान रहे हैं, कभी अशोकजी सदन में बोले हैं क्या चार साल में एक भी बार।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मेरी बात तो सुनें। एक नहीं है तो हम चौवन आदमी हैं इस गूंगी-बहरी...(व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ऐसा है, चार साल में एक भी दिन बोले हैं क्या अशोक गहलोतजी। तो शाम के समय जब जवाब होता था तो हमारे तीस में से बीस से कम कभी-कभी भी नहीं बैठे।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): एक मिनट सुन तो लें।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): और आपके जवाब देते समय पांच सदस्य से ज्यादा यहां रहते नहीं हैं और जो बोलना चाहते हैं वह अपनी बात को यहां कह कर फिर पार हो जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय सभापति महोदय, जब बात इन्होंने उठाई है तो उसका जवाब तो देंगे।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): अभी भी नेता इनके अशोक गहलोत ही हैं, वह चार साल में एक भी दिन असेम्बली में बोले नहीं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): आप यह बताइये वह आकर के इस बहरी-गूंगी सरकार के सामने क्या बोलें, इन चिकने घड़ों पर कुछ असर ही नहीं हो रहा, भैंस के सामने बीन बजाने से फायदा क्या है, इसलिए नहीं आते हैं।

आप जन सुनवाई करने लग जाओ, कल आकर के कहने लग जाएंगे।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): बीन बजाने की बात नहीं, तुम्हारे पास कहने के लिए है ही नहीं कुछ, एक बार जो कहने लगे वही कहते रहे ...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): तुम्हारे कानों में छीटा भर रहा है, तुमको जनता की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है ...(व्यवधान).... क्या सुनाई देगी?

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य बैठिए।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): चुनाव में जाएंगे तब पता लगेगा?

**श्री सभापति**: चलो सब को पता लग जाएगा, जो होगा देखी जाएगी। माननीय सदस्य बोलिए

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): ...(व्यवधान) इशारा करो आप।

**श्री सभापति**: चुनाव का अभी से पेपर आउट बंद करो।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, समय के साथ-साथ यह महसूस किया गया है कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए। अगर घनश्याम तिवाड़ीजी को फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड की अगर तकलीफ हुई है, 2004 को आप थे, तब भी मेरा अमेण्डमेंट नहीं था और आपने मुझे बोलने के लिए रोका नहीं, आज दूसरी बार आप मुझे रोक रहे हो? मुझे समझ में

(श्री महीपाल मदेरणा)

नहीं आ रहा है, मैंने पाइंट आफ आर्डर उठाया था, उस समय भी आप कह रहे थे ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य आप नाराज नहीं हो मैंने सुझाव दिया है। आप मानें तो आपकी मर्जी की बात है।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): समय के साथ-साथ यह सोचा गया कि इन संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण हो, इनको मजबूत किया जाए और यह नोटिस में आया कि कई राज्यों में इनके पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करा रही हैं और राजीव गांधी ने गम्भीरता से सोचा और इनके सशक्तिकरण ग्रामीण जनता को मजबूत करने के लिए एक नैसेसरी चेंज किया और कास्टिट्यूशन में संशोधन लेकर के आये। वह संविधान संशोधन पास नहीं हो सका और लेट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हां राव एक अमेण्डमेंट लेकर के आये और उसी के तहत 24.4.1994 को राजस्थान पंचायती एक्ट 13 आप लेकर के आए और उसके साथ-साथ समय-समय पर इसमें कई अमेण्डमेंट्स किये। समय पर...

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): एक तो आपने पगड़ी उतार ली और ऊपर से आप सब को दिखाओ यह तो कुमावत समाज ने इस बात की पगड़ी पहनाई थी कि अगर 15 टिकट नहीं मिले तो यह विरोध करेंगे सरकार का।

**श्री सभापति**: नगर से आने वाले माननीय सदस्य आप आसन की अनुमति के बिना बार-बार खड़े होते हैं और आप जो आसन का सम्मान कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): पगड़ी विधान सभा में चेंज होती है क्या? सभापति महोदय, उनकी पगड़ी उतार करके खुद ने पहन ली और सब को दिखा रहे हैं कि कैसा लग रहा हूं? इससे डिस्टर्बेंस नहीं होता?

**श्री सभापति**: आप फिर दुबारा बोले, फिर आपको धन्यवाद आसन की तरफ से।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, और समय-समय पर इस पंचायती राज एक्ट...

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): इन्होंने तो परमिशन ली है मंत्रीजी ने तो आपसे?

**श्री सभापति**: मंत्रीजी दुबारा परमिशन से बोले।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): समय-समय पर बहुत सारे अमेण्डमेंट्स संशोधन आपने किए और सूटेबली अमेण्डमेंट्स और नियम बनाये। जिससे कुछ इसको ज्यादा इफेक्टिव किया जा सके। बल्कि आज का जो संशोधन इन्होंने पेश किया है पंचायती राज इंस्टिट्यूशन अन-इफेक्टिव होगी, कमजोर करने के लिए इन पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, हड़पने के लिए संशोधन किया गया है। इन संस्थाओं को आशा, अपेक्षा, इंतजार था कि हमको अधिकार सम्पन्न करेंगे, सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ करेंगे बल्कि मुझे नहीं लगता है कि इस संशोधन से आपका कुछ, कुछ करने की जो मूल भावना है उसमें तो मैं जाता नहीं हूं बल्कि जब किसी के अधिकार छीने जाते हैं और जिस कमेटी को स्टेटुटरी बॉडी के अधिकार को आप नहीं देते हैं, आपकी मूल भावना कैसी भी रही होगी बल्कि इस संशोधन को लेकर मेरे मन में एक बात है कि आप वहां पर इन संस्थाओं को बिल्कुल ध्वस्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं और आपने जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स और रीजन दिये कि राज्य को प्रभावकारी योगदान और संरक्षण देना चाहिए। इन संस्थाओं को सबल और मजबूत करने के प्रयास होने चाहिए थे। इनको जो शक्ति सम्पन्न जो कास्टिट्यूशन में 1994 के एक्ट में किया है, आपने इनको छीनने का अधिकार लिया है और जनता जनार्दन में मास्क के अंदर जो इनको करने के लिए एक बेस्ट सर्विस करनी चाहिए थी आपको बल्कि यह बेस्ट सर्विस नहीं, ineffective, unsuitable, not in favour of Panchayati Raj Institutions. It is another way of taking away powers from them which has been devolved upon them by the Constitution. यह सही है कि कुछ गलती हो सकती है। आपके स्तर पर भी बल्कि आप तो अनुभवी मंत्री हैं दोनों ही, आप दोनों से ही इतनी बड़ी संशोधन गलती कैसे हो गई कि एलीमेंट्री एजुकेशन आपने ले ली, एलीमेंट्री एजुकेशन, कोई जो ले, उसके लिए कई तर्क हैं आपके पास, आप तो इतने ब्रह्माण्ड हैं, पंडित हैं, सांगानेर में और रहते हैं, जयपुर में सारे के सारे नॉलेज सेंटर में आप रहते हैं और वह कौनसा है शिक्षा संकुल उसके अंदर आप और भी ज्यादा शिक्षित हुए हैं तो मेरा अभिप्राय आपसे यह नहीं है बल्कि जैसा इस एक्ट का प्रोविजन है और एक्ट के अंदरजो बॉडीज हैं उनको बहुत मजबूत करना चाहिए था। जिससे यह ऐसा नहीं लगे कि आप राजस्थान की जितनी भी पंचायती राज संस्था है, ग्राम सभा से लेकर, पंचायत से लेकर, ग्राम पंचायत से लेकर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति को लेकर जिला परिषद के स्तर पर यही माना जाएगा कि आपके यह संशोधन इन संस्थाओं को कमजोर करने के लिए इनको सिर्फ पावर लैस करने के लिए, इनको पंगु बनाने के लिए

(श्री महीपाल मदेरणा)

और अगर आप खुले विचार से कोई राय लेते, हमने पहले कह दिया कि अगर आप बैकलाग को या आपके जो जितने भी हैं पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश के हैं, जिनको नहीं दे सकते, मैं आपको कह रहा हूं आपको इतना बड़ा संशोधन लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। 286 के जो रिक्रूटमेंट्स के सिक्स वंस पावर्स हैं उसके अंदर आप अमेण्डमेंट कर लेते क्योंकि पिछली सरकारें जितनी भी थीं, शिवचरणजी माथुर के समय में भी ऐसा हुआ और 1988-89 के अंदर भी अनट्रेंड टीचर्स को लिया गया और 1986 के अंदर रिलेक्सेशन करके वह पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, एक छोटा सा संशोधन करना पड़ता आपको और सारी की सारी न ऐसा लगता, प्रतीत होता कि आप किसी तरह संशोधन के माध्यम से इन संस्थाओं को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। मैं यही बात इसका आप अभी it is just impression, अभी कह रहे थे बाथरूम जाए तो क्या पता लगता है? It is stripping. आप उनको स्ट्रिप कर रहे हैं. You are making them naked. And whatever you can do, you have done that. It is not fair in democracy. This is self-governance. और उसको मजबूत करने का थर्ड स्पेक्ट्रम आफ गवर्नेंस है, the Constitution has said that this is third spectrum of governance. अगर आप लोकतंत्र के तीसरे स्तम्भ को मजबूत नहीं करेंगे तो जनता की भावना, जो भी आपकी मंशा रही है उसके विपरीत जाएगी । आप समझते हैं कि 27 हजार को लगाकर हम जगह-जगह पैरवी खड़े कर लिए हैं, अपोइंटमेंट तो दिया है इन्होंने इनके तो रहे नहीं और अपेक्षा करते हो वह आपके रहेंगे, अपेक्षा करते हो आप? निश्चित नहीं रहेंगे आपके साथ क्योंकि जिस आदमी को जिस समय मिलनी चाहिए थी, एक साल होता है, डेढ़ साल होता है. After 8 years, the regularization. जो इन्होंने अमेण्डमेंट निकाला था 70 प्रतिशत रिज़र्वेशन का that has been struck down by the Rajasthan High Court कि नहीं इन्होंने कहा उनकी भी गलती हो गई थी कि राय देने वाला आपके सारे नौकरशाह हैं, शिवचरणजी माथुर को किसी ने यह राय दे दी कि 86 में संशोधन कर दो, सैकिण्ड टाइम 88 में फिर शिवचरण जी ने 86 में संशोधन कर दिया और जो भी अनट्रेंड टीचर लिए थे, वह परमानेंट हो गए और उन परमानेंट होने वाले जो नहीं थे, उनको कहा कि तीन साल का स्टेट गवर्नमेंट इनको अपनी जो यह आपके डाइट्स हैं इसके अंदर राज्य के ख़र्चे पर कराएगी, यह कह रहे हैं कि साहब स्क्रिनिंग कमेटी का, it's a good provision क्योंकि आपको अपने स्तर पर करना है स्क्रिनिंग कमेटी बनानी है, नौकरशाहों को बिठाना है बल्कि उसके

(श्री महीपाल मदेरणा)

अंदर रोस्टर्म चलता है और रोस्टर्म के अंदर लैडीज विडो डायवर्सी का रिज़र्वेशन है, एस.सी., एस.टी. का रिज़र्वेशन भी सर्विस जो है उसका है, ओबीसी का 21 प्रतिशत है, फिजिकली हैण्डीकैप का है. You could make provision in the rules only but it will appear to the rural masses that जो भी आप कर रहे हैं, उनको अधिकार सम्पन्न नहीं करने के लिए पिछले दरवाजे से यह संशोधन करने की यह भावना तो जाएगी, आप अभी जोश में कह रहे हैं कि इससे हमारा 27 हजार का जो तुम कर नहीं सके, हम से गलती हो गई, आप अच्छा कर रहे हो, आपकी मूल भावना अच्छी है क्योंकि आपको गांव के बीच में जाना पड़ेगा और जाकर के यह कहोगे कि हमने तुमको किया है और वो देखना मुंह फेर कर खड़ा हो जाएगा। न हमारे साथ रहा है न आपके साथ रहेगा। क्योंकि समय पर एक डॉक्टर, मैं बीमार हूं और बीमार हूं तो मुझे अभी मेडिसिन चाहिए। पांच साल आठ साल दोनों तरफ से तड़पा-तड़पा कर उसको मेडिसिन दोगे तो दोनों मेडिसिन का असर नहीं होगा, मेडिसिन का उलटा असर होगा एक कुनैन का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि...

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): धन्यवाद।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): आपको तो धन्यवाद मिल जाएगा। इनको कहो थोड़ा नहीं तो मैं और कहूंगा। (व्यवधान) देखिये और अमेंडमेंट गलत हो गये आपके। मैं एक लाइन बता देता हूं for your knowledge. आपने कह रखा है राजस्थान पंचायत समिति, जिला परिषद समिति, that is in the Act और 91 के इसके नीचे, आपने 89 में तो कर दी बल्कि दूसरे किसी सैक्शंस में पंचायती राज के रूल्स में आपने नहीं की है तो ये सर्विसेज जो आपने की है प्रबोधक और सीनियर प्रबोधक सर्विस कृपा करके आपके पास अभी है कि आप ये जो रूल्स बनाने जाओगे तो उसमें राजस्थान पंचायत समिति, जिला परिषद सर्विस कंफ्यूजन नहीं रहे वर्ड जैसे और लगा रहे हो और नीचे इस सर्विस का रूल्स में भी अमेंडमेंट करवाना। अगर वो नहीं करवाओगे तो प्रिंसीपल एक्ट तो कुछ कहता है, दूसरे वाले जितने भी एक्ट हैं उसके अन्दर राजस्थान पंचायती राज जिला परिषद सर्विसेज ही बोली जाएगी। इसलिए इसको देख लेना यह विरोधाभास नहीं रहे। Our hopes shall never die. You don't give us powers but we are so hopeful that you will all die.

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा इसके स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स और रीजन्स में "To provide facility of Primary Education in remote villages and Dhanies of the State …" What do you mean by 'primary education'? Primarily to educate them or primarily to literate them? You are adopting a procedure of recruiting people so that remote villages or dhanies of …

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह भी वो ही पढ़ रहे हैं एक्ट का मेरे को इन्होंने टोका है अपने सदस्य को नहीं टोका। इन्होंने कहा कि एक्ट का थर्ड रीडिंग में नहीं पढ़ सकते ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति**: वो आपसे मोटीवेट हो गये।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): मेरे से हुए तो ठीक है मैं भी उनसे होता हूं।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): I am not going to read a clause. I am just reading the objectives. और ओब्जेक्टिव्स के लिए ...(व्यवधान)

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): Objectives are part of the Act. Objectives are part of this Amendment Bill.

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): जी-जी, बिलकुल।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): What I mean to say is, I am not trying to stop you. He has already raised a point of order against me. Therefore I am making this submission. मैंने कहा कि आपका सदस्य बोले तब कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है मैं बोलूं तब तो सारे पाइंट आफ आर्डर घनश्यामजी को याद आते हैं।

**श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ): मेरा निवेदन यह है सभापति महोदय, कि प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन को रिमोटेस्ट ग्रास रूट तक पहुंचाने की यह कवायद है, यह वंदनीय है हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के पैरामीटर्स की डेफीनेशन क्या है। पांचवीं क्लास तक के बच्चों को किताब के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाना। क्या एजुकेशन को किताबी शिक्षा तक हम लिमिट करना चाह रहे हैं हम ग्रामीण बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक सम्पदा उसको ग्रहण करवाना चाहते हैं और प्राइमरी पैरामीटर्स के अन्दर फिजीकल एजुकेशन के पैरामीटर्स को हम इनकोरपोरेट करेंगे या नहीं करेंगे । आज की तारीख में एजुकेशन के फील्ड्स के पैरामीटर्स और डेफीनेशंस को दुबारा डिफाइन करना पड़ेगा । आज पिछले पचास साल से एक रिटन कांस्टिट्यूशन है गवर्नमेंट आफ इंडिया का। अब

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पचास साल से आदमी से उम्मीद करते हैं, यहां के नागरिक से उम्मीद करते हैं कि इस कांस्टिट्यूशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानि इस कांस्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए जो स्वतंत्र हिन्दुस्तान में रहता है और आज आप ये बात कहते हैं कि हम रिमोटेस्ट ढाणी तक इस शिक्षा को पहुंचाने की कवायद पचास साल बाद कर रहे हैं जब कि एजुकेशन के पैरामीटर्स और एजुकेशन की फील्ड्स बदल गयी हैं। आप उसको पढ़-लिख कर बीए करा देंगे, एमए करा देंगे, इंजीनियर बना देंगे लेकिन अभी तक आपने प्राइमरी ग्रास रूट पर वो फेसेलिटीज क्रियेट करने की कहीं कवायद नहीं की है कि अगर वो बच्चा स्पोर्टस में अच्छा है, अगर वो जिम्नास्टिक्स में अच्छा है तो जिम्नास्टिक्स का सलेक्शन सात और आठवीं साल की उम्र में होता है और सात और आठवीं साल की उम्र के बच्चे को उठाकर आप स्पोर्टस की फील्ड में ले गये, स्पोर्टस की फील्ड में ले जाकर अगर उसकी एक्सपर्टीज हैं, नेशनल स्तर की हैं, इंटरनेशनल स्तर की हैं। सर, किसी आईएएस आफिसर की और किसी इंजीनियर की बोली नहीं लगी लेकिन स्पोर्टस के एक आदमी की बोली लग गयी चार-चार, पांच-पांच करोड़ रुपये की। ये पैरामीटर्स आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे रिमोट विलेजेज के अन्दर, रूरल एरियाज के अन्दर। शहर का बच्चा तो फिर भी किसी न किसी तरीके से फिजीकल एजुकेशन के अन्दर वो अगर एक्सपर्ट होता है किसी फील्ड और स्पोर्टस में वो तो अपनी क्षमता के अनुसार अपने अभिभावकों के माध्यम से चला जाता है लेकिन जिस तरीके से स्पोर्टस का ये भी एक एजुकेशन का पैरामीटर है। आप उसको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करिये जिससे उसके अभिभावकों को ये बात मालूम हो कि मेरा बच्चा शिक्षित हो रहा है और शिक्षित होने के लिए उसको आज के इस जमाने की जानकारी मिल जाए लेकिन जिस फील्ड में वो उन्नती कर सकता है उस फील्ड के प्राइमरी पैरामीटर्स आप तैयार नहीं कर रहे हैं। क्या जितने के जितने हमारे बच्चे हैं सारे ही डाक्टर और इंजीनियर ही बनेंगे? कोई स्पोर्टमेन नहीं बनेगा? और अगर स्पोर्टमेन बनेगा तो एक्सीडेंटल बनेगा। अगर कहीं उसका तुक्का लग गया कहीं वो पहुंच गया किसी की जान पहचान है कोई बात है तो वो चला गया। पांचवीं क्लास के बाद में उस बच्चे को प्राइमरी स्तर पर अगर हम फिजीकल एजुकेशन के पैरामीटर्स और फिजीकल एजुकेशन के इंस्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करते तो पंचायत राज की जो वास्तविक आधारभूत व्यवस्था है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उससे हम उसको वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ किताब से पढ़ी हुई बात करके किसी व्यक्ति को ग्रेजुएट बनाने की बात नहीं है आपको एम्प्लायमेंट के पैरामीटर्स जहां सेट करने पड़ते हैं और पैरामीटर्स जहां से सेट होते हैं जिस ग्रास रूट पर अगर आपके पास में सिस्टम और फेसिलिटी नहीं है तो वो बच्चा वहां नहीं पहुंच पाएगा। आज आप इन शिक्षकों को भर्ती कर रहे हैं। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कुछ पैरामीटर्स आपके रूल्स में होंगे कि अगर ये बीएड होंगे तभी आप इनको रिक्रूटमेंट करोगे तो आप ये भी सुनिश्चित कर लीजिये जब आपको इतने सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से, राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से इंस्टिट्यूशन बने बनाये मिल गये हैं तो ईंट और गारे की इमारतें सिर्फ किताबी ज्ञान का केन्द्र न बने ऐसा आप कुछ करिये, कुछ इनोवेशन करिये कि इन विद्यालयों के अन्दर फिजीकल एजुकेशन को भी इम्पार्ट किया जाए और ग्रास रूट ग्रामीण बच्चा जिसके पास में योग्यता हो वो कम से कम अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने का हुनर अगर रखता हो तो उनको बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग वहां मिल सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आखिर इस पैरामीटर को हम ग्रास रूट पर नहीं करेंगे तो आप कितनी ही एकेडमी बना दीजिये, स्पोर्टस काउन्सिल बना दीजिये या एक स्पोर्ट्स सिटी बना दीजिये वहां बच्चा जाएगा कहां, आपके कालेज में बच्चा कहां से जाता है, प्राइमरी एजुकेशन होती है तब कालेज तक पहुंचता है लेकिन स्पोर्टस काउन्सिल में और स्पोर्ट्स एकेडमी में जाएगा कहां जब प्राइमरी लेवल का स्ट्रक्चर ही नहीं है जाएगा कैसे वो। मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाह रहा था। जब इतना बड़ा व्यापक सोच रखा है इतने लोगों की भर्ती करने जा रहे हैं। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर एक प्राइमरी स्कूल फिजीकल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए और जिसमें हमारे ट्रेडिशनली रीजंस में से जैसे-जैसे योग्य और दक्षता वाले बच्चे होते हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर अगर हम इन शिक्षकों की भर्ती करेंगे, चाहे वो पैराटीचर्स को आप प्रबोधक बनाइये या जो भी आप उनको नाम दीजिये लेकिन define your education. Your education should be productive, your education should be useful. It should be useful for creating employability and it should be useful for creating sportsmen for which India is still struggling. You don't have Olympians because you don't have institutions to create Olympic champions. You don't have people in the field of sports because you don't have institutions to nurture them. You do require institutions right from the panchayat level and what better way to start it from day one i.e. today. Thank you very much.

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इन बातों का जवाब मैं शुरू में दे चुका हूं इस बिल को पारित किया जाए।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): आप ये जो शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है आप दो न इसका जवाब। पांच साल में आपने एक पीटीआई अपाइंट किया नहीं। तस्वीर खींच दी आपकी सरकार की इन्होंने। दो जवाब अब। जवाब दो न अब हो तो

**श्री सभापति**: माननीय मंत्रीजी, एक बात मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि इस हिन्दुस्तान को आप बचाना चाहते हैं तो आपको तीन शक्तियों को संस्कारित करना पड़ेगा। वो मां जिसने हमको जन्म दिया है, वो शिक्षक जो हमको पढ़ाता है और वो विद्यार्थी जो हमारे पास पढ़ने के लिए आता है, जब तक यह तीन संस्कारित नहीं होंगे राम नाम सत्य होती रहेगी ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये ?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया गया ।

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य संयम लोढ़ा।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा सभी सदस्यों के जो संशोधन आये हैं उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख कर और राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जो रूटा है उसके अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की भावनाओं को ध्यान में रख

(श्री कालीचरण सर्राफ)

कर एक संशोधन मैंने इसमें प्रस्तुत किया है । यह संशोधन आने के बाद मेरे ख्याल से किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आपकी अनुमति से वह संशोधन पढ़ कर सुना देता हूं ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वह सर्कुलेट कराओ ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मैं पढ़ कर सुना देता हूं ।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन( विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्या-4) के खण्ड-2 के विद्यमान उप खण्ड (IV) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए। अर्थात्, अस्थाई अध्यापकों से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या-18) की धारा 3 की उप धारा 3 के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों के सम्यक लोक विज्ञापन के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विहित वेतनमान में स्टाप-गेप व्यवस्था के रूप में अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक, या अंशकालिक आधार पर नियुक्त और विश्वविद्यालय द्वारा विहित वेतनमान में कार्यरत कोई अध्यापक अभिप्रेत है किन्तु संविदा आधार पर नियुक्त या विदेश सेवा में के और संबंधित विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत अध्यापक इसके अन्तर्गत नहीं आएंगे।

यह मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है तो मैं यह चाहूंगा कि इस संशोधन के साथ इसको पारित किया जाये ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): इसको सर्कुलेट करो तब हम इसको देखेंगे । आप इसकी कापी दो हमको । यह अमेंडमेंट हमको सर्कुलेट होना चाहिये और अमेंडमेंट उस वक्त आना चाहिये जब खंडश: विचार हो । यह आप प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह अमेंडमेंट उस समय आयेगा जब खंडश: विचार हो लेकिन यह माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रात:काल मं दे दिया था और जैसे आपसे चर्चा भी हुई थी। यह अमेंडमेंट आने के बाद कई बार इस सदन में केवल मौखिक रूप से माननीय मंत्री के खड़े होकर कहने पर कि मैं इसमें यह संशोधन करता हूं यह सदन इस प्रकार के अमेंडमेंट को स्वीकार करता रहा है । इसलिए सर्कुलेट के बजाय यह इन्होंने पहले आपको पढ़ कर सुना दिया ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): कापी दो ना ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब दुबारा सुन लो आप । कापी भी मिल जायेगी ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): सभापति महोदय, इफ यू अलाऊ मी, बात सही है मामला इतना ही था कि यूनिवर्सिटी में जिन अध्यापकों को स्थाई किया जा रहा था उसके अलावा 126, 127 होंगे सब यह चाहते थे सब की भावना यह थी और कई बार औपचारिक और अनौपचारिक बात भी हुई थी कि इसमें आप फर्क मत कीजिए सब को स्थाई कर दीजिए ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): कर दिया ना ।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): जब यह सारी चीज सामने आ गई और यह अमेंडमेंट लेकर सब को स्थाई कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर कुछ बातें और हैं वह चाहे कर दें लेकिन यह कर रहे हैं तो यह अच्छा है ।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): माननीय मंत्री महोदय आप जो संशोधन लेकर आये हैं उससे 154 और दूसरे 127 सब कवर हो जायेंगे क्या ? सब परमानेंट हो जायेंगे.. (व्यवधान) सब परमानेंट हो जायेंगे तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, बैकलाग जो एससी, एसटी का है... (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): सभापति महोदय, मुझे एक सुझाव देना है ...(व्यवधान)

**श्री रणवीर सिंह गुढा** (गुढा): इन सब को स्थाई कर दिया इसका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं । (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): सभापति महोदय, पास करने से पहले हमारे सुझाव लिये जाने चाहिये । (व्यवधान) सभापति महोदय, इसमें अपन 280 को ले रहे हैं...

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय सदस्य मेरा नाम काल किया गया है । सभापति महोदय, मैं कानून मंत्रीजी की आज्ञा का पालन करूंगा बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिये तो धन्यवाद देता हूं कि आप यह अस्थाई अध्यापकों का आमेलन विधेयक, 2008 लेकर आये हैं । सभापति महोदय, आप तो स्वयं शिक्षक हैं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने एक दोहा सुना होगा

गुरु गोविंद दोनो खड़े का के लागू पांय,<br>
बलिहारी गुरु आपनी मुझ गोविंद दियो बताय ।

(श्री संयम लोढ़ा)

हमारी संस्कृति में और हमारे इतिहास में जो गुरु को इतना सम्मान दिया गया है, इतने उच्च स्थान पर रखा गया है उसमें बहुत पीड़ा होती है सभापति महोदय, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हमने अपने उच्च शिक्षा के केन्द्रों को इस तरह का स्वरूप दिया है यह अपने आप में बहुत पीड़ादायक है।

**(समय : 21.26 बजे)**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

6-6 महीने के लिये नियुक्ति, एक सत्र के लिये नियुक्ति, बार-बार अदालतों के चक्कर, पदोन्नति की कोई संभावना नहीं, आज की नई व्यवस्था में उपाध्यक्ष महोदय, 17 साल में ही एक टीचर जो सलेक्ट होता है वह प्रोफेसर बन जाता है । मेरी सिस्टर भी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में सलेक्ट हुई 1984 में और 2007 में वह प्रोफेसर बन गई । लेकिन इस व्यवस्था के माध्यम से कितना मानसिक संताप हमारे उन शिक्षाविदों को मिला, कितनी पीडा उनको भुगतनी पड़ी यह हम सब लोगों के विचार का विषय होना चाहिये। हममें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है स्वीकार करना चाहिये यह हमको कि हम अपने उच्च शिक्षा के केन्द्रों को हमारी आवश्यकता के अनुरूप बना पाये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इतना ही नहीं 15-20 साल तक हमारे उन शिक्षाविदों को इतनी पीड़ा भुगतवाने के बाद भी हमारी नीयत साफ नहीं थी । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को यह मालूम है कि उमा देवी V\S सैक्रेटरी कर्नाटका स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के केस में यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि आपके पास अस्थाई शिक्षकों को नियमित करने के लिये वन टाइम मेजर है । उसके बाद भी यह सरकार पहले जो यह बिल लेकर आई पार्टली लेकर आई और वह भी कब, जब कि राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता 18 फरवरी को आपको यह रिपोर्ट भेज चुके थे कि आप दोनों कैटेगिरी के शिक्षकों को एक साथ रेगुलराइज कीजिए । लेकिन आप दवाब में थे, आपने वह राय आने के बाद भी बिल को उस रूप में इंट्रोड्यूस नहीं किया और उन बचे हुए 126 शिक्षकों को उस मानसिक पीड़ा से गुजरने का एक ऐसा कृत्य आपने किया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता । हमारी पार्टी के लोगों से भी वह मिले और माननीय मुख्य मंत्रीजी को हमारी पार्टी ने अवगत कराया कि अगर यह एक साथ रेगुलराइज करने का काम नहीं हुआ तो यह बचे हुए शिक्षकों को नियमित किसी हालत में नहीं कर पायेंगे ।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): इसका जवाब दूंगा फिर मैं ।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): देना । उपाध्यक्ष महोदय, उसकी वजह से देर आये दुरुस्त आये, सरकार ने यह जो फैसला किया वह ठीक है लेकिन मैं आपको इसके सैक्शन 4 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी, आपने इसमें छानबीन समिति का गठन किया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मेहरबानी करके इन शिक्षा के केन्द्रों को राजनीति से परे रखिए ।

आपने छानबीन समिति के अंदर डीन नहीं रखा, आपने इसमें गवर्नर नो मिनी नहीं रखा जब कि आपकी एक्ट की सलेक्ट कमेटी में क्या प्रावधान है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्योकि दो-तीन डीन राजस्थान यूनिवर्सिटी के पोलिटिकल लेवल पर आपको सूट नहीं करते, आप राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, इसलिए आपने डीन का नाम हटा दिया। आपके पोलिटिकल एजेंडा में, और जिनका आपने जिक्र किया कि हमने उनकी बदोलत, अमेंडमेंट हम लेकर आये उनको सूट नहीं करता है। मेहरबानी करके, हमने बहुत शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, हमने शिक्षा की व्यवस्था को बहुत बर्बाद कर दिया । आज ऐसे अंधियारे में हमने उच्च शिक्षा को ले जाकर खड़ा कर दिया है कि कोई रास्ता नहीं सुझता है। 17-17, 20-20 साल से प्रोफेसर नहीं बन पाए। आप जवाब में कह देंगे कि फिर गोरखपुरी भी थे शिक्षक, वह भी प्रोफेसर नहीं बन पाए, आप यह भी कह सकते हैं कि डाक्टर हरिवंश राय बच्चन भी प्रोफेसर नहीं बन पाए, पर इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो यह सैक्शन चार में छानबीन समिति का गठन किया है और इसके अंदर डीन को नहीं रखा आपने, गवर्नर नो मिनी को नहीं रखा है इस फैसले को आप ठीक करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी और सी.पी. जोशी साहब जब उच्च शिक्षा के मंत्री थे तब ही यह फैसला कर लिया था लेकिन हम उस वजह से लागू नहीं कर पाए और आपने माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस बात का खुलासा नहीं किया। हम इसका स्वागत करते हैं कि आप रेगुलशइज कर रहे हैं। मैं आपको यह रिपोर्ट, राजगोपालन की रिपोर्ट है उसके नाइन्थ टाइप पैरा में, सुनाना चाहता हूं - "In making stop gap arrangements, no consideration has been given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates." और जो अनिल वैश्य साहब की रिपोर्ट है उन्होंने भी लास्ट में यह कहा है - "The pro-

(श्री संयम लोढ़ा)

visions relating to reservation have been ignored." हम इस बिल का स्वागत करते हैं लेकिन शिक्षा मंत्रीजी हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का जो कांस्टीटयूशनल राइट है जिसकी घोर अवहेलना विगत दो दशक में राजस्थान विश्वविद्यालय ही नहीं राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालय में हुई है। आप इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को यह आश्वस्त करें कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ जो अन्याय हुआ है आप उतने पदों पर भर्ती करेंगे और आप जब उत्तर दें तो हर डिपार्टमेंट का पूरा एबस्ट्रेक्ट बताएं कि कितने लोग इसमें रेगुलराइज हो रहे हैं, कितने पदों पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब के लोगों की भर्ती होगी जिससे समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों को यह संदेश नहीं जाए कि राजस्थान की विधान सभा में एक ऐसे फैसले पर मोहर लगाई है जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के हितों का गला घोटा गया। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री जुबेर खान।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मंत्री महोदय को, क्योंकि मुझे मालूम है 1990-91-92 से ही यह मांग चल रही थी कि विश्वविद्यालय में जो अस्थाई अध्यापक हैं उनको स्थाई किया जाए। आप देर आये दुरस्त आये, यह विधेयक लाए कि वर्षों से जो लैक्चरर्स विश्वविद्यालयम में अस्थाई है उनको स्थाई करने जा रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 1995-96 से 707 के लगभग आपके लेक्चरर्स की खाली जगह पड़ी है, 1995-96 से। मैं मंत्री जी आपसे यह कहना चाहूंगा कि ताकि आइंदा परेशानी नहीं हो आप इनकी नियुक्ति क्यों नहीं करते हैं, जो प्रोसीजर है जो भी आपके लेडाउन है, 1974 के एक्ट में सैक्शन तीन में तो आप नियमित इनकी भर्ती क्यों नहीं करते। अगर आप इनकी नियमित भर्ती करते रहेंगे तो यह समस्या नहीं आयेगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 707 में लगभग डेढ सौ के करीब बैकलाग बनता है आपको करना यह चाहिए ताकि एस.सी, एस.टी. में भी मैसेज जाए, यह अस्थाई टीचर्स में भी जाए और नये जो लोग भर्ती होना चाहते हैं उनमें भी मैसेज जाए, आप शीघ्रता शीघ्र सारी पोस्ट्स भरे। आपने एक्ट में, संशोधन एक्ट लाए हैं इसमें सैक्शन 6 में यह बात कही है - "Last date for making appointments. - No appointment in pursuance to the provisions of this Act shall be made after the expiry of 180

(श्री जुबेर खान)

days from the date of commencement of this Act." और सैक्शन 7 क्या कहता है - "Termination of the services of temporary teachers not substantively appointed. - The services of a temporary teacher, who is considered for substantive appointment under sections 3 and 4 but is not substantively appointed on or before the expiry of 180 days from the date of the commencement of this Act, shall stand terminated on the date of such expiry." आप 180 दिन के लिए मेहरबानी करके कर दें और आप हटा नहीं सकते क्योंकि आपको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डी.बी. का फैसला है कि आप इनको हटाएंगे नहीं। इनको नियमित आप श्रृंखला देवे। यह जो दो-तीन बातें हैं आप 180 दिन से पहले-पहले अपनी सारी कार्यवाही कर लें और एस.टी., एस.सी का बैकलाग बनता है वह भरें। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपने इतने लंबे समय से, आप समय पर इनकी भर्ती कर लेते, आपने स्वयं ने कहा कि 74 के सैक्शन 3 सब सैक्शन-4 के अन्तर्गत इनकी नियुक्ति हुई है, तो आज कितने ही लोग प्रोफेसर बन जाते, इनमें से बहुत से लोग तो रिटायर्ड हो गए। 73 के करीब तो महिलाएं हैं जो आप यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का गुहार कर रहे हैं महिलाओं को आरक्षण कर रहे हैं इसलिए मेहरबानी करके इस एक्ट की भावना के अनुरूप शीघ्रातिशीघ्र आप इनका नियमित चयन करें, यही मैं आपको कहना चाहूंगा। एक बार आपने सभी का, सारे टीचर्स हैं 154 और 127 सब को ही स्थाई करने जा रहे हैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने दिया धन्यवाद।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय मेरा अमेंडमेंट है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आपको भी बुलाएंगे।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है।

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): हमारे शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन्होंने बिल में जो अमेंडमेंट मूव किया (व्यवधान) 127 लोगों को भी लिया जावे इनको ओपरेट किया जाए, (व्यवधान) 184 के साथ 127 और लिये जावें .....

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): किसको बुलाया है आपने ?

**श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली): उसके लिए आपने इस संशोधन को स्वीकार किया और हमारे संशोधन को स्वीकार करके आपने जो संशोधन पेश

(श्री शांतिलाल चपलोत)

किया है उसके लिए मेरी और मेरे साथियों की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: डा. बुलाकीदास कल्ला।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक, अस्थाई अध्यापकों का आमेलन विधेयक, 2008 के बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किया था जिसे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने स्वीकार कर 154 और 127 दोनों प्रकार के अस्थाई अध्यापकों को स्थाई करने के बारे में जो हमारा प्रस्ताव किया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय को देखो जयपुर को तो आप पाएंगे कि 15 वर्ष से अधिक समय हो गया कि वहां प्रोफेसर का रेगुलर सलेक्शन नहीं हुआ, न एसोसिएट प्रोफेसर का सलेक्शन हुआ और उपाध्यक्ष महोदय, 1981 से लेकर अब तक लगभग 26 वर्ष से ज्यादा समय हो गया लैक्चरर्स के कोई रेगुलर सलेक्शन नहीं हुए तो इन सब को स्थाई बनाने के बाद आप जितने भी विश्वविद्यालयों में रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरने का काम शुरू करें और भरेंगे कब। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना....(व्यवधान) आप अपने स्थान से बोले। आप कृपा करो, आप व्यवधान करेंगे ज्यादा समय लगेगा।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): ऐसा है 1998 से 2003 तक आप शिक्षा मंत्री भी रहे तो आप जब ही ध्यान रख लेते प्रभु। जबतो आपने ध्यान किया नहीं, अब तुरंत कर दो, आपको तुरंत कर देना चाहिए उस समय। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं उच्च शिक्षा मंत्री नहीं था, आपको मालूम नहीं है।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): सरकार भी सो रही थी क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप पहले राज्य मंत्रीजी से पूछ लीजिए कि मैं उच्च शिक्षा मंत्री 1998 से 2003 रहा ही नहीं। आपको मालूम तो है नहीं, बोल देते हो बस, जो मन में आये वैसे।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): आपकी पार्टी की सरकार थी। बार बार मंत्री बदल दिये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** माननीय सदस्य, अब आप, ये मान रहे हैं कि इनसे नहीं हुआ तो आपके लिये तो अच्छी बात है। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): बिराजिये, तथ्यों के साथ आना चाहिए सदन में।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, आपने कहा था ना कि 1981 से नहीं लिये तो 1981 से तो आपकी कई बार सरकार रही है।

**श्री उपाध्यक्षः** आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये कौनसी बुराई कर रहे हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): पंचायती राज मंत्रीजी, जब आपकी जरुरत थी तब तो आप बाहर छिपकर बैठ गये और अब जरुरत नहीं तो बीच में बोल रहे हैं। आपको पूछा तो नहीं थर्ड ग्रेड में और आप प्रोफेसरों के बीच में बोल रहे हो।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमारे सारे मंत्री सक्षम हैं। इसलिये कोई भी दे सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि मैं ही होऊं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): हां तो थर्ड ग्रेड की दो ना। आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बीच में तो मत आओ। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्षः** अंकित नहीं होगा।

**श्री कालूलाल गुर्जर** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्षः** यह अंकित नहीं होगा, यह अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतने-इतने वर्षो तक यदि रेगुलर सलेक्शन नहीं होगा तो....

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): जब घनश्यामजी शिक्षा मंत्री थे तब आपसे पंचायती राज शिक्षकों का काम नहीं लिया, और अब कालीचरणजी बने वो भी नहीं ले रहे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चार किश्तें चालीस करोड़ की बकाया हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी जवाब दें तो वे बतायें कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

वह कब तक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की इन चार किश्तों का भुगतान कर देंगे, 11 करोड़ रुपये, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के मंहगाई भत्ते के बकाया हैं। 51-51 करोड़ रुपये किसी एक यूनिवर्सिटी के बकाया हों और राज्य सरकार उनको दे नहीं तो सलेक्शन कैसे होंगे। कैसे उनका भुगतान होगा, कैसे प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, कैसे एसोसिएट प्रोफेसर्स वहां काम करेंगे। मैं समझता हूं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन जो है, उसको एक्शन लेना पड़े यूनिवर्सिटीज के बारे में। इसलिये मेहरबानी करके जो भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और लैक्चरर्स के पद जिन-जिन यूनिवर्सिटियों में राजस्थान में रिक्त हैं, उनको भरा जाए। मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के सुझाव को अपनी तरफ से रिट्रेट करना चाहूंगा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन सब स्थाई अध्यापकों के बनाने के बाद तमाम राजस्थान के विश्वविद्यालयों में जो बैक-लाग है, एस.सी. और एस.टी. का, उसको भी तत्काल भरने के लिये आपको कदम उठाने चाहिए। तब जाकर के एक न्यायपूर्ण निर्णय होगा। पुनः मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे अमेंडमेंट को स्वीकार कर, आपकी नीयत तो ठीक नहीं थी, आप केवल मात्र 154 आदमियों को करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के दबाव के कारण और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के दबाव के कारण आपने हमारी बात को स्वीकार किया, इसके लिये हम धन्यवाद देते हैं। (व्यवधान) और विश्वविद्यालय के तमाम... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आपकी बात को कह रहे हैं। (व्यवधान)

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यदि ये ऐसा कह रहे हैं तो यह जो अमेंडमेंट है, वह नहीं किया जाए। (व्यवधान)

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आपके कहने से कर दिया। (व्यवधान)

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अब चर्चा नहीं करनी चाहिए।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (संसदीय सचिव): आप खुद तो कर नहीं पाये और आपके कहने से हमने कर दिया। (व्यवधान)

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी प्रमाण-पत्र दिये हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये।

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वह गलत तरीके से घुसे हुए लोग हैं, बैक-डोर से घुसे हुए लोग हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ऐसी क्या बात हो गई। इसमें क्या बुराई है।

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उनको नहीं करना चाहिए, हमारा विरोध है। हमारा विरोध है इसमें, नहीं करना चाहिए उनको।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): कल्ला साहब, अब प्रेस भी चली गई।

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक तो आपके +++ को हम +++ हैं और ऊपर से आप बोल रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आपको इस बात के लिये धन्यवाद दे रहे हैं। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं यह कह रहा हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने अमेंडमेंट्स दिये, उनको स्वीकार किया, यह पहले ही कह चुका हूं मैं। (व्यवधान) लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): अब प्रेस भी चली गई, अब काहे को कह रहे हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): उन्होंने सब सदस्यों के बिहाफ से कहा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): इन्होंने सब सदस्यों के बिहाफ से कही है यह बात।

**डा. ओ.पी. महेन्द्रा** (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनका कोई दबाव नहीं है। आपको धन्यवाद दे रहे हैं, अपने सब सदस्यों को धन्यवाद दे रहे हैं। इनका कोई स्पेशल दबाव नहीं है, चिन्ता नहीं करें।

**श्री उपाध्यक्ष**: दे रहे हैं, धन्यवाद।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): छानबीन समिति में गवर्नर्स नामिनी को रखा जाना चाहिए। यह मेरा भी सुझाव है। बाकी स्क्रीनिंग कमेटी के कारण से उसकी कोई कमी नहीं रहे।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): आपके कारण से नहीं माना जा रहा है, यह।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बीच में नहीं, कोई अंकित नहीं होगा।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठिये, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): बैठो आप, आपके कारण ही हुआ है यह। (व्यवधान) विराजो आप।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): ×××

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): ×××

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): तो स्क्रीनिंग कमेटी में गवर्नर्स नामिनी को और रख लिया जाए ताकि किसी भी प्रकार का कोई मामला न हो और कोई लिटिगेशन में नहीं जा सके। सारे के सारे अस्थाई और एक बात आपने और रखी है, छह महीने में जो आदमी स्क्रीनिंग कमेटी से सलेक्ट नहीं होंगे, वे कहां जाएंगे। इसके लिये मैंने एक अमेंडमेंट दिया है कि सारे अध्यापकों को आप स्थाई बनाएंगे और किसी कारण से एक भी व्यक्ति यदि रह जाए तो उसका क्या करेंगे, उसका भी जवाब दे दो। तो ये सब को स्थाई करने का आश्वासन दें आप।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री हेमाराम चौधरी।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आ रहा है, आपका नम्बर आ रहा है। श्री हेमाराम चौधरी।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। मेरा भी था। मैं यह कह रहा हूं कि इस विधान सभा में आज तक जितने भी बिल आये, उसमें प्रतिपक्ष की तरफ से हमेशा बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आते हैं। सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से भी उसमें अच्छे सुझाव आते हैं। लेकिन सरकार ने कभी भी आज दिन तक बात नहीं मानी। पहली बार सरकार को सद्‌बुद्धि आई।

**श्री उपाध्यक्ष**: जायज बात मानते हैं।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): पहली बार आप में सद्‌बुद्धि व्याप्त हुई कि आपने पहली बार ये, सही बात को मान लिया, सदन की भावना के अनुरूप आपने संशोधन किया और आपकी सद्‌बुद्धि ने काम किया, इसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: डा. सी.पी. जोशी।

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप ईमानदारी से बता दो आपने किससे सलाह ली है।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): जी?

**डा. दिगम्बर सिंह** (उद्योग मंत्री): ईमानदारी से बता दो, आपने किसको सजेशन दिया कि इनको भी ले लो।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, सलाह की बात नहीं है। (व्यवधान) यह आपके...

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हमने संसदीय कार्य मंत्रीजी को और खाद्य मंत्रीजी को सुझाव दिया था।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपके उधर से भी लोग चाहते थे, सत्ता पक्ष वाले भी चाहते थे और हम भी चाहते थे। ऐसा नहीं है कि खाली आप ही चाहते हो या खाली हम चाहते, ऐसा नहीं है। आपने सही किया, मैंने तो, सही किया तो उसकी सही बात का कहा। उसमें अब यह बात अलग है कि आपने हमारे दबाव से कर दिया, आपको हमारे कर दिया, यह तो फालतू की बातें हैं। (व्यवधान) पहली बार आपने अच्छा काम किया तो...

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। मेरा एक सुझाव है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक संशोधन भी है, एक सुझाव भी है।

**श्री उपाध्यक्ष**: ले लेंगे सुझाव आपका।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): मैं दो सुझाव दूंगा।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आप वाली बात का बता रहा हूं ना मैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप कहने तो दीजिये।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): तो मेरे सुन लो ना सुझाव, मेरा एक ही सुझाव है।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आप श्रेय लेना चाहते हो।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा, यह जो अमेंडमेट ला रहे हैं स्थाई करने का, इसमें मेरे दो-तीन सुझाव हैं। एक तो इन्होंने 280 का पूरा कर दिया इसके लिये तो मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई कि विश्वविद्यालय के सारे लोग आ गये।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपका नम्बर आयेगा इसमें, तब बोल लेंगे, इसमें आलरेडी, बीच में। आपका नम्बर आयेगा इसमें बोल लेंगे फिर।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): ठीक है।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है। (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, नाम पुकारिये। वे जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पुकार लेंगे, अभी पुकार रहे हैं नाम, अभी कौनसा जवाब दे रहे हैं। डा. चन्द्रशेखर बैद। बाबूलाल नागर। जोगेश्वर गर्ग। सुभाष बहेडिया। अमराराम धोद। प्रहलाद गुंजल। श्रवण कुमार। हेमराज मीणा, कह दीजिये आप दो मिनट में। (व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने 280 आदमियों को ही सम्मिलित कर लिया। पहले 154 का था, अब 126 और मिला दिये। इसके लिये तो मैं इनको बहुत बधाई देना चाहूंगा। लेकिन मैं यहां एक सुझाव यह भी देना चाहूंगा कि यह जो नियुक्तियां, अस्थाई नियुक्ति दी गई है इसमें जो हमारे मेरे दांई और बैठे हुए लोगों की गलती है जो 20 साल से एक की भर्ती नहीं कर सके और सब बेक डोर से एण्ट्री करवा-करवा कर यहां मलबा इक्ट्ठा कर लिया। ईमानदारी से नहीं कर सके। मैं यहां मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि चूंकि 20 साल से लोग काम कर रहे हैं और इनका अनुभव भी है, सारी बातें हैं।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): पहली नियुक्ति कब हुई थी, 1990 में जब आपका राज था। 1995-96 में, जब आपका राज था। कोई जानकारी है नहीं, मारे जा रहे हैं, जबरदस्त।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): 20 साल से, अभी कहा 20 साल से, 20 साल के लोग इक्ट्ठे हो रहे हैं, 20 साल के। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 19 साल से लोग इक्ट्ठे हो रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बीच में काहे के लिये। (व्यवधान) आ गई बात आपकी।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि 20-20 साल, 18-18 साल पुराने हो गये तो उनको स्थाई किया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसमें करीबन 280 लोग हैं, इनमें रोस्टर का केवल एक व्यक्ति है। रोस्टर का केवल एक व्यक्ति है। (व्यवधान) इसके अनुसार 56 और 60 आदमी, रोस्टर के अनुसार आने चाहिए। उनका यह क्लाज तय करना चाहिए कि इनकी भर्ती कैसे करेंगे, इनकी भर्ती का तरीका क्या होगा, क्योंकि ये लोग अस्थाई आ गये हैं स्थाई होकर लेकिन अब किस प्रोसीजर से...(व्यवधान) कौनसी प्रोजेक्ट करेंगे।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): एस.सी., एस.टी. का लाभ मिलने वाला है इसमें। (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हो। अब यहां कर देंगे तो एस.सी., एस.टी. को बैकलाग का लाभ मिलने वाला है। व्यवधान)

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): आप बैठ जाओ ना नीचे, मैं बोल रहा हूं ना।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** (दौसा): मैं आपको बता रहा हूं ना। आपको बता रहा हूं ना।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): हां मैं मंत्रीजी से पूछ लूंगा, मैं मंत्री जी से पूछ लूंगा। आप बैठ जाइये।

इसमें 280 लोग तो स्थाई हो गये लेकिन बैकलाग भरने का प्रोसीजर आप क्या रखेंगे, यह भी आपको तय करना पड़ेगा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपके दो विश्वविद्यालय हैं। कोटा विश्वविद्यालय में अभी टेम्परेरी काम चल रहा है, बिलकुल 5 साल में कोई सीट आप दे नहीं पाये। ठेके पर लोग चल रहे हैं। इसी तरह आपकी, कोटा विश्वविद्यालय जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, वह भी आपके अन्तर्गत है, उनमें भी खाली जगह है। उसकी जगह आप भर नहीं पाये, ये पोस्टें भी आप दें। इसका भी आप ध्यान रखें।

**श्री उपाध्यक्ष**: आ गया आपका। कर लेंगे। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): वह बता रहा हूं ना। बैठो तो बताऊं ना।

**श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज): और रोस्टर को आप डिक्लेयर करें आप किस तरह भर्ती करेंगे। और आप जो स्थाईकरण करने का संशोधन लाये, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री रामनारायण मीणा। श्री रघुवीर मीणा। (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी था।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। डा. जालिम सिंह रावलोत। (व्यवधान)

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): मेरा नाम भी था। आपने बोला है। और मैं उपस्थित हूं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): गया, अब गया।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): मुझे केवल एक वाक्य कहना है केवल एक वाक्य कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, यही चिंता करनी है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, बैठिये।

**डा. जालम सिंह रावलोत** (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें से आज पैराटीचर्स के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थाई अध्यापकों को परमानेंट करने का जो शानदार काम किया है, इन लोगों ने पांच साल में कोई काम नहीं किया और हम लगातार काम कर रहे हैं, और यह शानदार काम किया है, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): इनको क्यों बुलवा रहे हैं फिर? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: मोहम्मद माहिर आजाद।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो मैंने जो प्रस्ताव दिया था कि इसको आप सलैक्ट कमेटी को सौंप दें। माननीय मंत्रीजी ने जब सारे सदन की भावना को और सब अध्यापकों की भावनाओं को समझकर जो हम चाहते थे वह कर ही लिया इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे यह मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान करें। मैं इसे वापस लेना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद। प्रस्ताव वापस लेने की स्वीकृति दी जाती है। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 पर ... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): बैठो-बैठो।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब तगारामजी, बैठिये आप। नहीं, आपको, तगारामजी बैठिये।

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय और ऊपर तक के ... (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): यह तो खतम हो गया। अब तो यह विश्वविद्यालय वाला चल रहा है। यह कहां चले गये थे? इनको तो पता नहीं है। (व्यवधान)

**श्री तगाराम चौधरी** (बाड़मेर): और ऊपर तक का जो शिक्षा की गंगा बहायी है, शिक्षा को सबसे सर्वप्रिय माना है। शिक्षा ही जीवन है इसलिए राजस्थान सरकार ने श्रीमती वसुन्धराजी राजे के नेतृत्व में जो अनुकरणीय कार्य किया और प्रशंसनीय कार्य किया है, और चहुं-मुखी विकास की एक नहर सी आ गयी है राजस्थान में इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव किया है वह वापस लेता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): है ही नहीं इसमें। है ही नहीं, वाह भाई, जय हो-जय हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो राजनैतिक सदाशयता का परिचय देते हुए मेरे ... (व्यवधान) बैठो न, बैठ जाओ भाई, क्या है? (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): हम धन्यवाद तो दे दें आपको। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: मान लिया। अभी आएगा, मान लिया। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): क्या यह स्वीकार किया? (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): नहीं, मंत्रीजी खड़े हो गये, क्या धन्यवाद है? नेता प्रतिपक्ष ने दे दिया, इससे ज्यादा धन्यवाद और क्या देंगे? (व्यवधान) मंत्री के बाद तो ... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: मान लिया।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): मंत्रीजी खड़े हो गये। (व्यवधान) आपको ज्यादा तारीफ सुनने की आदत पड़ गयी क्या फिर यह? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मंत्री के बाद यह खड़े हो गये।

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): फिर तो सब कहेंगे। सब बोलेंगे। तो फिर हम भी बोलेंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): हां, बोलेंगे क्यों नहीं? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य**: हम तो वापस बैठ गये, बोलकर बैठ गये। (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): सभी बोल रहे हैं तो फिर हम भी बोलेंगे। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजनैतिक सदाशयता का परिचय देते हुए सब माननीय सदस्यों की यह भावना थी कि समय बहुत ज्यादा हो गया और सब की भावना इसमें आ गयी इसलिए इसको पारित कर दिया जाए परन्तु जब मैंने यह संशोधन पेश कर दिया और मैंने कहा कि इन सब की भावना का ध्यान रखते हुए मैंने यह संशोधन पेश किया है तो हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को ऐसा लगा कि इसका राजनैतिक श्रेय सत्ताधारी पार्टी नहीं ले ले तो इन्होंने कई इस प्रकार की अजूबा बातें कही कि हमारे कारण आपने यह किया। एडवोकेट जनरल की बात आपने नहीं मानी और उसके बाद आपने यह मानी तो मैं एक -एक बात का क्लेरीफिकेशन निश्चित रूप से करना चाहूंगा। (व्यवधान) सुनिये सुनिये, मेरी बात।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हम भी यह बिल लाना चाहते थे। सी.पी. जोशी साहब ने यह बिल बना भी लिया था परन्तु यह नहीं ला पाए तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके लिए आवश्यकता है राजनैतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की। इनमें राजनैतिक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। इनकी नीयत में

(श्री कालीचरण सर्राफ)

खोट थी इसलिए यह विधेयक नहीं ला पाये और हमारी राजनैतिक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और हमारी नीयत में खोट नहीं थी, हम मानवीय आधार पर इन अस्थाई अध्यापकों को परमानेंट करना चाहते थे इसलिए हम यह बिल लाये। अब आपने कहा कि एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट नहीं आयी तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल के पास इसकी राय लेने के लिए मैंने आपकी राय से भेजा था या हमने अपने आप भेजा था? जब उन्होंने 154 अध्यापकों के बारे में पक्ष में राय भेज दी तो हमारा यह मानना था कि हर व्यक्ति को 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गये तो इनको भी स्थाई किया जाना चाहिए इसलिए हमने दुबारा एडवोकेट जनरल साहब के पास भेजी कि इनके बारे में भी अपनी राय भेजिये और उन्होंने जब पक्ष में राय भेज दी तो उसका कानूनी रूप से अध्ययन करके और अब यह विधि विभाग से उसकी राय लेकर यह अमेंडमैंट हम ले आये। अब यह कह रहे हैं कि हमारे कहने से आप यह अमेंडमैंट लाये ... (व्यवधान) देखिये, सुनिये।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): शिक्षा मंत्रीजी, क्यों लम्बा कर रहे हो?

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): सुनिये, देखिये, बैठिये-बैठिये। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): फिर हम पूछेंगे कि आपको एडवोकेट जनरल की राय कब मिल गयी? अमेंडमैंट तो आप आज लाये हो। बिल लाये उससे पहले ही ए.जी. की राय मिल गयी थी। फिर जब आप बिल लेकर लाये तब तक राय मिल चुकी थी तो तब क्यों नहीं शामिल किया उसमें? (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): बैठो आप जरा इसलिए सुनिये ... (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): क्यों उस लम्बाई में जाते हो? आपको बड़े दिल से धन्यवाद दे दिया सब ने। अब कराओ पास, अब क्या है? (व्यवधान)

**श्री हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): आप राजनीति मत करो अब ... (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): माननीय मंत्री महोदय, आपने दिसम्बर में दुबारा राय मांगी, लेकिन एडवोकेट जनरल को यह भी कह दिया कि राय मत भेजना इसलिए दो महीने लगे भेजने में। आप चाहते नहीं थे कि राय आये। आप चाहते थे नहीं कि राय आये। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): आप बैठिये ... (व्यवधान) आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। आप मुझे, मेरी बात को डिस्टर्ब मत करिये, प्लीज, बैठिये-बैठिये। ... (व्यवधान)

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल से राय पहले ग्रुप के लिए भी हमने भेजी और दूसरे ग्रुप के लिए भी हमने भेजी और वह इसलिए भेजी कि हम सब अस्थाई अध्यापकों, प्राध्यापकों को स्थाई करना चाहते थे और मानवीय आधार पर करना चाहते थे। क्योंकि किसी को 20 साल हो गये, किसी को 25 साल हो गये, किसी को 15 साल हो गये ... (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): उसके लिए धन्यवाद आपको।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): इसलिए क्योंकि अब एडवोकेट जनरल की राय सब के पक्ष में आ गयी और सदन के सभी माननीय सदस्यों की यह राय थी और जो राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ है, उसके जो रूडा के अध्यक्ष हैं, उनकी भी यही राय थी। उन्होंने भी हमको कहा कि यह सब का करिये एक साथ। एक ग्रुप का मत करिये तो सब की राय को मानते हुए दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति के आधार पर, मानवीय आधार पर हमने सब को नियमन करने का यह बिल पेश किया है और जहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. का सवाल है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने 237 पद और भरने की अनुमति दे दी है और बाकी जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी 25 परसेंट जो पद हैं, रिक्त पद, उनको भरने की अनुमति दी जा चुकी है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. के किसी भी हित की अनदेखी नहीं की जाएगी। उनके हितों का पूरा संरक्षण किया जाएगा और इनको भरने के समय नियमानुसार रोस्टर प्रणाली का ध्यान निश्चित रूप से रखा जाएगा। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित कराएं। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): वापस ले लिया सब ने।

**श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): वापस ले लिया।

**श्री उपाध्यक्ष**: ठीक है, ठीक है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डशः विचार**

खण्ड-2, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् आसन की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएंगे।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): मैंने जो रखा है अभी...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं रखा। अच्छा-अच्छा, पहले रख दिया था। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): अभी और रख देता हूं। रख देता हूं।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी या मुख्य मंत्रीजी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट लगेगी।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-2 में जो संशोधन पेश करना चाहता हूं, मैं रख रहा हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्या-4) के खण्ड-2 के विद्यमान उप खण्ड (IV) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए। अर्थात्, अस्थाई अध्यापकों से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या-18) की धारा 3 की उप धारा 3 के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों के सम्यक लोक विज्ञापन के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विहित वेतनमान में स्टाप-गेप व्यवस्था के रूप में अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक, या अंशकालिक आधार पर नियुक्त और विश्वविद्यालय द्वारा विहित वेतनमान में कार्यरत कोई अध्यापक अभिप्रेत है किन्तु संविदा आधार पर

(श्री कालीचरण सर्राफ)

नियुक्त या विदेश सेवा में के और संबंधित विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत अध्यापक इसके अन्तर्गत नहीं आएंगे। यह मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं और सदन से यह आग्रह करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उसे स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़): अमेंडमेंट तो वापस करवाइये। उपाध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों ने जो अमेंडमेंट दिये हैं, वह तो वापस करवाइये।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): ऐसा है, हम लोगों ने जो अमेंडमेंट पेश किये थे, वह विद्ड्रा कर लिये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: ठीक है। खण्ड-3, प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): विधेयक के खण्ड 4(6) के पश्चात् निम्न प्रकार से नवीन खण्ड-7 जोड़ा जाये। कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित, एक शिक्षाविद् यह इसलिए दिया था कि जो सलैक्शन कमेटी होती है, उसमें गवर्नर का नोमिनी होता है तो छानबीन समिति में भी गवर्नर का एक नोमिनी इनको सम्मिलित करना चाहिये। यदि यह उचित समझें तो ठीक है, हमारी राय है। नहीं उचित समझें तो इनके विवेक पर छोड़ते हैं।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): यह उचित नहीं है, इसलिए स्वीकार योग्य नहीं है।

**श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़): दृढ़ इच्छा शक्ति रखो। एक तो गवर्नर का नाम ही नहीं रखो। आप स्क्रीनिंग कर रहे हो। जब इतनी सारी दृढ़ता रख ली, छोटे से मामले में कल्लाजी को राज़ी कर जाओ।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन डा. बी.डी. कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-5, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 5 एवं 6 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-5 एवं 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड-7, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): अब इसकी जरूरत नहीं है, यह जब होती जब यह 127 आदमियों को नहीं करते, इसलिए मैं इसको नहीं रख रहा हूं।

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): विद्-ड्रा कर लीजिये।।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): मैं वापस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि खण्ड-7 को स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-7 स्वीकार किया गया।

खण्ड-8, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-8 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-8 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

## विधेयक का पारण

## राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008

**श्री कालीचरण सर्राफ** (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरूवार, दिनांक 20 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 22.04 बजे गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)**

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## पाली जिले के वस्त्र उद्योगों में टैक्सटाइल मशीनों की स्थापना में व्याप्त अनियमितताएं

322. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 में पाली की टैक्सटाइल फैक्ट्रियों में वर्ष 2004 के पश्चात लगी मशीनों को बंद करवा दिया गया है? यदि हां, तो वर्ष 2004 को ही आधार बनाने के कारण क्या हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में वर्ष 2004 से 2007 तक पाली के विभिन्न कारखानों में टैक्सटाइल मशीनें लगने दी गई हैं? यदि हां, तो वर्ष 2007 में ही पुरानी तिथि से लगी मशीनों को बंद करवाने का क्या औचित्य है?

(3) क्या यह सही है कि पाली के उक्त प्रकार के कारखानों में अधिकारियों की लापरवाही से मशीनें लगती रही? यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या यह सही है कि पाली की कुछ टैक्सटाइल फैक्ट्रियों को उनके कारखानों से निश्चित मात्रा में प्रदूषित पानी ट्रीट करके निकालने की स्वीकृति सी.ई.टी.पी. द्वारा दी जा चुकी है? यदि हां, तो बिना पानी की मात्रा आंकलन किए उनकी मशीनों को सील करने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

(1) जी हां। पाली की जल प्रदूषण समस्या बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पिटिशन क्रमांक : 759/2002 महावीर नगर विकास समिति बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के अन्तर्गत दिनांक 9.3.2004 एवं 14.5.2004 को प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्न आदेश पारित किये :-

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नये सिरे से पाली एवं आसपास के क्षेत्र के वस्त्र उद्योगों का निरीक्षण करेगा तथा ऐसे उद्योग जो प्रदूषण फैला रहे हैं तथा सी.ई.टी.पी. से नहीं जुड़े हैं एवं जो इकाइयां अपने उच्छिष्ट को जमीन पर/नदी में प्रवाहित कर रही हैं उन्हें बंद कर दिया जाये।

(पर्यावरण मंत्री)

2. जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं उन्हें प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित व्यवस्था अपनानी होगी।

3. रीको द्वारा विशुद्ध रूप से वस्त्र उद्योगों हेतु आबादी क्षेत्र से समुचित दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 6 माह की अवधि के भीतर कर आवासीय क्षेत्र की इकाइयों को इस औद्योगिक क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से स्थानान्तरित किया जायेगा।

4. राज्य मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्छिष्ट का उपचार सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र ट्रस्ट अपने संयंत्रों का आवश्यक अपग्रेडेशन करेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा इन इकाइयों के प्रदूषण से पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान के आंकलन हेतु विशेषज्ञ की नियुक्ति की जायेगी एवं आठ सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ताकि उद्योगों द्वारा देय मुआवजे का आंकलन किया जा सके।

6. पाली, बालोतरा, जसोल एवं जोधपुर में उद्योगों द्वारा कार्बोनाइजिंग प्रोसेस काम में नहीं लिये जायें।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में पाली के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित वस्त्र उद्योगों का माह अप्रैल, 2004 में सर्वेक्षण किया गया था। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगों एवं इनमें स्थापित जल प्रदूषणकारी मशीनों का सर्वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किया गया, जबकि गैर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों का सर्वे उद्योग विभाग द्वारा सम्पादित किया गया। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पाली। स्थित तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों, जिनकी क्षमता क्रमश: 5.2, 8.4 एवं 9.08 एम.एल.डी. की है, के उन्नयन का कार्य भी पाली जल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन एवं अनुसंधान फाउन्डेशन द्वारा मार्च, 2007 में पूर्ण कर तकनीकी रूप से विधिवत संचालन प्रारम्भ किया गया। संयुक्त उपचार संयंत्रों के पूर्ण क्षमता पर संचालन के पश्चात यह पाया गया कि क्षमता से काफी अधिक है, जिसके कारण अनुपाचारित प्रदूषित जल का एक भाग सीधे नदी में प्रवाहित होता है। बांडी नदी में वाहित हो रहे अनुचारित प्रदूषित जल को नियंत्रित करने एवं पाली की जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु दिनांक 04.07.2007 को एक उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उद्योग प्रतिनिधियों, किसान प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, उद्योग, जिला कलक्टर, स्थानीय विधायक एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त उपचार संयंत्रों

(पर्यावरण मंत्री)

पर क्षमता से अधिक आ रहे प्रदूषित जल की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माह अप्रैल, 2004 में औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों के सर्वे के पश्चात स्थापित सभी अतिरिक्त जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को हटाया जाये। बन्द करवाया जावे। उक्त निर्णय की अनुपालना में औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों से जनित प्रदूषित जल को कार्यरत संयुक्त उपचार संयंत्रों की क्षमता तक नियंत्रित करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा अप्रैल, 2004 के बाद स्थापित जल प्रदूषणकारी मशीनों को बन्द/ सील करने की कार्यवाही की गई।

(2) जी नहीं। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों से जनित प्रदूषित जल की मात्रा संयुक्त उपचार संयंत्रों की क्षमता से अधिक होने के कारण अनुपाचारित प्रदूषित जल का एक भाग सीधे नदी में प्रवाहित होता है। इस कारण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अप्रैल, 2004 में किये गये सर्वे के पश्चात् किसी भी उद्योग को अतिरिक्त जल प्रदूषणकारी मशीनों को स्थापित करने हेतु कोई अनुमति (सम्मति) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत जारी नहीं की गई। किन्तु कतिपय उद्योगों द्वारा राज्य मण्डल की अनुमति के बिना ही अप्रैल, 2004 के बाद अतिरिक्त जल प्रदूषणकारी मशीनों को स्वयं के स्तर पर स्थापित किया गया है। इस कारण से इन जल प्रदूषणकारी मशीनों की स्थापना नियमानुसार नहीं है। नदी में विहित हो रहे प्रदूषित जल को नियंत्रित करने हेतु दिनांक 04.07.2007 को सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में कठोर निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माह अप्रैल, 2004 में औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों एवं स्थापित जल प्रदूषणकारी मशीनों के सर्वे के पश्चात स्थापित सभी अतिरिक्त जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को हटाया जाये/बन्द करवाया जावे। इस निर्णय की अनुपालना में औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों से जनित प्रदूषित जल को कार्यरत संयुक्त उपचार संयंत्रों की क्षमता तक नियंत्रित करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा अप्रैल, 2004 के बाद स्थापित जल प्रदूषणकारी मशीनों को बन्द/सील करने की कार्यवाही की गई।

(3) जी नहीं। जैसा प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि राज्य मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत अप्रैल, 2004 के बाद अतिरिक्त जल प्रदूषणकारी मशीनों को स्थापित करने हेतु किसी भी उद्योग को कोई अनुमति (सम्मति) जारी नहीं की गई। किन्तु कतिपय उद्योगों द्वारा राज्य मण्डल की अनुमति के बिना ही

(पर्यावरण मंत्री)

अप्रैल, 2004 के बाद अतिरिक्त जल प्रदूषणकारी मशीनों को स्वयं के स्तर पर स्थापित किया गया, जो न तो नियमानुसार है और न ही इन मशीनों की स्थापना में राज्य मण्डल के किसी भी अधिकारी का कोई संरक्षण रहा है। अतः राज्य मण्डल के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) जी हां। पाली जल प्रदूषण नियंत्रण, परिशोधन एवं अनुसंधान फाउण्डेशन, जिसे सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पाली स्थित तीनों संयुक्त उपचार संयंत्रों के उन्नयन का कार्य दिसम्बर, 2005 से प्रारम्भ कर मार्च, 2007 में पूरा किया गया और इस कार्य में लगभग 8.72 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इन उपचार संयंत्रों का पूर्ण क्षमता पर संचालन होने के पश्चात इन संयंत्रों से जुड़े जल प्रदूषक उद्योगों द्वारा घोषित प्रदूषित जल की मात्रा को आधार मानते हुए सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट ने उनके प्रदूषित जल के उपचार की स्वीकृति दी। उल्लेखनीय है कि वस्त्र उद्योगों द्वारा उनसे जनति प्रदूषित जल की मात्रा का अलग-अलग आंकलन किये जाने की कोई व्यवस्था उद्योग स्तर पर अथवा सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट द्वारा नहीं की गई है। संयुक्त उपचार संयंत्रों के पूर्ण क्षमता पर संचालन के पश्चात यह पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल की मात्रा इन संयंत्रों की क्षमता से काफी अधिक है, जिसके कारण अनुपचारित प्रदूषित जल का एक भाग सीधे नदी में प्रवाहित होता है। उद्योगों से जनित प्रदूषित जल के आंकलन की कोई व्यवस्था न होने के कारण सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट द्वारा यह बता पाना सम्भव नहीं रहा कि किस उद्योग द्वारा स्वीकृत मात्रा से अधिक प्रदूषित जल वाहित किया जा रहा है। बांडी नदी में वाहित हो रहे अनुपचारित प्रदूषित जल को नियंत्रित करने एवं पाली की जल प्रदूषण की समस्या के समाधन हेतु दिनांक 04.07.2007 को एक उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई जिसमें उद्योग प्रतिनिधियों, किसान प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव उद्योग, जिला कलक्टर, स्थानीय विधायक एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त उपचार संयंत्रों पर क्षमता से अधिक आ रहे प्रदूषित जल की मात्रा को कम करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माह अप्रैल, 2004 में औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों एवं स्थापित जल प्रदूषणकारी मशीनों के सर्वे के पश्चात् स्थापित समस्त अतिरिक्त जल

(पर्यावरण मंत्री)

प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को हटाया जाये/बन्द करवाया जावे। उक्त निर्णय की अनुपालना में औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों से जनित प्रदूषित जल को कार्यरत संयुक्त उपचार संयंत्रों की क्षमता तक नियंत्रित करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा अप्रैल, 2004 के बाद स्थापित जल प्रदूषणकारी मशीनों को बन्द/ सील करने की कार्यवाही की गई।

## जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के तहत पुष्कर एवं अजमेर शहरों के विकास हेतु कार्य-योजना

**323. डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के किन-किन शहरों का चयन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मिशन के तहत इन शहरों में कौन-कौन से काम कराये जाने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन कार्यों की कार्य योजना बनाकर भेजी जा चुकी है? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में? शहरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पुष्कर-अजमेर भी इन शहरों में है? यदि हां, तो कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के जयपुर एवं अजमेर-पुष्कर मिशन शहरों का चयन किया गया है।

(2) मिशन के अंतर्गत उपरोक्त मिशन शहरों के पुराने क्षेत्रों का नवीनीकरण, जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, नालों का निर्माण, शहरी यातायात, जनसहभागिता से पार्किंग का निर्माण, विरासत संरक्षण एवं जल स्त्रोतों का पुनरुद्वार आदि कार्य लिये जा सकते हैं।

इन शहरों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शहरी विकास योजनाओं में विभिन्न घटकों पर प्रस्तावित व्यय परिशिष्ट ''अ'' पर है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। शहरी विकास योजनाओं (CDP) के अनुसार भारत सरकार को प्रस्तुत की गई विभिन्न परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(4) जी हां। विवरण खण्ड तीन के परिशिष्ट ''ब'' पर है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कठूमर विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत अविद्युतीकृत ग्राम

324. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सभी ग्रामों/ढाणियों को बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके क्या मानदण्ड तय किये गये हैं तथा उपभोक्ता से इसका क्या चार्ज वसूला जाता है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत अलवर जिले के अनेकों गांव व ढाणियां इस सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व किन-किन कारणों से?

(3) क्या सरकार अब विधान सभा क्षेत्र कठूमर के सभी ग्रामों व ढाणियों को उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युत उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सभी ग्रामीण आवासों को 5 वर्षों में बिजली सुलभ कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत अविद्युतिकृत ग्रामों के लिये 6.50 लाख रु. एवं अन्य ग्रामों के सघन विद्युतीकरण हेतु 1.00 लाख रु. प्रति ग्राम का प्रावधान किया था। इन मापदण्डों के अन्तर्गत राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सभी ग्रामीण आवासों को बिजली उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। इस योजना में केवल गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (BPL) को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) अलवर जिले के लिये भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण

(ऊर्जा मंत्री)

निगम ने 61.70 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत 47 गांव तथा 840 ढाणियों को सम्मिलित किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्राप्त संशोधित मापदण्डों के अनुसार संशोधित योजना भेजी जा रही है जिसमें बचे हुए सभी आवासों को सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर के 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है तथा स्वीकृत होने के बाद ही कार्य करवाया जायेगा।

## झालावाड़ जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

325. **श्री कन्हैया लाल पाटीदार** (पिड़ावा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों की कितनी सड़कें हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों की हालत जर्जर अवस्था में है? यदि हां, तो कौन-कौनसी?

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों में नवीन सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य बकाया है? यदि हां, तो कितने व किस-किस क्षेत्र में?

(4) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत या नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) झालावाड़ जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा 70 सड़कें निर्मित कराई गई हैं, जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) झालावाड़ जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा निर्मित कराई

(कृषि विपणन मंत्री)

गई 19 सड़कें जर्जर/क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। इन क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति (जिला झालावाड़) में 19 नवीन सड़कें निर्माणाधीन हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। सड़कों की मरम्मत का कोई भी स्वीकृत कार्य बकाया नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। मण्डी समिति के पास सड़कों की मरम्मत या नवीनीकरण हेतु पर्याप्त बचत राशि उपलब्ध होने पर कार्य की प्राथमिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी समिति के निर्णय अनुसार 1998-99 तक निर्मित सड़कों की मरम्मत या नवीनीकरण कराया जाना प्रस्तावित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नागौर जिले में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम में व्याप्त अनियमितताएं

326. **श्री रामचन्द्र जारोड़ा** (मेड़ता) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्ष 2004 से अब तक राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मिड-डे-मील) के अन्तर्गत कितना गेहूं कब-कब आबंटित किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित खाद्य पदार्थों में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी मात्रा में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अनियमितताओं में कौन-कौन दोषी पाये गये व सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक खाद्य पदार्थों के वितरण की जांच कब-कब करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न का आबंटन वर्ष में एक बार किया जाता है। इस आबंटन के आधार पर जिले द्वारा तहसीलवार आबंटन किया जाता है। तहसीलवार आबंटन का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) आबंटित खाद्य पदार्थों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। खाद्य पदार्थों के वितरण में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। वर्ष 2006-07 में पोषाहार वितरण में कुचामन क्रय विक्रय सहकारी समिति ने 709.301 क्विंटल गेहूं एवं 450.069 क्विंटल चावल का एवं मेड़ता कृषक क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. मेड़ता द्वारा 1970.89 क्विंटल गेहूं तथा 457.09 क्विंटल चावल का वितरण शिक्षण संस्थाओं को नहीं किया तथा खाद्यान्न का गबन कर अनियमितता की गई।

(3) उक्त अनियमितताओं में कुचामन क्रय-विक्रय सहकारी समिति, कुचामन एवं मेड़ता कृषक क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., मेड़ता दोषी पाई गई है। इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में मेड़ता कृषक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के विरुद्ध एफआईआर सं. 223/07 दिनांक 19.11.2007 पुलिस थाना डेगाना में तथा कुचामन क्रय-विक्रय सहकारी समिति के विरुद्ध एफआईआर सं. 30208 दिनांक 14.02.2008 को पुलिस थाना कुचामन शहर में दर्ज कराई गई है। दोनों ही प्रकरणों में पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है।

(4) वर्ष 2006-07 में राज्य के खाद्यान्न के औसत उठाव की तुलना में नागौर में खाद्यान्न का उठाव प्रतिशत अधिक होने के कारण ऐहतियात के तौर पर सरकार द्वारा जून, 2007 में प्रारम्भिक जांच करवाई गई।

इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा योजना व परियोजना अधिकारी, लेखा (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) तथा जिला रसद अधिकारी, नागौर की संयुक्त टीम द्वारा दिसमबर, 2007 में पुन: जांच की गई।

कार्यक्रम के नियमित क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न जिला स्तरीय एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## दुर्गापुरा-रेलवे ओवर ब्रिज-टोंक रोड हेतु नगरीय बस सेवा

327. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या महारानी फार्म दुर्गापुरा क्षेत्र में अग्रवाल फार्म से महारानी फार्म होते हुए छोटी चौपड़ तक मार्ग संख्या 220 पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस संचालित हो रही है? यदि हां, तो उक्त बस का मार्ग क्या है?

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस दुर्गापुरा आर.ओ.बी. से टोंक रोड की ओर जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या दुर्गापुरा रेलवे ओवर ब्रिज से टोंक रोड जाने के लिए परिवहन सेवा चालू करने बाबत उक्त क्षेत्र की जनता तथा विधायक द्वारा मांग की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

**उत्तर**

(1) जी हां। इस बस का मार्ग निम्न प्रकार है :-

अग्रवाल फार्म से छोटी चौपड वाया महारानी फार्म-दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन-शान्तिनगर-गोपालपुरापुलिया- गोपालपुरा मोड़-टोंक फाटक-रामबाग सर्किल-सवाई मानसिंह चिकित्सालय-अजमेरी गेट।

(2) जी नहीं। माह जुलाई, 2004 से दुर्गापुरा आर.ओ.बी. का निर्माणकार्य प्रारम्भ होने पर अग्रवाल फार्म से छोटी चौपड़ की निगम बस सेवाओं को वाया डालडा फैक्ट्री के स्थान पर दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन-गोपालपुरा पुलिया-गोपालपुरा मोड होकर संचालित किये जाने लगा। इस मार्ग से होकर वाहन संचालन करने से पूर्व के मार्ग वाया डाला फैक्ट्री-दुर्गापुरा की अपेक्षा निगम वाहनों के यात्रीभार में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में पुन: अग्रवाल फार्म से छोटी चौपड़ वाली निगम बसों को वाया डालडा फैक्ट्री होकर संचालित किये जाने से यात्रीभार में कमी आने के कारण निगम के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में खण्ड-2 में अंकितानुसार समय-समय पर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाता रहा है।

## पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

328. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा नियमानुसार पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया गया है? यदि हां, तो अब कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्डों एवं गुणावगुण पर समग्र विचार कर उपलब्ध वित्तीय संसाधनान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं। इन्हीं मानदण्डान्तर्गत पंचायत समिति राजगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों को भी उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

**परिशिष्ट ''क''**

**राजकीय प्राथमिक से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड**

| क्र.सं. | मानदण्ड | सामान्य क्षेत्र | रेगिस्तानी क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्राम की जनसंख्या | 1000 | 500 |
| 2. | कक्षा-5 की छात्र/छात्रा संख्या | 20 | 15 |
| 3. | कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या | 100 | 75 |
| 4. | फीडर प्राथमिक विद्यालय | 2 | 2 |
| 5. | 2 कि.मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा का नहीं होना। | | |

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

## उपखण्ड झाडोल एवं कोटड़ा (उदयपुर) में खेल केन्द्रों की स्थापना

329. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या युवा एवं खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उपखण्ड झाडोल एवं कोटड़ा में खेल केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उपखण्ड झाडोल व कोटड़ा में दिनांक 09.01.2008 को युवा ग्रामीण केन्द्र खोल दिये गये हैं।

## औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में आधुनिक अग्नि शमन केन्द्र की स्थापना

330. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उचित संसाधनों के साथ अग्नि शमन केन्द्र नहीं है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक आधुनिक अग्नि शमन केन्द्र चालू कर दिया जावेगा?

(2) क्या सरकार अग्नि शमन केन्द्र में बड़ी गाड़ियों के साथ छोटी गाड़ियों भी आसपास की कॉलोनियों व गांवों की छोटी सड़कें व छोटी गलियों की स्थिति को देखते हुए रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में 3500 वर्गमीटर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की गई है। अग्निशमन केन्द्र में 4 फायर टेण्डर खड़े करने हेतु हेंगर्स, प्रशासनिक भवन, वाटर ट्यूब वैल, फायर हाइड्रेण्ट व अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई है। भिवाड़ी अग्निशमन केन्द्र में एक छोटा व एक बड़ा अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। अग्निशमन वाहन में एल्यूमिनियम सीढ़ी, नोजल, होज पाइप, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेण्डर इत्यादि की व्यवस्था है।

(2) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में रीको द्वारा स्थापित अग्निशमन केन्द्र में एक बड़ा अग्निशमन वाहन के साथ एक छोटा अग्निशमन वाहन भी उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार इस छोटे वाहन का भी अग्निशमन हेतु उपयोग किया जा सकता है।

## विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व

331. **डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में बिजली की दरें कब-कब, कितनी-कितनी घरेलू, व्यावसायिक एवं कृषि कनेक्शनों पर बढ़ाई गई? उससे बिजली कम्पनियों को कितना-कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बिजली की दरें नहीं बढ़ाने व कृषि कार्यों हेतु 8 घण्टे बिजली देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या किसानों को आठ घण्टे बिजली उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) गत चार वर्षों में राज्य में केवल एक बार घरेलू एवं कृषि कनेक्शनों पर दिनांक 1 जनवरी, 2005 से विद्युत दरों में वृद्धि की गई जो बिलिंग माह फरवरी, 2005 से लागू है। बढ़ाई गई विद्युत दरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। व्यावसायिक दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। उक्त दरों में वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत निगमों को प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का दिसम्बर, 2007 तक का निगमवार विवरण निम्न प्रकार है :-

| निगम का नाम | अतिरिक्त राजस्व प्राप्त राशि (करोड़ रु. में) | | |
|---|---|---|---|
| | घरेलू | कृषि | योग |
| जयपुर विद्युत वितरण निगम | 364.70 | 339.12 | 703.82 |
| अजमेर विद्युत वितरण निगम | 381.39 | 440.03 | 821.42 |
| जोधपुर विद्युत वितरण निगम | 291.64 | 413.27 | 704.91 |

(2) जी हां। विद्युत वितरण निगमों द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2005 के बाद बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। कृषि कार्यों हेतु किसानों को विद्युत उपलब्धता अनुसार वर्तमान में थ्री फेज 6.30-6.30 घंटे के दो एवं 7 घंटे के एक ब्लाक में विद्युत प्रदाय की जा रही है।

**परिशिष्ट "अ"**

**घरेलू तथा कृषि श्रेणी के अन्तर्गत पिछले 4 वर्षों में की गई वृद्धि की तालिका**

| क्र. सं. | श्रेणी | फरवरी, 2005 से लगातार |
|---|---|---|
| 1. | i) प्रथम 50 यूनिट/माह | 195 पै./यू.* |
| | ii) अगले 50 यूनिट/माह | 350 पै./यू. |
| | iii) अगले 100 यूनिट/माह | 350 पै./यू. |
| | iv) अगले 100 यूनिट/माह | 350 पै./यू. |
| | v) शेष 300 यूनिट/माह से अधिक प्रति माह | 350 पै./यू. |
| 2 | | |
| | i) सामान्य श्रेणी | 110 पै./यू.* |
| | ii) फार्म हाउस श्रेणी | 340 पै./यू. |
| | iii) अन्य सभी जिन्हें लगातार अर्थात 24 घंटे विद्युत प्रदाय की जा रही हो एवं पॉल्ट्री फार्म। | 210 पै./यू. |
| | i) सामान्य श्रेणी | 140 रु./एचपी/माह** |
| | ii) विशेष फोडर स्कीम | 200 रु./एचपी/माह |
| | iii) अन्य सभी जिन्हें लगातार अर्थात 24 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय की जाती है। | 230 रु/एचपी/ माह |

नोट :- (1)* ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर ज्योति एवं शहर में कच्ची बस्ती में बी.पी.एल. श्रेणी के लिये विद्युत दर – 85 पै./यू.। छोटे घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं, जिनका मासिक विद्युत उपभोग 50 यूनिट/माह तक हो उनके लिए विद्युत दर 170 पै./यू. है। इन दोनों माममों में विद्युत दरों में अंतर की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(2) ** ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रेणी में जहां 24 घंटे विद्युत प्रदाय नहीं की जाती है उनकी दरों के अन्तर को भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान रूप में भरपाई की जाती है।

(3) पिछले चार वर्षों में व्यवसायिक कनेक्शनों पर विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई।

## बगरू (जयपुर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

332. **श्री समर्थ लाल** (राजगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर एवं कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) जयपुर की बगरू स्थित गौण मण्डियों में वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2007-08 में मण्डी शुल्क के रूप में कितनी आय प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका क्षेत्र बगरू में उपरोक्त वित्तीय वर्षों में नई सड़कों के निर्माण/पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा अन्य निर्माण कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बगरू में पृथक मंडी समिति के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है? यदि हां, तो यह कब तक चालू होने की सम्भावना है?

**उत्तर**

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) एवं कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर की गौण मण्डी यार्ड बगरू में वर्ष 1998-99 से 2007-08 (जनवरी-2008 तक) मण्डी शुल्क से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) बगरू नगरपालिका क्षेत्र में उपरोक्त वित्तीय वर्षों में नई सड़कों

(कृषि मंत्री)

के निर्माण कार्यों में राशि व्यय नहीं हुई है, पुरानी सड़कों की मरम्मत पर 18.48 लाख रु. व्यय हुये हैं। अन्य निर्माण कार्यों पर (गौण मण्डी यार्ड बगरू) पर 50.43 लाख रु. व्यय हुये हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस आशय की अधिसूचना जारी की जा चुकी है एवं प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 4 एवं 7(2)(ब) के तहत सदस्यों के मनोनयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**परिशिष्ट 'क'**

**कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) एवं कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर की गौण मण्डी यार्ड बगरू की वर्ष 1998-99 से 2007-08 (जनवरी– 2008 तक) मण्डी शुल्क से आय का विवरण**

| क्र.सं. | वर्ष | मण्डी शुल्क से आय (राशि लाख रु. में) | |
|---|---|---|---|
| | | कृ.उ.मं.सं. (अनाज) | कृ.उ.मं.स. (फ.स.) |
| 1 | 1998-99 | 57.63 | 1.17 |
| 2 | 1999-2000 | 48.31 | 1.63 |
| 3 | 2000-2001 | 39.10 | 2.29 |
| 4 | 2001-2002 | 44.05 | 1.60 |
| 5 | 2002-2003 | 43.90 | 1.62 |
| 6 | 2003-2004 | 52.24 | 1.50 |
| 7 | 2004-2005 | 68.55 | 1.52 |
| 8 | 2005-2006 | 53.73 | 2.23 |
| 9 | 2006-2007 | 48.24 | 1.70 |
| 10 | 2007-2008 (जनवरी 2008 तक) | 53.27 | 1.65 |
| | **कुल** | **509.02** | **16.91** |

**बगरू नगरपालिका क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2007-2008 में व्यय का विवरण**

परिशिष्ट 'अ'

| क्र. सं. | कार्य का नाम | व्यय (रु. लाखों में) | | | | | | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1998-99 | 99-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | आर.यू.पी. द्वितीय चरण (विशेष मरम्मत) | | | | | | | | | | | |
| 1 | बगरू पैट्रोल पम्प से बेगस | | | | | 6.27 | - | 0.83 | | | | 7.10 |
| 2 | बगरू से रामपुरा उंटी | | | | | 10.68 | - | 0.70 | | | | 11.38 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.48 |
| 3 | विशेष मरम्मत फुटपाथ | 0.39 | | | | | | | | | | 0.39 |
| 4 | प्लेटफार्म को ऊंचा एवं मरम्मत करने का कार्य | 0.76 | | | | | | | | | | 0.76 |
| 5 | पानी की खेल | 0.29 | | | | | | | | | | 0.29 |
| 6 | कार्यालय भवन मरम्मत कार्य | 1.21 | | | | | | | | | | 1.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | विशेष मरम्मत कार्यालय भवन | 0.39 | | | | | | | | | | 0.39 |
| 8 | चारदीवारी कार्य | 0.06 | | | | | | | | | | 0.06 |
| 9 | चैक पोस्ट का कार्य | 0.10 | | | | | | | | | | 0.10 |
| 10 | विशेष मरम्मत कम्पाउण्ड वाल | 0.87 | | | | | | | | | | 0.87 |
| 11 | रैजिंग आफ प्लेटफार्म बगरू | 4.49 | | | | | | | | | | 4.49 |
| 12 | रैजिंग आफ ऐक्जेस्टींग कम्पाउण्ड वाल | 0.66 | 1.42 | | | | | | | | | 2.08 |
| 13 | फुटपाथ सबयार्ड बगरू | 0.83 | | | | | | | | | | 0.83 |
| 14 | मैन गेट की मरम्मत का कार्य | 0.12 | | | | | | | | | | 0.12 |
| 15 | साइड की नालियों का विशेष मरम्मत कार्य | | 0.53 | | | | | | | | | 0.53 |
| 16 | वायर फेन्सिग चारदीवारी | | 0.06 | | | | | | | | | 0.06 |
| 17 | पानी की खेल | | 0.08 | | | | | | | | | 0.08 |
| 18 | निर्माण कार्य प्याऊ 1 नं. | | | | | | | | 0.10 | 0.61 | | 0.71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | निर्माण कार्य क्योस्क 1 नं. | | | | | | | | 0.10 | 0.35 | | 0.45 |
| 20 | निर्माण कार्य पानी की खेल | | | | | | | | 0.06 | 0.19 | | 0.25 |
| 21 | निर्माण कार्य टायलेट 2 नं. | | | | | | | | | 0.65 | | 0.65 |
| 22 | विशेष मरम्मत आवासन प्लेटफार्म | | | | | | | | 1.19 | 0.15 | | 1.34 |
| 23 | आन्तरिक सड़क का डामरीकरण मय साइड नालियां निर्माण | | | | | | | | 11.73 | 18.26 | | 29.99 |
| 24 | निर्माण कार्य खुला निलामी चबुतरा | | | | | | | | | | 0.08 | 0.08 |
| 25 | रेनवाटर हारवेस्टिंग सिस्टम बगरू | | | | | | | | | | 4.70 | 4.70 |
| 26 | कम्प्यूटर रूम एवं कार्यालय भवन का विस्तार | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 27 | वाटर हट | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | 10.17 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 20.21 | 4.78 | 50.43 |
| | | 10.17 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 1.53 | 13.18 | 20.21 | 4.78 | 68.91 |

## ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सेवाओं के रख-रखाव हेतु पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग द्वारा आबंटित राशि

333. **श्रीमती राजकुमारी शर्मा** (सीकर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारहवें वित्त आयोग की पंचशाला अवधि वर्ष 2005-2010 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिये वर्ष 2006-07 में कितनी राशि पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित की गई? इस राशि के हस्तान्तरण का मानदण्ड क्या है तथा किन-किन पंचायतराज संस्थाओं को यह राशि किसके माध्यम से दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य वित्त आयोग द्वारा तृतीय पंचाट अवधि 2005-2010 के लिये (तृतीय वित्त आयोग के तहत) ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सेवाओं के रख-रखाव के लिये वर्ष 2005-06 व 2006-07 में कितनी राशि का अनुदान किन-किन पंचायतराज संस्थाओं को किसके माध्यम से दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) बारहवें वित्त आयोग की पंचशाला अवधि वर्ष 2005 से 2010 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए वर्ष 2006-07 में राशि रु. 22293.75 लाख पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की गई। इस राशि के हस्तान्तरण का मापदण्ड संबंधित जिले की जनसंख्या, शिक्षा स्तर, बी.पी.एल. परिवारों की संख्या एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारित प्रतिशत से विकलेय राशि जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को उनके निजी निक्षेप खाते के माध्यम से एवं ग्राम पंचायतों को बैंकिंग चैनल के माध्यम से दी गई है।

(2) राज्य वित्त आयोग तृतीय पंचाट अवधि 2005-10 के लिए तृतीय वित्त आयोग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सेवाओं के रखरखाव के लिए वर्ष 2005-06 व 2006-07 में निम्न राशि का अनुदान दिया गया है :-

| वित्तीय वर्ष | राशि लाख रु. में |
|---|---|
| 2005-06 | 15757.00 |
| 2006-07 | 18000.04 |

वित्तीय वर्ष 2005-06 की सम्पूर्ण राशि व 2006-07 की प्रथम किस्त

(पंचायती राज मंत्री)

की राशि जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को निजी निक्षेप खाते के माध्यम से तथा ग्राम पंचायत समिति के माध्यम से दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 की द्वितीय किश्त की राशि में से जिला परिषद एवं पंचायत समिति के हिस्से की राशि उनके निजी निक्षेप खाते के माध्यम से एवं ग्राम पंचायतों की राशि बैंकिंग चैनल के माध्यम से दी गई है।

## भरतपुर जिले के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

334. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 से 2007 के मध्य भरतपुर जिले में नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में वर्ष 1998 से 2007 के मध्य विद्यालयों को क्रमोन्नत भी किया गया है? यदि हां, तो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक बनाये गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में विशेषकर नगर व डीग तहसीलों में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की मांग सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां-कहां की? सरकार इस पर कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार बेरू, मूण्डियां, दूंदावल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्ष 1998 से 2007 के मध्य भरतपुर जिले में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 1998 से 2007 के मध्य भरतपुर जिले में प्राथमिक

(शिक्षा मंत्री)

से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। भरतपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्डों एवं गुणावगुण पर समग्र विचार कर उपलब्ध वित्तीय संसाधनान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं। इन्हीं मानदण्डान्तर्गत व उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत समग्र विचार कर नगर व डीग तहसीलों के विद्यालय क्रमोन्नति पर विचार किया जायेगा।

(5) बेरू, मूण्डिया, दूंदावल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों पर मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर गुणावगुण एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनान्तर्गत विद्यालय क्रमोन्नति का निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## ताल छापर (चूरू) वन क्षेत्र के वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कार्य-योजना

335. **श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ताल छापर (चूरू) में मृगों के लिए घास व पानी की उचित व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि जल के अभाव में गत 5 वर्षों में मृगों की मृत्यु भी हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) ताल छापर क्षेत्र की मृग आबादी की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये?

(4) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। गत 5 वर्षों में जल के अभाव से ताल छापर में मृगों की मृत्यु नहीं हुई है।

(3) तालछापर क्षेत्र में मृगों की सुरक्षा के लिये एक वनपाल, 2 वनरक्षक व 9 कार्य प्रभारित कर्मचारी मय वाहन हर समय तैनात हैं। इसके अतिरिक्त आवारा कुत्तों से मृगों की सुरक्षा हेतु आबादी से सटे हुए अभ्यारण्य क्षेत्र की 2800 रनिंग मीटर दीवार, 1400 रनिंग मीटर चैनलिंक फैंसिंग करवा दी गई है तथा 1000 रनिंग मीटर चैनलिंग फैंसिंग का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

(4) ताल छापर अभ्यारण्य के विकास के सम्बन्ध में रुपये 590.60 लाख की एक कार्य योजना वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक के लिए तैयार की गई है, जिसमें हैबिटाट इम्प्रूवमेंट, ईको ट्यूरिज्म, वाटर मैनेजमेंट, चरागाह विकास, अभ्यारण्य सुरक्षा इत्यादि कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

## ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों हेतु नगरीय क्षेत्र में आवासीय सुविधा

336. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में शहरों में आने वाले ग्रामीण युवक, युवतियों, बी.पी.एल. कामगारों अथवा किसान क्रेडिट कार्डधारी परिवार के सदस्यों को कम किराये पर मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से रेण्टल हाउसिंग योजना प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो यह योजना किन-किन शहरी क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई?

(2) जहां यह योजना लागू है वहां कितने ग्रामीणों को इसका लाभ मिला है? जिला व शहर अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) रेन्टल हाऊसिंग योजना लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है। प्रारम्भ में यह योजना जयपुर शहर में लागू किये जाने की कार्यवाही चल रही है।

(2) योजना क्रियान्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में होने से अभी तक कोई लाभान्वित नहीं हुआ है।

## गंगरार विधान सभा क्षेत्र में नवीन ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

337. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कितने 132/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरेड़ा में 132 के.वी. व साडास व बूढ में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में गत चार वर्षों में एक 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन अजोलिया का खेड़ा में स्थापित किया जाकर उसे दिनांक 31.7.2007 को चालू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन नगरी व भीमगढ़ में स्थापित किये गये तथा तीन 33/11 के.वी. सब-स्टेशन सोनियाना, सिंहाना एवं बोरदा का कार्य प्रगति पर है।

(2) भविष्य में क्षेत्र की विद्युत मांग के आधार पर एवं तकनीकी आर्थिक मानदण्डों के अनुरूप साध्य पाये जाने पर व संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए अन्य स्थानों पर 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने पर विचार किया जावेगा। साडास में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है एवं बूढ में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

## राठ-खुन्दनी (कुशलगढ़) क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का डामरीकरण

338. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किन-किन सड़कों का निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में राठ से खुन्दनी व मेन रोड भोयन घाटी से टिमेडा (चरकनी) सड़क का निर्माण 10 वर्ष पूर्व कराया गया था, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः निर्माण करवाने/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी द्वारा राठ से खुन्दनी तक की सड़क का निर्माण 19 वर्ष पूर्व एवं मेन रोड़ भोयन घाटी से टिमेडा (चरकानी)–सम्पर्क सड़क चरकनी) तक की सड़क का निर्माण 7 वर्ष पूर्व कराया गया था। वर्ष 2006 की बाढ़ से ये सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं।

सम्पर्क सड़क, राठ से खुन्दनी की विशेष मरम्मत (पुनः डामरीकरण) का कार्य प्रगति पर है एवं जून 2008 तक पूर्ण होना सम्भावित है। सम्पर्क सड़क मेन रोड़ भोयन घाटी से टिमेडा (चरकनी)–(सम्पर्क सड़क चरकनी) का मरम्मत कार्य मण्डी समिति के पास सड़क निर्माण हेतु पर्याप्त राशि होने पर ही कराया जा सकेगा।

परिशिष्ट 'अ'

**कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति बांसवाड़ा द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों का विवरण**

| क्र. सं. | कृषि उपज मण्डी समिति का नाम | विधान सभा क्षेत्र | सड़क का नाम | निर्मित लम्बाई (कि.मी.) | निर्माण वर्ष | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बांसवाड़ा | कुशलगढ़ | राठ से खुन्दनी | 3.00 | 1988-89 | राठ से खुन्दनी की कुल लम्बाई चार कि.मी. में से चैनेज 0/500 से 3/500 तक कुल 3 कि.मी. लम्बाई की सज्जनगढ़ से हाला नाम से सड़क कृषि मण्डी द्वारा बनायी गई है। सड़क का शेष भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है। |
| 2 | बांसवाड़ा | कुशलगढ़ | सम्पर्क सड़क बिल्लारी | 1.00 | 2000-01 | सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में विशेष मरम्मत करा दी गई है। |
| 3 | बांसवाड़ा | कुशलगढ़ | मेन रोड भोयन घाटी से टिमेडा (चरकनी) | 1.20 | 2000-01 | सड़क का स्वीकृत नाम सम्पर्क सड़क चरकनी है। |
| 4 | बांसवाड़ा | कुशलगढ़ | कसारवाडी से मुनियांखूटा | 4.20 | 2000-01 | सड़क का स्वीकृत नाम सम्पर्क सड़क मुनियांखूटा |
| | | | **योग** | **9.20** | | |

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## पैट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त ''सेस'' का आरक्षित/अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास पर व्यय

**634. डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004 से पैट्रोल व डीजल पर सेस लगाया जा रहा है? यदि हां, तो कितना व इसमें कब-कब व कितना परिवर्तन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एकत्र राशि का व्यय किन मानदण्डों के आधार पर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सेस के माध्यम से प्रारम्भ से अब तक कितनी एकत्र राशि के विरुद्ध कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की गई? जिलेवार तथा जिला चूरू का तहसीलवार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य गांवों में प्राथमिकता से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या.8(1)पी.डब्ल्यू./94 दिनांक 6.09.2004 के अनुसार रु. 0.50 प्रति लीटर की दर से पेट्रोल व हाई स्पीड डीजल पर उप-कर दिनांक 7 सितम्बर, 2004 से प्रभाव में लाया गया था।

(2) सितम्बर, 2004 से जनवरी, 2008 तक कुल उप-कर राशि निम्न प्रकार प्राप्त हुई-

**(राशि रुपये करोड़ में)**

| वर्ष | उप-कर राशि |
|---|---|
| 2004-05 | 103.18 |
| 2005-06 | 189.62 |
| 2006-07 | 192.49 |
| 2007-08 | 176.88 |

(वित्त मंत्री)

उक्त सेस के माध्यम से एकत्र राशि के विरुद्ध सड़कों पर उन्नयनीकरण, डामरीकरण, सीमेंट सड़क का निर्माण, पुलिया एवं आर.ओ.बी. एवं नवीन सड़कों का निर्माण हेतु व्यय की गयी राशि का कार्यों के वर्गीकरण अनुसार जिलेवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर व चूरू जिले का तहसीलवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त व्यय राशि का व्यय, राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि, अधिनियम 2004 के अध्याय 3 के भाग 7 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया गया है। विधेयक की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। क्योंकि उपरोक्त अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पंजीयन अभिलेखों के सुरक्षित एवं व्यवस्थित रख-रखाव हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण

635. **श्री रघुवीर सिंह मीणा** (सराड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर एवं जिले के पंजीयन अभिलेख सेन्ट्रल रेकार्ड रूम डी.आई.जी. स्टाम्प्स जयपुर से सैन्ट्रल रेकार्ड रूम अजमेर में स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस पंजीयन कार्यालय की किस अवधि का अभिलेख किस-किस किस्म व किस आदेश के तहत स्थानान्तरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीबद्ध अभिलेखों में किस पुस्तक पर इन्द्राज किस अभिलेख का पृष्ठ अपूर्ण/फटा हुआ व अप्राप्त है? सब रजिस्टार किया सहित विवरण की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर केन्द्रीय अभिलेखागार को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में स्थित समस्त केन्द्रीय अभिलेखागारों में वर्षो से वर्षो तक के पंजीयन अभिलेख सुरक्षित रखने हेतु रिकार्ड को वर्षों तक हवा, धूप, रोशनी व विद्युत आदि से सुरक्षित रखते हुए बस्ते आदि में बांधा जा रहा है, एवं औषधि का छिडकाव किया जा रहा है? यदि हां, तो किस औषधि का प्रयोग किया जा रहा है, व नहीं, तो सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं? विरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

(5) क्या रिकार्ड कीपर व उसका सहायक प्रशिक्षित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रशिक्षण की व्यवस्था किये जाने एवं पुराने रिकार्ड को कम्प्यूटराईज किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर शहर एवं जिले के पंजीयन अभिलेख सेन्ट्रल रिकार्ड रूम डी.आई.जी. स्टाम्प्स, जयपुर से सेन्ट्रल रिकार्ड रूम अजमेर में स्थानान्तरण किया गया है। जिस पंजीयन कार्यालय की जिस अवधि का पंजीयन अभिलेख जमा कराया गया है, की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त रिकार्ड में सभी अनिवार्य/ऐच्छिक किस्म के अभिलेख सम्मिलित हैं, तथा उक्त रिकार्ड विभागीय आदेश क्रमांक 1-32 दि. 3.7.2001 द्वारा जमा कराया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त पंजीबद्ध अभिलेखों में उप पंजीयन कार्यालय बूंदी की वर्ष 1963 की पुस्तक संख्या 1. जिल्द संख्या 15 में पृष्ठ 1 से 62 तक के पेज लुप्त हैं। इसके अतिरिक्त और कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(3) वर्तमान में जयपुर में केन्द्रीय अभिलेखागार स्थापित नहीं है। पूर्व में ही जयपुर केन्द्रीय अभिलेखागार अजमेर स्थानान्तरित किया हुआ है।

(4) केन्द्रीय अभिलेखागार, अजमेर में रखें गये पुराने पंजीयन रिकार्ड को नवनिर्मित भवन जिसमें अग्निशमन उपकरण लगे हैं, हवा, धूप रोशनी विद्युत आदि से बचाकर रखा जा रहा है समय-समय पर डी.डी.टी. का उपयोग किया जाता है।

(5) जी नहीं। रिकार्ड कीपर व उसका सहायक प्रशिक्षित नहीं है। प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं पुराने रिकार्ड को कम्प्यूटराइज किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायत योजनान्तर्गत अमान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के परिचर्या राशि का पुनर्भरण

636. **श्री मदन मोहन सिंघल** (कामां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन मोहन सिंघल)

(1) राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना के अन्तर्गत किन-किन पेंशनरों ने अप्रेल, 2007 से 15 फरवरी, 2008 तक राज्य के भीतर तथा, राज्य के बाहर चिकित्सा मण्डल की अनुशंसा सहित, तथा बिना अमान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार कराया? क्या सरकार द्वारा उक्त उपचार व्यय का पुनर्भरण पेंशनरों को कर दिया गया? यदि नहीं, तो किन-किन को किस कारण से भुगतान नहीं किया गया? पेंशनरों के नाम, रोग, पुनर्भरण की गई राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अवधि में चिकित्सा व्यय पुनर्भरण नहीं करने पर कितने पेंशनरों ने राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में वाद दायर किये और उनमें से कितने निर्णीत हुए? विचाराधीन तथा निर्णीत मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में न्यासी मण्डल या उसकी उप समिति ने उनके चिकित्सा व्यय पुनर्भरण के कितने प्रकरण निर्णीत किये और उनको किस प्रकार से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई?

(4) क्या यह सही है दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 को न्यासी मण्डल द्वारा 25,000/- रुपये तक की नि:शुल्क औषधियां पेंशनरों को दिये जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि आर्थोपेडिक सर्जरी आदि के लिए स्क्रू-प्लेट आदि सामान की आवश्यकता होने पर संबंधित राजकीय चिकित्सालय से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर भी राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार की अधिकृत औषधि दुकानों से क्रय करने के लिए बाध्य किया जाता है, जब कि इन दुकानों द्वारा इन सामानों का संधारण नहीं किया जाता? यदि हां, तो इस संबंध में जारी राज्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि श्री शिवरतन सिंह चौहान तथा डा. के.के. विशिष्ट पेंशनरों ने स्ट्रेस थेलियम टेस्ट चिकित्सा मण्डल की अनुशंसा के बिना वर्ष 2007 में राजकीय चिकित्सालय से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर करवाया था? यदि हां, तो उनको इस जांच व्यय का पुनर्भरण कब-कब और किस-किस दर से किया गया व नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि योजना के अनुच्छेद 4(6) (ii) व (iii) के

(श्री मदन मोहन सिंघल)

नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में चिकित्सक की द्वितीय गये की द्वितीय सम्मति का प्रावधान है कि यदि संबंधित चिकित्सक, विभागाध्यक्ष या आचार्य या अकेला ही वरिष्ठ विशेषज्ञ हो, तो भी ऐसे प्रकरणों में प्रतिवर्ष रुपये 5000/- से अधिक सीमा तक नि:शुल्क औषधि प्रदाय करने की राशि में वृद्धि करने के लिए अन्य और किसी चिकित्सक के प्रति हस्ताक्षर कराना आवश्यक है? यदि हां, तो क्यों व इस संबंध में जारी प्रशासनिक आदेश/राज्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर चिकित्सा मण्डल की अनुशंसा सहित तथा बिना अमान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में अप्रेल, 2007 से फरवरी, 2008 तक राज्य के भीतर 24 पेंशनरों द्वारा कराये गये उपचार पर हुए व्यय का पुनर्भरण योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया तथा राज्य के बाहर 37 पेंशनरों द्वारा कराये गये उपचार के प्रकरण राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना के अनुसार देय नहीं है। पेंशनरों की सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त अवधि में चिकित्सा व्यय पुनर्भरण नहीं करने पर निम्न पेंशनरों द्वारा संबंधित न्यायालय में वाद दायर किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जो संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है :-

| क्र. सं. | नाम पेंशनर | न्यायालय जिसमें वाद दायर किया है |
|---|---|---|
| 1 | श्री निरंजन लाल डांगी | जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, भीलवाड़ा |
| 2 | श्री अजीत सिंह सिधवी | राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच |

(3) प्रश्न के भाग एक में सन्दर्भित पेंशनरों में से किसी का भी प्रकरण न्यासी मंडल या उप समिति के समक्ष नहीं रखा है।

(4) न्यासी मण्डल की बैठक दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 में निर्णय लिया गया था कि जिला कलेक्टर को पेंशनरों को नि:शुल्क औषधियां उपलब्ध कराने हेतु रुपये 25,000/- तक की सीमा में वृद्धि किये जाने हेतु अधिकृत किया जाये। इस संबंध में नियमों में संशोधन की प्रक्रिया की जा रही है।

(वित्त मंत्री)

(5) आर्थोपैडिक सर्जरी आदि के लिए चिकित्सा द्वारा कोई दवा अथवा स्क्रू-प्लेट आदि सामान प्रेस्क्राइब करने पर अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना के प्रावधानों के अनुसार दवाइयों की भांति ही उपभोक्ता भण्डार की दुकानों से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त के आधार पर बाजार से क्रय की जा सकती है।

(6) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक (F) 6(4) (Rules)/99 दिनांक 5/4/2003, क्रमांक F.6(4)/2006 दिनांक 16/6/2006 एवं दिनांक 21/11/2006 के अनुसार स्टेस थैलियम टेस्ट हेतु चिकित्सा मण्डल की अभिशंषा आवश्यक है। मेडिकल बोर्ड की अभिशंसा प्राप्त नहीं होने के कारण श्री शिव रतन सिंह चौहान तथा डा. के.के. वशिष्ठ पेंशनर को इस जांच के व्यय का पुनर्भरण नहीं किया गया।

(7) जी हां। यह सही है कि योजना के अनुच्छेद 4(6) के स्पष्टीकरण (ii) के नोट एवं (iii) में यह प्रावधान है कि जिला कलक्टर आवश्यक समझे तो रुपये 5,000/- या इससे अधिक की सीमावृद्धि करते समय द्वितीय चिकित्सक की अभिशंसा प्राप्त कर सकते हैं।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## परिवीक्षाधीन कार्मिकों को देय सुविधाएं

637. **श्री रमेश खीचीं** (कठूमर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मियों को परीवीक्षा काल की अवधि में रखा जाता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत एवं कितनी अवधि के लिए? इस सम्बन्ध में जारी आदेश/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्मिकों को परीवीक्षा काल में अन्य राज्यकर्मियों के समान परिलाभ एवं अवकाश भी देय होते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कितने-कितने दिन के?

(3) असामान्य परिस्थितियों में यदि कोई कार्मिक अर्द्धवेतन अवकाश/अवैतनिक अवकाश लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? क्या उक्त अवकाशों के परीवीक्षा के कारण उक्त कार्मिक के परीवीक्षा काल में वृद्धि होगी? यदि हां, तो क्यों?

(श्री रमेश खीचीं)

(4) क्या परीवीक्षा काल के दौरान महिला कार्मिकों को प्रसूति अवकाश का लाभ देय होगा? यदि हां, तो कितनी अवधि का एवं नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या प.1(35)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 09.04.1979 के अनुसार नियुक्त राज्य कर्मचारियों को दो वर्ष के लिये परिवीक्षाकाल में रखे जाने का प्रावधान है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट – ''क'' पर संलग्न है। तत्पश्चात कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या प.7(2) डीओपी/ए-2/2005 दिनांक 20.01.2006 के अनुसार दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षणाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति का प्रावधान किया हुआ है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-''ख'' पर संलग्न है।

(2) प्रोबेशनर ट्रेनी जो दिनांक 20.01.2006 एवं उसके बाद नियुक्त हुए हैं, को परिवीक्षाकाल में अन्य राज्य कर्मियों के समान परिलाभ एवं अवकाश देय नहीं है। केवल महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश अन्य कर्मचारियों के समान देय है।

(3) असामान्य परिस्थितियों में दिनांक 20.01.2006 एवं उसके बाद नियुक्त हुए प्रोबेशनर ट्रेनी को केवल असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जा सकता है। अवकाश उपभोग के कारण कार्मिक के परिवीक्षाकाल में स्वतः वृद्धि नहीं होती है।

(4) जी हां। परिवीक्षाकाल में महिला कार्मिक को दो जीवित संतानों की सीमा में 135 दिवस का प्रसूति अवकाश देय है।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## बीकानेर जिले में विभिन्न कार्यालयों द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों पर व्यय राशि

638. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजकीय कार्यालयों में राजकीय कार्य हेतु वाहनों को किराए पर लेने तथा इनके उपयोग हेतु दिशा-निर्देश/आदेश जारी किये हुए हैं? क्या वाहनों की संख्या, किराये की सीमा, समय तथा दर हेतु भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 3 जनवरी, 2006 से 20 फरवरी, 2008 तक जिला बीकानेर में विभिन्न कार्यालयों द्वारा किराए के वाहनों का उपयोग किया गया? यदि हां, तो किस-किस कार्यालय द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाते हुए कितने-कितने वाहनों का किन-किन अधिकारियों हेतु? कार्यालयवार/माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या किराए के वाहनों का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस कार्यालय द्वारा कितनी-कितनी राशि का, किस-किस फर्म/व्यक्ति को भुगतान किया गया तथा किन-किन को, कितना-कितना भुगतान किया जाना शेष है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वाहनों की लागबुक भी संधारित की जाती रही है? यदि हां, तो दिनांक 30 जनवरी, 2006 से 20 फरवरी, 2008 तक की लागबुक की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा यह भी बतायें कि उक्त वाहन, कब-कब, किन-किन द्वारा व किस कार्य हेतु उपयोग में लिये गये?

(4) क्या उक्त कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लेते समय वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.9 (1) एफडी/1(1)बीयूडी/2004(1)/2006 दिनांक 2 जनवरी, 2006 एवं दिनांक 15 मई, 2006 की पूर्णतया पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस हेतु कौन दोषी है?

(5) क्या यह सही है कि किराये के वाहनों का उपयोग करने वाले उक्त कार्यालयों द्वारा उन्हीं फर्मों/व्यक्तियों से वाहन किराए पर लिए जाते हैं, जो सर्विस टैक्स कार्यालयों में रजिस्टर्ड है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। राजकीय कार्यालयों में राजकीय कार्य हेतु वाहनों को किराये पर लेने तथा इनके उपयोग हेतु जारी निर्देश/आदेश की प्रति परिशिष्ट ''क'' एवं परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है। वाहनों की संख्या, किराये की सीमा, समय तथा दर का प्रावधान भी परिशिष्ट ''क'' तथा परिशिष्ट ''ख'' में सम्मिलित है।

(2) यह सही है कि बीकानेर जिले में 3 जनवरी, 2006 से 20 फरवरी, 2008 तक विभिन्न सरकारी कार्यालयों द्वारा किराये के वाहनों का उपयोग किया गया। विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर लिए संलग्न है। किराये पर वाहनों का कार्यालयवार, विवरण मय भुगतान एवं बकाया परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है। परिशिष्ट ''घ'' के क्र.सं. 1 से 12 व क्र.सं. 21 से 23 के वाहन

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा अधिकृत एजेन्सी से किराये पर लिये गये है। क्र.सं. 13 से 16 के वाहनों का अन्य फर्मों से किराये पर लेने की अनुमति जिला कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई। क्र.सं. 17 से 20 तक के कार्यालयों द्वारा अधिकृत फर्मे से वाहन किराये पर नहीं लिये गये।

(3) उपरोक्त स्थिति में लागू नहीं। जी हां। विभागों द्वारा संधारित की गई लाग बुक की प्रति परिशिष्ट ''च'' पर संलग्न है। जिसमें राजकार्य हेतु उपयोग किये गये वाहन की समयावधि व अधिकारी का पदनाम अंकित है।

(4) परिशिष्ट ''घ'' के क्र.सं. 17 से 20 तक के वाहन किराये पर लेने में स्थानीय परिस्थितियों के कारण यद्यपि संदर्भित परिपत्रों की पूर्णरूपेण पालना नहीं की गई किन्तु राज्य सरकार को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। अतः कोई दोषी नहीं है।

(5) राज्य सरकार से जारी परिपत्रों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नागौर में वाहन चालकों के रिक्त पद

**639. श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में किन-किन राजकीय कार्यालयों में कहां-कहां पर वाहन चालकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कहां-कहां पर कब से पद रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) परबतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने राजकीय वाहन हैं? इनमें से कितनों को नकारा घोषित किया जा चुका है व कब?

(3) क्या सरकार इन वाहनों के स्थान पर नये वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जिला नागौर में राजकीय कार्यालयों में वाहन चालकों के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। रिक्त पदों के भरने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(2) परबतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 3 राजकीय वाहन है। अभी किसी भी वाहन को नाकारा घोषित नहीं किया गया है।

(3) उपरोक्त स्थिति में लागू नहीं।

**परिशिष्ट-1**

**नागौर में राजकीय कार्यालयों में वाहन चालकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण**

| क्र. सं. | विभाग का नाम | वाहन चालकों के स्वीकृत पद | वाहन चालक के पद | रिक्त पद | कब से रिक्त है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उप वन संरक्षक, नागौर | 4 | 4 | 0 | - |
| 2 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर | 32 | 31 | 1 | 1.12.07 से |
| 3 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर | 2 | 2 | 0 | - |
| 4 | जिला साक्षरता समिति, नागौर | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | सहायक निदेशक, पशुगणना प्रजनन केन्द्र, नागौर | 2 | 1 | 1 | 1.2.03 से |
| 7 | उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नागौर | 1 | 1 | 0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | अधिशासी अधिकारी, पंचायत समिति, नागौर | 4 | 4 | 0 | - |
| 9 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नागौर | 1 | 1 | 0 | - |
| 10 | जिला उद्योग केन्द्र, नागौर | 1 | 1 | 0 | - |
| 11 | जिला सैनिक कल्याण अधिकारी | 1 | 1 | 0 | - |
| 12 | उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. नागौर | 12 | 8 | 0 | (i) लाडनूं 18.8.04 से (ii) जायल जुलाई, 03 से डीडवाना (iii)16.5.04 से मकराना जुलाई, 05 से |
| 13 | जिला आबकारी अधिकारी, नागौर | 1 | 1 | 0 | - |
| 14 | भूजल वैज्ञानिक विभाग, नागौर | 1 | 1 | 0 | - |
| 15 | सहायक अभियंता, भूजल विभाग, नागौर | 6 | 5 | 1 | 17.11.07 से |
| 16 | कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, नागौर | 1 | 1 | 0 | - |
| 17 | सचिव, भूमि विकास बैंक, नागौर | 2 | 2 | 0 | - |
| 18 | अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि., नागौर | 2 | 2 | 0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | अधिशासी अभियंता, जन.स्वा.अभि. विभाग, नागौर | 4 | 0 | 0 | 1.10.99 |
| 20 | तहसील कार्यालय | 10 | 6 | 4 | (i) नावां 30.9.97 से (ii) डीडवाना 30.09.07 से (iii) मकराना जुलाई, 1997 से (iv) जायल अक्टू. 1997 से |
| 21 | जिला पूल से | 9 | 9 | 0 | - |
| 22 | विकास अधिकारी, पंचायत समितियां | 9 | 9 | 0 | - |
| | **योग** | **106** | **94** | **12** | |

## वर्ष 1986 के सफल कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति

640. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 1986 में सफल घोषित कनिष्ठ लिपिकों से, वर्ष 1999 में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे? यदि हां, तो कितने लोगों ने नौकरी हेतु आवेदन किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन को नियुक्तियां दी गई व कौन-कौन शेष रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों को व कब तक? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 1986 में सफल घोषित कनिष्ठ लिपिकों से 1999 में नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने आवेदन मांगे थे। कुल 3449 अभ्यर्थियों के आवेदन आयोग कार्यालय में प्राप्त हुए थे।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागाध्यक्षों के अधीन शेष 907 सफल एवं 55.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को माह अप्रैल से नवम्बर, 2000 तक नियुक्ति दी थी। 907 अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## श्रम एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के विभागाध्यक्ष पदों पर पदस्थापन

**641. श्री अशोक बैरवा "खण्डार"** (खण्डार) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं रोजगार विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नति विभागीय अधिकारियों से ही करने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विभागों में विभागाध्यक्षों के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त विभागाध्यक्षों के पद विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। श्रम विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के विभागाध्यक्ष के पदों पर विभागीय अधिकारी से पदोन्नति करने के प्रावधान नियमों में नहीं है। उक्त पद आई.ए.एस. संवर्ग के केडर स्ट्रेन्थ में शामिल है। (प्रति संलग्न है)।

रोजगार विभाग के विभागाध्यक्ष के पद 100 प्रतिशत विभागीय

(कार्मिक मंत्री)

अधिकारी से भरने का प्रावधान है, लेकिन विभागीय अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा सुपर टाईम वेतन श्रृंखला का आरएएस अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है।

(2) जी हां। कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## आबकारी कर से प्राप्त राजस्व

**642. डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

आबकारी विभाग को गत चार वर्षों में कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई? प्रतिवर्ष प्राप्त आय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

आबकारी विभाग को पिछले चार वर्षों में निम्नानुसार आय प्राप्त हुई है-

**(राशि करोड़ रु. में)**

| वर्ष | प्राप्त आय |
|---|---|
| 2003-04 | 1163.15 |
| 2004-05 | 1276.07 |
| 2005-06 | 1521.80 |
| 2006-07 | 1591.09 |
| 2007-08 (अप्रैल, 07 से जनवरी, 08 तक) | 1343.96 |

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नगरपालिका क्षेत्र ब्यावर की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं

**643. श्री देवीशंकर भूतड़ा** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र ब्यावर की अधिकांश कालोनियों में सड़क नाली एवं सीवरेज व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो किस-किस वार्ड/कालोनी में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सड़क, नाली एवं सीवरेज की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) नगर परिषद ब्यावर के क्षेत्र में कुल 45 वार्ड हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित साकेत नगर के सैक्टर नं. 1 से 4, जो वार्ड नं. 37 व 41 में आते हैं, में सीवरेज, सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था है एवं शहर की चारदीवारी के वार्ड सं. 2 से 5, 8 से 11 तथा 13 से 32 व 34, 35, 39 में सड़कों व नालियों की पूर्ण व्यवस्था है। शहर के चारदीवारी क्षेत्र के बाहर के वार्ड सं. 1, 6, 7, 12, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 व 45 में स्थित अधिकांश कालोनियों में सड़कों व नालियों की व्यवस्था नहीं है।

(2) जी हां। नगर परिषद की आर्थिक स्थिति के अनुसार सड़क व नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत सड़क, नालियों व सीवरेज हेतु विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट बनाई जा रही है।

## नगर परिषद पाली में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु लम्बित प्रकरण

644. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या स्वा. शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद पाली में वर्ष 2007 में भवन निर्माण स्वीकृति के कितने आवेदन प्राप्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने आवेदनों का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में किया गया एवं कितने आवेदन अब तक लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) नगर परिषद, पाली में वर्ष 2007 में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु कुल 389 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों में से 351 का निस्तारण किया जा चुका है एवं 38 आवेदन पत्र लम्बित हैं। निस्तारण अवधि एवं लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण खण्ड एक में संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के कालम संख्या 4, 5 व 6 में अंकित है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## मालवीय नगर, सैक्टर-12 (जयपुर) की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

**645. श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यही सही है कि मालवीय नगर स्थित सैक्टर 12 के मकान नम्बर 12/50 जी एवं 12/50 एफ के सामने फुटपाथ की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने की क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमण रुकवाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष अतिक्रमण एवं सतर्कता समिति, नगर निगम, जयपुर को समय-समय पर शिकायतें की गई? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा उक्त अतिक्रमण हटवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को दिनांक 7 जुलाई, 2007 एवं 19 सितम्बर, 2007 को पत्र लिखे गये, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि हां, तो कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे?

**उत्तर**

(1) जी हां। नगर निगम, जयपुर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 203, 254 के अंतर्गत विधिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही कर इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है।

(2) जी हां। विधिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही कर किये गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है।

(3) सम्भागीय आयुक्त के पत्र का जवाब भिजवा दिया था एवं अतिक्रमण हटाया जाकर पुनः पत्र दिनांक 15.3.2008 द्वारा सूचित कर दिया गया है।

## रामबाग गोल्फ एवं पोलो क्लब, जयपुर के मैदान में क्लब हाउस की स्थापना

**646. श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सैन्ट्रल पार्क से जुडी जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर रामबाग गोल्फ क्लब एवं पोलो क्लब का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त दोनों क्लबों का गठन कब हुआ? दोनों क्लब के सदस्यों की सूची मय पते सदन की मेज पर रखें।

(2) दोनों क्लब का सदस्य बनने के लिये खिलाड़ी एवं आम नागरिक हेतु क्या प्रक्रिया एवं मानदण्ड हैं? उक्त दोनों क्लब के नियंत्रण व संचालन के अधिकार किनके पास हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर क्लब हाउस का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में सरकार जयुपर विकास प्राधिकरण व क्लब के मध्य कब-कब किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई एवं क्लब हाउस निर्माण के प्रस्ताव की क्या स्थिति व प्रगति है? इस बाबत आयोजित बैठकों का विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त क्लब हाउस की सदस्यता की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है एवं निर्माण पर व्यय किसके द्वारा किया जायेगा?

(4) उक्त भूमि पर स्थाई रूप से अस्तबल चलाने के क्या कारण है? क्या इससे विधिक अवमानना नहीं हो रही है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त क्लबों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में लीजमनी जमा कराई गई है? यदि हां, तो कितनी?

(6) राजस्थान दिवस समारोह, 2007 में यहां आयोजित गोल्फ व पोलो मैच में आम आदमी को प्रवेश न देने के क्या कारण थे?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि सैन्टल पार्क से जुडी जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर रामबाग गोल्फ क्लब एवं रामबाग पोलो क्लब का संचालन किया जा रहा है। उक्त क्लबों से प्राप्त सूचना के अनुसार रामबाग गोल्फ क्लब का वर्ष 1944 में एवं राजस्थान पोलो क्लब का गठन वर्ष 1901 में हुआ था। दोनों क्लब पंजीकृत सोसायटी हैं जिनकी सदस्यता में परिवर्तन होता रहता है। गोल्फ क्लब की मैनेजिंग कमेटी व पोलो क्लब की गवर्निंग बॉडी की सूची परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) उक्त दोनों क्लबों हेतु उनके संविधान के अनुसार सदस्य बनने के लिए निर्धारित मानदण्ड है। रामबाग गोल्फ क्लब का संचालन व नियंत्रण

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

उनके संविधान एवं पोलो क्लब का मेमोरेंडम आफ एशोशियेशन के द्वारा किया जाता है, जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट 3 व 4 पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि गोल्फ क्लब हेतु भवन निर्माणाधीन है। सरकार व जेडीए एवं क्लब के मध्य आयोजित बैठकों का विवरण परिशिष्ट 5 पर संलग्न है। उक्त क्लब से प्राप्त सूचना अनुसार क्लब हाउस सदस्यता में रामबाग गोल्फ क्लब के सभी सदस्य इसके सदस्य होंगे।

उक्त क्लब के निर्माण पर वर्तमान में व्यय रामबाग गोल्फ क्लब द्वारा किया जा रहा है।

(4) उक्त भूमि के अस्तबल स्थाई रूप से नहीं चल रहे हैं। इससे कोई विधिक अवमानना नहीं हो रही है।

(5) उक्त भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण में निहित है। इस संबंध में वर्तमान में कोई लीजमनी निर्धारित नहीं की गई है।

(6) राजस्थान समारोह 2007 में आयोजित किया गया था, तब गोल्फ व पोलो क्लब में सभी को प्रवेश दिया जा रहा था।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-647**

**(स्थगित)**

## उदयपुर शहर के पैराफेरी क्षेत्र के ग्रामों में बिलानाम/चरागाह भूमि पर पुश्तैनी कब्जों का नियमन

648. **श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 62 रेवेन्यू गांव जो उदयपुर शहर की पैराफेरी क्षेत्र में आते हैं एवं जिनमें वर्षों से बिलानाम तथा चरागाह भूमि पर काबिज परिवारों के मकान बाड़े एवं अन्य निर्माण हैं, का नियमन कर पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

वर्तमान में राज्य सरकार के पास इस तरह का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव प्राप्त होने पर नीतिगत निर्णय लिया जावेगा।

## जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगरपालिका क्षेत्र बगरू की अधिग्रहित भूमि से प्राप्त राशि

649. **श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है नगरपालिका क्षेत्र की गोचर भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि का पन्द्रह प्रतिशत अंश संबंद्ध नगरपालिका को देय है? यदि हां, तो किस आदेश के अनुसार? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत 5 वर्षों में बगरू नगरपालिका क्षेत्र की कितनी-कितनी गोचर भूमि किस-किस तिथि को रीको तथा अन्य संस्थानों को विक्रय की गई तथा उक्त विक्रय से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बगरू नगरपालिका को 15 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो किस-किस तिथि को कितनी-कितनी राशि का व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त राशि के लिए नगरपालिका बगरू द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को किस-किस तिथि को पत्र लिखे गये और आयुक्त द्वारा कब-कब उत्तर दिया गया? प्रत्युत्तर की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी बकाया राशि का नियत तिथि तक भुगतान नहीं करने पर जन-साधारण से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है? यदि हां, तो उपरोक्त बकाया राशि का बगरू नगरपालिका को जयपुर विकास प्राधिकरण मय ब्याज के कब तक भुगतान कर देगा? इस विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी कौन है?

### उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि का 15 प्रतिशत भाग नगर परिषद् जयपुर को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश जारी किये हुए हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

नगर सुधार न्यास की स्कीम चालू रखने के लिए नगरपालिकाओं को भूमि की विक्रय कीमत का 15 प्रतिशत शेयर अन्तरित किये जाने का राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निवर्तन) नियमों में प्रावधान है। नियम की प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(नगरीय एवं आवासन राज्य मंत्री)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. को 15 हैक्टेयर भूमि दिनांक 25.10.2005 को आबंटित की गई है। उक्त आबंटन से कुल नजराना राशि 2,12,34,300/- रुपये प्राप्त हुई है जिसमें सूखे कुऐं की कीमत भी शामिल है।

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर पालिका बगरू को 15 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया गया है। भूमि विक्रय से प्राप्त धन राशि का 15 प्रतिशत भाग नगर परिषद्/नगर निगम, जयपुर को दिया जा रहा है, नगरपालिका को राशि दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) नगरपालिका मण्डल बगरू जयपुर के पत्र क्रमांक 447 दिनांक 30.3.2007 एवं पत्र क्रमांक 415 दिनांक 19.05.2007 जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुये थे। परन्तु नगरपालिकाओं को 15 प्रतिशत अंश राशि देने के सम्बन्ध में नियमों कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इन पत्रों पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी बकाया राशि का नियत तिथि पर भुगतान नहीं होने पर जन साधारण से वर्तमान में 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। चूंकि नगरपालिका बगरू को कोई राशि देय नहीं है। अतः ब्याज के भुगतान की स्थिति नहीं बनती है।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## निर्माण नगर, जयपुर में सीवर लाइन

650. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के निर्माण नगर सी-ब्लाक में सीवरेज लाइन डाली गई है? यदि हां, तो कब व किन-किन प्लाटों के मध्य?

(2) क्या यह सही है कि प्लाट संख्या 47 से 136 के बीच सीवरेज लाइन नहीं डाली गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) मास्टर प्लान 2011 में निर्माण नगर जयपुर के सी-ब्लाक में सड़कों की चौड़ाई कितनी प्रस्तावित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इन अतिक्रमणों को कब तक हटाकर मास्टर प्लान

(श्री हीरालाल)

में दर्शाये गये मानचित्र अनुसार सड़क की चौड़ाई निर्धारित रखने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2004-05 में सीवर लाइन प्लाट नं. 35 से 46 एवं 138 से 515 के मध्य डाली गई।

(2) जी हां। इन भूखण्डों हेतु सीवरेज लाइन को मुख्य सीवर से जोड़ने के लिए मौके पर 160' रोड पर अतिक्रमण होने के कारण तथा भूमि उपलब्ध न होने के कारण सीवर लाइन नहीं डाली जा सकी।

(3) मास्टर प्लान 2011 में तीन सड़कें क्रमश: 160,' 60' व 60' चौडी दर्शित हैं एवं निर्माणनगर सी-ब्लाक के अनुमोदित मानचित्र में मास्टर प्लान की तीनों सड़कों को यथावत रखते हुए योजना का अनुमोदन किया गया है।

(4) जी हां। उपरोक्त बाबत निर्माण नगर योजना के ''सी'' ब्लाक की स्वीकृत सड़कों पर सड़क की चौड़ाई में आने वाले अतिक्रमणों को चिन्हित करवाए जाने बाबत मौके पर सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने के पश्चात सड़क की चौड़ाई में आने वाले अतिक्रमणों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

## शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों हेतु खेल सुविधाएं

651. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शेरगढ़ तहसील क्षेत्र के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को खेल मैदान एवं खेल सामान उपलब्ध करवाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों को व कब-कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजकीय विद्यालयों को खेल मैदान एवं खेल सामान उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

राज्य के 7000 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों देचू एवं बालेसर में खेल मैदान हेतु अलग से भूमि उपलब्ध न होने पर वहां स्थित राज.उ.मा.

(युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री)

विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने हेतु 25-25 हजार रुपये जिला परिषद जोधपुर को भिजवाये गये हैं।

उक्त दोनों केन्द्रों के लिए प्रत्येक केन्द्र हेतु निम्न प्रकार खेल सामग्री जिला खेल अधिकारी जोधपुर को उपलब्ध करवाई गई है :-

| क्र. सं. | सामग्री का नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | वॉलीबाल | 5 नग |
| 2. | वॉलीबाल नेट | 1 नग |
| 3. | फुटबाल | 5 नग |

उक्त दोनों खेल मैदानों में खेल संयोजक नियुक्त नहीं होने के कारण खेल सामग्री जिला खेल अधिकारी जोधपुर के पास ही उपलब्ध है। खेल मैदानों पर खेल संयोजक नियुक्त होते ही खेल सामग्री उपलब्ध करा दी जायेगी।

## उप-किरायेदारों के नियमन हेतु सहायक आयुक्तों को अधिकार

**652. श्री राजकुमार रिणवा** (रतनगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर में देवस्थान की कौन-कौन सी सम्पत्ति है? वर्तमान में उक्त सम्पत्ति/मकान/मन्दिर कब-कब से किस-किस के मालिकाना/ किरायेदार की हैसियत से कब्जे में है? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि उक्त भूमि/भवन के किरायेदारों ने अपने कब्जे वाली सम्पत्ति को उप किरायेदारों को दे रखा है? यदि हां, तो कब-कब से किस-किस ने किस-किस आधार पर?

(2) क्या यह सही है कि उप किरायेदारों द्वारा नवीन किराया नीति के तहत नियमन की सहमति दी गई है? यदि हां, तो किस-किस ने? क्या सरकार उक्त उप किरायेदारों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिन वारिसों ने उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं, उन्हें बेदखल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त उप किरायेदारों के नियमन का अधिकार सहायक आयुक्तों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) उदयपुर में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित विभागीय मंदिरों/संस्थाओं की सम्पत्ति का विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है। वर्तमान में उक्त सम्पत्ति जिस समय से जिन-जिन व्यक्तियों के पास किरायेदार की हैसियत से कब्जे में है, उनकी सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है। यह सही है कि उक्त भूमि/भवन के कुछ किरायेदारों ने अपने कब्जे वाली सम्पत्ति को उप किरायेदारों को दे रखा है। उक्त सम्पत्ति को जिस-जिस किरायेदार ने जिस-जिस तिथि से उप किरायेदारों को दे रखा है, उसकी सूची कब्जे के आधार सहित परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(2) देवस्थान विभाग की किराया नीति 6.6.2000 के अन्तर्गत जिन उप किरायेदारों ने नियमन हेतु सहमति दी है, उनकी सूची परिशिष्ट-4 संलग्न है। किराया नीति के प्रावधानों के तहत उप किरायेदारों के नियमन के प्रकरण उनके आवेदन अनुसार विभाग में प्रक्रियाधीन हैं।

(3) देवस्थान विभाग की किराया नीति 6.6.2000 के अनुसार मूल किरायेदार के वारिसों के पक्ष में नियमन करने का अधिकार सहायक आयुक्त देवस्थान को प्रदत्त है। मूल किरायेदार के वारिसों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने मात्र से बेदखल करने का प्रावधान नहीं है। वारिसों द्वारा आवेदन करने पर संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त द्वारा नियमानुसार अन्य साक्ष्य के आधार पर भी वारिसों के नाम किरायेदारी का नियमन किया जा सकता है। वारिसान द्वारा अपने नाम किरायेदारी नियमन कराने का आवेदन मय साक्ष्य एवं सबूत के प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें अप्राधिकृत अधिवासी मान कर सम्पत्ति से बेदखल किया जा सकता है।

(4) किराया नीति 6.6.2000 में उप किरायेदारी के नियमन के अधिकार राज्य सरकार को प्रदत्त हैं। उप किरायेदारी के नियमन का अधिकार सहायक आयुक्तों को देने का कोई प्रस्ताव अपेक्षित न होने से विचाराधीन नहीं है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सीकर जिले में संचालित अवैध आरा मशीनें

653. **श्री हंगामी लाल मेवाड़ा** (आसीन्द) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर के अधिकांश ग्रामों/कस्बों में अवैध आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध आरा मशीनों के संचालन की जानकारी हेतु कोई सर्वे करवाया गया है?

(श्री हंगामी लाल मेवाड़ा)

यदि हां, तो किस-किस कस्बे/ग्राम में कितनी-कितनी अवैध आरा मशीन पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अवैध आरा मशीनों के सर्वे बाबत राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 पर भी कोई सूची तैयार की गई है? यदि हां, तो कितने प्रकरण पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 को पटवार संघ द्वारा कलक्टर सीकर को कोई ज्ञापन दिया गया? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उसके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला वन अधिकारी सीकर की मिलीभगत के कारण उक्त जिले में अवैध आरा मशीनों का संचालन हो रहा है? क्या उक्त अवैध आरा मशीनों के संचालन बाबत प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध आरा मशीनों की रोकथाम हेतु सरकार कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या पत्र संख्या 67967 दिनांक 16 नवम्बर, 2007 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर को उक्त जिले में संचालित अवैध आरा मशीनों की रोकथाम हेतु कोई निर्देश प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त जिले में हो रहे अवैध आरा मशीनों के संचालन को रोकने क विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002 की अनुपालना में जिला सीकर में बिना लाईसेंस से चल रही आरा मशीनों को बन्द कराने की कार्यवाही की गयी। अवैध आरामशीन के संचालन की सूचना मिलते ही नियमानुसार कार्यवाही कर बन्द कराया जाता है।

अवैध आरा मशीनों के संचालन की जानकारी हेतु कोई सर्वे नहीं कराया गया है, किन्तु स्थानीय स्टाफ द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी के आधार पर जिला सीकर में स्थित अवैध आरा मशीनों का ग्राम/कस्बावार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 पर प्राप्त जानकारी अनुसार अवैध आरा मशीनों की संख्या 7 है। सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(वन राज्य मंत्री)

(3) पटवार संघ द्वारा जिला कलक्टर, सीकर को दिनांक 16.10.2007 को ज्ञापन देने बाबत जानकारी इस विभाग को होने पर ग्राम ठीकरिया में श्री रिछपाल सिंह खर्रा की अवैध आरा मशीन को उप वन संरक्षक द्वारा सील की जाकर एफ.आई.आर. नं. 924/01 दिनांक 17.10.2007 जारी की गई एवं दिनांक 7.11.2007 को 3200/- रुपये एवजाना वसूल किया गया। वर्तमान में उक्त आरा मशीन बन्द है।

(4) जी नहीं। अवैध आरा मशीनों के संचालन की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिस पर विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही कर अवैध आरा मशीनों का संचालन बन्द कराया जाता है। गत तीन वर्षों में सीकर जिले में अवैध आरा मशीनों के विरुद्ध 134 प्रकरण दर्ज कर 4.07 लाख का एवजाना वसूल किया गया है।

विभाग द्वारा अवैध आरा मशीनों के संचालन को बन्द करने हेतु उपलब्ध संसाधनों से भरपूर प्रयास किया जाता है।

(5) उल्लेखित पत्र विभाग को प्राप्त होने पर पत्र में वर्णित तथ्यों के बाबत मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर से जानकारी ली जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) विभाग अवैध आरा मशीनों के संचालन को उपलब्ध संसाधनों से रोकने हेतु कटिबद्ध है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## गैर मुमकिन पहाड़ हेतु एक्सपर्ट कमेटी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र

**654. श्री जयराम जाटव** (खैरथल) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर, 2007 को पांच किस्म की भूमि को वन विभाग से बाहर माना गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सूची की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पांच किस्म की भूमि में गैर मुमाकिन पहाड़ को भी वन भूमि से बाहर माना गया है? यदि हां, तो क्या दिनांक 15 दिसम्बर, 2007 को बनी एक्सपर्ट कमेटी को वन विभाग व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.1(19)वन/2003 दिनांक 15.12.2007 से वर्णित भूमियों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(वन राज्य मंत्री)

(2) यदि गैर मुमकिन पहाड़, जो वन विभाग के नियंत्रण में नहीं है या डीम्ड फोरेस्ट नहीं है तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के संदर्भ में इसे वन भूमि नहीं माना जाता है।

दिनांक 15 दिसम्बर, 2007 के वर्णित पत्र के द्वारा कोई कमेटी गठन का आदेश प्रसारित नहीं किया गया है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## मरू प्रसार योजना की निरन्तरता हेतु कार्य-योजना

655. **श्री टीकमचन्द कान्त** (सिवाना) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के 11 रेगिस्तानी जिलों में भारत सरकार के सहयोग (राज्य सरकार 25 प्रतिशत एवं भारत सरकार 75 प्रतिशत) से मरू प्रसार रोक परियोजना स्वीकृत की गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में सप्तम चरण तक वृक्षारोपण किया जा चुका है जिसमें पौधों की जीवितता का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है?

(3) क्या यह सही है कि स्पेशल वाटरशेड मानते हुये राजस्थान सरकार के स्वीकृत माडल के अनुसार ही पिछले 8 वर्षों से प्रतिवर्ष राशि आबंटित होती रही है?

(4) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा विगत एक वर्ष से उक्त योजना में राशि का आबंटन बन्द कर दिया गया है जिससे उक्त योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त योजना में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने एवं महत्वपूर्ण योजना को लागू रखने के लिये सरकार द्वारा अपने स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(6) भारत सरकार द्वारा उक्त योजना में राशि आबंटित नहीं की जाती है तो बकाया भुगतान एवं योजना को लागू रखने हेतु सरकार की क्या योजना है विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान के 10 रेगिस्तानी जिलों के 11 वन मण्डलों में भारत सरकार के सहयोग (राज्य सरकार 25 प्रतिशत एवं भारत सरकार 75 प्रतिशत) से मरू प्रसार रोक परियोजना स्वीकृत की गई है।

(वन राज्य मंत्री)

(2) जी हां। सप्तम चरण तक उक्त योजना में वृक्षारोपण किया जा चुका है जिसमें नवम्बर, 2007 के आंकलन के अनुसार पौधों की जीवितता 60 से 90 प्रतिशत के मध्य है।

(3) जी हां। स्पेशल वाटरशैड मानते हुये राजस्थान के स्वीकृत मांडल के अनुसार ही प्रतिवर्ष पिछले 8 वर्षों से राशि आबंटित की जा रही है।

(4) जी हां। विगत 10-12 माह से उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा राशि का आबंटन नहीं हुआ है जिससे इस योजना में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है।

(5) मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने तथा योजना को लागू रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा लम्बित क्लेम की राशि प्राप्त करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) से निरन्तर पत्राचार कर एवं मंत्रालय के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क कर राशि जारी कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) भारत सरकार से इस मामले में राशि प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

## किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक

656. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में अवैध खनन कार्य तीव्र गति से चल रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अवैध खनन कार्यों को नियंत्रित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। अवैध खनन को रोकने हेतु वनकर्मियों द्वारा नियमित गश्त की जाती हैं इसके अलावा वन मण्डल बारां एवं वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त, कोटा के स्तर पर गठित गश्ती दलों द्वारा भी अवैध खनन की सूचना मिलते ही प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

## कृषि मण्डी समिति कुचामन सिटी द्वारा निर्मित सब्जी मण्डी का उपयोग

657. **श्री हरीश चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

(1) कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत किस-किस पात्रता वाले व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है?

(2) कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिऐ कितने समय की आवश्यकता है क्या इसके लिए समयावधि निर्धारित की हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में किन-किन लोगों को किस-किस गांव से कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई?

(4) क्या कुचामन सिटी कृषि उपज मण्डी समिति के उन्नयन सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण की कोई परियोजना तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या, व नहीं तो क्यों?

(5) कुचामन सिटी कृषि मण्डी में सब्जी मण्डी निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई तथा निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ व उद्घाटन कब हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) इस सब्जी मण्डी का उपयोग उद्घाटन के बाद अब तक क्यों नहीं किया गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) किसान जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत राज्य के कृषक/खेतिहर मजदूर को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) किसान जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत दुर्घटना की तिथि से 6 माह तक क्षेत्र की संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति में दावा प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। इस अवधि को आगामी तीन माह तक बढ़ाये जाने के अधिकार प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में निहित हैं।

(3) वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में किसान जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां में उपलब्ध करवाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) जी हां। परियोजना में निम्नांकित कार्य प्रस्तावित हैं :-

1. मण्डी प्रांगण में कवर्ड ऑक्शन प्लेटफार्म की विशेष मरम्मत।
2. दुकान मय गोदाम के प्लेटफार्म तथा आंतरिक सड़कों के बीच रिक्त भूमि पर सीमेन्ट सड़क बनवाना।

(वन राज्य मंत्री)

3. प्रकाश व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु टॉवर की मरम्मत।
4. लोहे की रेलिंग लगाकर उद्यान विकसित करना।
5. मण्डी प्रांगण के दोनों द्वारों को आर.सी.सी. द्वारा बनाकर लोहे के गेट व नामकरण।
6. मण्डी प्रांगण में समस्त भवनों का रंग रोशन करवाना।
7. मण्डी समिति परिसर के प्रवेश बिन्दु पर डिजिटल इलैक्ट्रोनिक डिस्प्ले बोर्ड लगवाया जाना।

(5) कृषि उपज मण्डी समिति कुचामनसिटी में फल सब्जी मण्डी के निर्माण पर कुल 49.72 लाख रुपये व्यय हुए हैं। निर्माण कार्य 15 अप्रैल, 2006 को पूर्ण हुआ है।

(6) कृषि उपज मण्डी समिति कुचामनसिटी में व्यापारियों एवं कृषकों को भूखण्डों का आबंटन दिनांक 15.10.2007 को आबंटन समिति की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार किया गया है। भूखण्डों पर दुकान/गोदाम व्यापारियों द्वारा निर्मित कराये जाने हैं। व्यापारियों द्वारा दुकानें एवं गोदामों का निर्माण होने पर फल-सब्जी मण्डी का उपयोग हो पावेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## श्रीगंगानगर जिले के किन्नू उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन हेतु कार्य-योजना

658. **श्री अशोक नागपाल** (सूरतगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर जिले में 2006-07 व 2007-08 में किन्नू की पैदावार कितनी हुई?

(2) सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए किन्नू विपणन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2006-07 में 25000 मैट्रिक टन व 2007-08 में 78000 मैट्रिक टन किन्नू की पैदावार हुई।

(2) राज्य सरकार के आदेश संख्या प.6(6)कृषि/ग्रुप-2/96 दिनांक 16.4.2005 एवं समसंख्यक संशोधन दिनांक 30.6.2005 से कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) श्रीगंगानगर को ''किन्नू'' की विशिष्ट मण्डी घोषित किया गया है।

## रोजगार कार्यालय चूरू जिले में पंजीकृत बेरोजगार

**659. श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले के रोजगार कार्यालय में कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) रोजगार कार्यालय में पंजीयन की क्या प्रक्रिया/नियम हैं? शेष पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक रोजगार उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

**उत्तर**

(1) चूरू जिले के रोजगार कार्यालय में फरवरी, 2008 को 23774 बेरोजगार आशार्थियों के नाम पंजीकृत हैं। पंजीकृत आशार्थियों की योग्यतानुसार सूची निम्नानुसार है।

| शैक्षणिक योग्यता | संख्या |
|---|---|
| अनपढ़ | 103 |
| साक्षर | 381 |
| आठवीं पास | 1218 |
| दसवीं पास | 5874 |
| सीनियर सैकण्डरी पास | 7950 |
| स्नातक उत्तीर्ण | 6972 |
| अधिस्नातक | 613 |
| इंजी. डिप्लोमा, डॉक्टर, डिग्रीधारी | 279 |
| आई.टी.आई. | 384 |
| **योग** | **23774** |

(2) गत पांच वर्षों में रोजगार कार्यालय, चूरू के माध्यम से 454 बेरोजगार आशार्थियों को विभिन्न नियोजकों द्वारा ज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध रोजगार दिलाने में सहायता की गई, जिनकी पदवार व वर्षवार सूची निम्नानुसार है :-

| पद का नाम | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| उर्दू अध्यापक | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हैल्पर | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ई.डी.पी. | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 |

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

| पद का नाम | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| पुस्तकालयाध्यक्ष | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| चपरासी | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| कनिष्ठ लिपिक | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| पी.टी.आई. | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| लैब असिस्टेण्ट | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ट्रैनी ऑपरेटर | 0 | 27 | 30 | 250 | 20 |
| पानीवाला | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वाहन चालक | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| अध्यापक | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |
| लैब बॉय | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ए.एन.एम. | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| स्वीपर | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **योग** | **35** | **54** | **85** | **252** | **28** |

(3) रोजगार कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा अपने स्थानीय/ निकटतम रोजगार कार्यालय निर्धारित प्रपत्र में अपना पूरा ब्यौरा दर्ज कर पंजीयन करा सकता है। पंजीयन के लिए प्रार्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित है। रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जाता है बल्कि विभिन्न नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध बेरोजगार आशार्थियों का सम्प्रेषण कर रोजगार देने में सहायता की जाती है।

## सेवा अभिलेख के अभाव में पेंशन स्वीकृति के मानदण्ड

**660. श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसी भी राज्य कर्मी का सेवा अभिलेख/ सेवा पुस्तिका रखना नियोक्ता कार्यालय का दायित्व होता है एवं कर्मी के स्थानान्तरण पर सम्बन्धित अभिलेख एवं सेवा पुस्तिका को उक्त स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है एवं उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यालय की होती है? यदि नहीं, तो सेवा अभिलेख एवं सेवा पुस्तिका के अभाव में कर्मी को पेंशन स्वीकृति के क्या मानदण्ड होंगे?

(2) प्रोविजनल/स्थाई पेंशन स्वीकृति हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? वांछित दस्तावेजों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राम

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

मंदिर, जयपुर की सेवानिवृत्त अध्यापिका के वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त होने एवं वांछित समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने के बाद भी अभी तक स्थाई पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? उक्त प्रकरण में क्या-क्या कमियां हैं जो प्रार्थिया द्वारा पूर्ति करनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रार्थियों द्वारा मुख्य मंत्री निवास पर दिनांक 23 मार्च, 2007 को जन सुनवाई के दौरान अभ्यावेदन दिये जाने पर एवं मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2007 को निर्देशित किये जाने के बाद भी उक्त प्रकरण में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई? यदि नहीं, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या-क्या कार्यवाही किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब-कब की गई एवं प्रार्थियां को स्थाई पेंशन की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी कोई प्रगति नहीं होनो संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का द्योतक है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब उक्त प्रकरण में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही कर स्थाई पेंशन स्वीकृति प्रकरण का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) कर्मचारी के प्रोवोजनल/स्थाई पेंशन स्वीकृति के लिये वांछित दस्तावेजों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(3) जी नहीं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राममंदिर, जयपुर से वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त अध्यापिका श्रीमती उर्मिला शर्मा से निम्न दस्तावेज जानकारी वांछित है :-

1. प्रथम नियुक्ति आदेश 2. कार्यग्रहण आदेश

3. योग्यता प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां

4. स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां

5. अवकाश स्वीकृति का लेखा-जोखा

6. अनुपस्थित रहने का कारण

7. राउप्रावि राममंदिर से राउप्रावि बडोदिया बस्ती में कार्यग्रहण नहीं करने का कारण।

(4) प्रार्थिया द्वारा मुख्य मंत्री निवास पर जनसुनवाई दिनांक 23.3.2007 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर मुख्य मंत्री कार्यालय की अ.शा.टीप. दिनांक 2.4.2007 जो प्रमुख शान सचिव, शिक्षा को इंगित है, का प्रत्युत्तर

(शिक्षा मंत्री)

आयुक्तालय के पत्र दिनांक 26.7.2007 के द्वारा विशेषाधिकारी, मुख्य मंत्री कार्यालय, राज. जयपुर को अवगति दी जा चुकी है। प्रश्न के भाग संख्या-2 में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कार्मिक को जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) जयपुर द्वारा अनेकों बार लिखा गया है। कार्मिक द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने पर पेंशन प्रकरण निस्तारण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जी नहीं। मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र की पालना में मुख्य मंत्री कार्यालय को अवगति दी जा चुकी है। कार्मिक द्वारा सहयोग नहीं करने के कारण स्थाई पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है। कार्मिक द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने पर पेंशन प्रकरण निस्तारण की कार्यवाही की जा सकेगी।

**परिशिष्ट 'क'**

**प्रोविजनल पेंशन/स्थायी पेंशन स्वीकृति हेतु निम्नांकित दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं :-**

<u>स्थायी</u>

1. सेवानिवृत्ति प्रपत्रों के कुलक सेट 3 प्रति।
2. विभागीय जांच बकाया नहीं होने का नियुक्ति अधिकारी का हस्ताक्षर/प्रति हस्ताक्षर प्रमाण पत्र।
3. सेवानिवृत्ति आदेश।
4. अदेय प्रमाण पत्र कार्यालय का।
5. वाहन ऋण/भवन निर्माण ऋण का अदेय प्रमाण पत्र मय प्रमाणित फोटो प्रति।
6. अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC)
7. वर्णात्मक नामावली में पति पत्नी का संयुक्त फोटो 9 प्रति प्रमाणित (प्रत्येक सेट में तीन फोटो)
8. बैंक खाते का पूर्ण विवरण।
9. सेवा पुस्तिका में डी.सी.आर.जी. का नोमिनेशन।
10. सेवा पुस्तिका में नियुक्ति तिथि से सेवा निवृत्ति तिथि तक सेवा सत्यापन।
11. सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि आधार अंकित कर प्रमाणित व जन्म तिथि में काट छांट नहीं होनी चाहिये।

12. विभाग के लेखाकर्मी/लेखाधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर वेतन निर्धारण के सही होने का प्रमाण पत्र।
13. विशेष वेतन (यदि कोई हो) का सेवा पुस्तिका में इन्द्राज एवं दस माह के विशेष वेतन का औसत।
14. पेंशन रूपान्तरण हेतु आवेदन पर कर्मचारी एवं कार्यालयाध्यक्ष के दिनांक सहित हस्ताक्षर।
15. वर्क चार्ज रहे कर्मचारियों की सीपीएफ की स्थानान्तरण प्रविष्टि।
16. स्थायीकरण के आदेश।

प्रोविजनल पेंशन

1. P=33 फार्म।
2. वर्णात्मक नामावली 6 प्रति।
3. 6 फोटो पति पत्नी का संयुक्त।
4. अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र।
5. सेवा निवृत्ति आदेश नियुक्ति अधिकारी का।
6. बैंक खाते का विवरण।
7. प्रोविजनल पेंशन नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करता है।

## माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायो टैक्नोलोजी विषय का अध्यापन

661. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह भी सही है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में अन्य विषयों की तर्ज पर बायोटैक्नोलोजी विषय नहीं पढ़ाया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के अन्तर्गत अतिरिक्त रूप से बायो टैक्नोलोजी विषय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्तमान में बायो टैक्नोलोजी विषय पाठ्यक्रम में स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं है।

(2) जी नहीं। विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## फलासिया विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

662. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व कितने?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फलासिया के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के 76 व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 402 पद रिक्त हैं।

(2) द्वितीय श्रेणी अध्यापक विभागीय पदोन्नति से तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक आरपीएससी से चयनित होकर उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

## सिरोही विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

663. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कुल कितने उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हैं? इनमें शिक्षकों के किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में 15 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 23 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है। रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

**परिशिष्ट 'क'**

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | व्याख्याता |  | कब से रिक्त | वरिष्ठ अध्यापक |  | कब से रिक्त | अध्यापक |  | कब से रिक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | स्वीकृत | रिक्त |  | स्वीकृत | रिक्त |  | स्वीकृत | रिक्त |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | रा.उ.मा.वि. पु.भ. सिरोही | 13 | 4 | 11/04, 9/03, 10/03, 2/07 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | रा.उ.मा.वि. न.भ. सिरोही | 16 | 1 | 11/3 | 13 | 1 | 7/05 | 0 | 0 | - |
| 3 | रा.उ.मा.वि. कालन्द्री | 8 | 5 | 4/2000, 8/03, 9/04, 5/06, 6/02 | 6 | 2 | 8/07 | 4 | 2 | 5/06, 11/06 |
| 4 | रा.उ.मा.वि. बराडा | 3 | 2 | 6/03 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 5 | रा.उ.मा.वि जावाल | 11 | 6 | 2/04, 12/01, 9/03, 3/04, 8/07 | 6 | 1 | 9/07 | 5 | 0 | - |
| 6 | रा.उ.मा.वि. बरलूट | 5 | 3 | 7/04, 5/07, 7/07 | 6 | 0 | - | 3 | 0 | - |
| 7 | रा.उ.मा.वि. मो. नगर | 3 | 2 | 6/03 | 6 | 0 | - | 3 | 1 | 11/06 |
| 8 | रा.उ.मा.वि. कृष्णगंज | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 9 | रा.उ.मा.वि. वेलांगरी | 3 | 3 | 2/06 | 6 | 2 | 2/01, 1/05 | 3 | 1 | 8/07 |
| 10 | रा.बा.उ.मा.वि. सिरोही | 12 | 5 | 11/01, 9/07, 7/98, 9/2000, 7/2000 | 9 | 0 | - | 6 | 6 | - |
| 11 | रा.मा.वि. तंवरी | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7/01, 8/03, 7/05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | रा.मा.वि. मंडवारिया | 0 | | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 13 | रा.मा.वि. सिरोही | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | 5 | 3 | 7/05, 8/03, 11/06 |
| 14 | रा.मा.वि. मनोरा | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2/04 | 1 | 0 | - |
| 15 | रा.मा.वि. रामपुरा | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 3 | 0 | - |
| 16 | रा.मा.वि. गोयली | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 4 | 0 | - |
| 17 | रा.मा.वि. पाडीव | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 2 | 0 | - |
| 18 | रा.मा.वि. उड़ | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 19 | रा.मा.वि. सिंदरथ | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 20 | रा.मा.वि. गोल | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1105 | 3 | 2 | 11/06, 5/06 |
| 21 | रा.मा.वि. भूतगांव | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 12/05 | 0 | 0 | - |
| 22 | रा.मा.वि. डोडुआ | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 7/06 | 0 | 0 | - |
| 23 | रा.उ.मा.वि. कालन्द्री | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 9/07 | 1 | 0 | - |
| 24 | रा.उ.मा.वि. शिवगंज | 17 | 5 | 6/03, 9/01, 7/99, 8/07 | 13 | 2 | 10/05 | 0 | 0 | - |
| 25 | रा.उ.मा.वि. पोसालिया | 5 | 1 | 9/99 | 7 | 1 | 7/05 | 6 | 0 | - |
| 26 | रा.उ.मा.वि. पालडी एम | 4 | 0 | - | 6 | 0 | 7/03, 8/07 | 3 | 1 | 11/06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | रा.उ.मा.वि. कैलाश नगर | 4 | 2 | 7/05, 7/07 | 6 | 2 | 7/03, 8/07 | 3 | 2 | 12/2000, 7/01 |
| 28 | रा.उ.मा.वि. अरठवाडा | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 8/07 | 1 | 0 | - |
| 29 | रा.मा.वि. शिवगंज | 4 | 2 | 8/07, 8/03 | 8 | 1 | 7/01 | 2 | 2 | 11/03, 7/05 |
| 30 | रा.मा.वि. उथमण | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 7//05 | 1 | 0 | - |
| 31 | रा.मा.वि. अन्दौर | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 7/03, 10/06, 8/07 | 1 | 1 | 8/07 |
| 32 | रा.मा.वि. बागसीन | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 1/05 | 3 | 1 | 5/06 |
| 33 | रा.मा.वि. बडागांव | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 34 | रा.मा.वि. शिवगंज | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | 5 | 3 | 7/05 |
| 35 | रा.मा.वि. जोयला | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 8/07 | 2 | 0 | - |
| 36 | रा.मा.वि. मनादर | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 9/04 | 2 | 2 | 3/2000 |
| 37 | रा.मा.वि. नारादरा | 0 | 0 | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 | - |
| 38 | रा.मा.वि. खेजाडिया | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 8/05 | 0 | 0 | - |
| | योग | 108 | 41 | | 230 | 26 | | 81 | 27 | |

## मृत वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) जिला चित्तौड़गढ़ के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

**664. श्री बन्नेसिंह राठौड़** (औसियां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ में माध्यमिक शिक्षा के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने से संबंधित कितने प्रकरण कब से लंबित हैं? सूची नाम/पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री राकेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, (विज्ञान) का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, यदि हां, तो उनके आश्रित के रूप में किनके द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है एवं कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार एवं आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा प्रार्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़ को पत्र प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो पत्रों प्रत्युत्तर की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कई बार पत्राचार होने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़ द्वारा आज तक कोई प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार प्रार्थी श्रीमती रेणु शर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) को नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति के निम्नांकित 4 प्रकरण लंबित हैं :-

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | दिनांक से लम्बित |
|---|---|---|
| 1 | अब्दुल सलाम पुत्र स्व. श्री मो. सरीफ | 26.06.2007 |
| 2 | सुश्री रचना गटानी पुत्री स्व. श्रीमती मीना काबरा | 18.02.2008 |
| 3 | ललित कुमार नाई पुत्र स्व. श्री एलीराम नाई | 18.01.2008 |
| 4 | श्रीमती रेणु शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार शर्मा | वर्ष 2000 से |

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। स्व. श्री राकेश कुमार की पत्नी श्रीमती रेणु शर्मा ने कनिष्ट लिपिक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दिनांक 27.1.2000 को आवेदन किया था।

परन्तु श्रीमती शर्मा उस समय कनिष्ठ लिपिक के पद की योग्यता पूर्ण नहीं करती थी। वह उस समय 8वीं उत्तीर्ण थी। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 22.2.2000 को आवेदन-पत्र आक्षेपों की कमी पूर्ति हेतु श्रीमती रेणु शर्मा को लौटा दिया गया था। जो कि श्रीमती शर्मा द्वारा आक्षेपों की कर्मी पूर्ति कर वापस विभाग को प्रस्तुत नहीं किया जाकर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पुनः आवेदन पत्र दिनांक 1.3.2008 को संस्था प्रधान को प्रस्तुत किया गया है।

(3) जी हां। आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़ को अनुकम्पात्म नियुक्ति हेतु प्रकरण भिजवाने हेतु पत्र दिनांक 04.01.2007, 22.10.2007, 05.02.2008 तथा 01.03.2008 द्वारा लिखा गया था। पत्रों की छाया प्रतियां परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(4) जी नहीं। शेष उत्तर प्रश्न के भाग-2 के अनुसार।

(5) जी हां। श्रीमती रेणु शर्मा द्वारा समयावधि में आवेदन नहीं करने के परिणामस्वरूप प्रकरण समय सीमा में थिथिलन हेतु प्रक्रियाधीन है। नियमों में निर्धारित समय सीमा में थिथिलन प्राप्त होने पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

## साक्षरता एवं सतत शिक्षा भीलवाड़ा के शिविरों में भोजन व्यवस्था के बकाया बिलों का भुगतान

665. **श्री बन्नेसिंह राठौड़** (औसियां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, भीलवाड़ा द्वारा वर्ष 2005-06 में असाक्षर महिला आरक्षण शिविर में भोजन व्यवस्था आपूर्ति कराने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो किस-किस फर्मों द्वारा निविदाएं दी गई? फर्म का नाम/फर्म के प्रोपराइटर का नाम/पता/भोजन व्यवस्था हेतु कोटेशन दर/ब्लॉक क्षेत्र का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बन्नेसिंह राठौड़)

(2) उक्त प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम दर के आधार पर किन-किन फर्मों को किस-किस ब्लाक क्षेत्र के लिए किस दर पर भोजन व्यवस्था किये जाने हेतु निदेशित किया गया? विवरण मय निदेश पत्रों के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निविदा ब्लाक क्षेत्र कोटडी एवं जहाजपुर के लिए एक ही फर्म को भोजन व्यवस्था हेतु निदेशित किया गया था? यदि हां, तो फर्म का नाम एवं उक्त फर्म द्वारा कब-कब, कितने-कितने शिविर में कहां-कहां भोजन व्यवस्था की गई?

(4) निविदा ब्लाक क्षेत्र कोटड़ी एवं जहाजपुर में उपरोक्त फर्म द्वारा विभिन्न शहरों में सप्लाई किये गये भोजन व्यवस्था से संबंधित कब-कब कितनी-कितनी राशि के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये एवं उनमें से कितने-कितने बिलों का भुगतान कब-कब किया गया व कितने बिलों की राशि का भुगतान बकाया चल रहा है/अवधिपार हो गया है? विवरण मय फर्म के बिलों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि ब्लॉक क्षेत्र कोटड़ी से संबंधित समस्त बिलों का भुगतान के साथ ही धरोहर राशि एवं मार्जिन मनी का भी भुगतान कर दिया गया है एवं तहसीलदार, कोटड़ी ने उक्त फर्म द्वारा सप्लाई किये गये भोजन की उत्तम/अच्छी क्वालिटी व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को प्रस्तुत की है? यदि हां, तो विवरण मय रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि महिला शिक्षण शिविर ग्राम ऊंचा में भोजनपूर्ति में भोजन की क्वालिटी घटिया पाई जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर की रिपोर्ट के आधार पर ब्लाक क्षेत्र जहाजपुर में फर्म की धरोहर राशि जप्त करके काली सूची में डाल दिया गया था? यदि हां, तो उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट व तत्संबंधी किये गये निरीक्षण/परीक्षण की प्रतियां सदन की मेज पर रखें? क्या कोटड़ी ब्लॉक के लिऐ भी फर्म को काली सूची में डाला गया था?

(7) क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त जांच समाचार पत्रों के अंक दिनांक 05 दिसम्बर, 2005 में प्रकाशित समाचार के आधार पर की गई थी? यदि हां, तो किस आधार एवं उपखण्ड अधिकारी ने अपनी जांच के दौरान भोजन की क्वालिटी का परीक्षण किस लैब्रोरेट्री द्वारा करवाया गया तथा पीड़ित

(श्री बन्नेसिंह राठौड़)

व्यक्तियों का मेडिकल मुआवजा कराया गया? मेडिकल रिपोर्ट एवं भोजन क्वालिटी परीक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि मैसर्स कोटड़ी श्याम भोजनालय ब्लॉक क्षेत्र कोटड़ी/जहाजपुर के शिविरों में सप्लाई किये गये बिलों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या सरकार उपरोक्त फर्म के बकाया/अवधिपार बिलों का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(10) क्या सरकार उपरोक्त फर्म के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर द्वारा की गई जांच का पुन: परीक्षण/जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्ष 2005-06 में असाक्षर महिला शिविर हेतु भोजन व्यवस्था आपूर्ति हेतु निविदायें आमंत्रित की गई, जिनका विवरण परिशिष्ट ''क'' 6 पर संलग्न है।

(2) प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम दर के आधार पर जिन फर्मों को जिस ब्लॉक क्षेत्र के लिये जिस दर पर भोजन व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, उनका विवरण एवं निर्देशों की प्रति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। ब्लाक क्षेत्र कोटड़ी एवं जहाजपुर के लिए फर्म मैसर्स कोटड़ी श्याम भोजनालय, कोटड़ी को दोनों ब्लाकों में प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम दर के आधार पर भोजन व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। फर्म द्वारा कब-कब कितने-कितने शिविर में कहां-कहां भोजन व्यवस्था की गई, उनका विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

(4) ब्लॉक कोटड़ी में लगाये गये समस्त 13 शिविरों का भुगतान दिनांक 28.02.2006 के द्वारा 75793/- रुपये कर दिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है, अब कोई भुगतान शेष नहीं है।

ब्लॉक जहाजपुर में आयोजित सात शिविरों के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये है। लेकिन ऊंचा शिविर में भोजन की गुणवत्ता की शिकायत होने पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भीलवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर से जांच कराई गई तथा जांच रिपोर्ट में शिकायत

(शिक्षा मंत्री)

सही पाये जाने पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भीलवाडा द्वारा उक्त फर्म को ब्लैक लिस्टेट कर भुगतान न करने के आदेश देने से फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान नहीं किया गया, जिसका विवरण मय फर्म के बिलों कि प्रति परिशिष्ट-''घ'' में सम्मिलित है।

(5) जी हां। तहसीलदार कोटड़ी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भीलवाड़ा की स्वीकृति के पश्चात ब्लाक कोटडी में भोजन व्यवस्था सही होने से फर्म के समस्त बिलों एवं जमा धरोहर राशि का भुगतान कर दिया गया है। ब्लाक क्षेत्र कोटडी में भोजन की क्वालिटी के सम्बन्ध में तहसीलदार कोटडी द्वारा जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भीलवाड़ा को प्रस्तुत रिपोर्ट परिशिष्ट 'च' पर संलग्न है।

(6) जी हां। समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित घटिया भोजन आपूर्ति से संबंधित खबर पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भीलवाड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को शिविर ग्राम ऊंचा में भोजन जांच के आदेश दिये गये। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भीलवाड़ा के आदेश से फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर भुगतान रोका गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है। कोटड़ी ब्लाक में मैं. कोटडी श्याम भोजनालय, कोटडी की निविदा स्वीक्रत होकर अलग से कार्यादेश दिया गया था इस ब्लोक में भोजन की आपूर्ति सही पायी गई है, हालांकि इस फर्म को जहाजपुर ब्लाक के कारण पूरे जिले के लिये भविष्य में दो वर्ष तक भोजन आपूर्ति हेतु ब्लैक लिस्टेड किया गया है।

(7) जी हां। समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना एवं जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भीलवाड़ा द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर द्वारा जांच की गई। भोजन का परीक्षण लैबोरेट्री में नहीं करवाया गया, बल्कि शिविर में उपस्थित महिला संभागियों, स्थानीय जनसमुदाय एवं मौके पर उपस्थित शिक्षा प्रसार अधिकारी द्वारा भोजन की जांच की गई, जांच के दौरान बदबूदार एवं घटिया किस्म का पाये जाने पर भोजन को फिकवाया गया। पीड़ित व्यक्तियों का मेडिकल मुआयना नहीं कराया गया।

(शिक्षा मंत्री)

(8) मैसर्स कोटडी श्याम भोजनालय को ब्लाक क्षेत्र कोटडी में आयोजित समस्त 13 शिविरों के बिलों के भुगतान कर दिया गया है जब कि ब्लॉक जहाजपुर के शिविरों में सप्लाई किये गये बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त फर्म द्वारा ऊंचा शिविर में घटिया भोजन उपलब्ध कराये जाने की शिकायत को जांच में सही पाये जाने पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया।

(9) जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भीलवाड़ा द्वारा वित्त विभाग, (रूल्स) राजस्थान सरकार जयपुर को वित्तीय वर्ष समाप्त होने एवं बिलों के अवधिपार होने की स्थिति में संबंधित फर्म को भुगतान करने हेतु मार्गदर्शन के लिए पत्र भेजा गया है।

(10) जी नहीं। प्रकरण में पुनः जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय विकास हेतु विधायक कोष से स्वीकृत राशि

666. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में गत चार वर्षों में विधायक कोष से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों (सरकारी/गैर सरकारी एवं संस्थाओं द्वारा संचालित) में विद्यालय विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में गत चार वर्षों में विधायक कोष से सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राशि 8.62 लाख आबंटित की गयी तथा गैर सरकारी एवं संस्थाओं द्वारा संचालित शालाओं हेतु कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

## अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर के विरुद्ध प्राप्त अनियमितताओं की जांच

667. **श्री रमेश खीचीं** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रमेश खीचीं)

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी, जिला गंगानगर पूर्व बी.आर.सी.एफ.डी.पी.ई.पी. अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) के विरुद्ध निदेशक जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्र के संदर्भ में जिला कलक्टर श्रीगंगागनर द्वारा लेखाधिकारी से जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो उक्त जांच का परिणाम क्या रहा? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जांच में जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा शपथ-पत्र चैक संख्या व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जांच में जांच अधिकारी के समक्ष किसी अधीनस्थ महिला कार्मिक व अन्य कार्मिकों ने साक्ष्य सहित इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था कि आरोपी अधिकारी द्वारा उनके नाम से चैक काट कर भुगतान उठाया गया है? यदि हां, तो प्रस्तुत शपथ पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त जांच के आरोपी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों के नाम चैक काट कर सम्बन्धित को चैक नहीं देना व अपने स्तर पर भुगतान उठाया जाना प्रमाणित हुआ है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अनियमितता छुपाने हेतु आरोपी अधिकारी ने एक ही समय अवधि में दो कैश बुकें जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की हैं? यदि हां, तो दोनों कैश बुकों की आरोप में अंकित प्रविष्टियों की फोटो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि लेखाधिकारी द्वारा की गई जांच में दोषी पाये जाने पर निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया जब कि आरोपी अधिकारी भी अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी के रूप में जिला श्रीगंगानगर में पदस्थापित था व जांच अधिकारी ने सेवानिवृत्ति के समय जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपी थी? यदि हां, तो क्या यह उचित था? यदि हां, तो किस तरह?

(7) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर ने पूर्व जांच के समय जिन कार्मिकों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किये

(श्री रमेश खीचीं)

गये थे उनके बयानों व साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की है? यदि हां, तो संकुल प्रभारी, अनूपगढ़ व संकुल प्रभारी 73 जी.बी. के बयान व प्रस्तुत साक्ष्यों की फोटो प्रति प्रस्तुत की? यदि नहीं, तो क्या जांच अधिकारी ने उन कार्मिकों के साक्ष्य लेना उचित नहीं समझा जिन्होंने पूर्व जांच के समय शपथ-पत्र देकर साक्ष्य सहित आरोप प्रमाणित किया था कि आरोपी अधिकारी ने उनके नाम चैक काटकर फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान उठाया है? यदि हां, तो फिर जांच का क्या औचित्य रहा?

(8) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी द्वारा पूर्व जांच रिपोर्ट व आरोप में अंकित चैक संख्या का भुगतान किसने उठाया, किसके नाम काटा व उन पर किये गये हस्ताक्षरों का बैंक से सत्यापन करवाया गया? यदि हां, तो बैंक से किये गये पत्र व्यवहार व सम्बन्धित चैकों की फोटो प्रति व जांच अधिकारी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो चैकों से भुगतान में की गई अनियमितता की जांच किस तरह से की गई?

(9) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में यह माना है कि परियोजना में सामान्य लेखा व वित्तीय नियम लागू नहीं होते हैं? यदि हां, तो परियोजना पर लागू वित्त नियमों की प्रति प्रस्तुत करें साथ ही उन नियमों को रेखांकित करें, जिनके तहत अधीनस्थ कार्मिकों के नाम से चैक काटकर मनमाने ढंग से भुगतान उठाया जाता हो, अधीनस्थ कार्मिकों के फर्जी हस्ताक्षर किये जाते हों, अनियमितता छुपाने हेतु एक ही समयावधि की दो कैश बुकें तैयार की जाती हों, यदि ऐसे नियम नहीं हैं, तो उक्त आरोपी अधिकारी को वित्तीय अनियमितता का दोषी नहीं मानने के क्या कारण हैं?

(10) क्या सरकार अब उक्त जांच में रही कमियों को पूर्ण करने हेतु निष्पक्ष जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। उक्त अधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये गये। प्राथमिक जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व चैक की फोटो प्रतियां परिशिष्ट 'ख-1' से 'ख-8' तक संलग्न है।

(3) जी हां। शपथ पत्र परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(4) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-'ग' में संलग्न है।

(5) जी हां। दोनों केश बुकों के कुल पृष्ठों की संख्या 304 (साइज 12×18 वर्ग इंच) है। अतः इनकी फोटोप्रतियां कराना समय, श्रम एवं व्यय साध्य होने के कारण संलग्न किया जाना सम्भव नहीं है।

(6) जी हां। जांच अधिकारी दिनांक 12.12.2005 को नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दिनांक 31.1.2007 को प्रस्तुत की और जांच अधिकारी दिनांक 31.1.2007 को ही सेवानिवृत्त हो गये। अतः उनके द्वारा की गई यह जांच नियमान्तर्गत है।

(7) जी हां। प्राथमिक जांच के समय प्रस्तुत शपथ पत्र के कार्मिकों में से जो कार्मिक विभागीय जांच के समय साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए उनके बयानों के आधार पर विभागीय जांच रिपोर्ट तैयार की गई। संकुल प्रभारी, अनूपगढ़ व संकुल प्रभारी 73 जी.बी. को पत्र दिनांक 28.9.2006 तथा 26.10.2006 द्वारा क्रमशः दिनांक 17.10.2006 तथा 3.11.2006 को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु उपस्थित नहीं होने के कारण उनके बयान नहीं लिये जा सके। साक्षी के उपस्थित नहीं होने पर विभागीय जांच को लम्बित नहीं रखा जा सकता।

(8) जी नहीं। जांच अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट व आरोपों में अंकित चैक संख्या का भुगतान उठाये जाने से संबंधित बिन्दु की जांच नहीं की गई।

(9) जी हां। परियोजना में बजट वित्तीय एवं लेखा नियम (बी.एफ. एण्ड ए आर) लागू होते हैं। परियोजना में अधीनस्थ कार्मिकों के नाम से चैक काट कर मनमाने ढंग से भुगतान उठाया जाता हो, अधीनस्थ कार्मिकों के फर्जी हस्ताक्षर किये जाते हों, अनियमितता छुपाने हेतु एक ही समय अवधि की दो कैश बुकें तैयार की जाती हों, ऐसे कोई भी नियम नहीं है।

(10) आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत जांच सम्पन्न करवाकर दोषी अधिकारी को आदेश दिनांक 14.9.2007 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। फिर

(शिक्षा मंत्री)

भी राज्य सरकार स्तर पर इस प्रकरण को पुन: परीक्षण करवाकर निश्चित अवधि में कार्यवाही की जायेगी।

**(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सरकारी/निजी खातेदारी भूमि में विद्युत लाइन खींचने हेतु जारी दिशा/निर्देश

668. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने के लिए सरकारी और खातेदारी जमीनों में से लाइन देने के लिए क्या नियम निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) किसी उपभोक्ता या खातेदार किसान द्वारा अन्य उपभोक्ता को अपने खेत से विद्युत लाइन नहीं ले जाने देने पर निगम द्वारा किन-किन नियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जाती है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने के लिए सरकारी व खातेदारी जमीनों में से इण्डियन इलेक्ट्रिसिटि एक्ट, 2003 पार्ट III पैरा 67 के अनुसार लाइन खींची जाती है। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) किसी उपभोक्ता या खातेदार किसान द्वारा अन्य उपभोक्ता को अपने खेत से विद्युत लाइन नहीं ले जाने देने पर अन्यत्र/घुमाव वाले रास्ते से लाइन खींची जाती है। यदि फिर भी लाइन खींचना सम्भव न हो तो पुलिस इमदाद पर/एफ.आई.आर. पर पुलिस अधिनियम तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 के तहत नुक्से अमन की कार्यवाही की जाती है।

**परिशिष्ट 'अ'**

**The Indain Electricity Act, 2003**

**PART VIII**

**WORKS**

**Works of licensees**

67. Provision as to opening up of streets, railways, etc.- (1) A licensee may, from line to line but subject always to the terms and conditions of his licence, within his area of supply or transmission or when permitted by

the terms of his licence to lay down or place electric supply lines whitout the area of supply, without that area carry out works such as-

(a) to open and braek up the soil and pavement of any street, railway or tramway;

(b) to opetn and break up any sewer, drain or tunnel in or under any street, railiway or tramway;

(c) to alter the position of any line or works or pipes, other than a main sewer pipe;

(d) to lay down and place electirc lines, electrical plant and other works;

(e) to repair, alter or remove the same;

(f) to do all other acts necessary for transmission or supply of electricity.

## फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

669. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितने पशु चिकित्सालय/औषधालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय/औषधालयों में किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा उनमें से किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात उक्त क्षेत्र में (कितने पशु चिकित्सालय/औषधालय कहां-कहां खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान व आगामी वर्ष में कहां-कहां नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में निम्नांकित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय संचालित हैं :-

| प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय | पशु चिकित्सालय |
|---|---|
| 1. जोबनेर | 1. बागावास |

(पशुपालन मंत्री)

2. फुलेरा

2. बधाल
3. बन्धे के बालाजी
4. भैंसलाना
5. भोजपुरकलां
6. हिंगोनियां
7. मण्डाभीमसिंह
8. मण्डवाड़ा
9. रैनवाल
10. सांभर
11. कालख

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवराण अनुसंलग्नक-क सदन की मेज पर रख दिया गया है। रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 1 जनवरी, 2004 के पश्चात पशु औषधालय कालख को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। कोई नये पशु चिकित्सालय एवं औषधालय नहीं खोले गये हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोले जाने प्रस्तावित नहीं हैं।

अनुसंलग्नक-क

## फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत/रिक्त पदों की सूची

| क्रं. सं. | संस्था का नाम | वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी | | पशु चिकित्सा अधिकारी | | पशु चिकित्सा सहायक | | पशुधन सहायक | | स्कन्ध सहायक | | गडरिया | | ड्रेसर | | जलधारी | | सईस | | सफाईकर्ता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त | स्वी. | रिक्त |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, जोबनेर | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 2 | प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, फुलेरा | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 3 | पशु चिकित्सालय, बागावास | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 4 | पशु चिकित्सालय बधाल | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 5 | पशु चिकित्सालय, बन्धे के बालाजी | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | पशु चिकित्सालय, भैंसलाना | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 7 | पशु चिकित्सालय, भोजपुरकलां | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 8 | पशु चिकित्सालय, हिंगोनिया | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 9 | पशु चिकित्सालय, मण्डाभीमसिंह | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 10 | पशु चिकित्सालय, मुण्डवाड़ी | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | पशु चिकित्सालय, रैनवाल | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 12 | पशु चिकित्सालय, सांभर | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 13 | पशु चिकित्सालय, कालख | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

## फालना अवशीतन केन्द्र, (पाली) में उप प्रबन्धक पद पर पदस्थापित अधिकारी

670. **श्री सी.डी. देवल** (रायपुर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में उप प्रबंधक (पी. एण्ड आई.) के कुल कितने पद किस-किस शाखा में कहां-कहां स्वीकृत हैं? इन पदों पर कौन-कौन अधिकारी कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फालना अवशीतन केन्द्र पर उप प्रबन्धक (पी. एण्ड. आई.) का पद रिक्त है? यदि नहीं, तो कौन अधिकारी कार्यरत है? क्या वह प्रोक्योमेन्ट व इनपुट शाखा का प्रशिक्षित व योग्यताधारी उप प्रबन्धक है? यदि नहीं, तो क्यों व किन परिस्थितियों में इन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला संघ ने उप प्रबन्धक (पी. एण्ड आई) पद के एक अधिकारी का स्थानान्तरण फालना किया है? क्या ऐसी दशा में उप प्रबन्धक (प्लांट) से अतिरिक्त चार्ज लेकर उप प्रबन्धक (पी. एण्ड आई) को सौंपा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में उप प्रबन्धक (पी एण्ड आई) के आठ पद स्वीकृत हैं। उक्त पदों पर कार्यरत शाखावार अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में फालना दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर पदस्थापित श्री प्रतापसिंह सान्धु उप प्रबन्धक (पीएण्डआई) कार्यरत हैं। श्री प्रतापसिंह सान्धु पीएण्डआई के समुचित योग्यताधारी एवं प्रशिक्षित अधिकारी हैं।

(3) जी हां। जी नहीं। चूंकि श्री नटवरसिंह, उप प्रबन्धक (प्लांट) श्री प्रतापसिंह सान्धु उपप्रन्धक (पीएण्डआई) से वरिष्ठ हैं, अतः इस आधार पर श्री नटवर सिंह को प्रभारी अधिकारी, फालना अवशीतन केन्द्र का कार्यभार सौंपा गया है।

परिशिष्ट 'क'

**पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में उपप्रबन्धक (पी एण्ड आई) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों का शाखावार पदस्थापन विवरण**

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | उपप्रबन्धक पद पर पदस्थापित दिनांक | वर्तमान में जिस अनुभाग में कार्यरत | वर्तमान में किस तिथि से कार्यरत है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री एस.पी. माथुर | 27.09.1986 | प्रबन्धक (पी एण्ड आई) संघ मुख्यालय | 03.01.2004 |
| 2 | श्री हेमसिंह | 16.06.1997 | प्रबन्ध संचालक कार्यालय | 16.06.1997 |
| 3 | श्री बी.आर. जोशी | 06.11.1997 | उपप्रबन्धक (पी एण्ड ए) संघ मुख्यालय | 15.12.2007 |
| 4 | श्री अनिल कुमार पुरोहित | 06.11.1997 | उपप्रबन्धक (विपणन) | 14.12.2007 |
| 5 | श्री ए.डी. माथुर | 06.11.1997 | उपप्रबन्धक (पीएण्डआई) जैतारण अवशीतन केन्द्र | 03.01.2008 |
| 6 | श्री प्रतापसिंह सान्धु | 01.08.2002 | उपप्रबन्धक (पीएण्डआई) फालना अवशीतन केन्द्र | 29.01.2008 |
| 7 | श्री के.सी. मून्दड़ा | 01.08.2002 | उपप्रबन्धक (पीएण्डआई) जोन द्वितीय, पाली। | 12.02.2006 |
| 8 | रिक्त पद | | | |

## सरपंच ग्राम पंचायत नगरफोर्ट (देवली) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

**671. श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नगरफोर्ट (देवली), जिला टोंक

(श्री रामनारायण मीणा)

के सरपंच के विरुद्ध विगत 2 वर्षो में अनियमितताएं, गबन आदि अनेकानेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिकायतों एवं जांच रिपोर्ट पर प्रभावी कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण रहे तथा अब कब तक प्रभावी कार्यवाही कर दी जावेगी?

**उत्तर**

(1) जी हां। विभाग को प्राप्त शिकायतें सम्भागीय आयुक्त अजमेर को जांच हेतु भिजवाई गई हैं व अन्य शिकायतों की जांच विकास अधिकारी द्वारा की जा रही है। इस विभाग व अन्य कार्यालय को प्राप्त शिकायत की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं।

(3) जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## नवाबी बावड़ी, फतेहपुर का जीर्णोद्धार

672. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा फतेहपुर, जिला सीकर पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है?

(2) क्या यह सही है कि ऐतिहासिक नवाबी बावडी, फतेहपुर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो क्या सरकार की इस बावडी के जीर्णोद्धार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां। 17वीं सदी में निर्मित यह नवाबी बावड़ी अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। परन्तु यह बावड़ी कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संरक्षित घोषित नहीं है। एवं न ही इस बावड़ी के जीर्णोद्धार की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित है।

## भीम विधान सभा क्षेत्र में संचालित/प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र

673. **श्री हरीसिंह रावत** (भीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है एवं कितने नये खोले जाने प्रस्तावित हैं।

**उत्तर**

(1) नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार है :-

| परियोजना की प्रकृति | जनसंख्या | स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. ग्रामीण/शहरी | 400 से 800 तक | 1 |
| 2. मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र | 150 से 400 तक | 1 |
| 3. जनजाति/रेगिस्तानी/ पहाडी दूरस्थ क्षेत्र | 300 से 800 तक | 1 |
| 4. मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र | 150 से 300 तक | 1 |

ग्राम में जनसंख्या अधिक होने पर सभी प्रकार की परियोजनाओं में 800 के गुणक में एक से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र भी खोले जा सकते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र भीम में 252 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 5 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। निर्धारित जनसंख्या मानदण्ड एवं अन्य प्राथमिकता पूर्ण करने वाले ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत खोले जा सकते हैं।

## महिला बाल विकास कार्यालयों में वाहन चालकों के स्वीकृत पद

674. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) महिला एवं बाल विकास कार्यालयों में वाहन चालकों के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) वर्तमान में कितने वाहन उपलब्ध हैं उक्त में से कितने सही व कितने नकारा हैं?

(श्री रामरतन बैरवा)

(3) क्या सरकार जहां वाहन उपलब्ध नहीं हैं, वहां वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग में 242 पद वाहन चालकों के स्वीकृत हैं।

(2) विभाग में वर्तमान में 217 वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें से 190 वाहन चलने योग्य हैं, 10 वाहन मरम्मत योग्य हैं एवं 17 वाहन नाकारा घोषित करने योगय हैं। वाहनों को नाकारा घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार द्वारा नये वाहन के स्थान पर वर्तमान में किराये पर वाहन लेने की नीति निर्धारित की गई है।

वर्तमान में जिन परियोजनाओं में वाहन उपलब्ध नहीं है, उन परियोजनाओं में भारत सरकार से वाहन किराये की स्वीकृति प्राप्त होने पर परियोजना को वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति दी जाती है।

## गंगापुर-कांकरोली मार्ग का डायवर्जन

675. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार गंगापुर कांकरोली वाया कांगणी, सालेरा, खांखला, टपरियाखेड़ी होकर कांकरोली मार्ग का डायवर्जन कर चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पूर्व मार्ग गंगापुर-कांकरोली के डायवर्जन के स्थान पर, गंगापुर-कांकरोली वाया कांगणी, सालेरा, खांखला, टपरियाखेड़ी होकर 60 कि.मी. नया अन्य श्रेणी स्टेज कैरिज यात्री मार्ग राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.03.2008 द्वारा खोला जा चुका है। अतः गंगापुर कांकरोली 50 कि.मी. अन्य मार्ग के डायवर्जन की आवश्यकता नहीं है।

## निवाई शहर स्थित निगम बस स्टैण्ड का अन्यत्र स्थानान्तरण

676. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर में स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित है, को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम का वर्तमान में निवाई बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि वर्तमान में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

## केकड़ी-विजय नगर मार्ग पर निगम बस सेवा

677. **श्री गोपाल लाल धोबी** (केकड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के मुख्यालय केकड़ी से विजयनगर के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वर्तमान में निगम द्वारा केकड़ी से विजय नगर के लिये पृथक से किसी बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है अपितु निम्नानुसार एक बस सेवा संचालित है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| मालपुरा | केकडी | विजय नगर | |
| 0730 | 0915 | 1115 | |
| विजयनगर | केकड़ी | मालपुरा | जयपुर |
| 1200 | 1400 | 600 | 1845 |

(2) खण्ड 1 में अंकितानुसार निगम द्वारा बस सेवा का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है।

## अलवर, मत्स्य नगर आगार में पदस्थापित यातायात प्रबन्धक

678. **श्री महीपाल यादव** (बानसूर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में प्रबंधक (यातायात) नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया है एवं इस पद की योग्यता क्या है?

(2) क्या किसी जूनियर संगणक (कम्प्यूटर) को प्रबंधक (यातायात) नियुक्त किया जा सकता है?

(3) मत्स्य नगर आगार, अलवर में वर्तमान में नियुक्त प्रबंधक (यातायात) श्री सुनील भगवती की योग्यता क्या है तथा संगणक की वरिष्ठता सूची में कौनसा स्थान है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त श्री सुनील भगवती के प्रबंधक (यातायात) नियुक्त करने के एक माह में निगम 40 लाख रुपये के घाटे में गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) राजस्थान परिवहन निगम में प्रबंधक (यातायात) पद पर सामान्यत: आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक अथवा सांख्यिकी संवर्ग से पदस्थापन किया जाता है। आगार प्रबन्धक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं उक्त में अन्य की हायर सैकण्डरी है।

(2) जी हां। प्रबंधक (यातायात) Functional (कार्यकारी पद) है जिस पर निगम के किसी योग्य कर्मचारी/अधिकारी को लगाया जा सकता है।

(3) श्री सुनील भगवती की योग्यता हायर सैकण्डरी है। संगणकों की वरिष्ठता सूची वर्ष 2007 में इनका नाम क्रम संख्या 138 पर अंकित है।

(4) श्री भगवती को दिनांक 15.11.2007 को मत्स्य नगर आागर में प्रबंधक (यातायात) पद पर लगाया गया था। इनकी नियुक्ति के पश्चात कभी भी किसी भी एक माह में चालीस लाख रु. का घाटा नहीं हुआ है। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

## जयपुर-हनुमानगढ़ मार्ग पर वोल्वो बस सेवा का संचालन

679. **चौधरी विनोद कुमार** (हनुमानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(चौधरी विनोद कुमार)

क्या सरकार, जयपुर से हनुमानगढ़ वोल्वो बस सेवा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी नहीं। पूर्व में जयपुर से श्रीगंगानगर वाया हनुमानगढ़ के लिये राजस्थान परिवहन निगम द्वारा सेमीडील्क्स बस सेवा तथा स्लीपर कोच सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया था परन्तु पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने के कारण इनका संचालन बन्द करना पड़ा। उक्त स्थिति को देखते हुये जयपुर से हनुमानगढ़ के लिये वोल्वो बस को पर्याप्त यात्रीभार मिलने की सम्भावना क्षीण होने के कारण संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

## भरतपुर जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित आवास

680. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर में इन्दिरा आवास योजना के तहत गत पांच वर्षों में कुल कितने मकान बनाये गये एवं योजना के तहत क्या मकान बनाने के लिये जरूरत राशि दी जाती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत क्या बी.पी.एल. परिवारों को ही शामिल किया जाता है यदि हां, तो वर्ष 2005 से अब तक कितने मकान बनाये गये? वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना में सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला भरतपुर में इन्दिरा आवास योजना के तहत गत 5 वर्षों में कुल 3096 नये आवासों का निर्माण कराया गया। योजना के तहत मकान बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रति आवास 25000 रु. अनुदान सहायता राशि निर्धारित है। जो कि आवास बनाने वाले को दे दी जाती है।

(2) जी हां। इन्दिरा आवास योजना में बीपीएल परिवारों को ही शामिल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2005-06 से जनवरी, 2008 तक निर्मित आवासों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

| वर्ष | अजा | अजजा | अल्प संख्यक | अन्य | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 304 | 67 | 0 | 324 | 695 |
| 2006-07 | 502 | 51 | 0 | 366 | 919 |
| 2007-08 | 186 | 38 | 32 | 117 | 373 |

(3) इन्दिरा आवास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। जिसके दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा ही जारी किये जाते हैं। अनुदान सहायता राशि भारत सरकार के स्तर पर ही निर्धारित की जाती है। अतः सहायता राशि में बढोत्तरी का निर्णय भी भारत सरकार के स्तर पर ही लिया जा सकता है।

## गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमान्तर्गत जिला बारां में निर्मित एनिकट/तालाब

681. **श्री राईया मीणा** (आसपुर) एवं **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बारां जिले में वर्ष 1997 से 2007 तक किस-किस नदी या नाले पर किस-किस गांव में एनीकट एवं तालाबों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एनीकट व तालाबों के निर्माण पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा निर्माण किस-किस एजेन्सी के माध्यम से पूर्ण हुआ? एनीकट व तालाब वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त एनीकटों व तालाबों का निर्माण किस-किस तारीख को पूर्ण हुआ? एनीकट व तालाब वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त एनीकटों व तालाबों की जल भराव क्षमता कितनी-कितनी है? एनीकट व तालाब वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) डीपीआईपी परियोजना राज्य के सात जिलों में वर्ष 2000-01 से प्रारम्भ हुई, जिसमें बारां जिला भी सम्मिलित है। परियोजनान्तजर्गत बारां जिले में स्वीकृत किये गये एनीकटों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट–अ पर संलग्न है। परियोजना से कोई भी तालाब का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) परियोजनान्तर्गत बारां जिले में स्वीकृत किये गये एनीकटों में हुए व्यय व कार्यकारी एजेन्सी की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) परियोजनान्तर्गत बारां जिले में स्वीकृत किये गये एनीकटों की पूर्णता की तिथि की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) परियोजनान्तर्गत बारां जिले में स्वीकृत किये गये एनीकटों की भराव क्षमता सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

## जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई (डीपीआईपी) बारां
## डीपीआईपी परियोजनान्तर्गत स्वीकृत एनीकट

| क्र. सं. | ब्लाक का नाम | ग्राम | समान रूचि समूह | एनजीओ/ कार्यकारी एजेन्सी | गतिविधि | परियोजना की कुल लागत | डीपीआईपी अंशदान | डीपीआई पी द्वारा जारी राशि | यू.सी./ व्यय राशि | सी.सी. दिनांक | जल भराव की क्षमता (in Cum.) | नदी/ नाला /खाल का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अटरू | काचरा | ग्राम पंचायत | ग्रा.पं.- मेरमाचाह | एनीकट | 224000 | 201600 | 200121 | 200121 | 25-Aug-03 | 1429 | गांव खाल |
| 2 | अटरू | धोती | ग्राम पंचायत | ग्रा.पं.-धोती | एनीकट | 582000 | 523800 | 522734 | 522734 | 26-Jul-04 | 1650 | गांव खाल |
| 3 | बारां | उंडा | ग्राम पंचायत | ग्रा.पं.-रतावाड़ | एनीकट | 734000 | 660600 | 637937 | 637937 | 26-Oct-04 | 2250 | गांव खाल |
| 4 | बारां | समसपुर | ग्राम पंचायत | ग्रा.पं.- लिसाडिया | एनीकट | 876000 | 788400 | 783901 | 783901 | 8-Jun-04 | 4500 | गांव खाल |
| 5 | किशनगंज | सहरानी खेरा | ग्राम पंचायत | ग्रा.पं.-सुहास | एनीकट | 635000 | 574783 | 574765 | 574765 | 30-Sep-04 | 1960 | खंदेलाखरी |
| 6 | किशनगंज | कारीरिया | चेतना | स्वच्छ | एनीकट | 557000 | 501300 | 401040 | | CC Not Adjusted | 10000 | लहारूनी |
| 7 | किशनगंज | खंडेला खेरी | प्रताप | स्वच्छ | एनीकट | 352000 | 316800 | 253440 | 234665 | CC Not Adjusted | 3713 | खंदेलाखरी |
| 8 | किशनगंज | बकनपुरा | भीमा | असेफा | एनीकट | 746000 | 671400 | 527120 | 322423 | CC Not Adjusted | 12500 | वाटरवियर आफ उम्मेदसागर |

| क्र. सं. | ब्लाक का नाम | ग्राम | समान रूचित समूह | एनजीओ/ कार्यकारी ऐजेन्सी | गतिविधि | परियोजना की कुल लागत | डीपीआईपी अंशदान | डीपीआईपी द्वारा जारी राशि | यू.सी./ व्यय राशि | सी.सी. दिनांक | जल भराव की क्षमता | नदी/नाला/ खाल का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | किशनगंज | महोदरी | श्रीलाल | असेफा | एनीकट | 662000 | 595800 | 591925 | | CC Not Adjusted | 12500 | दोबराज |
| 10 | शाहबाद | मझारी | धूनावाले बाबा | असेफा | एनीकट | 652000 | 586800 | 49336 | | * | | कुनू |
| 11 | शाहबाद | मंडीभोनरा | जय लक्ष्मी | असेफा | एनीकट | 891000 | 801900 | 81900 | | * | | रेपी |
| 12 | शाहबाद | शंघेश्वर | श्रीजींद बाबा | असेफा | एनीकट | 618000 | 556200 | 556200 | | * | | कुनू |
| 13 | छीपाबड़ौद | बमनखो | बजरंगबली | आईआईआरडी | एनीकट | 426000 | 383400 | 353400 | 153360 | CC Not Adjusted | 1500 | गांव खाल |
| 14 | छीपाबड़ौद | बोरीखेरा | भगत सिंह | आईआईआरडी | एनीकट | 808000 | 727200 | 6543200 | 581760 | CC Not Adjusted | 5000 | गांव खाल |
| 15 | छीपाबड़ौद | डोबरा | बजरंग | आईआईआरडी | एनीकट | 643000 | 578700 | 520830 | 437825 | CC Not Adjusted | 6750 | गांव खाल |
| 16 | छीपाबड़ौद | खेर खजूरिया | अंदर राजा | आईआईआरडी | एनीकट | 322000 | 289800 | 231840 | 65249 | CC Not Adjusted | 800 | गांव खाल |
| 17 | छीपाबड़ौद | लक्ष्मीपुरा | महावीर | आईआईआरडी | एनीकट | 346000 | 311400 | 280260 | 272411 | 31-Dec-07 | 1200 | गांव खाल |

* एनीकट का नीव खुदाई तक का कार्य हुआ था जो समयान्तर में वापस भर (स्लिट अप) गया है। कार्य पर किये गया व्यय निष्फल होने के कारण कार्यकारी एजेन्सी से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

## बारां जिले के अचयनित परिवारों, बी.पी.एल. परिवारों के समान सुविधा

**682. श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा जिला बारां में गत चार वर्षों में कितने ऐसे परिवारों को, जो बी.पी.एल. में चयनित होने से वंचित रहे, को बी.पी.एल. सुविधा उपलब्ध करवाई गई? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में बी.पी.एल. की सुविधायें/लाभ केवल चयनित बी.पी.एल. परिवारों को ही दिये जाते हैं। बी.पी.एल. सेन्सस-2002 की सूची 15.09.2006 को जारी की गई है। बारां जिले में बी.पी.एल. से वंचित रहे सहरियां परिवारों को राज्य सरकार, जनजाति विभाग के आदेश दिनांक 25.11.2004 के अनुसार बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद में बी.पी.एल. परिवारों को प्रदत्त समस्त सुविधायें/लाभ दिये जा रहे हैं। सहरियां परिवारों की पंचायत समिति वार संख्या निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | पंचायत समिति का नाम | सहरियां परिवारों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | किशनगंज | 9077 |
| 2 | शाहबाद | 9123 |

## राजधानी लॉ कालेज जयपुर में छात्रों की जमा अमानत राशि की वापसी

**683. श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में विधि संकाय के कितने कालेज संचालित हैं?

(2) राजधानी ला कालेज जयपुर में किस वर्ष प्रारम्भ हुआ? प्रारम्भ से अब तक किस-किस वर्ष में कितने-कितने छात्रों द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मुरारीलाल मीणा)

(3) छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश के समय कालेज द्वारा प्रवेश शुल्क एवं फीस के रूप में कितनी राशि जमा की गई? पृथक-पृथक छात्र से वसूली गई राशि का छात्र के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कालेज द्वारा छात्रों के प्रवेश के समय कोशन मनी भी वसूल की गई थी? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(5) क्या यह भी सही है कि छात्रों के कालेज छोड़ने या तृतीय वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात भी कॉलेज द्वारा जमा कोशन मनी नहीं लौटाई गई? यदि हां, तो किन-किन की व क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि कालेज में फीस वसूली का रिकार्ड होने के बाद भी छात्रों से कोशल मनी मांगने पर उनसे प्रथम वर्ष की रसीद मांगी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में कुल 20 विधि महाविद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(2) यह एक निजी महाविद्यालय है और सत्र 2003-04 से प्रारम्भ हुआ है, जिसमें वर्ष वार छात्रों की प्रथम वर्ष में संख्या निम्न प्रकार हैं:-

2003-04 में 160 छात्र-छात्राएं

2004-05 में 160 छात्र-छात्राएं

2005-06 में 110 छात्र-छात्राएं

2006-07 में 125 छात्र-छात्राएं

2007-08 में 118 छात्र-छात्राएं

सूची परिशिष्ट दो पर संलग्न है।

(3) महाविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार कालेज द्वारा छात्रों से प्रवेश शुल्क 10,000/- रु. तथा छात्राओं से 8,500/- रु. लिये गये। सूची परिशिष्ट तीन पर संलग्न है।

(4) महाविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार कालेज द्वारा छात्र से प्रवेश के समय कोशनमनी के रूप में 500 रुपये केवल एलएलबी प्रथम वर्ष सैशन 2003-04 एवं सैशन 2004-05 में ही लिये गये इन सत्रों के पश्चात छात्रों से फीस के साथ कोशनमनी नहीं ली गई।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(5) महाविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार कालेज द्वारा सत्र 2003-04 एवं 2004-05 के छात्रों द्वारा तृतीय वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज छोड़ने के समय छात्र द्वारा कॉशनमनी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पर उसे तुरन्त 500 रुपये कॉशनमनी लौटा दी जाती है। जिन छात्रों की कॉशनमनी लौटाई गई है। नहीं लौटाई गई है, उनकी सूची परिशिष्ट चार पर संलग्न है।

(6) महाविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार छात्र द्वारा कॉशनमनी प्राप्त करने के लिये आवेदन करने पर उसे कॉशनमनी तुरन्त लौटा दी जाती है, कॉलेज द्वारा इस हेतु छात्र से किसी प्रकार की रसीद अथवा कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता है।

**(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)**

## मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कार्मिकों के रिक्त पद

684. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मोहन लाल सुखड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अन्तर्गत कालेजों में वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं तथा कितना बैकलाग है? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को तथा बैकलाग को विशेष भर्ती अभियान चला कर भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में कनिष्ट लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अन्तर्गत विभिन्न कालेजों में वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पद 262, रिक्त पद 157 एवं बैकलॉग 7 हैं।

जी हां। शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। जिसमें नियमानुसार रिक्त पद भरे जावेंगे।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के विभिन्न महाविद्यालयों एवं समस्त ईकाइयों में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक कर्मचारियों के क्रमश: 84, 54 एवं 138 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कनिष्ट लिपिकों के 01, वरिष्ठ लिपिकों के 09 एवं सहायक कर्मचारियों के 03 पद रिक्त हैं।

जी हां। विश्वविद्यालय से अशैक्षणिक पदों से संबंधित कार्यभार सूचना चाही गई है, सूचना प्राप्त होने पर कार्यभार के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

## बीकानेर जिले की मण्डियों से प्राप्त आय का उपयोग

685. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समय-समय पर मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु मण्डी समितियों से राशि मंगवाई जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2003 से जनवरी, 2008 तक बीकानेर मण्डियों से कितनी-कितनी राशि मंगवाई गई व किन-किन क्षेत्रों में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि जिस मण्डी समिति से मंगवायी जाती है उसी क्षेत्र में व्यय की जाती है? यदि हां, तो क्या उक्त राशि मण्डी समिति स्तर पर मिसिंग लिंक सड़कों को स्वीकृत करवाकर खर्च की जा सकती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि समय-समय पर मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु मण्डी समितियों से राशि मंगवाई जाती है। वर्ष 2003 से जनवरी, 2008 तक बीकानेर की मण्डियों से मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु मंगवाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त राशि के व्यय का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि उक्त राशि जिस मण्डी समिति से मंगवाई जाये उसी क्षेत्र में व्यय की जाए। राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 की धारा 34 ए के अन्तर्गत राज्य सरकार मण्डी कोष के व्यय हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्धारित करने में सक्षम है। मण्डी समिति के पास पर्याप्त बचत राशि होने पर अन्य सड़कों के निर्माण भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं।

परिशिष्ट 'अ'

**वर्ष 2003 से जनवरी, 2008 तक बीकानेर मण्डियों से मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु मंगवाई गई राशि का विवरण**

| क्र. सं. | मण्डी समिति का नाम | वर्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | कुल |
| 1 | बीकानेर (अनाज) | 138.97 | 200.41 | 56.00 | - | 2.68 | 398.06 |
| 2 | बीकानेर (फल सब्जी) | 87.46 | 54.79 | 26.00 | - | 5.35 | 173.60 |

परिशिष्ट 'ब'

**बीकानेर मण्डियों से मंगवाई गई उक्त राशि किन-किन क्षेत्रों में व्यय की गई है, का विवरण**

| क्र.सं. | मिसिंग लिंक परियोजना का नाम | जिलों का नाम जिनके क्षेत्रों में राशि व्यय की गई |
|---|---|---|
| 1 | मिसिंग लिंक परियोजना (2003-04) | अलवर, बीकानेर, बून्दी, दौसा, जयपुर, जोधपुर, |
| 2 | मिसिंग लिंक परियोजना (2007-08) | अलवर, बीकानेर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, बारां, कोआ, |

**परिशिष्ट -स**

## राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई
## गैर सरकारी संस्थानों को अनुबंधानुसार देय राशि

| क्रं. सं. | जिले का नाम | गैर सरकारी संगठनों की संख्या | बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बारां | 12 | 13.70 |
| 2 | दौसा | 8 | 13.26 |
| 3 | झालावाड़ | 9 | 47.87 |
| 4 | राजसमंद | 5 | 45.54 |
| | **कुल योग** | **34** | **120.37** |

## परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-321 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

जिलेवार साइकिल वितरण हेतु विद्यालयों की संख्या

| क्र. सं. | जिले का नाम | साइकिल वितरण हेतु विद्यालयों की संख्या | फर्म को साइकिल सप्लाई हेतु आबंटित संख्या | दिनांक 15.3.2008 तक वितरित की गई साइकिलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | चूरू | 41 | 179 | 0 |
| 2 | बीकानेर | 43 | 264 | 0 |
| 3 | श्रीगंगानगर | 82 | 490 | 0 |
| 4 | हनुमानगढ़ | 104 | 656 | 0 |
| 5 | झुंझुनूं | 71 | 694 | 0 |
| 6 | जयपुर-प्रथम | 107 | 1066 | 1066 |
| 7 | जयपुर-द्वितीय | 179 | 2079 | 2079 |
| 8 | अलवर-प्रथम | 73 | 975 | 975 |
| 9 | अलवर-द्वितीय | 113 | 1314 | 1314 |
| 10 | भरतपुर-प्रथम | 46 | 179 | 0 |
| 11 | भरतपुर-द्वितीय | 62 | 377 | 0 |
| 12 | सीकर-प्रथम | 100 | 885 | 0 |
| 13 | सीकर-द्वितीय | 110 | 1274 | 0 |
| 14 | दौसा | 107 | 1921 | 1868 |
| 15 | धौलपुर | 68 | 752 | 752 |
| 16 | जोधपुर | 103 | 778 | 777 |
| 17 | पाली | 71 | 388 | 0 |
| 18 | सिरोही | 25 | 103 | 0 |
| 19 | जालौर | 67 | 703 | 0 |
| 20 | बाड़मेर | 93 | 1058 | 1058 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | जैसलमेर | 9 | 58 | 58 |
| 22 | कोटा | 56 | 426 | 426 |
| 23 | बारां | 70 | 459 | 459 |
| 24 | बून्दी | 50 | 343 | 343 |
| 25 | झालावाड़ | 76 | 532 | 524 |
| 26 | करौली | 16 | 95 | 93 |
| 27 | स. माधोपुर | 57 | 360 | 360 |
| 28 | उदयपुर-प्रथम | 53 | 373 | 187 |
| 29 | उदयपुर-द्वितीय | 120 | 1062 | 662 |
| 30 | बांसवाड़ा | 157 | 3494 | 1741 |
| 31 | चित्तौड़गढ़ | 100 | 723 | 590 |
| 32 | डूंगरपुर | 139 | 2316 | 0 |
| 33 | राजसमन्द | 44 | 277 | 277 |
| 34 | अजमेर-प्रथम | 35 | 203 | 195 |
| 35 | अजमेर-द्वितीय | 47 | 164 | 163 |
| 36 | नागौर-प्रथम | 78 | 651 | 0 |
| 37 | नागौर-द्वितीय | 45 | 424 | 0 |
| 38 | भीलवाडा-प्रथम | 61 | 260 | 253 |
| 39 | भीलवाडा-द्वितीय | 52 | 265 | 265 |
| 40 | टोंक | 87 | 384 | 0 |
| | **योग** | **3017** | **29004** | **16485** |

नोट :- जिन जिलों में बालिकाओं को साइकिल का वितरण नहीं हो सका है, वहां फर्म द्वारा साइकिलों का संयोजन (Assemble) कार्य प्रगति पर है।